57th

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2014 - 2015

ईसीजीसी लि.

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड)

ECGC Ltd.

(Formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd)

एम एस एम ई के उन्नति की ओर

Towards the progress of MSMEs

माइक्रो, लघु तथा मध्यम उपक्रम क्षेत्र पिछले पाँच दशकों मे भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यधिक जीवंत तथा गतिशील क्षेत्र के रुप में उभर कर सामने आया है । इसने ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में सहायता के साथ साथ बड़े रोजगार अवसर प्रदान करने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है ।

माइक्रो, लघु तथा मध्यम उपक्रमों (एम एस एम ई) की राष्ट्र के सकल घरेलु उत्पाद के 8% तथा विनिर्माण उत्पादन के 45% व देश के निर्यातों के 40% की हिस्सेदारी है ।

57 वी वार्षिक रिपोर्ट का फोकस – एम एस एम ई

FOCUS OF THE 57TH ANNUAL REPORT - MSMEs

MSME sector has emerged as a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy over the last five decades. It has played a crucial role in providing large employment opportunities besides helping in industrialization of Rural and backward areas.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) contribute nearly 8% to the nation's GDP, 45% of the manufacturing output and 40% of the Exports of the country.

विज़िन

निर्यात ऋण बीमा व
व्यापार संबंधी बेहतरीन
सेवाएँ प्रदान करना।

Vision

To excel in providing
export credit insurance and
trade related services.

मिशन

भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती हुई
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध
स्त्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए
किफ़ायती बीमा एवं व्यापार संबंधी
सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की
सहायता करना ।

Mission

To support the Indian Export Industry by
providing cost effective insurance and
trade related services to meet the
growing needs of the Indian exprot
market through the optimal utilisation of
available resources.

ईसीजीसी ECGC

पंजीकृत कार्यालय : एक्स्प्रेस टावर्स, 10वीं मंज़िल , नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918

REGISTERED OFFICE : Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918

कंपनी सचिव	श्रीमती स्मिता पंडित
COMPANY SECRETARY	Ms. Smita V. Pandit
नियुक्त बीमांकिक	श्री मयूर अंकोलेकर
APPOINTED ACTUARY	Shri Mayur Ankolekar
संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक **JOINT STATUTORY AUDITORS**	मेसर्स पी एम दलवी एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुंबई फ़र्म पंजीकरण सं. 102065W M/s. P. M. Dalvi & Co., Chartered Accountants, Mumbai Firm Registration No. 102065W मेसर्स आरएसवीए एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुंबई फ़र्म पंजीकरण सं. 110504W M/s. RSVA & Co., Chartered Accountants, Mumbai Firm Registration No. 110504W

बैंकर
BANKERS

कार्पोरेशन बैंक	आई डी बी आई बैंक
Corporation Bank	IDBI Bank

विषय वस्तु / CONTENTS

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	निदेशक मण्डल Board of Directors	04
2	वरिष्ठ प्रबंधन Senior Management	06
3	निष्पादन विशेषताएँ - पिछले दशक Performance Highlights – The Past Decade	07
4	अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	10
5	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	17
6	प्रबंधन परिचर्चा व परिचलनों की समीक्षा Management Discussion & Review of Operations	41
7	कंपनी शासन Corporate Governance	69
8	लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम Audited Financial Statements	
	राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता व तुलन पत्र Revenue Account, Profit & Loss Account & Balance Sheet	85
	वित्तीय विवरणों की अनुसूची (अनुसूची 1 से 15) Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	92
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16) Significant Accounting Policies (Schedule 16)	108
	लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 17) Notes to Accounts (Schedule 17)	119
	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात Key Analytical Ratios	143
	प्राप्तियाँ व भुगतान खाता Receipts & Payments Account	151
9	वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन रिपोर्ट Management Report on Financial Statements	155
10	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	163
11	नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of CAG	174
12	सेवा तंत्र Service Network	177

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (दि. 24.11.2014 से)

Ms. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director (from 24.11.2014)

श्री अरविंद मेहता
संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
(दि. 27.10.2014 से 17.11.2014 तक)

Shri Arvind Mehta
Joint Secretary, Department of Commerce
Chairman-cum-Managing Director
(Addl. Charge)
(from 27.10.2014 to 17.11.2014)

डॉ सौरभ गर्ग
संयुक्त सचिव, आर्थिक मामले विभाग,
वित्तमंत्रालय
(दि 03.11.2014 से)

Dr. Saurabh Garg
Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance
(from 03.11.2014)

श्रीमती मीना हेमचन्द्र
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
(दि 06.06.2015 से)

Ms. Meena Hemachandra
Executive Director Reserve Bank of India
(from 06.06.2015)

श्री यदुवेन्द्र माथुर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात आयात बैंक

Shri Yaduvendra Mathur
Chairman and Managing Director, Exim Bank of India

श्री ए. के. रॉय
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारतीय साधारण बीमा निगम

Shri A. K. Roy
Chairman-cum-Manaing Director, General Insurance Corporation of India

श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे
प्रमुख - वित्त व लेखा तथा विधि व सचिवालय,
टाटा इंटेरनैशनल लिमिटेड

Shri Ajay Murlidhar Ponkshe
Head-Finance & Accounts and Legal & Secretariat, Tata International Limited

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

श्री एन. शंकर
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक
(दि 17.10.2014 तक)

Shri N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director
(upto 17.10.2014)

श्री चन्दन सिन्हा
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
(दि 05.06.2015 तक)

Shri Chandan Sinha
Executive Director Reserve Bank of India
(upto 05.06.2015)

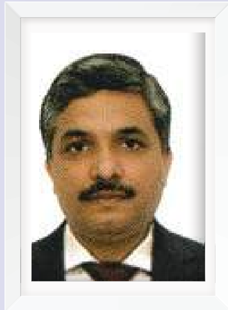

श्री पी. के. मिश्रा
संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय
(दि 02.11.2014 तक)

Shri P.K.Mishra
Joint Secretary, Ministry of Finance
(upto 02.11.2014)

श्री जी. गोपालकृष्ण
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
(दि 20.04.2014 तक)

Shri G. Gopalakrishna
Executive Director Reserve Bank of India
(upto 20.04.2014)

श्री के. आर. कामत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक
(दि 26.10.2014 तक)

Shri K. R. Kamath
Chairman and Managing Director, Punjab National Bank
(upto 26.10.2014)

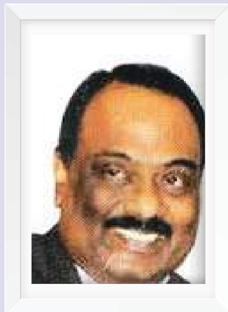

श्री रफीक अहमद मेक्का
अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ
(दि 11.03.2015 तक)

Shri Rafeeque Ahmed Mecca
President, Federation of Indian Export Organisation
(upto 11.03.2015)

श्री ओंकार एस. कंवर
अ प्र नि, मेसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड
(दि 22.01.2015 तक)

Shri Onkar S. Kanwar
CMD, M/s. Apollo Tyres Ltd.
(upto 22.01.2015)

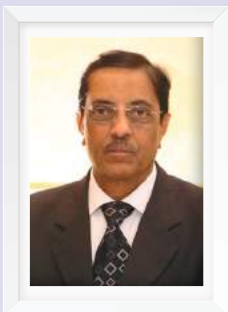

श्री वसंत मेहता
अध्यक्ष, भारतीय रत्न व आभूषण संस्थान
(दि 30.12.2014 तक)

Shri Vasant Mehta
Chairman, Indian Institute of Gems & Jewellery
(upto 30.12.2014)

श्री हरि एस. भरतिया
अ प्र नि, मेसर्स जुबिलीयंट लाइफ साइन्सेस लिमिटेड
(दि 18.12.2014 तक)

Shri Hari S. Bhartia
CMD M/s. Jublilant Life Sciences Ltd
(upto 18.12.2014)

वरिष्ठ प्रबंधन / SENIOR MANAGEMENT

बाएं से दाएं / From left to right

(पहली पंक्ति / First Row)

श्रीमती पद्मावती आर, म. प्र.
Ms. Padmavathy R., G M

श्रीमती गीता मुरलीधर, अ. प्र. नि.
Ms. Geetha Muralidhar, CMD

श्रीमती तापसी डे, म. प्र.
Ms. Tapasi De, G M

(दूसरी पंक्ति / Second Row)

श्री रोहित पण्ड्या, म. प्र.
Shri Rohit Pandya, G M

श्री एम. सेंथिलनाथन, म. प्र.
Shri M. Senthilnathan, G M

श्री संदीप मुखर्जी, म. प्र.
Shri Sandeep Mukherjee, G M

श्री मनोज कुमार, म. प्र.
Shri Manoj Kumar, G M

श्री धर्मराजन वी; म. प्र.
Shri Dharmarajan V., G M

उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

1. श्री सुनील जोशी
2. सुश्री ज़रीना शेख
3. श्री सी. एन. ए. अंबरसन
4. श्री पी. एल. ठाकुर
5. श्री आर. मोहन
6. श्री दीपक पी. तुंगारे
7. श्रीमती वसन्ता श्रीनिवास
8. श्री निर्दोष चोपड़ा
9. श्री एम. रामकृष्णन
10. श्री बलबीर सिंह मान
11. श्री राजीव मानवी
12. श्री शिवाजी नार्वेकर
13. श्री उदय शेट्टी
14. श्रीमती स्मिता वी. पंडित
15. श्री पी. एस. मुरली
16. श्री डी. वी. एस॰ साई रामन
17. श्री ईशनाथ झा
18. श्री वी॰ बी॰ सावर्डेकर
19. श्रीमती ज्योति एस॰ जोशी
20. श्री जयप्रकाश मेनन

1. Shri Sunil Joshi
2. Ms. Zarina Shaikh
3. Shri C.N.A. Anbarasan
4. Shri P.L. Thakur
5. Shri R. Mohan
6. Shri Deepak P. Tungare
7. Ms. Vasantha Srinivas
8. Shri Nirdosh Chopra
9. Shri M. Ramakrishnan
10. Shri Balbir Singh Maan
11. Shri Rajiv Manavi
12. Shri Shivaji Narvekar
13. Shri Uday Shetty
14. Ms. Smita V. Pandit
15. Shri P.S. Murali
16. Shri D V S Sai Raman
17. Shri Ishanath Jha
18. Shri V B Savardekar
19. Ms. Jyoti S. Joshi
20. Shri Jayaprakash Menon

निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़) (₹ crores)

वर्ष / YEAR	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
संरक्षित कारोबार का मूल्य VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ* Short Term Policies*	1,33,983.00	1,31,343.62	1,26,100.41	1,19,621.00	93,127.40	85,686.85	68,870.85	52,766.57	50,505.03	37,590.19
अल्पावधि ईसीआईबी** Short Term ECIB**	1,38,555.00	1,38,149.89	1,33,250.78	1,20,118.65	3,31,758.29	2,71,273.95	2,61,731.51	1,82,766.16	3,75,260.82	3,96,865.33
मध्यम और दीर्घावधि रक्षाएँ Medium & Long Term Covers	7,652.00	9,762.82	10,160.31	6,886.48	7,002.65	6,767.51	4,855.11	4,344.09	3,074.95	3,427.36
कुल / Total	**2,80,190.00**	**2,79,256.33**	**2,69,511.50**	**2,46,626.13**	**4,31,888.34**	**3,63,728.31**	**3,35,457.47**	**2,39,876.82**	**4,28,840.80**	**4,37,882.88**
प्रीमियम आय PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	383.87	388.57	360.68	355.89	333.66	289.43	246.71	205.38	192.82	163.27
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	942.29	869.68	751.72	601.82	510.57	486.78	464.18	429.76	396.69	388.42
मध्यम और दीर्घावधि रक्षाएँ Medium & Long Term Covers	36.24	45.48	44.85	47.12	41.23	36.79	33.79	33.23	28.15	25.79
कुल / Total	**1,362.40**	**1,303.73**	**1,157.25**	**1,004.83**	**885.46**	**813.00**	**744.68**	**668.37**	**617.66**	**577.48**
प्रदत्त दावे CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	126.98	109.29	113.69	87.03	160.90	270.02	217.23	134.15	125.92	118.89
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	462.85	639.55	396.61	626.00	459.63	371.70	234.19	285.86	245.14	257.28
मध्यम और दीर्घावधि रक्षाएँ Medium & Long Term Covers	-	148.65	38.20	-	-	-	-	-	1.20	10.42
कुल / Total	**589.83**	**897.49**	**548.50**	**713.03**	**620.53**	**641.72**	**451.42**	**420.01**	**372.26**	**386.59**
की गई वसूलियाँ RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	9.61	5.76	7.40	6.31	9.27	16.33	56.97	8.46	5.11	3.78
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	142.52	144.53	104.71	152.59	110.65	110.87	151.29	133.88	151.72	107.56
मध्यम और दीर्घावधि रक्षाएँ Medium & Long Term Covers	8.02	8.02	8.42	9.74	16.14	6.40	0.32	14.71	53.37	13.91
कुल / Total	**160.15**	**158.31**	**120.53**	**168.64**	**136.06**	**133.60**	**208.58**	**157.05**	**210.20**	**125.25**

नोट / Note :

* घोषणा आधारित पॉलिसियों व जोखिम आधारित पॉलिसियों के अंतर्गत जोखिम शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 व उसके बाद के लिए जोखिम आधारित पॉलिसियों के अंतर्गत संरक्षित कारोबार का मूल्य प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित कुल हानि सीमा पर अनुमानित मूल्य है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के लिए निर्यात व्यापार का अनुमान है।

* Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

** वित्तीय वर्ष 2011-12 व उसके बाद के लिए निगम द्वारा सुरक्षा प्राप्त बैंकों द्वारा स्वीकृत सीमाओं के अंतर्गत औसत बकाया दर्शाता है तथा यह सीमा 2010-11 तक स्वीकृत है।

** Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Corporation for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.

निष्पादन विशेषताएँ 2014 - 15 / PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2014 - 15

कारोबार में एम एस एम ई की हिस्सेदारी / Share of MSME* in the business

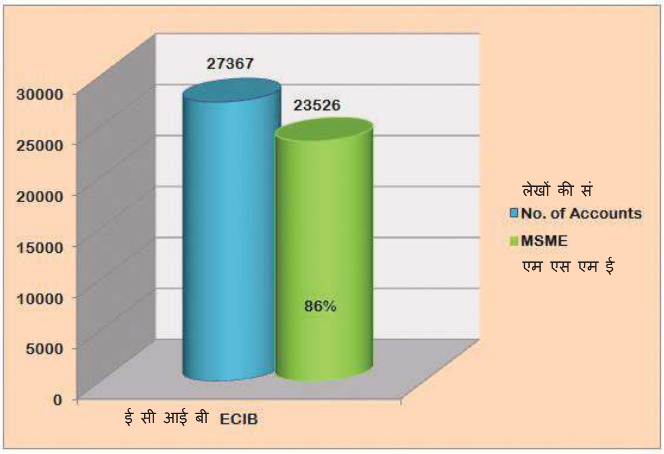

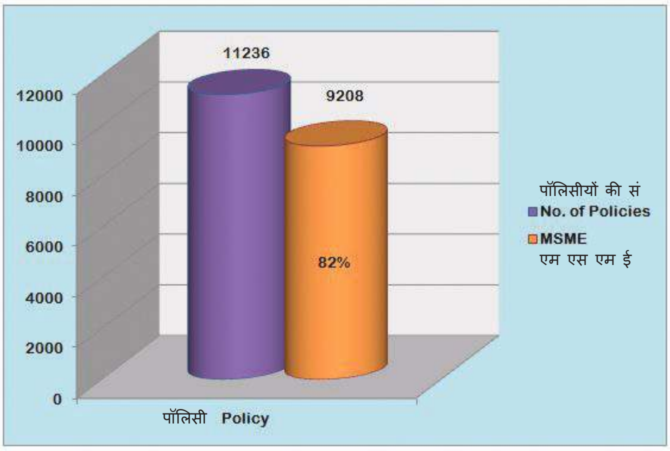

* एम एस एम ई में गैर पॉलिसीधारक निर्यातक शामिल हैं।

* MSME includes non status holder exporters.

उत्पाद समूह हिस्सेदारी / Product Group Contribution

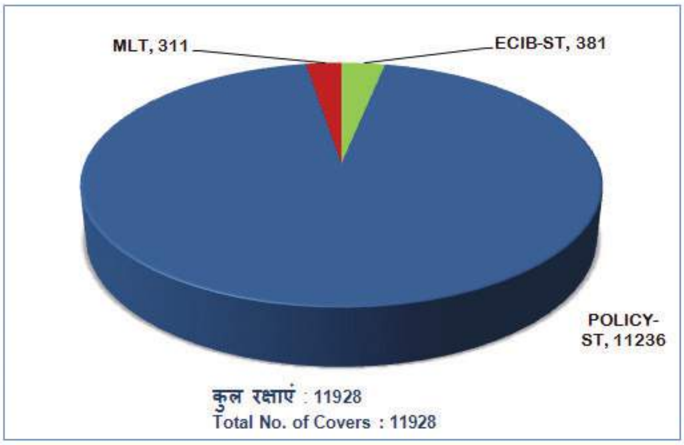

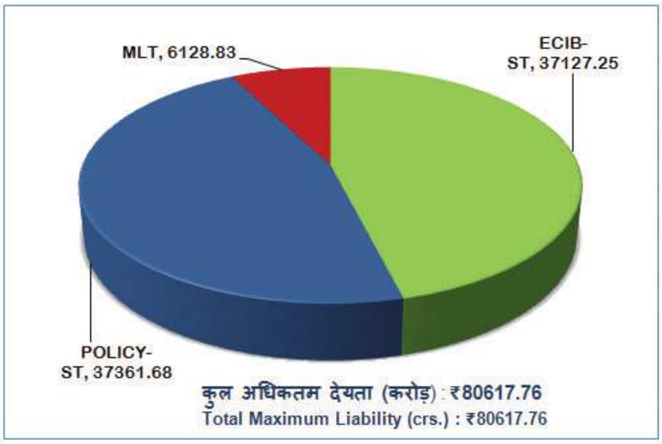

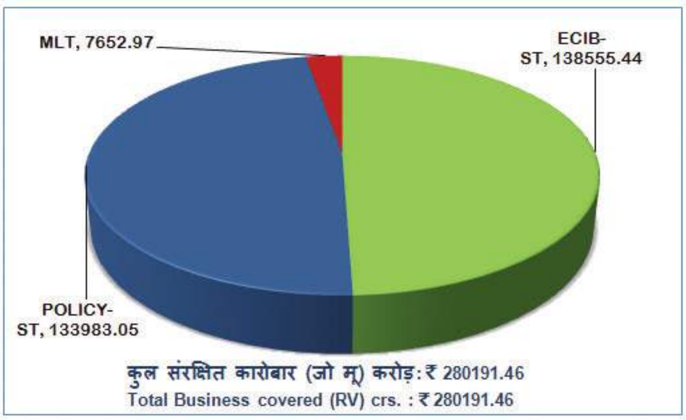

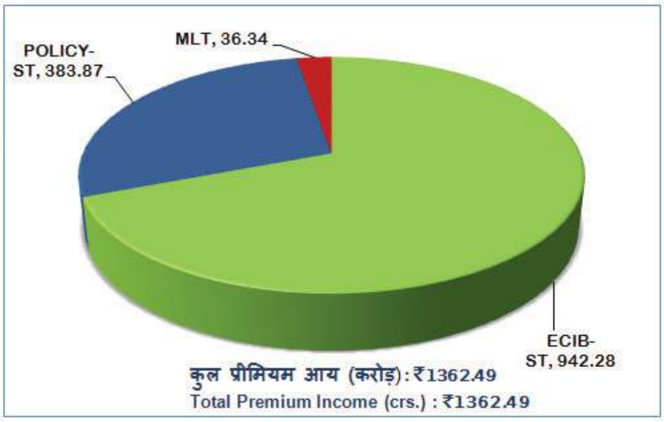

म व दी अ - मध्यम तथा दीर्घावधि / MLT - Medium and long term

ई सी आई बी अल्पावधि - बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा - अल्पावधि / ECIB-ST - Exprot Credit Insurance For Banks - Short Term

पॉलिसी - अ व - पॉलिसी अल्पावधि / Policy - ST - Policy Short Term

जो मू - जोखिम मूल्य / RV - Risk Value

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा, दिनांक 15 नवंबर 2014 को निगम द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए निगम को प्रथम स्थान प्राप्त होने के उपलक्ष्य में अ प्र नि को इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया।

Hon'ble President of India Shri Pranab Mukherjee handed over the Indira Gandhi Rajbhasha Purraskar of Ministry of Home Affairs for securing 1st place in official language implementation during FY 2013-14 to CMD on 15th November 2014

अध्यक्ष का वक्तव्य
Chairman's Statement

विश्व व्यापार की स्थिति

विश्व के सकल देशी उत्पाद के लगभग 60% हिस्से में विश्व व्यापार का योगदान होता है। यह अब इसे मात्र संचालित नहीं करता है, बल्कि इसका साथ देता है। वैश्विक सकल देशी उत्पाद (कभी-कभी दोहरी गति से भी बढ़ती है) को कई वर्षों से पीछे छोडते रहने के बाद अब विश्व व्यापार के सकल देशी उत्पाद के वृद्धि के साथ गति बनाए रखने की आशा है। लेकिन विश्व के निर्यात का आयात दृढ़ता से बढ़ रहा है, और 2030 तक इसके 60% तक पहुंचने की आशा है - 'विश्व में निर्मित' क्वॉयनेज़ पर फिर से बल दिया जा रहा है।

यदि अंतरा यूरोपीय संघ के व्यापार को निकाल दिया जाए, तो उभरते बाजारों का विश्व व्यापार में 52% हिस्सा होगा - जो विकसित देशों से भी बड़ा होगा। विश्व के निर्यातों में एशिया का हिस्सा लगभग 35% है - यूरोप के 37% के लगभग करीब, यूरोप भी विश्व निर्यातों का सबसे बड़ा गंतव्य बना रहा। जब कि विश्व व्यापार के वृद्धि का अनुमान 2015 में 3.3% नीचे है। एशिया के 5% वृद्धि के साथ सबसे सुदृढ निर्यात निष्पादन करने की आशा है। वर्ष 2015 में एशिया के मुख्य निर्यात विजेता बनने की संभावना है, जो 221 बिलियन अमेरिकी डॉलर

WORLD TRADE SCENARIO

World trade contributes to around 60% of the world's GDP. It is not driving it anymore but just accompanying it. After outpacing global GDP (sometimes even expanding twice as fast) for years, the growth of world trade is expected to keep pace with that of GDP growth. But the import content of world exports has been steadily increasing and is expected to reach 60% by 2030 - reiterating the coinage 'Made in World'.

If intra - EU trade is excluded, emerging markets have a share of 52% of world trade – bigger than that of developed countries. Asia's share in world exports is around 35% - almost nearing that of Europe's 37%. Europe also continues to be the largest destination for world exports. While the forecast for world trade growth is down to 3.3% for 2015, Asia is expected to have the strongest export performance with 5% growth. In 2015, Asia is likely to be the main export winner totalling US$ 221 billion export gains while USA

का निर्यात लाभ करेगा जब कि यू एस ए, चीन को 2015-16 में क्रमशः 210 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त आयात करने का अनुमान है।

भारत के निर्यात एवं ई सी जी सी

ऐसी आशा है कि सरकार का 'भारत निर्माण' पहल केवल 'भारत निर्माण' ही नहीं होगा, बल्कि 'विश्व निर्माण' भी होगा। अपने व्यापक सामर्थ्य के साथ भारत की नैसर्गिक शक्ति विश्व के शीर्ष निर्यातक देशों की ओर हमारे देश को पहुंचाएगी। व्यापार के विस्तार के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक तत्व व्यापार ऋण है। व्यापार ऋण चक्र के तीन प्रमुख तत्व - जैसे सूचना, सुरक्षा और संकलन वित्तीय स्वास्थ्य के मूल्यांकन, ऋण योग्यता एवं भुगतान चलनों को समझने की संभावना से इन्हें संभव बनाया जा सकता है। ये व्यापक बीमा में प्रचुर रूप से पूरे विश्व में अत्यधिक जोखिमपूर्ण स्थिति में प्रभावी रूप से वर्तमान जोखिम कम करने के हल के रूप में संबोधित किए गए हैं। ई सी जी सी निर्यातकों एवं ऋणदाताओं को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुरक्षा देकर उनकी सहायता करता आ रहा है।

भारत सरकार की विदेश व्यापार नीतियों के साथ विकासशील देशों पर संकेंद्रण से नैसर्गिक अनुमान न लगाए जाने वाले जोखिमों को संबोधित करने के लिए ई सी जी सी की भूमिका और भी बढ़ जाती है। यह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि की हिस्सेदारी की प्रवृत्तियों से स्पष्ट है कि भारत का निर्यात और ई सी जी सी का कवरेज कितना है। वास्तव में विकसित देश भी जटिल समस्याओं से घिरा हुआ है, जो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का लगभग 30% निर्यात विकसित बाजारों में होता है। इस समय ई सी जी सी के व्यवसाय में इन देशों का हिस्सा भारत के निर्यातों के हिस्से से बहुत अधिक है, जो ऐसे देशों के लिए ऋण बीमा को जारी रखने की आवश्यकता पर बल देता है।

व्यवसाय परिणाम

अल्पावधि (एस टी) के अंतर्गत चालू निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियां मामूली रूप से बढ़कर 11,236 हो गई और मूल्य रक्षा में 2.1% की वृद्धि के साथ ₹ 1,33,983 करोड़ हो गई। प्रमुख रक्षित गंतव्यों में यूरोपीय यूनियन (23%), यू एस ए (19%), यू के (9%), यू ए ई (5%), बांग्लादेश (3%) थे और प्रमुख समर्थित क्षेत्रों में अभियांत्रिकी सामग्री (16%), मूल रसायन एवं संबद्ध उत्पाद (11%), चमड़ा और चमड़े के उत्पाद (10%), कृषि (9%) और तैयार कपड़े (9%) थे। कुल 1,10,571 विदेशी खरीदारों को ₹ 36,250 करोड़ कुल समग्र सीमा के साथ वर्ष के दौरान हामीदारी दी गई।

अल्पावधि के अंतर्गत ई सी आई बी कुल प्रीमियम का 71% था और 8.35% की वृद्धि रिकार्ड की गई, जो ₹ 942.30 करोड़ पहुंच गया, जिसका कुल जोखिम मूल्य ₹ 1,38,555 करोड़ था, जो ई सी जी सी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण को निरूपित करता

and China are estimated to import additionally US$ 210 billion and US$ 200 billion respectively in 2015-16.

INDIA'S EXPORTS AND ECGC

It is expected that the 'Make in India' initiative of the government will result in not only "make for India" but also "make for the world". India's inherent strengths with its huge potential will push the country to the top exporting nations of the world. One of the important ingredients in the expansion of trade is Trade Credit. The three core elements of the trade credit cycle – viz. information, protection and collection are made possible by assessment of financial health, credit worthiness and understanding of payment practices. These are amply addressed in a comprehensive insurance as an effective risk mitigation solution in the current heightened risk situation all over the world. ECGC has been supporting the exporters as well as the lenders by extending various types of covers depending on their specific needs.

With the Government of India's foreign trade policies' focus on developing nations, the role of ECGC gets intensified for addressing the inherent unpredictable risks. This is evident from the trend in the share of Africa, Latin America, etc., in India's exports and ECGC's coverage. In fact, the developed world too is plagued by complex problems causing great concern with around 30% of India's exports directed to developed markets. Presently the share of these countries in ECGC's business is much more than that in India's exports which re-iterates the continuing need for credit insurance for such countries.

BUSINESS RESULTS

The export credit insurance policies in force under short-term (ST) marginally rose in number to 11,236 with a growth of 2.1% in value-covered to ₹ 1,33,983 crores. The major destinations covered were EU (23%), USA (19%), UK (9%), UAE (5%), Bangladesh (3%) and the major sectors supported were Engineering Goods (16%), Basic Chemicals and Allied Products (11%), Leather and leather products (10%), Agriculture (9%) and Readymade Garments (9%). In all, 110571 number of overseas buyers with a total overall limit of ₹ 36,250 crores during the year were underwritten.

ECIB under short-term accounted for 71% of the aggregate premium and recorded a growth of 8.35% to reach ₹ 942.30 crores with total risk value at ₹ 1,38,555 crores which represents the outstanding export credits

है। यद्यपि वास्तविक दावे का भुगतान ₹ 462.85 करोड़ पर पिछले वर्ष की तुलना में कम था, जो विभिन्न बैंकों द्वारा दायर किए गए चूक रिपोर्टों के आधार पर लंबित थे, और प्रावधान को आगे ले जाने के लिए बहुत अधिक थे। बैंकों की पोर्टफोलियो में समग्र तनाव भी उनके निर्यात ऋण में प्रतिबिंबित होता है, जो संभव उच्च - दावा परिदृश्य का एक संकेत है।

एम एल टी क्षेत्र के अंतर्गत, निर्यातकों के लिए इस समय ई सी जी सी की 62 पॉलिसी रक्षाएँ प्रभावी है और लगभग 25 देशों में विभिन्न परियोजनाओं/संविदाओं को समर्थन करने वाले बैंकरों के लिए 249 रक्षा हैं। ये ₹ 7653 करोड़ का जोखिम मूल्य रक्षित करती हैं। एन ई आई ए ट्रस्ट जो जोखिम वाले देशों को एम एल टी संव्यवहारों के लिए रक्षाओं के संबंध में बैक-अप उपलब्ध कराता है, 31.03.2015 को ₹ 1471.07 करोड़ का कोष था और विभिन्न देशों को कवर करते हुए ₹ 6496.56 करोड़ रूपए के मूल्य की 32 रक्षाएं प्रभावी थी।

कुल ₹ 80,000 करोड़ से अधिक अधिकतम देयता के साथ लगभग 12,000 रक्षाएं ₹ 2,80,000 करोड़ के जोखिम मूल्य की रक्षा करते हुए ₹ 1362 करोड़ का प्रीमियम आय अर्जन, 31.03.2015 को प्रचलन में था। यहां यह देखना अत्यधिक प्रांसगिक होगा कि एस टी के अंतर्गत पॉलिसी धारण करने वाले 86% निर्यातक और ई सी आई बी के अंतर्गत लाभ पाने वाले 92% निर्यातक गैर हैसियत धारक निर्यातक हैं - अर्थात अधिकांशत: एस एम ई हैं और बड़े कॉर्पोरेट नहीं हैं।

वित्तीय परिणाम एवं निर्यातकों को पुरस्कार

कंपनी का वित्तीय निष्पादन अत्यधिक संतोषजनक था, जहां पिछले पांच वर्षो में प्रीमियम आय में सी ए जी आर पर 11.38% की वृद्धि हुई। निवेश आस्तियां ₹6700 करोड़ से अधिक बढ़ गई, जो 14.64% के सी ए जी आर के साथ थीं और निवल संपत्ति में 9.73% (सी ए जी आर) की वृद्धि हुई, जो लगभग ₹ 3,000 करोड़ थी - जो कठिन समय में कंपनी द्वारा निर्यातों को समर्थन करने की सुदृढ़ता प्रतिबिंबित करती है।

7 मार्च, 2015 को एक ऐसा अवसर था, जब भव्य समारोह में माननीय श्रीमती निर्मला सीतारामन, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा विभिन्न मानदंडो के आधार पर भव्य समारोह में निर्यातकों को मान्यता प्रदान की गई और उन्हें पुरस्कृत किया गया। यह पहल ई सी जी सी एवं डन एवं ब्रैड स्ट्रीट द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया। कुल 33 पुरस्कार, दो श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए थे नामत: 'संकल्पना आधारित पुरस्कार' और 'विशेष पुरस्कार' प्रस्तुत किए गए। निगम सामाजिक उत्तरदायित्व, विविधिकरण, उन्नयन, जोखिम प्रबंधन चलनों, ग्रामीण, एस ई जेड, महिला उद्यमी, संकेंद्रण उत्पादों एवं संकेंद्रण बाजारों के क्षेत्रों में प्रदान किये गए। इस अवसर पर एक प्रकाशन 'इंडियास लीडिंग एक्सपोर्ट्स -2015' उन्मोचित किया गया जिसमें दोनों श्रेणियों के पुरस्कार विजेताओं और उप विजेताओं की रूपरेखा थी। इसके अलावा

covered by ECGC. Though the actual claim pay-outs at ₹ 462.85 crores was less than that of the previous year, the impending ones based on reports of default filed by various banks were large enough to push up the provisioning. The overall stress in the portfolios of banks is also reflected in their export credits indicating a possible high-claim scenario.

Under the MLT sector ECGC presently has 62 policy covers in force for exporters and 249 covers for bankers supporting various projects/contracts in almost 25 countries. These covered risk value of ₹ 7653 crores. The NEIA Trust which provides the back-up to covers for MLT transactions to high-risk countries had a corpus of ₹ 1471.07 crores as on 31.03.2015 and 32 covers with value of ₹ 6496.56 crores were in-force covering various countries.

In all, around 12,000 covers with a maximum liability of over ₹ 80,000 crores covering a risk value of over ₹ 2,80,000 crores earning premium income of ₹ 1362 crores were in vogue as on 31.03.2015. It is highly pertinent to observe here that 86% of exporters holding policy under ST and 92% of exporters benefitting under ECIB were all NON-status holders exporters – meaning mostly SMEs and not large corporates.

FINANCIAL RESULTS AND EXPORTERS' AWARD

The financial performance of the company has been quite satisfactory with growth in premium income over the last 5 years at a CAGR of 11.38%. The investment assets have grown to over ₹ 6700 crores with a CAGR of 14.64% and the growth in net-worth at 9.73% (CAGR) to almost ₹ 3,000 crores – reflecting the strength of the company to continue to support exports in the difficult times.

It was a momentous occasion on March 07, 2015 when exporters were recognised based on various parameters in a grand ceremony with the awards being presented by the Honourable Minister of State for Commerce & Industry (Independent Charge), Smt. Nirmala Sitharaman. This initiative was jointly sponsored by ECGC and Dun & Bradstreet. In all 33 awards classified into two categories namely "Theme-based Awards" and "Special Awards" were presented. Theme-based category awards in the areas of Corporate Social Responsibility, Diversification, Innovation, Risk Management Practices, Rural, SEZ, Woman Entrepreneur, Focus Products and Focus Markets. On this occasion, a publication, 'India's Leading Exporters 2015' was released profiling the award winners and the runners-up under both categories. Additionally,

चयनित मानदंडो पर प्रतिभागी कंपनियों की सूची दी गई थी। इसके माध्यम से सभी प्रतिभागी एवं अर्हक कंपनियों को इस प्रकाशन में कवरेज दिया गया था। इस पहल से निर्यातकों को अपनी उपलब्धियों के आदान-प्रदान के लिए एक उचित प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया और वैश्विक मानचित्र पर ब्रांड इंडिया की छवि बढ़ाने के लिए संपूर्ण निर्यातक समुदाय को प्रोत्साहित भी किया गया।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहल

ई सी जी सी, सी एस आर के अंतर्गत टाटा समाज विज्ञान संस्थान की सहायता से वृहन्मुंबई महानगरपालिका के 'एम' वार्ड क्षेत्र में बच्चों को सहायता प्रदान करना जारी रखा है। जम्मू कश्मीर राज्य में पुनर्वसन के लिए योगदान भी किया गया। इस समय नांदेड के करीब के गांवों में ऊर्जा बचत करने वाले उपकरण (सौर लालटेन) उपलब्ध कराने की परियोजनाएं और एस टी पी पुणे की सहायता से पालघर में गांवों में स्वच्छ पेय जल की परियोजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न पहल की गई, जैसे जागरूकता निर्मित करना, पदयात्रा करना, पुस्तकों का वितरण आदि।

अंतर्राष्ट्रीय पहल

बर्न यूनियन (ब.यू.) प्रेग क्लब के संस्थान के सदस्यों सहित 70 देशों के निर्यात ऋण एजेंसियों का संघ है। ईसीजीसी आरंभ से ही विभिन्न समितियों का सदस्य होने के कारण इसका सक्रिय सदस्य है तथा इस संघ का उपाध्यक्ष भी रहा है। वर्तमान में ई सी जी सी, आर सी जी का अध्यक्ष है, क्षेत्रीय सहयोग समूह - जो बर्न यूनियन का एशिया पॅसिफिक सदस्यो का उप समूह है। व्यापार वित्त पोषण एवं ऋण बीमा पर 25-26 सितम्बर, 2014 के दौरान ई सी जी सी द्वारा आर सी जी के सदस्यों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। ईसीजीसी बर्न यूनियन- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई एफ सी) के कार्य समूह में सदस्य के रूप में सदस्यों के बीच क्षमता निर्माण एवं जोखिम भागीदारी के लिए सक्रिय योगदान करता है। कंपनी द्वारा नियमित रूप से निर्यात ऋण (आई डब्ल्यू जी) पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह की बैठकों में भाग लिया जाता है एवं बैठक में हुई सभी परिचर्चाओं की रिपोर्ट सरकार को देता है ताकि भविष्य में सम्पूर्ण प्रतिभागिता के लिए तैयार रहने के लिए सक्षम हो सकें।

ईसीजीसी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए विभिन्न देशों जैसे इटली, जर्मनी, हाँगकाँग, श्रीलंका आदि के प्रतिनिधि मण्डलों की मेजबानी की। ईसीजीसी ने भारत और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने, समूहों के समर्थन और व्यवसाय संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए जुलाई, 2014 में सम्पन्न सम्मेलन में अन्य ब्रिक्स वी ई सी ए देशों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। भारत सरकार ने 2019-20 तक 470 बिलियन अमेरिकी डॉलर से निर्यात लक्ष्य को बढ़ाकर 900

the publication lists participating companies on selected parameters. Through this, all participating and eligible companies have been provided coverage in this publication. This initiative provided the right platform for exporters to share their achievements and also encouragement to the entire export community to enhance the image of Brand India on the global map.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

ECGC continues to support the children in the 'M' ward area of Municipal Corporation of Greater Mumbai with the help of TISS under CSR. Contribution towards the rehabilitation in the state of J&K was also made. Presently the projects to provide energy saving devices (solar lamps) to students in villages near Nanded and safe drinking water in villages in Palghar are on in association with STP Pune. Various initiatives have been taken under the Prime Minister's Swachh Bharat Abhiyaan like creating awareness, holding marches, distributing booklets, etc.

INTERNATIONAL INITIATIVES

Berne Union (BU) is an association of export credit agencies from 70 countries – including those of its daughter institution – Prague Club. ECGC has been an active member since inception having been a member of various committees and even held its Vice-Presidentship in the past. Presently, ECGC is the chair for RCG, the Regional Co-operation Group – which is a sub-group of Berne Union's Asia Pacific members. A workshop was conducted by ECGC for the members of RCG during September 25-26, 2014 on Trade Finance and Credit Insurance. ECGC as a member in the working group of Berne Union – International Finance Corporation (IFC) is actively contributing to capacity building and risk sharing among the members. The company participates regularly in the International Working Group meetings on Export Credits (IWG) and reporting back to the government all the deliberations in order to prepare for the full-fledged participation in future.

ECGC hosted various delegations from countries like Italy, Germany, Hong Kong, Sri Lanka, etc for bilateral discussions. ECGC also signed an MOU with other BRICS's ECAs in the summit held in July 2014, to promote trade, support networks and build business linkages between India and other BRICS countries. The Government of India has boosted the export targets

बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है, क्योंकि दीर्घकालिक विकास और देश की प्रगति के लिए निर्यात आवश्यक है।

अपेक्षाएं

कंपनी में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन की दीर्घ स्थिति को एक बार फिर विभिन्न अन्य पुरस्कारों के अलावा प्रथम इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करके मान्यता प्रदान की गई है। ई सी जी सी अपने परिचालना में हिन्दी का राजभाषा के रूप में उपयोग को सुनिश्चित करना और संवर्धन करना जारी रखेगा।

ईसीजीसी, विभिन्न चुनौतियों जैसे पुनर्बीमा की अनुपलब्धता, विश्व परिदृश्य में व्याप्त संभावित बड़े जोखिमों, तनावग्रस्त बैंकिंग पोर्टफोलियो आदि का सामना करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने तथा उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के निर्वाह के लिए सुसज्जित है।

आभार प्रदर्शन

जबकि कंपनी उन सभी निदेशकों के योगदान की आभारी है, जो बोर्ड में थे, मैं और मेरे सहयोगी श्री एन. शंकर, अपने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दी गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं । हम श्री अरविंद मेहता, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञ हैं, जिन्होंने तत्पश्चात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी धारण किया था।

मैं अपने सभी निर्यातक/बैंकर ग्राहकों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने कंपनी को भारत के निर्यातों को बढ़ाने के अपने प्रयासों में कंपनी की सेवाएँ लीं एवं हमारा समर्थन किया। मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें उपयुक्त और समय पर मार्गदर्शन दिया । कंपनी के मेरे सभी सहयोगी और मैं नई ऊर्जा के साथ महत्वाकांक्षी संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हैं।

शुभ कामनाओ सहित,

गीता मुरलीधर
का नि / अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 10 जून, 2015

from US$ 470 billion to US$ 900 billion by 2019-20 as exports are indispensable for sustainable development and progress of the country.

LOOKING AHEAD

The company's longstanding exemplary performance in implementation of Official Language Policy has once again been recognized with the honour of the first prize of Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar apart from various other prizes. ECGC will continue to ensure and enhance use of Hindi as official language in its operations.

ECGC is gearing up to extend all support to meeting the export targets set by the GOI by tackling various challenges like the non-availability of adequate re-insurance, potential large risk world scenario, stressed banking portfolio, etc., and is ever responsive to the changing needs of the industry.

ACKNOWLEDGEMENTS

While the Company is grateful for the contributions of all the Directors who had been on the Board, my colleagues join me in expressing our appreciation for the guidance and support extended by Shri N. Shankar during his tenure as Chairman-cum-Managing Director. We would also like to place on record our gratitude for support extended by Shri Arvind Mehta, Joint Secretary, Government of India, Ministry of Commerce & Industry, who held additional charge as CMD subsequently.

I am grateful to all our exporter/banker customers for extending support and availing the services of the Company in their endeavour in enhancing India's exports. I extend my sincere thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and Insurance Regulatory and Development Authority of India for providing us with appropriate and timely guidance. All my colleagues in the company and I reaffirm the commitment towards achieving the ambitious organizational goals with renewed vigour.

With Warm regards,

Geetha Muralidhar
Executive Director/Chairman-cum-Managing Director
(Additional Charge)

Place : New Delhi

Date : 10th June, 2015

• **उद्योग का कुल पण्यावर्त**	:	₹8,84,480 करोड़
• **कुल निर्यात पण्यावर्त**	:	₹78,569 करोड़
• **निर्यात पण्यावर्त** (एम एस एम ई)	:	₹29,135 करोड़
• **रोजगार निर्माण** (एम एस एम ई)	:	4,45,000
• **सर्वप्रमुख निर्यात गंतव्य स्थल**	:	अमेरिका, जर्मनी, फिलीपाईन्स, ब्राझिल, मेक्सिको इ.
• **हमारे देश में केन्द्रीकरण के क्षेत्र**	:	पुणे, बैंगलूरु, गुडगाँव, नई दिल्ली, मुंबई, फ़रीदाबाद, चेन्नई इ.

ऑटोमोबाइल्स तथा ऑटोमोबाइल उपकरण

AUTOMOBILES & AUTOMOBILES COMPONENTS

• **Total turnover of the Industry**	:	₹8,84,480 crores
• **Total export turnover**	:	₹78,569 crores
• **Export turnover - MSME**	:	₹29,135 crores
• **Employment Generation - MSME**	:	4,45,000
• **Top export destinations**	:	USA, Germany, Philippines, Brazil, Mexico etc.
• **Areas of concentration in our country**	:	Pune, Bengaluru, Gurgaon, New Delhi, Mumbai, Faridabad, Chennai etc.

निदेशकों की रिपोर्ट

Directors' Report

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) के निदेशक दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वि.व.) के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की 57 वीं रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन अवधि के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय परिणाम निम्न अनुसार हैं :

(₹ लाख)

विवरण	2014-15	2013-14
पण्यावर्त	136239.79	130372.60
वित्तीय शुल्क, कर, मूल्यह्रास / परिशोधन पूर्व लाभ (पी बी आई टी डी ए)	26240.78	54736.34
घटाएँ : वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास/परिशोधन पूर्व लाभ (पी बी टी डी ए)	26240.78	54736.34
घटाएँ : मूल्यह्रास	724.40	363.47
कराधान पूर्व निवल लाभ (पी बी टी)	25516.38	54372.87
कराधान हेतु प्रावधान	7506.82	17911.65
कराधान के उपरांत लाभ/ (हानि) (पी ए टी)	18009.56	36461.22
प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान	4800.00	8800.00
लाभांश कर	982.78	1495.56

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अपने सकल प्रीमियम में 4.5% की वृद्धि दर्ज किये जाने के कारण कंपनी का निष्पादन समुचित रूप से मजबूत रहा। पिछले वर्ष के दौरान ₹1303.73 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने ₹1362.40 करोड़ का सकल प्रीमियम अर्जित किया। पुनर्बीमा अर्पण तथा असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल) के आंकड़े गत वर्ष के ₹907.35 करोड़ की तुलना में वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1019.27 करोड़ (12.33% की वृद्धि) रहे ।

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) [formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.] are pleased to present the 57th Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2015.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below :

(₹ lacs)

Particulars	2014-15	2013-14
Turnover	136239.79	130372.60
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation/ Amortization (PBITDA)	26240.78	54736.34
Less : Finance Charges	-	-
Profit before Depreciation/ Amortization (PBTDA)	26240.78	54736.34
Less : Depreciation	724.40	363.47
Net Profit Before Taxation (PBT)	25516.38	54372.87
Provision for Taxation	7506.82	17911.65
Profit/(Loss) After Taxation (PAT)	18009.56	36461.22
Provision for Proposed Dividend	4800.00	8800.00
Dividend Tax	982.78	1495.56

The performance of the Company has been reasonably sound during the FY ended March 31, 2015, with the Company registering a 4.5% growth in Gross Premium. The Gross Premium earned by the Company during the FY 2014-15 was ₹1,362.40 crores against ₹1,303.73 crores during the previous FY. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for Un-expired Risks, the premium earned (Net) for the FY 2014-15, increased to ₹1019.27 crores, against ₹907.35 crores for the previous FY (12.33% growth).

खंडवार प्राप्त सकल प्रीमियम (₹ करोड़)
Segment-wise Gross Premium recieved (₹ crores)

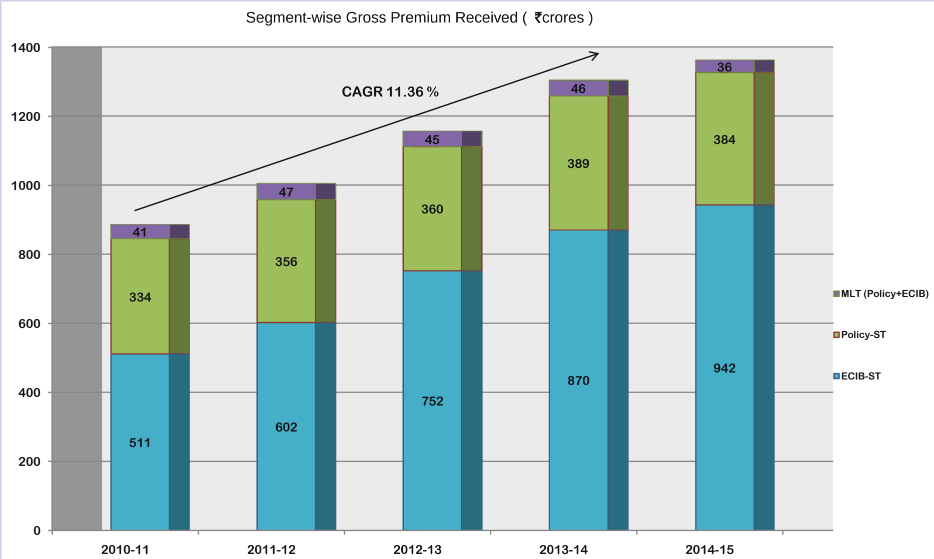

* सी ए जी आर : चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर; म व दी : मध्यम व दीर्घावधि; ई सी आई बी : बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा; अ व: अल्पावधि

* CAGR : Compounded Annual Growth Rate; MLT : Medium and Long Term; ECIB : Export Credit Insurance for Banks; ST : Short Term

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी द्वारा अदा किए गए कुल दावों में ₹879.49 करोड़ की तुलना में ₹589.83 करोड़ की गिरावट आई । पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के उपरांत, पिछले वर्ष के दौरान वहन किए गए ₹746.07 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹1163.50 करोड़ की वृद्धि हुई । पिछले वित्तीय वर्ष के ₹482.33 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में निवेश और अन्य आय 13.28% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹546.38 करोड़ हो गई ।

लाभ और विनियोजन

पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1174.46 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रचालनों से कुल आय 15.07% बढ़कर ₹1316.84 करोड़ हो गई । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹329.73 करोड़ के प्रचालन लाभ की तुलना में ₹5.66 करोड़ का प्रचालन लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के ₹543.73 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹255.16 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पी बी टी) हुआ । वर्ष के दौरान ₹75.07 करोड़ के आयकर और पूर्व अवधि समायोजन का प्रावधान करने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के ₹364.61 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष में विनियोजन के लिए उपलब्ध करोत्तर लाभ (पी ए टी) ₹180.10 करोड़ था।

लाभांश

निदेशक मण्डल प्रत्येक ₹100 के बारह इक्विटी शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर ₹4/- के पूर्ण और अंतिम लाभांश की सिफ़ारिश करता है, जो ₹48 करोड़ होता है। कुल लाभांश उस पर लाभांश

During the FY 2014-15, the total claims paid by the Company decreased from ₹897.49 crores to ₹589.83 crores. After adjusting for reinsurers' share, recoveries and provisions, the incurred claim increased for the FY 2014-15 to ₹1163.50 crores, against ₹746.07 crores for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹546.38 crores in FY 2014-15 up from ₹482.33 crores in the previous FY by 13.28%.

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2014-15, total income from operations grew by 15.07% to ₹1316.84 crores from ₹1174.46 crores in the previous FY. During the FY, the Company posted an Operating Profit of ₹5.66 crores compared to an Operating Profit of ₹329.73 crores during the previous FY. During the FY 2014-15, Profit Before Tax (PBT) was ₹255.16 crores, against ₹543.73 crores in the previous FY. After providing ₹75.07 crores towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the current FY was ₹180.10 crores, against ₹364.61 crores in the previous FY.

DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹4/- per equity share on the twelve crore equity shares of ₹100 each, amounting to ₹48 crores. The total dividend, along with the dividend distribution tax thereon, amounts to ₹57.83 crores, representing a pay-out ratio of 32.10% of the PAT of

श्रीमती निर्मला सीतारामन , माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, को दिनांक 11 जून 2015 को अ प्र नि द्वारा ₹48 करोड़ का, लाभांश चेक प्रदान करते हुए। साथ में हैं श्री राजीव खेर, भा.प्र.से., वाणिज्य सचिव, श्री अरविंद मेहता, भा.प्र.से., सं.स/वाणिज्य विभाग ।

CMD presenting the dividend cheque of ₹48 crores for FY 2014-15 to Ms. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Commerce & Industry on 11th June 2015. Shri. Rajeev Kher, IAS, Commerce Secretary, Shri Arvind Mehta, IAS, JS/DOC were present.

वितरण कर के साथ ₹57.83 करोड़ होगा जो ₹180.10 करोड़ के करोत्तर लाभ (पी ए टी) का 32.10% का पे आउट अनुपात निरूपित करता है।

प्रारक्षित निधियाँ

दिनांक 6 मई 2015 को सम्पन्न बोर्ड ने अपनी 396 वीं बैठक में ₹114.55 करोड़ सामान्य प्रारक्षित निधि व ₹4.35 करोड़ निगमित सामाजिक दायित्व प्रारक्षित निधि में रखना प्रस्तावित किया है।

अदावी लाभांश को निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अंतरित करना

चूंकि पिछले वर्ष कोई अदत्त/अदावी लाभांश घोषित व अदा नहीं किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते ।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2015 को कंपनी का निवल मूल्य ₹2988.95 करोड़ (31 मार्च 2014 को ₹2774.41 करोड़) था, जिसमें ₹1200 करोड़ (इस वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी में नवीनतम वृद्धि द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त ₹100 करोड़ सहित) की चुकता पूंजी व ₹1788.95 करोड़ की प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष शामिल है ।

₹180.10 crores.

RESERVES

The Board, in its 396th meeting, held on 6th May, 2015, proposes to carry ₹114.55 crores to General Reserve and ₹4.35 crores in Corporate Social Responsibility Reserve.

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

SHARE CAPITAL

As of March 31, 2015 the Company's Net Worth, comprising Paid-up Capital of ₹1,200 crores (including ₹100 crores received from the Central Government by way of fresh infusion of capital during this FY) and Reserves and Surplus of ₹1,788.95 crores, was ₹2,988.95 crores (₹2,774.41 crores as on March 31, 2014).

श्री टी. एस. विजयन, अध्यक्ष, आई आर डी ए, ईसीजीसी के कोल्लम शाखा के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए।

Shri. T.S. Vijayan, Chairman, IRDA inaugurated the new premises of Kollam Branch of ECGC

क. प्रतिभूतियों की वापसी खरीद :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी प्रतिभूति की वापसी खरीद नहीं की है ।

ख. स्वेट इक्विटी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है ।

ग. बोनस शेयर्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं ।

घ. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की है ।

कंपनी के बहिर्नियम

i. कंपनी के नाम में परिवर्तन

दिनांक 8 अगस्त 2014 से कंपनी का नाम बदलकर "ईसीजीसी लिमिटेड" किया गया । दिनांक 9 जून 2007 को सम्पन्न बोर्ड की बैठक में उसके अनुमोदन से बैंकों को प्रदान की गई रक्षा का नाम "गारंटी" से बदलकर बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी) किया गया क्योंकि आई आर डी ए, साधारण बीमा कंपनियों को गारंटी के रूप में दी जाने वाली रक्षाओं की अनुमति नहीं देता है । कंपनी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट इन्शुरर्स (जो बर्न यूनियन के नाम से मशहूर है) का एक सक्रिय सदस्य है और अपने सदस्यों में उसकी पहचान "ईसीजीसी" के रूप में ही है। साथ ही पिछले पाँच दशकों से भी अधिक समय से भारत में बैंकों/वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों आदि में "ईसीजीसी" का बड़े पैमाने पर प्रचलित है। वस्तुतः "ईसीजीसी" शब्द ने विभिन्न रक्षाएँ प्रदान करने वाली आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में भारत एवं विदेश में कंपनी के लिए ब्रांड वैल्यू निर्मित की है।

a. BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.

b. SWEAT EQUITY

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

c. BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

d. EMPLOYEES STOCK OPTION PLAN

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

(i) CHANGE OF NAME OF THE COMPANY

The name of the Company has been changed to "ECGC Limited" w.e.f. August 8, 2014. The name of the covers given to banks was changed with the approval of Board at its meeting held on June 9, 2007, from "guarantee" to Export Credit Insurance for Banks (ECIB) as IRDA does not permit General Insurance companies to offer covers which are in the nature of guarantees. The Company is one of the active members of the International Union of Credit & Investment Insurers (popularly known as Berne Union) and among its members the Company is known as "ECGC" only. Also within India, the name "ECGC" is widely known among the banks/financial institutions, export promotion councils, etc., over the past five decades. The word "ECGC" has in fact created a brand value for the Company in India and abroad as the official Indian export credit agency providing various covers.

(ii) ALTERATION OF OBJECT CLAUSE III (2)

Earlier Object Clause III(2) of its Memorandum of Association(MOA) restricted the issuance of policies to the exporters or traders located in India only. It restricted the Indian Project Exporters to realize their full potential to execute Export project contracts through their subsidiaries /branches /joint ventures in different countries and also resulted in loss of foreign exchange and possible political, diplomatic and strategic engagement with different countries. The said object clause was changed by making necessary changes therein post approval of Administrative Ministry and Shareholders thereto on 27.06.2014, to

ii. आपत्तिक धारा III (2) में परिवर्तन

इससे पूर्व, अपने संस्था के बहिर्नियम की आपत्तिक धारा III (2) के अनुसार केवल भारत स्थि त निर्यातकों व व्यवसायियों को ही पॉलिसियाँ जारी की जा सकती थी । यह, भारतीय परियोजना निर्यातकों की विभिन्न देशों में, उनके सहयोगी संस्थानों/शाखाओं/संयुक्त उद्यमों के जरिए परियोजना निर्यात संविदाओं के कार्यान्वयन की पूर्ण संभावनाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करती थी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें न केवल विदेशी विनिमय की हानि का सामना करना पड़ता था बल्कि विभिन्न देशों के साथ संभावित राजनैतिक, राजनायिक तथा नीतिगत संबंध भी प्रभावित होते थे। दिनांक 27 जून 2014 को प्रशासनिक मंत्रालय व शेयरधरकों के अनुमोदन से उक्त आपत्तिक धारा में आवश्यक संशोधन किए गए ताकि भारतीय निर्यातक/व्यापारिक कंपनियों की सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों, जो कि भारत के बाहर पंजीकृत/स्थापित हैं व भारतीय निर्यात/व्यापारिक (संरक्षक कंपनियों) के स्वामित्व की हैं व उनके द्वारा नियंत्रित हैं, को ऋण ऋण बीमा प्रदान किया जा सके। संबंधित सुरक्षा उनके द्वारा किए गए सौदों जैसे माल निर्यात, विनिर्माण उपचार, बिक्री अथवा वितरण सेवाएँ प्रदान करने अथवा अन्य कोई मामले जो कंपनी के लिए आपत्ति करें, के संबंध में देय किसी भी राशि की वसूली की उनकी असफलता के कारण हानि के जोखिमों को रक्षा करेगी।

शोधक्षमता मार्जिन

31 मार्च 2015 को शोधक्षमता अनुपात, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 6.61 गुना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन (आर एस एम) (₹ करोड़)	404.08	238.24
उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन (ए एस एम) (₹ करोड़)	2672.46	2624.85
शोधक्षमता अनुपात (कुल ए एस एम/आर एस एम) (गुना)	6.61	11.02

अधिकतम देयता

किसी भी समय कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली रक्षा की अधिकतम देयता (अ.दे.) भारत सरकार द्वारा कंपनी के संस्था

provide credit insurance to branches, subsidiaries or joint ventures of Indian exporting/trading Companies, which are registered/established outside India and are owned and controlled by Indian exporting/trading Companies(Parent Companies). The relevant cover will address any risk of loss by reason of their failure to recover any amount payable in respect of transactions involving export, manufacturing, treatment, sale or distribution of goods, the rendering of services or any other matter which is conducive to objects of the Company.

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2015 is 6.61 times, against the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) norm of 1.5 times. The details are as under:

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Required Solvency Margin (RSM)under Regulations (₹crores)	404.08	238.24
Available Solvency Margin (ASM) (₹crores)	2672.46	2624.85
Solvency Ratio (Total ASM / RSM) (Times)	6.61	11.02

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at

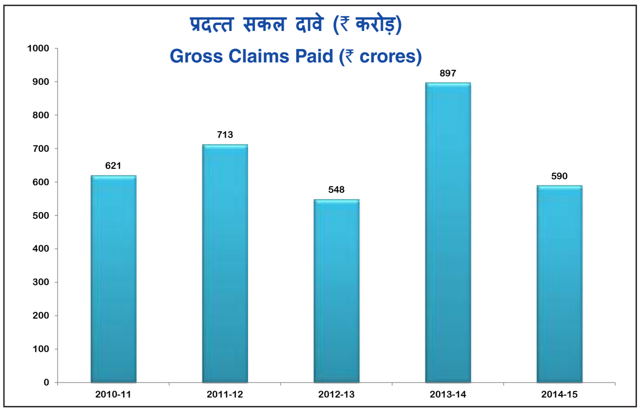

DIRECTORS' REPORT

श्री एन शंकर, पूर्व के अ प्र नि, ई सी जी सी, दवारा ई सी जी सी लिमिटेड के 57 वें संस्थापना दिवस के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए।
Shri. N. Shankar, former CMD of ECGC Ltd. addressing the employees on the occasion of 57th Foundation Day of ECGC Ltd.

अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत अनुमोदित, 31 मार्च 2015 को ₹1,00,000 करोड़ अपरिवर्तनीय है । दिनांक 31 मार्च 2015 को अ.दे. ₹80617.76 करोड़ थी।

निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

प्रबंधन व्यय

संबन्धित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए प्रबंधन व्यय, आई आर डी ए के 20.01% के मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत रूप में 15.32% रही (पिछले वर्ष 12.62%)।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित के उद्देश्य से मध्यम एवं दीर्घावधि व उच्च मूल्य की परियोजनाओं को ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है । 31 मार्च 2015 तक, विभिन्न परियोजना निर्यातकों द्वारा, इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, इथियोपिया, रवांडा, श्रीलंका, इजिप्त, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे आदि जैसे बाज़ारों में ₹14,798.12 करोड़ सकल मूल्य की 20 परियोजनाओं के लिए ₹6496.56 करोड़ मूल्य की 32 रक्षाएँ जारी की गई हैं । 31 मार्च 2015 को ट्रस्ट के पास ₹1471.70 करोड़ की राशि थी, जिसे बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया गया है।

निदेशक मण्डल

कंपनी 100% भारत सरकार के स्वामित्व की है। कंपनी के कारोबार संचालन व मामलों के सामान्य अधिकार, निदेशन एवं प्रबंधन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के पास हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक

₹1,00,000 crores as of March 31, 2015. The ML as on March 31, 2015 was ₹80617.76 crores.

INVESTMENT

The investments of the Company have been in conformity with the guidelines of the IRDA.

MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938 read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2014-15, stand at 15.32% (previous FY 12.62%) against the IRDA norm of 20.01%.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term and high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. As on March 31, 2015, 32 covers with a value of ₹6496.56 crores were in force covering 20 projects with aggregate value of ₹14798.12 crores, undertaken by various project exporters in markets such as Ecuador, Algeria, Myanmar, Oman, Ethiopia, Rwanda, Sri Lanka, Egypt, Mozambique, Zimbabwe, etc. The Trust has a corpus of ₹1471.07 crores as of March 31, 2015, which has been invested in Term Deposits placed with banks.

BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board, other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director, are non-executive Directors. All members of the Board, including the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Provision for induction of Executive Director on the Board of ECGC was made in the Articles 57 and 63 of the Company by making necessary changes therein post approval of Administrative Ministry and Shareholders thereto on 16.01.2015), are appointed by the Government of India.

निदेशक के अलावा बोर्ड के सभी निदेशक गैर कार्यपालक निदेशक हैं । अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यपालक निदेशक (ईसीजीसी के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक को शामिल करने का प्रावधान कंपनी के अनुच्छेद 57 व 63 में आवश्यक परिवर्तन कर दिनांक 16.01.2015 को प्रशासनिक मंत्रालय व शेयधरकों का अनुमोदन लेकर किया गया) सहित बोर्ड की सभी नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा की जारी है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान श्री एन. शंकर, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड व सात अंशकालिक निदेशक, बोर्ड पर थे यथा श्री पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव, आर्थिक मामला विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री जी. गोपालकृष्ण, पूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री के. आर. कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, श्री रफीक अहमद मक्का, अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, श्री हरि एस भरतिया, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेसर्स जुबीलंट लाइफ साइन्सेज लिमिटेड, श्री ओंकार एस कंवर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड व श्री वसंत मेहता, पूर्व अध्यक्ष, रत्न व आभूषण निर्यात परिषद का कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ। श्रीमती गीता मुरलीधर, कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीजीसी लिमिटेड,व तीन अंशकालिक निदेशक यथा डॉ सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव (निवेश व मुद्रा), आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री चन्दन सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, तथा श्री यदुवेन्द्र माथुर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात आयात बैंक को निदेशक मण्डल में शामिल किया गया।

इस रिपोर्ट की तारीख तक निदेशक मण्डल में एक पूर्ण कालिक निदेशक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक व अंश कालिक निदेशकों के तेरह में से सात पद अभी भी रिक्त हैं । इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक का पुनर्चयन/को पुनर्नियुक्त नहीं किया गया है ।

निदेशकों की नियुक्ति, परिलब्धियों के भुगतान तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति

कंपनी पर, नियुक्ति तथा परिलब्धि समिति के गठन से संबंधित धारा 178 (1) के प्रावधान लागू नहीं होते अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अधीन निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधन परिलब्धियों के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, आवश्यक विशेषताएँ, निदेशकों की स्वतन्त्रता तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। कंपनी के निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ।

During the FY 2014-15, Shri N. Shankar, former Chairman-cum-Managing Director, ECGC Limited, and seven part-time Directors on the Board, viz. Shri P. K. Mishra, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance; Shri G. Gopalakrishna, former Executive Director, Reserve Bank of India; Shri K. R. Kamath, Chairman-cum-Managing Director, Punjab National Bank; Shri Rafeeque Ahmed Mecca, President, Federation of Indian Export Organisations; Shri Hari S. Bhartia, Chairman-cum-Managing Director M/s. Jublilant Life Sciences Ltd; Shri Onkar S. Kanwar, Chairman-cum-Managing Director, M/s. Apollo Tyres Ltd.; and Shri Vasant Mehta, Ex-Chairman, Gems and Jewellery Export Promotion Council, ceased to be Directors of the Company. Ms. Geetha Muralidhar, Executive Director / Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge), ECGC Limited and three part-time Directors, viz Dr. Saurabh Garg, Joint Secretary (Investment and Currency), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance; Shri Chandan Sinha, Executive Director, Reserve Bank of India; and Shri Yaduvendra Mathur, Chairman-cum-Managing Director, Export Import Bank of India, have been inducted on the Board.

As on the date of this Report, one position for Whole Time Director (Chairman-cum-Managing Director) and seven of the thirteen positions for Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

There was no Director who got re-elected / re-appointed during the year under review.

COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(1) relating to constitution of Nomination and Remuneration Committee are not applicable to the Company and hence the Company has not devised any policy relating to appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India.

वार्षिक आय

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 92 के प्रावधानों के अनुसरण में वार्षिक आय संबंधी विवरण इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है (अनुबंध I)।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

हमारी कंपनी सूचीबद्ध/सार्वजनिक कंपनी नहीं है अतः स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित धारा 149 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशक मण्डल की 5 बैठकों का आयोजन किया ।

लेखा परीक्षा समिति की संरचना तथा सतर्कता तंत्र के प्रावधान का प्रकटन

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं -

क्रसं	निदेशकों के नाम
1	**श्री अरविंद मेहता** (दिनांक 27.10.2014 से अप्रनि का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया तथा दिनांक 18.11.2014 को यह प्रभार का नि को सौंपा व दिनांक 18.11.2014 से अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं) (दिनांक 04.06.2010 से सदस्य के रूप में नामित)
2	**डॉ. सौरभ गर्ग** (दिनांक 10.11.2014 से सदस्य के रूप में नामित)
3	**श्री चन्दन सिन्हा** (दिनांक 13.08.2014 से सदस्य के रूप में नामित)
4	**श्री यदुवेन्द्र माथुर** (दिनांक 13.05.2014 से सदस्य के रूप में नामित)
5	**श्री ए. के. रॉय** (दिनांक 10.08.2012 से सदस्य के रूप में नामित)
6	**श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे** (दिनांक 11.11.2013 से सदस्य के रूप में नामित)

लेखा परीक्षा समिति की उपर्युक्त संरचना में स्वतंत्र निदेशक का बहुमत है जैसे- श्री चन्दन सिन्हा, श्री यदुवेन्द्र माथुर, श्री ए. के. रॉय एवं श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे भी शामिल हैं ।

कंपनी ने सतर्कता तंत्र की स्थापना की है तथा समिति के जरिए कर्मचारियों तथा निदेशकों द्वारा जाहिर वास्तविक चिंताओं का समाधान किया जाता है । कंपनी ने, उन कर्मचारियों तथा निदेशकों जिन्होंने अपनी चिंताएँ जाहिर की हैं, उन्हें उत्पीड़न समुचित सुरक्षा हेतु उपायों का प्रावधान किया है। कंपनी ने

ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is furnished in Annexure attached to this report (Annexure I).

DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors do not apply to our Company as it is not a listed/ Public Company.

NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had 5 Board meetings during the FY under review.

DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following members

Sr. No.	Name of the Directors
1	Shri Arvind Mehta (was holding additional charge of CMD from 27.10.2014 and handed over the said charge to ED on18.11.2014, continues to act as a Part-Time Director w.e.f 18.11.2014)(appointed as a Member since 04.06.2010)
2	Dr. Saurabh Garg (appointed as a Member since 10.11.2014)
3	Shri Chandan Sinha (appointed as a Member since 13.08.2014)
4	Shri Yaduvendra Mathur (appointed as a Member since 13.05.2014)
5	Shri A. K. Roy (appointed as a Member since 10.08.2012)
6	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (appointed as a Member since 11.11.2013)

The above composition of the Audit Committee consists of independent Directors viz., Shri Chandan Sinha, Shri Yaduvendra Mathur, Shri A. K. Roy and Shri Ajay Murlidhar Ponkshe who form the majority.

The Company has established a vigil mechanism and oversees through the committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who

सहकर्मचारियों व कंपनी के हित संबंधी मामलों की रिपोर्टिंग हेतु लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का प्रावधान किया है।

अनुषंगी संस्थान, संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई भी अनुषंगी संस्थान, संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी कंपनियाँ नहीं हैं।

जमाएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार की जमा न ही स्वीकृत की है न ही नवीकृत की है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कंपनी, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है । विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय मापदण्डों के आधार पर पिछले तीन वर्षों में कंपनी का निष्पादन "उत्कृष्ट/बहुत अच्छा" की श्रेणी में रहा । ऐसी आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी का निष्पादन "बहुत अच्छा" दर्ज किया जाएगा।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 349 के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2013-14 की ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड), मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षत लेखों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 15 दिसंबर 2014 एवं 17 दिसंबर 2014 को प्रस्तुत की गई थी।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी की सेवा में पूरे वर्ष या पूरे वर्ष के किसी भाग में ऐसे कोई कार्मिक नहीं थे जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन उपबंध लागू हों।

ग्राहक देख रेख तंत्र

कंपनी ने अपने ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में ग्राहक देख रेख कक्ष की स्थापना की है। कंपनी की शिकायत निवारण नीति कंपनी की वैबसाइट पर उपलब्ध है । नीति के अनुसार, अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर उच्च अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया

express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee on reporting issues concerning the interests of co-employees and the Company.

SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises every year a Memorandum of Understanding (MoU) is signed with Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India. Based on the assessment of various financial and non-financial parameters, the company's performance has been rated as "Very Good/ Excellent" in the previous three years. The performance of the Company is expected to be rated as "Very Good" for the FY 2014-15.

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Ltd (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the FY 2013-14, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller & Auditor General (CAG) thereon, was placed before the Lok Sabha and the Rajya Sabha on December 15, 2014 and December 17, 2014 respectively, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There were no personnel in the service of the Company for the whole year or for any part of the year, the particulars in respect of whom, attracted the provisions under the Companies Act, 2013.

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set up a Customer Care Cell, situated at the Head Office at Mumbai and headed by a General

जाता है तथा शिकायत पर विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा चार बार विचार किया जा सकता है। कंपनी के प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक सर्वोच्च ग्राहक शिकायत समिति (ए सी जी सी) स्थापित की गई है, जो कि कंपनी में किसी ग्राहक की शिकायत के लिए अंतिम आंतरिक अपील-प्राधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की बारह बार बैठक हुई जिसमें 30 मामलों को निपटाया गया । वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें न्यायिक, बैंकिंग, तथा ऋण बीमा क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं जिनकी वित्तीय वर्ष 2014-15 में पाँच बैठके हुई व 32 आवेदनों को निपटाया गया।

कंपनी आई आर डी ए के केंद्रीयकृत संघटित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी आई जी एम एस) से जुड़ी है जिसमें ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । ग्राहकों के पास आई जी एम एस अथवा कंपनी की वैबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शिकायत पोर्टल के माध्यम अर्थात केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) द्वारा प्रचालित शिकायत निवारण प्रणाली का भी एक हिस्सा है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कंपनी को 204 शिकायतें मिली और 154 आवेदन निपटाए गए व 31 मार्च 2015 तक 50 शिकायतें लंबित थी।

ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी अभिग्रहण का विवरण

कंपनी(लेखा) नियमों के नियम 8(3) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसरण में सूचना, कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन ₹11.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.20 करोड़) था, जबकि इसी अवधि में मुख्यत: विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रीमियम का भुगतान करने के कारण विदेशी मुद्रा व्यय ₹107.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹47.91 करोड़) था।

Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the Policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority and the complaint can be dealt with four times by different officials / committees. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the ultimate in-house appellate authority for any customer complaint in the Company. The Committee has met twelve times and disposed of 30 cases during the FY 2014-15. A three-member Independent Review Committee has also been constituted during the FY 2013-14, consisting of external experts in the field of Judiciary, Banking and Credit Insurance, which met five times during FY 2014-15 and disposed of 32 applications.

The Company is linked to the Centralized Integrated Grievance Management System (CIGMS) of the IRDA, which customers can directly log on to and lodge their complaints. Policyholders also have the option of registering their respective complaints either at the IGMS or through the Company's website. In addition, the Company is a part of the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, through a Grievance portal, viz., the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

During the FY 2014-15, the Company received 204 grievance applications and disposed of 154 applications, and 50 applications were pending as on March 31, 2015.

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 134(3) (m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the FY under review was ₹11.20 crores (₹11.20 crores in the previous FY) while Foreign Exchange outgo during the same period was ₹107.99 crores (₹47.91 crores in the previous FY) mainly due to Premium paid to foreign reinsurers.

नियुक्त बीमांकिक

कंपनी ने आई आर डी ए आई के विधिवत अनुमोदन से परामर्श आधार पर नियुक्त बीमांकिक अनुबंधित किया है। सामान्य बीमा व्यापार के लिए नियुक्त बीमांकिक के कर्तव्य एवं दायित्व आई आर डी ए (नियुक्त बीमांकिक) के विनियमन 2000 के खंड (ख) विनियमन 8 के अंतर्गत यथा निर्धारित हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक अलग "बीमांकन विभाग" का भी गठन किया गया जो, उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर)/ उपगत परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) अनुमानों, आस्ति देयता प्रबंधन, अपेक्षित दावा लागत अनुमान, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट, आर्थिक पूंजी परिकलन, उत्पाद मूल्य पुनरीक्षण और पुनर्बीमा तनाव परीक्षण करने में नियुक्त बीमांकिकों की सहायता करता है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष (वि व) 2014-15 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षा (सी ए जी) द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2014 के पत्र के जरिये संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी जिसे दिनांक 10 नवंबर 2014 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में दर्ज किया गया तथा लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिश अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा सी एंड ए जी द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक के लिए लेखा परीक्षा शुल्क को अनुमोदित किया गया। निदेशक मण्डल ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण व अनुमोदन किया तथा इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यकता अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का अपना लेखा परीक्षा तंत्र है जिसमें संगामी लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा संबन्धित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप हैं । लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय व कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ साथ संव्यवहार भी शामिल हैं ।लेखा परीक्षकों

APPOINTED ACTUARY

The Company has engaged an Appointed Actuary (AA), on consulting basis, with due approval of the IRDA. The duties and obligations of the AA for General Insurance business are as per Clause (b) Regulation 8 of the IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000. A separate 'Actuarial Department' has also been set up in the FY 2012-13, which provided support to the AA in preparing Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Report, Economic Capital Computation, Product pricing review and Reinsurance Stress testing. The reports and observations of the AA contribute towards overall risk management strategies of the Company.

STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) for Audit of Accounts of the Company for the FY 2014-15 vide their letter dt. 21st August, 2014, the same was taken on record by the Board at its meeting held on 10th November, 2014 and the audit fees for each of the appointed auditors by CAG were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 56th AGM held on 27th June, 2014 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the CAG of India under Section 139(5) of the Companies Act, 2013 for the Head Office and Branch Offices of the Company for the FY 2014-15 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for FY 2014-15 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors' Reports cover the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. P.M. Dalvi & Co., Chartered Accountants, Mumbai and M/s. RSVA

की टिप्पणियों की निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है । मेसर्स पी.एम. दलवी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई और मेसर्स आर एस वी ए एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं । शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसरण में वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-1 की ओर से 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी को '**कुछ नहीं**' टिप्पणियों का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रमाण पत्र की एक प्रति लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न की गई है।

कंपनी शासन

कंपनी सभी संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक निधारणों का समय पर अनुपालन करती है तथा दृढ कंपनी शासन प्रचलनों का निर्माण और उसका कड़ाई से अनुपालन भी करती है। विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है **(अनुबंध II)**

इस वित्तीय विवरण के वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महतवपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं घटित हुई हैं -

I अंधेरी संपत्ति का अद्‌यतन

1. मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (यूआईएल), परियोजना ठेकेदार के साथ किए गए ठेके को दिनांक 21.04.2015 को रद्द कर दिया गया है, तथा अब केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) से इस अपूर्ण कार्य की जांच करने हेतु सलाह लेने तथा उन्हें यह कार्य (पैकेजेस I व II) पूरा करने हेतु ठेका प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। एक बार सभी प्रकार के चित्रों को सी पी डब्ल्यू डी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरांत अनुमानित लागत के विषय में वे हमें जानकारी देंगे। जैसा कि बातचीत अभी आरंभिक अवस्था में है परियोजना की कुल लागत का निर्धारण कठिन हैं।

& Co., Chartered Accountants, Mumbai are the Joint Statutory Auditors appointed by the CAG of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2014-15. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (CAG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

In pursuance of Section 143(5) of the Companies Act, 2013 the Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board-1 has, on behalf of the CAG, issued a certificate of **'NIL'** comments on the Company for the year ended March 31, 2015. A copy of the certificate is appended to the Audited Financial Statements.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report **(Annexure II)**.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

The following material changes and commitment occurred during the year under review affecting the financial position of the Company-

I Update of Andheri Property

1. The contract with M/s. Unity Infraprojects Limited (UIL), Project Contractor has been terminated on 21.04.2015, and it has now been decided to approach Central Public Works Department (CPWD), for examining the possibility of awarding an incomplete contract to CPWD [Packages I & II]. The estimated cost will be intimated to us by CPWD once all types of drawings are submitted to them. As the negotiations are at nascent stage, it is difficult to ascertain the total cost of the project.

2. ठेके को रद्द करने के परिणामस्वरूप ₹10,04,185.66/- की राशि के समायोजन के पश्चात कुल ₹4,85,08,210/- मूल्य की संग्रहण अग्रिम बैंक गारंटियों का प्रतिसंहरण को लागू कर दिया गया है।

3. न्यायालय के दिनांक 30.04.2015 के आदेश के अनुसार, माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री वी सी डागा को, दोनों ही पक्षों के बीच, ₹4,40,98,369/- की निष्पादन सुरक्षा गारंटी प्रतिसंहरण करने सहित सभी विवादों तथा मतभेदों से संबन्धित निर्णय लेने हेतु एकमेव विवाचक के रूप में नियुक्त किया गया है। यू आई एल द्वारा दायर दावे की सीमा संबंधी जानकारी दिनांक 30.06.2015 तक प्राप्त होगी।

4. मेसर्स रिट्स लिमिटेड, परियोजना प्रबंधन परामर्शकर्ता ने अपने दिनांक 28.04.2015 के पत्र के जरिये सूचित किया है कि वे अपने मुआवज़े के अनुरोध को अलग से प्रस्तुत करेंगे।

II भारत सरकार ने माह जून 2015 में ₹50 करोड़ की पूंजी प्रदान की है जिससे कंपनी की प्रदत्त पूंजी बढ़ कर ₹1250 करोड़ हो गयी है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का विकास व कार्यान्वयन से संबन्धित विवरण

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा का कारोबार करती है तथा आई आर डी ए में गैर जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिमों का समूहन कारोबार की प्रकृति में निहित है। जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में कंपनी का प्रयास होता है कि कारोबार के सभी क्षेत्रों में विवेक सम्मत सीमाओं के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन के साथ साथ पुनर्बीमा / भारत सरकार का समर्थन प्राप्त करे। निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी) द्वारा कंपनी के कारोबार को प्रभावित करने वाली विवेक सम्मत सीमाओं के कार्यान्वयन तथा विकास की निगरानी की जाती है। कंपनी निवेश पोर्टफोलियो का भी प्रबंधन करता है जिसमें शेयरधारक तथा पॉलिसी धारकों की निधियाँ शामिल हैं। निवेश जोखिमों का प्रबंधन उद्योग तथा प्रतिभूतियों में निवेश करते हुए किया जाता है। कंपनी, निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) नीति का अनुपालन करती है। तिमाही आधार पर निदेशक मण्डल की बैठक में ए एल एम स्थिति की रिपोर्ट की जाती है। इस प्रकार निवेश किए जाते हैं कि निवेश पर अधिकाधिक प्राप्तियों के जरिये चलनिधि संबंधी जोखिमों को कम किया जा सके।

2. Consequent to termination of the contract, the Mobilisation Advance Bank Guarantees totalling ₹485,08,210/- have been invoked after adjusting an amount of ₹10,04,185.66/-.

3. As per Court Order dated 30.04.2015, Honorable Justice (Retd.) Shri V.C. Daga has been appointed as Sole Arbitrator for adjudicating upon all disputes and differences between the parties, including invocation of Performance Security guarantee of ₹4,40,98,369/-. The extent of the claim to be filed by UIL will be known latest by 30th June, 2015.

4. M/s. RITES Limited, Project Management Consultants vide letter dated 28.04.2015, has stated that they would be submitting their compensation request separately.

II GOI has provided capital of ₹50 crores in the month of June, 2015, with this the total paid up share capital of the Company stands enhanced to ₹1250 crores as of date.

STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance company with IRDA. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. As part of Risk Management the Company endeavours to obtain adequate reinsurance / support from the Government of India in addition to implementing exposure norms for prudential limits in all the lines of business. The Risk Management Committee of Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment portfolio that comprises shareholders and policyholders funds. The investment risks are managed by investing across industry and securities. The Company follows Board approved Asset Liability Management (ALM) policy. The ALM position is reported to the RMC of the Board on a quarterly basis. The investments are managed in such a way that ensures liquidity risks are minimised with optimum return on the investment.

कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर विकसित तथा कार्यान्वित विवरण

अनुबंध III में दर्शाये गए है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अधीन प्रदत्त ऋणों, दी गयी गारंटियों अथवा किए गए निवेशों के विवरण

कुछ नहीं

संबन्धित पार्टियों के साथ किए गए ठेकों तथा समझौतों के विवरण

अनुबंध IV में दर्शाये गए हैं।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में निदेशक, निदेशकों के दायित्व विवरण का समर्थन करते हैं तथा पुष्टि करते हैं कि :-

(क) कंपनी ने वार्षिक लेखों की तैयारी के दौरान महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हो तो ; से संबन्धित उचित स्पष्टीकरणों के साथ लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया है।

(ख) 31 मार्च 2015 तक के कंपनी मामलों के सही व उचित प्रकटन तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ संबंधी प्रकटन के लिए कंपनी के निदेशकों ने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है और निर्णय व अनुमान लगाए है कि जो किफ़ायती हैं तथा दूरदृष्टि पूर्ण हैं।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की पहचान करने व उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिसूचित व लागू होने की सीमा तक) के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती है।

(घ) निदेशकों ने " सतत कारोबार " आधार पर 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखे तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन करने योग्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्धारण किया है तथा यह कि इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावपूर्ण रूप से परिचालित हैं; तथा

(च) निदेशकों ने सभी लागू योग्य क़ानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली

DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Placed at **Annexure III**

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Placed at **Annexure IV**

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that :

(a) The Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;

(b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2015 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2015;

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the provisions of Companies Act, 2013 (to the extent notified and applicable), for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2015 on a 'going concern' basis;

(e) The Directors, had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively and

(f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and

विकसित की है तथा ये प्रणालियाँ पर्याप्त है व प्रभावपूर्ण रूप से परिचालित हैं।

आभार प्रदर्शन

निर्देशक मंडल, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आर्थिक मामले विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई), भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विभिन्न देशों के भारतीय उच्चायुक्तों के कार्यालयों को कंपनी को प्रदान किए गए निरंतर समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए तथा कंपनी के मामलों व वृद्धि में दिखाई गयी उनकी रूचि के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। निदेशक, निर्यातकों, बैंकों तथा पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा कंपनी पर दिखाये गए अपने निरंतर विश्वास के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। निदेशक रेटिंग एजेंसियों तथा ऋण वसूलीकर्ता एजेंटों जो क्रमशः निगम की बीमांकन व वसूली प्रयासों में अपना योगदान देते हैं के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक, फियो, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों तथा औद्योगिक संगठनों, चैंबर ऑफ कॉमर्स तथा व्यापार संगठन व बीमा ब्रोकरों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक, लेखा परीक्षकों से समय समय पर मिलने वाली बहुमूल्य सलाह तथा समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक, कंपनी को अपने कारोबार परिचालनों के लिए बाज़ार में अपना प्रभुत्व बनाए रखने में समर्थ बनाने हेतु उत्कृष्ट समर्पण व प्रतिबद्धता से किए गए निरंतर प्रयासों के लिए सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की हार्दिक प्रशंसा करते हैं।

कृते निदेशक मण्डल

गीता मुरलीधर
कार्यपालक निदेशक /
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जून, 2015

operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Department of Economic Affairs and Department of Financial Services, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, Government of India, Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDA), the Comptroller & Auditor General of India, Reserve Bank of India and offices of the Indian High Commission in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are thankful to the Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the rating agencies & debt collection agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors also, thankfully place on record, the feedback and support received from the FIEO, various Export Promotion Councils and Industrial Organisations, Chambers of Commerce and Trade Organisation and insurance brokers. The Directors place on record, their thanks for the valuable advice and support received from time to time, from the Auditors. The Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees and Officers who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Executive Director/
Chairman-cum-Managing Director
(Additional Charge)

Place : New Delhi

Date : June 10, 2015

अनुबंध I / Annexure I

फॉर्म संख्या. एम जी टी -9 / Form No. MGT-9
को वार्षिक विवरणी के उद्धरण / EXTRACT OF ANNUAL RETURN
31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष / as on the financial year ended on 31st March 2015

[*कंपनी अधिनियम, 2013* की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]

[Pursuant to section 92(3) of *the Companies Act, 2013* and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i) सी आई एन: यू74999एम एच1957 जी ओ आई 010918

ii) पंजीकरण की तारीख: 30.07.1957

iii) कंपनी का नाम: ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड)

iv) कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी: सरकारी कंपनी/निजी कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण: एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400 021

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है हाँ/नहीं: नहीं

vii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई है: ला.न.

II. कंपनी की मुख्य कारोबार गतिविधियां

कंपनी के कुल पण्यावर्त में 10% से अधिक योगदान देने वाले कारोबार गतिविधियां निम्न हैं :-

क्रम सं	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल कारोबार में %
1	निर्यात ऋण बीमा	65110	100%

III. स्वामित्व, अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्रम सं	कंपनी का नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	स्वामित्व/ अनुषंगी/ सहयोगी	धारक शेयरों का %	लागू आनुभाग
1	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN: U74999MH1957GOI010918

ii) Registration Date: 30.07.1957

iii) Name of the Company: ECGC Limited (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited)

iv) Category / Sub-Category of the Company: Government Company / Private Limited

v) Address of the Registered office and contact details: 10th Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai 400 021.

vi) Whether listed company Yes / No: No

vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any: N.A

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the Business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the Company are:-

Sr. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover the company
1	Export Credit Insurance	65110	100%

III. Particulars of holding, subsidiary and associate companies

Sr. No.	Name and Address of the company	CIN/GLN	Holding / Subsidiary / Associate	% of shares held	Applicable section
1	NA	NA	NA	NA	NA

IV. शेयर धारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

Shareholding pattern (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) श्रेणीवार शेयर धारिता / Category-wise Shareholding

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन % % Change during the year
	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	शेयरों का % % of Total Shares	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	शेयरों का % % of Total Shares	
क. प्रवर्तक **A. Promoters**									
(1) भारतीय **Indian**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
क) व्यक्तिगत/एच यू एफ a) Individual / HUF	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ख) केंद्र सरकार b) Central Govt.									
I) भारत के राष्ट्रपति President of India	**ला.न.** **NA**	109999992	109999992	100		119999992	119999992	100	0
II) भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित Nominee of the President of India		8	8			8	8		0
ग) राज्य सरकार c) State Govt(s)	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
घ) अन्य निकाय . d) Bodies Corp.	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ड़) बैंक /वि.सं. e) Banks / FI	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
च)अन्य कोई f) Any Other	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
उप-कुल (क) (1):- **Sub-total (A) (1) :-**	**ला.न.** **NA**	110000000	110000000	**100**	**ला.न.** **NA**	120000000	120000000	**100**	**0**
(2) विदेश **Foreign**									
क) प्र.भा. - व्यक्तिगत a) NRIs -Individuals	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ख) अन्य व्यक्तिगत b) Other Individuals	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
c) अन्य निकाय. c) Bodies Corp.	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ड़) बैंक /वि.सं. d) Banks / FI	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
च) अन्य कोई e) Any Other	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
उप-कुल (क) (2):- **Sub-total (A) (2):-**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
प्रवर्तकों की शेयर धारिता (क) = (क) (1) + (क) (2) **Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1) + (A) (2)**	ला.न. NA	110000000	110000000	100	ला.न. NA	120000000	120000000	100	0
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता B. Public Shareholding									
1. संस्थान **Institutions**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
क) म्यूचल फंड a) Mutual Funds	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ख) बैंक /वि.सं	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.

DIRECTORS' REPORT

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन % % Change during the year
	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	शेयरों का % % of Total Shares	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	शेयरों का % % of Total Shares	
b) Banks / FI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ग) केंद्र सरकार c) Central Govt	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
घ) राज्य सरकार(रें) d) State Govt(s)	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ड) उद्यम पूंजी निधि e) Venture Capital Funds	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
च) बीमा कंपनियाँ f) Insurance Companies	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
छ) एफ आई आई g) FIIs	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि h) Foreign Venture Capital Funds	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
झ) अन्य (विवरण दें) i) Others (specify)	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
उप-कुल (ख) (1):- **Sub-total (B)(1):-**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
2. असंस्थागत **2. Non - Institutions**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
a) अन्य निकाय Bodies Corp.	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
i) भारतीय Indian	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ii) विदेशी Overseas	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ख) व्यक्तिगत b) Individuals	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
i) ₹1 लाख तक की नामांकित शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ii) ₹1 लाख से अधिक की नामांकित शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ग) अन्य (विवरण दें) **उप-कुल (ख) (2) :-** c) Others (specify) **Sub-total (B) (2) :-**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख) (1) + (ख)(2) Total Public Shareholding (B) = (B) (1) + (B) (2)	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ग. जी डी आर व ए डी आर के लिए संरक्षकों द्वारा धारित शेयर **c) Shares held by Custodian for GDRs & ADRs**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
महा योग (क+ख+ग) **Grand Total (A+B+C)**	**ला.न.** NA	110000000	110000000	100	**ला.न.** NA	120000000	120000000	100	0

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता / Shareholding of Promoters

क्रम सं Sr. No.	शेयरधारक का नाम Shareholder's Name	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the end of the year			
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों के मुक़ाबले गिरवी रखे गए / ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत % of Shares Pledged / encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों के मुक़ाबले गिरवी रखे गए / ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत % of Shares Pledged / encumbered to total shares	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन % % change in shareholding during the year
1	भारत के राष्ट्रपति President of India	109999992	100	0	119999992	100	0	0
2	भारत के राष्ट्रपति के नामित Nominees of the President of India	8			8			
	कुल Total	110000000	100	0	120000000	100	0	0

iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो, उल्लिखित करें) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

क्रम सं Sr. No.		वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	110000000	100	120000000	100
2	वर्ष के दौरान प्रबर्तकों की शेयर धारिता में वृद्धि / गिरावट - वृद्धि / गिरावट के कारण सहित तारीखवार विवरण (जैसे आबंटन /हस्तांतरण /बोनस/ स्वेट इक्विटीआदि) : Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/ sweat equity etc):			1) 13.08.2014 (33,33,333) को आबंटित अतिरिक्त शेयर Additional Shares allotted on 13.08.2014 (33,33,333) 2) 10.11.2014 (66,66,667) को आबंटित अतिरिक्त शेयर Additional Shares allotted on 10.11.2014 (66,66,667)	
	वर्ष के अंत में At the end of the year	110000000	100	120000000	100

DIRECTORS' REPORT

iv) **शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशक, प्रवर्तक, जीडीआर व ए डी आर धारकों को छोड़कर):**
Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्रम सं Sr. No.	शीर्ष 10 शेयरधारकों के प्रत्येक के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के प्रारंभ में At the beginning of the year	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA
2	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयर धारिता में वृद्धि / गिरावट - वृद्धि / गिरावट के कारण सहित तारीखवार विवरण (जैसे आबंटन / हस्तांतरण /बोनस/ स्वेट इक्विटीआदि) : Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA
	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तारीख तक, यदि वर्ष के दौरान अलग हो गए हो तो) At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA

v) **निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों की शेयरधारिता :**
Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel :

क्रम सं Sr. No.	प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए For Each of the Directors and KMP	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के प्रारंभ में At the beginning of the year	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA
2	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयर धारिता में वृद्धि / गिरावट - वृद्धि / गिरावट के कारण सहित तारीखवार विवरण (जैसे आबंटन / हस्तांतरण /बोनस/ स्वेट इक्विटीआदि) : Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc) :	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA
	वर्ष के अंत में At the End of the year	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA

V. ऋणग्रस्तता / Indebtedness

बकाया/अर्जित ब्याज लेकिन जो भुगतान के लिए शेष नहीं है सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता
Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payments

	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूति ऋण Secured Loans excluding deposits	गैरजमानती ऋण Unsecured Loans	जमाएं Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the beginning of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
i) मूलधन राशि Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) बकाया ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया है Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

	जमाओं को छोडकर प्रतिभूति ऋण Secured Loans excluding deposits	गैरजमानती ऋण Unsecured Loans	जमाएं Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
iii) अर्जित ब्याज लेकिन जो बकाया नहीं है Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल (i+ii+iii) **Total (i+ii+iii)**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन **Change in Indebtedness during the financial year** • वृद्धि Addition • कमी Reduction	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
निवल परिवर्तन **Net Change**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता **Indebtedness at the end of the financial year**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
i) मूलधन राशि Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) बकाया ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया है Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) अर्जित ब्याज लेकिन जो बकाया नहीं है Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल (i+ii+iii) **Total (i+ii+iii)**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों की परिलब्धियाँ
Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिकों निदेशकों एवं/या प्रबंधकों की परिलब्धियाँ:
A) Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager :

(₹)

क्रम सं Sr. No.	परिलब्धियों का विवरण Particulars of Remuneration	प्रनि/पूकानि/प्र का नाम Name of MD/WTD/ Manager		कुल राशि Total Amount
		श्री एन शंकर Shri N Shankar	श्रीमती गीता मुरलीधर Ms. Geetha Muralidhar	
1	सकल वेतन (₹) / Gross salary (₹)	1081478	685513	1766991
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income tax Act, 1961	1081478	685513	1766991
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	327871	173507	501378
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर फायदे (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प / Stock Option	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity	-	-	-
4	कमीशन / Commission - मुनाफे के % में / as % of profit - अन्य, विवरण दें / others, specify	-	-	-
5	अन्य, कृपया विवरण दें / Others, please specify	-	-	-
	कुल (क) / Total (A)	1409349	859020	2268369
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा Ceiling as per the Act	ईसीजीसी पर लागू नहीं क्यों कि ईसीजीसी लिमिटेड पूर्ण रूप से सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है Not applicable to ECGC Limited as it is wholly owned Government Company		

श्रीमती गीता मुरलीधर, का.नि. का वेतन 18/11/2014 को अप्रनि का अतिरिक्त प्रभार संभालने की तारीख से प्रभावी है।

Salary of Ms. Geetha Muralidhar, ED w.e.f. 18/11/2014 i.e. date of taking over additional charge of CMD.

ख) अन्य निदेशकों की परिलब्धियाँ :

B) Remuneration to other Directors:

(₹)

परिलब्धियों का विवरण Particulars of Remuneration	निदेशकों के नाम Name of Directors			कुल राशि Total Amount
	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	श्री वसंत मेहता Shri Vasant Mehta	श्री रफीक अहमद मेक्का Shri Rafeeque Ahmed Mecca	
1. निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु स्वतंत्र निदेशक शुल्क, कमीशन, अन्य, कृपया विवरण दें Independent Directors Fee for attending board / committee meetings Commission Others, please specify	150000	10000	30000	190000
कुल (1) / Total (1)	150000	10000	30000	190000
2. निदेशक मण्डल / समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अन्य गैर कार्यापालक निदेशक शुल्क, कमीशन, अन्य, कृपया विवरण दें Other Non-Executive Directors Fee for attending board / committee meetings Commission Others, please specify	-	-	-	-
कुल (2) / Total (2)	-	-	-	-
कुल (ख) = (1 + 2) / Total (B) = (1 + 2)	150000	10000	30000	190000
कुल प्रबंधकीय परिलब्धियाँ Total Managerial Remuneration	-	-	-	-
अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा Overall Ceiling as per the Act	ईसीजीसी पर लागू नहीं क्यों कि ई सी जी सी लिमिटेड पूर्ण रूप से सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है Not applicable to ECGC Limited as it is wholly owned Government Company			

ग) प्रनि/प्रबंधक/पूकानि को छोडकर मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों की परिलब्धियाँ

C) Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

(₹)

क्रम सं Sr. No.	परिलब्धियों का विवरण Particulars of Remuneration	मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी Key Managerial Personnel		
		कंपनी सचिव (स्मिता वी पंडित) Company Secretary (Smita V Pandit)	सी एफ ओ (एम सेंथिलनाथन) Chief Finance Officer (M Senthilnathan)	श्रीमती Total Amount
1	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सकल वेतन Gross salary Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	1564294	1474472	3038766
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर फायदे Value of perquisites u/s17(2) Income-tax Act, 1961 Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	358382	376695	735077
2	स्टॉक विकल्प / Stock Option	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity	-	-	-
4	कमीशन / Commission - मुनाफे के % रूप में / as % of profit - अन्य, विवरण दें / others, specify.	-	-	-
5	अन्य, कृपया विवरण दें / Others, please specify			
	कुल / Total	1922676	1851167	3773843

VII. अपराधों के लिए जुर्माना/सजा/समझौता
Penalties / Punishment/ Compounding of offences

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित जुर्माना/ सजा समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकारण [आर डी / एन सी एल टी /न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो, (विवरण दें)
Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
जुर्माना / Penalty	-	-	-	-	-
सजा / Punishment	-	-	-	-	-
समझौता / Compounding	-	-	-	-	-
अन्य अधिकारियों द्वारा चूक / Other officers in default					
जुर्माना / Penalty	-	-	-	-	-
सजा / Punishment	-	-	-	-	-
समझौता / Compounding	-	-	-	-	-

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

गीता मुरलीधर
कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Executive Director/Chairman-cum-Managing Director
(Additional Charge)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जून, 2015

Place : New Delhi
Date : 10th June, 2015

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

Management Discussion and Analysis

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

वर्ष 2014 में, व्यापार में सामान्य लाभ के साथ लगातार तीसरे वर्ष 3% से कम की वृद्धि दर्ज़ की। वर्ष 2012 व 2014 के बीच व्यापार की वृद्धि का औसत 2.4% पर, जो तीन वर्षो की अवधि में सबसे न्यूनतम दर रहा, जबकि व्यापार वृद्धि जारी थी। विकासशील देशों के निर्यात विकसित देशों (2.2%) की तुलना में (3.3%) की तीव्र गति से बढे। इसी बीच विकासशील देशों के आयात बहुत मंद गति बढे, जो 3.2% की तुलना में 2.0% थे।

वर्ष 2014 और 2015 के आरंभ में व्यापार और उत्पादन की कमी के लिए अनेक कारकों का योगदान रहा, जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में निम्नतर सकल देशी उत्पाद की वृद्धि सहित, विकसित देशों में असमान सुधार, और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते हुए भौगोलिक तनाव थे।

भौगोलिक तनाव एवं प्राकृतिक कारणों का भी पिछले वर्ष के व्यापार वृद्धि पर प्रभाव पड़ा। यूक्रेन का संकट पूरे वर्ष तक बना रहा जिससे एक तरफ रूस के बीच व्यापार संबंधों में और दूसरी तरफ संयुक्त राज्यों एवं यूरोपीय संघ के साथ व्यापार संबंधों में तनाव रहा। मध्य पूर्व के संघर्ष तथा पश्चिम अफ्रीका में इबोला हेमरेज ज्वर के फैलने के कारण भी क्षेत्रीय अस्थिरता बनी रही।

चूंकि वर्ष 2014 के दौरान निर्यात मात्र 0.7% बढ़कर 18.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हुए अतः विश्व वाणिज्यिक व्यापार में डॉलर का मूल्य स्थिर रहा । यह वृद्धि दर, ऊपर उल्लिखित वाणिज्यिक व्यापार के लिए मात्रा में (निर्यातों एवं आयतों के औसत का 2.8%) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रही जो प्रतिवर्ष निर्यातों तथा आयातों, मुख्य रूप से प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट को दर्शाती है ।

वर्ष 2014 में वाणिज्यिक व्यापार मूल्यों का मुख्य लक्षण प्राकृतिक संसाधन निर्यातक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रवाह की कमी थी । वस्तुओं की कीमतों में कमी के फलस्वरूप निर्यात प्राप्तियों में कमी आई जिसके कारण दक्षिण अमेरिका, सी आई एस, अफ्रीका और मध्य पूर्व से निर्यात का डॉलर मूल्य में क्रमशः 6%, 5.9%, 7.6% एवं 3.9% गिरावट आई ।

दिनांक 19 सितंबर 2014 ईसीजीसी भुबनेश्वर शाखा दवारा को एस बी आई की भुबनेश्वर शाखा को दावे का चेक प्रदान किया गया।
A claim cheque was handed over to SBI, Bhubaneswar Branch by ECGC, Bhubaneswar Branch on 19th September 2014.

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

The modest gains in 2014, marked the third consecutive year in which trade grew less than 3%.Trade growth averaged just 2.4% between 2012 and 2014, the slowest rate on record for a three year period when trade was expanding. Exports of developing countries grew (3.3%) faster than those of developed countries (2.2%). Meanwhile, imports of developing countries grew more slowly, 2.0%compared with 3.2%.

Several factors contributed to the sluggishness of trade and output in 2014 and at the start of 2015, including slowing GDP growth in emerging economies, an uneven recovery in developed countries, and rising geopolitical tensions, among others.

Geopolitical tensions and natural phenomena also weighed on trade growth last year. The crisis in the Ukraine persisted throughout the year, straining trade relations between Russia on the one hand and the United States and European Union on the other. Conflict in the Middle East also stoked regional instability, as did an outbreak of Ebola haemorrhagic fever in West Africa.

The dollar value of world merchandise trade stagnated in 2014, as exports rose just 0.7% to $18.95 trillion. This growth rate is lower than the one for merchandise trade in volume terms mentioned above (2.8% for the average of exports and imports), reflecting falling export and import prices from one year to the next, particularly for primary commodities.

The main striking feature of the merchandise trade values in 2014 is the weakness of trade flows in natural resource exporting regions. The dollar value of exports from South America, the CIS, Africa and the Middle East fell 6%, 5.9%, 7.6% and 3.9%, respectively, as lower commodity prices cut in to export revenues. A sharp drop in imports of South America (-4.2%) reflected recessionary conditions in leading regional economies, while an even steeper decline in CIS imports (-11.2%) stemmed from a combination of factors, including falling oil prices and regional conflict.

World exports in volume terms only increased by 1.9% in the first half of 2014 compared to the same period in 2013, but year-on-year growth in the second half rose to 3.7%. Exports of developed and developing/emerging economies were both slow in the first half (1.8% and 2.1%, respectively) but shipments from developing/ emerging countries grew faster in the second half (2.5% for developed, 5.1% for developing).

वर्ष 2014 में, विश्व निर्यातों में, वर्ष 2013 की इसी अवधि की तुलना में मात्र 1.9% की वृद्धि दर्ज की गई परंतु दूसरी छः माही में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि 3.7% रही। विकसित और विकासशील/ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात पहली छः माही में (क्रमशः 1.8% व 2.1%) मंद रहे, परंतु दूसरी छः माही में विकासशील/ उभरती हुए देशों से पोतलदान (विकसित देशों के लिए 2.5%, विकासशीलदेशों के लिए 5.1%) की तीव्र वृद्धि दर्ज हुई।

परिदृश्य

विश्व व्यापार संगठन के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015 में विश्व व्यापार के 3.3% से और 2016 में 4% की दर से बढ़ने की संभावना है। विश्व के वाणिज्यिक व्यापार में अगले दो वर्षो में मामूली वृद्धि की संभावना है, जो 2014 में 2.8% से बढ़कर 2015 में 3.3% तक और 2016 में अंततः 4.0% तक बढ़ने की संभावना है। हाल के वर्षो व्यापार वृद्धि अत्यधिक कम रही, जो वर्ष 2014 में 2.8% और पिछले तीन वर्षो की तुलना में औसतन 2.4% थी।

वर्ष 2015 में, विकासशील/उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निर्यातों के 3.6% बढ़ने की संभावना है जबकि उनके आयात 3.7% बढ़ने की संभावना है। इसी दौरान, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आयात एवं निर्यात दोनों के लिए 3.2% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2015 के दौरान, किसी भी क्षेत्र के निर्यात निष्पादन की तुलना में एशिया का निर्यात सुदृढ़ (5.0%) होने की संभावना है व इसके बाद उत्तरी अमेरिका (4.5%) का स्थान रहने की संभावना है । हालांकि संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में वर्ष प्रतिवर्ष निर्यातों में होने वाले छोटे-मोटे सामान्य परिवर्तन अपेक्षित हैं तथापि वर्ष 2015 में, दक्षिण अमेरिका (0.2%) और अन्य क्षेत्रों में (-0.6%, जिसमें अफ्रीका, मध्यपूर्व और सी आई एस देश शामिल हैं) सबसे कमजोर निर्यात वृद्धि रहने की संभावना है ।

भारत के निर्यात

भारत के निर्यात वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 1.23% घटकर 2014-15 में 310 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुए । इसी अवधि के दौरान, भारतीय आयात 0.6% घटकर 447 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुए, जिसके परिणामस्वरूप, 137 बिलियन अमरेरीकी डॉलर का व्यापार घाटा रहा।

कंपनी के प्रचालनों की समीक्षा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ

वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी तथा नवीकृत अल्पावधि (एस टी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ पिछले वर्ष 2013-14 के दौरान जारी तथा नवीकृत कुल 9106 पॉलिसियों की तुलना में 9160 रहीं। 31 मार्च 2015 को प्रभावी अल्पावधि पॉलिसियों की संख्या, 31 मार्च 2014 के 11,109 की तुलना में 11,236 रही। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में 1442

ईसीजीसी मुरादाबाद शाखा द्वारा मेसर्स बी आर के कमोडिटीएस तथा मेसर्स ए एल एम इंडस्ट्रीज़, मुरादाबाद को दावा चेक प्रदान किए गए।
Claim Cheques were handed over to M/s. BRK Commodities and M/s. ALM Industries, Moradabad by ECGC, Moradabad Branch.

OUTLOOK

As per the WTO estimates, world trade is expected to grow by 3.3% in 2015 and at a rate of 4% in 2016. Growth in the volume of world merchandise trade is expected to pick up only slightly over the next two years, rising from 2.8% in 2014 to 3.3% in 2015 and eventually to 4% in 2016. Trade volume growth has been very slow in recent years, measuring 2.8% in 2014 and averaging 2.4% over the last three years.

Exports of developing/emerging economies are expected to grow 3.6% in 2015, while their imports are expected to increase by 3.7%. Meanwhile, a 3.2% rise is anticipated for developed economies on both the export and import sides. Asia is expected to have the strongest export performance of any region in 2015 (5%), followed closely by North America (4.5%). The weakest export growth in 2015 could be in South America (0.2%) and other regions (-0.6%, comprising Africa, Middle East and CIS), although small changes in export volumes from year to year are normal for resource-rich regions.

INDIA'S EXPORTS

During FY 2014-15, India's exports declined by 1.23% to reach $310bn in comparison to $314bn during 2013-14. During the same period, Indian imports declined by 0.6 % to reach $447bn, resulting in trade deficit of $137 bn.

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

During the FY 2014-15, the total number of Short Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed were 9160, as against 9106 during the

प्रस्ताव नवीनीकरण हेतु लंबित थे। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक, कुल प्रभावी पॉलिसियों में घोषणा आधारित सम्पूर्ण पण्यावर्त पोतलदान पॉलिसियाँ जैसे पोतलदान व्यापक जोखिम (एस सी आर) पॉलिसी, निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी (ई टी पी) और लघु निर्यातक पॉलिसी (एस ई पी) का प्रतिशत 61% पर सर्वाधिक रहा। 31 मार्च 2015 तक, जोखिम आधारित पोतलदान पॉलिसियाँ जैसे बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी (एम बी ई पी) और एक खरीदार जोखिम पॉलिसी (एस बी ई पी), 31 मार्च 2014 के 3,266 की तुलना में 3,688 रहीं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन संरक्षित कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹1,31,342 करोड़ की तुलना में 2.01% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1,33,983 करोड़ रहा। अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत कुल प्रीमियम आय, पिछले वर्ष के ₹388.58 करोड़ की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि (1.21%) दर्ज करते हुए ₹383.87 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन प्रदत्त कुल दावा राशि, पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹109.29 करोड़ की तुलना में 16.19% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹126.98 करोड़ रही। अल्पावधि पॉलिसी के अधीन वसूलियाँ ₹5.75 करोड़ की तुलना में 67.16% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करते हुए ₹9.61 करोड़ रही।

ग्राहक विशिष्ट रक्षा

ईसीजीसी, ने भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ (सी एस सी) प्रारम्भ की जो कि वर्तमान उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से डिजाइन की जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ आई आर डी ए द्वारा अनुमोदित दो अथवा अधिक मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षण समाहित होते हैं जिसे "आधार" पॉलिसी माना जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल 87 सी एस सी पॉलिसियाँ जारी की गई जिनका मूल्य ₹2567.91 करोड़ था। 31 मार्च 2015 को कुल 79 सी एस सी पॉलिसियाँ प्रभावी थीं, जिनका

अल्पावधि रक्षाओं के अधीन खंडवार जोखिम मूल्य (₹ करोड़)

Segment-wise Risk Value under Short Term (ST) Cover (₹ crores)

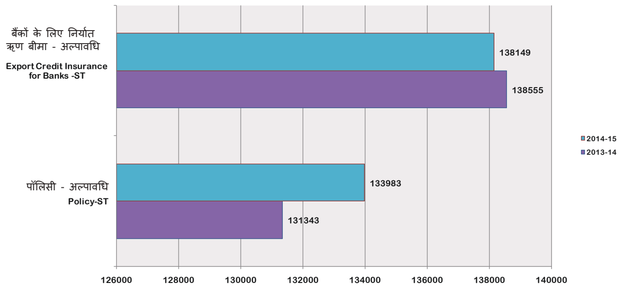

previous FY 2013-14.The number of ST policies in force as on 31st March, 2015 was 11,236 as against 11,109 as on 31st March, 2014. 1442 number of proposals were pending for renewal as at the end of FY 2014-15. Declaration based Whole Turnover Shipment policies viz. the Shipment Comprehensive Risks (SCR) Policy, the Export Turnover Policy (ETP) and the Small Exporters Policy (SEP) continued to maintain the largest share at 61% of the policies in force as at the end of FY 2014-15. The total number of exposure based shipment policies in force as on 31st March, 2015 viz. the Multi Buyer Exposure Policy (MBEP) and the Single Buyer Exposure Policy (SBEP) was 3688 as against 3266 as on 31st March, 2014. Total business covered under the ST Policies during the FY 2014-15 was ₹1,33,983 crores, as against ₹1,31,342 crores during the previous year, with a growth of 2.01%. The premium income under ST Policies was ₹383.87 crores as against ₹388.58 crores in the previous FY, registering negative growth of (-1.21%). Total claims paid under ST Policies during FY 2014-15 was ₹126.98 crores as against ₹109.29 crores during the previous FY 2013-14 showing growth of 16.19%. Recoveries under ST Policy was ₹9.61 crores against ₹5.75 crores, showing significant increase of 67.16%.

CUSTOMER SPECIFIC COVERS

ECGC, with the approval of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) has introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor made to suit specific requirements of policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDA, while having predominant features of one product which is considered to be the "base" policy.

During the FY 2014-15, 87 CSC policies were issued with total amount of ₹2567.91 crores. As on 31st March, 2015, 79 CSC policies were in force with total amount of ₹2200 crores. Yearly premium income under CSC policies was ₹43.42 crores and total claims paid was ₹12.50 crores during the FY 2014-15.

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The premium earned for the year was ₹942.30 crores (₹869.64 crores), registering a growth of 8.36% over the previous year. This accounted for 71% of the

अ प्र नि द्वारा दिनांक 30 मार्च 2015 को मेसर्स एच ई जी लिमिटेड, नोएडा को दावा चेक प्रदान किया गया।
A claim cheque was handed over to M/s. HEG Ltd., Noida by CMD on 30th March, 2015

कुल मूल्य ₹2,200/- करोड़ था। सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय ₹43.42 करोड़ रही और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुल ₹12.50 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी) रक्षाएं

वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 8.37% की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल ₹942.30 करोड़ (₹869.64 करोड़) का प्रीमियम अर्जित किया। यह सभी क्षेत्रों से वर्ष के दौरान अर्जित कुल प्रीमियम के 71% है । वर्ष के दौरान बैंकों को कुल ₹462.85 करोड़ (₹639.55 करोड़) के दावों का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान ₹142.52 करोड़ (₹144.53 करोड़) की राशि की वसूली की गई जो कि ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन क्षतिपूर्ति की गई हानियों से संबन्धित खातों पर निर्यातकों से वसूल की गई राशियों में कंपनी का हिस्सा थी। जारी की गई विभिन्न ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद तथा एक रक्षाओं के लिए उच्चतम बकाया राशि के आधार पर की जाती है, कुल ₹1,38,555.45 करोड़ (₹1,38,149.89 करोड़) रही।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के अनुमोदन और भारतीय बैंक संघ की सहमति से ई सी आई बी - संपूर्ण पण्यावर्त पोतलदानोत्तर (डब्ल्यू टी पी एस) योजना को ई सी आई बी

वर्ष 2014-15 के दौरान संरक्षित जोखिम मूल्य
Value of Risk Covered during 2014-15

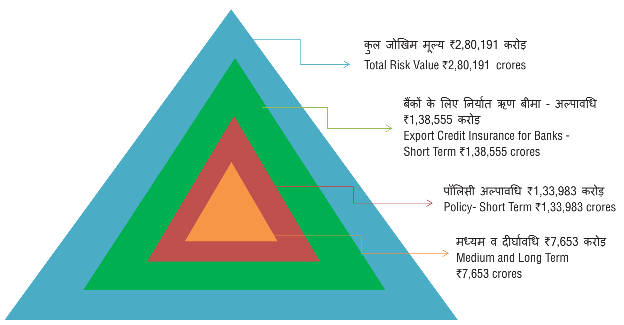

aggregate premium for the year, from all sectors. The value of claims paid to banks during the year was ₹462.85 crores (₹639.55 crores). An amount of ₹142.52 crores was recovered (₹144.53 crores) during the year, being the Company's share in the amounts recovered from exporters against accounts in respect of which losses had been indemnified by the Company under the ECIB covers. The total Risk Value covered by the Company under the various ECIB covers issued, taken as the Average Daily Product for the Whole turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding under Individual covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹1,38,555.45 crores (₹1,38,149.89 crores).

During the year, with the approval of the Board and the concurrence of the Indian Banks' Association, the ECIB- Whole Turnover Post Shipment (WTPS) scheme was aligned with ECIB- Whole Turnover Packing Credit scheme (WTPC). The premium rates under Whole turnover ECIB covers were rationalized, based on the 3-year claim premium ratio and the percentages of cover, reworked on the 6-year claim premium ratio. Exposure norms were revised (from the Risk Management point of view). Appropriate risk mitigation measures were adopted in respect of sectors with high claim ratios or high risk such as Gem, Jewellery and Diamond (GJD), with the twin objectives of protecting the interests of the Banks and those of ECGC.

अ प्र नि द्वारा सी एस आर पहल के अधीन दिनांक 11 फरवरी 2015 को मुख्य मंत्री राहत निधि में जम्मू व कश्मीर के माननीय राज्यपाल को ₹3 करोड़ का चेक प्रदान करते हुए।
CMD handing over a cheque of ₹3 crores to the Hon'ble Governor of J&K under CSR Initiative to the Chief Minister's Relief Fund on 11th Feb 2015.

MEDIUM AND LONG TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for the FY 2014-15 stood at ₹36.23 crores as against ₹45.52 crores in the previous year. No claims were paid under ECIB as well as Policies during the FY 2014-15. Also, there was no recovery under

- संपूर्ण पण्यावर्त पैकिंग ऋण योजना (डब्ल्यू टी पी सी) के समकक्ष बनाया गया। संपूर्ण पण्यावर्त ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन प्रीमियम दरों को 3 वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर तथा रक्षा के प्रतिशत को 6 वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर पुनर्गठित कर युक्तिसंगत बनाया गया। जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया (जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से)। बैंकों एवं ई सी जी सी के हितों की रक्षा के दोहरे उद्देश्य से, रत्न, आभूषण एवं हीरे (जी जे डी) जैसे उच्च दावा अनुपात या अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के संबंध में उपयुक्त जोखिम कम करने वाले उपाए अपनाए गए।

ई सी जी सी ने यूनाइटेड ऑरफ़नेज, कोयंबटूर को सी एस आर पहल के अधीन वैन प्रदान की।
ECGC donated a Van under CSR initiative to United Orphanage, Coimbatore.

मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार समीक्षा

वर्ष 2014-15 के दौरान मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) कारोबार से अर्जित प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹45.52 करोड़ की तुलना में ₹36.23 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ई सी आई बी एवं पॉलिसियों के अंतर्गत किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया। साथ ही ई सी आई बी/पॉलिसियों के अंतर्गत कोई वसूली नहीं हुई। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, शीर्ष 5 देश जिसके संबंध में निगम ने प्रमुख कारोबार बीमा रक्षा प्रदान की है, उनमें इजिप्त, डी आर कांगो, इथियोपिया, रवांडा और इंडोनेशिया हैं। एम एल टी परियोजना निर्यातकों को उनके द्वारा ली गई विभिन्न परियोजनाओं पर राजनैतिक/व्यापक जोखिमों पर रक्षा प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2013-14 के 19 की तुलना में कुल 21 ऋण बीमा पॉलिसियां जारी की गई। रक्षा प्रदान किए मुख्य क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्रों में जल विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि सहित बुनियादी सुविधा क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकों (ई सी आई बी) को निर्यात ऋण बीमा के अंतर्गत जारी रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के 96 की तुलना में 108 रही। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निगम ने विदेशी निवेश बीमा के अंतर्गत एक रक्षा का नवीकरण किया।

ECIB / Policies. The top five countries in respect of which the Corporation has underwritten major business during the FY 2014-15 are Egypt, D.R. Congo, Ethiopia, Rwanda, and Indonesia.

During the FY 2014-15, 21 Credit Insurance Policies were issued to MLT project exporters as against 19 in the FY 2013-14, covering political/comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered were infrastructure including hydro power supply, electricity transmission etc. The number of covers under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2014-15 was 108 as against 96 in the previous year. During the FY 2014-15, the Corporation renewed one cover under Overseas Investment Insurance.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term and high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. As on March, 31, 2015, 32 covers with a value of ₹6496.56 crores were in force covering 20 projects with aggregate value of ₹14798.12 crores, undertaken by various project exporters in markets such as Ecuador, Algeria, Myanmar, Oman, Ethiopia, Rwanda, Sri Lanka, Egypt, Mozambique, Zimbabwe etc. The Trust has a corpus of ₹1471.07 crores as of March, 31, 2015, which has been invested in Term Deposits placed with banks.

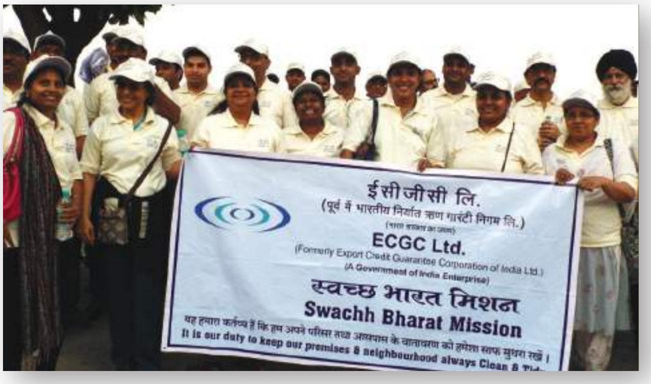

सी एस आर पहल के अधीन ई सी जी सी के कर्मचारियों द्वारा " स्वच्छ भारत अभियान " पर जागरूकता का प्रचार करते हुए
Spreading awareness on 'Swachh Bharat Abhiyaan' by ECGC employees under CSR initiative.

BUYER'S CREDIT COVER

The Company, in association with Exim Bank of India, introduced in the FY 2010-11, a new product viz. 'Buyer's Credit' cover, with a view to promoting project exports to certain developing countries and export of capital goods to focus markets on deferred payment terms.

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि तथा उच्च मूल्य के परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की गई है। 31 मार्च 2015 तक, विभिन्न परियोजना निर्यातकों को इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, इथियोपिया, रवांडा, श्रीलंका, इजिप्त, मोजांबिक, जिम्बाव्वे जैसे बाज़ारों में विभिन्न परियोजनों निर्यातकों द्वारा ली गई कुल ₹14798.12 करोड़ मूल्य की 20 परियोजनाओं के लिए ₹6496.56 करोड़ मूल्य की 32 रक्षाएं प्रभावी थीं। 31 मार्च 2015 तक ट्रस्ट के पास कुल ₹1471.07 करोड़ का कॉर्पस राशि थी जिसे बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया।

खरीदार ऋण रक्षा

कंपनी ने भारतीय निर्यात आयात बैंक के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2010-11 कुछ विकासशील देशों को परियोजना निर्यातों तथा आस्थगित भुगतान शर्तो पर फोकस मार्केटों में पूंजीगत माल के निर्यातों के संवर्धन के उद्देश्य से 'खरीदार ऋण रक्षा' जैसे उत्पाद को विकसित किया। 31.03.2015 तक, श्रीलंका, ज़ाम्बिया, मोज़ाम्बिक एवं जिम्बाव्वे के उधारकर्ताओं पर एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को कुल ₹2971.22 करोड़ मूल्य की अधिकतम देयता के साथ छः खरीदार ऋण रक्षाएं प्रभावी थीं। 31.03.2015 तक, ट्रस्ट ने कुल ₹14,348 करोड़ राशि की आठ परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन भी दिया।

मदुरै में दिनांक 3 सितंबर 2014 को ई सी जी सी - डी एंड बी एक्सपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट कॉनक्लेव सम्पन्न हुआ। श्री के वेंकटरामन, प्रबंध निदेशक तथा प्रमुख कार्यपालक अधिकारी, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
ECGC-D&B Export Risk Management Conclave held at Madurai on 3rd September 2014. Shri K. Venkataraman, Managing Director and Chief Executive Officer, Karur Vysya Bank Ltd. was the Chief Guest.

निवेश

31 मार्च, 2015 तक, निवेश पोर्टफोलियो में, 31 मार्च 2014 को ₹5698.06 करोड़ की तुलना में, 17.91% की वृद्धि दर्ज करते हुए, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बांडों, इक्विटी शेयरों, मियादी जमा आदि में कुल ₹6918.48 करोड़ के निवेश रहे। निवेश पोर्टफोलियो में, अतिरिक्त पूंजी निवेश, परिचालनों/निवेशों से निर्मित अधिशेष के कारण वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने, निवेश संबंधी सभी विनियामक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा

As of 31.03.2015, six Buyer's Credit covers with aggregate Maximum Liability of ₹2971.22 crores issued to Exim Bank of India on borrowers from Sri Lanka, Zambia, Mozambique and Zimbabwe were in force. The Trust has also given in-principle approvals for eight projects amounting to ₹14,348 crores as of 31.03.2015.

INVESTMENTS

As at 31st March, 2015, the Investment Portfolio comprising investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits etc. stood at ₹6718.48 crores as against ₹5698.06 crores as at 31st March, 2014 showing an increase of ₹1020.42 crores, i.e. increase of 17.91%. The growth in Investment Portfolio was on account of infusion of additional capital and surplus generated from operations/ investments.

प्रदत्त सकल दावों में रुझान - पॉलिसी अल्पावधि (₹ करोड़)
Trend in Gross Claims Paid - Policy Short Term (₹ crores)

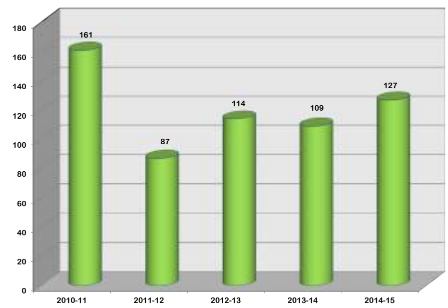

The Company has complied with all regulatory requirements in respect of investments and investment under mandatory category stood at 62.19% as against 45% prescribed by IRDA. Income generated from Investment Operations (including profit on sale of investments) increased to ₹525.70 crores in FY 2014-15 from ₹469.27 crores in FY 2013-14, recording an increase of ₹56.43 crores i.e. increase of 12.03%. The yield on investment operations for the FY 2014-15 was 8.65% as against 8.92% for the previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

BUYER UNDERWRITING

The role of Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to make sound underwriting decision on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various underwriting parameters. It obtains and analyses latest business information reports from

आई आर डी ए द्वारा अनिवार्य श्रेणी के लिए निर्धारित 45% के मानदंड की तुलना में 62.19% का निवेश किया।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, निवेश प्रचालनों से प्राप्त आय (निवेशों की बिक्री पर लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹469.27 करोड़ की तुलना में 56.43 करोड़ के साथ 12.03% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹525.70 करोड़ हो गई। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, निवेश परिचलनों से प्राप्त आय पिछले वर्ष के 8.92% की तुलना में 8.65% रही। कंपनी के निवेश परिचालन मुख्यतः दावा भुगतान को पूरा करने, पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने तथा जोखिम एवं आय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए।

खरीदार बीमा

प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (बी यू डी) का कार्य विभिन्न बीमा मानदंडों के आधार पर समग्र साख सीमा का निर्धारण करते हुए ख़रीदारों पर उपयुक्त बीमा निर्णय लेना होता है। यह विभिन्न व्यवसाय सूचना एजेंसियों से अद्यतित व्यवसाय सूचना रिपोर्ट प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है, विदेशी ख़रीदारों पर निर्धारित समग्र साख सीमाओं के आधार पर सिस्टम निर्मित आंकड़ों पर आधारित ख़रीदारों के संव्यवहार व्यवहारों की समीक्षा करता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न व्यावसायिक सूचना एजेंसियों से ख़रीदारों पर प्राप्त रिपोर्टों को डिजिटलाईज्ड भी किया गया है ताकि सभी संबंधित अधिकारी इसे सिस्टम में देख सकें।

दिनांक 01.07.2015 से प्रत्येक ख़रीदार की रेटिंग एवं समग्र सीमाओं के निर्धारण के लिए खरीदार स्कोर कार्ड प्रणाली को पूर्ण रूप से कार्यान्वयित किया गया। ख़रीदारों का मूल्यांकन चार मानदंडों जैसे कारोबार क्षमता, संव्यवहार गतिविधि, वित्तीय क्षमता और उद्योग का परिदृश्य के आधार पर किया जाता है। स्कोर कार्ड को खरीदार पर समग्र सीमा के निर्धारण के लिए विकसित किया गया है ताकि बीमा तथा जोखिम प्रबंधन में कंपनी की क्षमता को मजबूत किया जा सके। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टो से सूचना/आंकड़े (वित्तीय और गैर-वित्तीय) की उपलब्धता के आधार पर मॉडल स्कोर कार्ड, जिसमें 1 से 3 की श्रेणी के आधार पर खरीदार का मूल्यांकन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, स्कोर कार्ड-मॉडल 4 शुरू किया गया जिससे ₹1000 करोड़ या उससे अधिक निर्यात पण्यावर्त एवं 1 करोड़ व उससे अधिक की प्रीमियम अदायगी वाले शीर्ष निर्यातकों तथा बड़े ख़रीदारों के संयोजन जैसे अपवादात्मक मामलों को शामिल किया जा सके।

ईसीजीसी द्वारा यूको बैंक के जरिए भारतीय रुपये के वोस्ट्रो खातों के जरिए ईरान के साथ किए जाने वाले निर्यात संव्यवहारों के

कोची में दिनांक 28 जनवरी 2015 को ईसीजीसी - डी एंड बी एक्सपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट कॉनक्लेव सम्पन्न हुआ। श्री सी वी आर राजेन्द्रन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आंध्र बैंक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ECGC-D&B Export Risk Management Conclave held at Kochi on 28th January 2015. Shri C V R Rajendran, Chairman and Managing Director, Andhra Bank was the Chief Guest.

various Business Information Agencies, reviews the transactional behaviour of buyers on the basis of system generated data, based on which overall credit limits are fixed on overseas buyers.

Reports received on buyers from different Business Information Agencies, as mentioned above, are also digitalized to make it accessible to all related officials in system.

Full-fledged Buyer Score Card system has been implemented from 01.07.2015 for rating and determining of Overall Limits (OL) for each buyer. The buyers are evaluated on the basis of four parameters viz. Business Ability, Transactional behaviour, Financials and Industry Outlook. The Score Card developed to fix OL on the buyer has strengthened the Company's ability in underwriting and risk management. Based on availability of information/ data (financials and non-financials) from the reports received from different agencies, assessment on the buyer is made based on Model of Score Card Ranging from 1 to 3. During the year, Score Card – Model 4 was launched to accommodate exceptional cases on Top notch buyers combined with elite exporters where export turnover to be covered should not be less than ₹1000 crores and Premium earning should not be less than ₹1 crore in FY 2014-15.

ECGC cover is extended for Iranian export transactions through INR VOSTRO accounts routed through UCO Bank. For LC transactions, earlier five Iranian Banks were approved which has increased to nine Banks, during the year.

Under Green BUD initiative, it has been decided and implemented to make the Department paperless and fully digitalized. Agency distribution list is prepared to reduce Turn Around Time (TAT) and make it cost

लिए रक्षा प्रदान की रही है। वर्ष के दौरान, साख पत्र संव्यवहारों के लिए, जहाँ पूर्व में केवल पाँच ईरानी बैंक अनुमोदित थे, की संख्या को बढ़ाकर नौ कर दिया गया है।

हरित बी यू डी पहल के अंतर्गत विभाग को पेपर रहित और पूर्ण रूप से डिजिटलाईज्ड करने का निर्णय लिया गया और इसे कार्यान्वयित किया गया। टर्न अराउंड टाइम (टी ए टी) को कम करने तथा नामित से रिपोर्ट मंगाने की प्रक्रिया को किफ़ायती बनाने के लिए एजेंसी वितरण सूची तैयार की गई है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, प्राप्त साख सीमा आवेदन पत्रों की संख्या पिछले वर्ष के 35,030 की तुलना में 33,104 रही। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी द्वारा विदेशी ख़रीदारों पर समग्र सीमा के निर्धारण के जरिए बीमित औसत जोखिम राशि पिछले वर्ष ₹28,790 करोड़ की तुलना में ₹36,250 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी के डेटाबेस में शामिल नए ख़रीदारों की संख्या पिछले वर्ष के 16,784 की तुलना में 17,201 रही।

देश बीमा

देश बीमा विभाग (सी यू डी) देशों पर बीमा पॉलिसी के लिए उत्तरदायी है। कंपनी ने देशों के जोखिम प्रोफ़ाइल को सात स्तरीय वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित करने हेतु देश मूल्यांकन विषयपरक स्कोरिंग प्रणाली विकसित की है। उस देश के साथ भारत के संबंध, ईसीजीसी का अनुभव एवं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट इन्शुरर्स (बर्न यूनियन) का दृष्टिकोण सहित विभिन्न मानदंडो पर आधारित देशों में व्याप्त आर्थिक तथा राजनैतिक स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। यह रक्षा के प्रकार व रक्षा की शर्तों तथा प्रीमियम गणना के उद्देश्यों के निर्धारण में भी सहायक होता है। विगत वर्षों में विभिन्न देशों के जोखिम मूल्यांकन के स्वतंत्र उद्देश्य पर कोई समझौता किए बिना कंपनी तथा पॉलिसीधारकों के अनुभव के आधार पर उदार बीमा नीति स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सभी देशों की समीक्षा की गई और 1 अप्रैल 2015 से वर्गीकरण की संशोधित सूची

वर्ष 2014-15 के दौरान मध्यम तथा दीर्घावधिक पॉलिसियों के अधीन संरक्षित देशवार जोखिम मूल्य (₹ करोड़)
Country-wise Risk Value Covered under Medium and Long Term Policies 2014-15 (₹ crores)

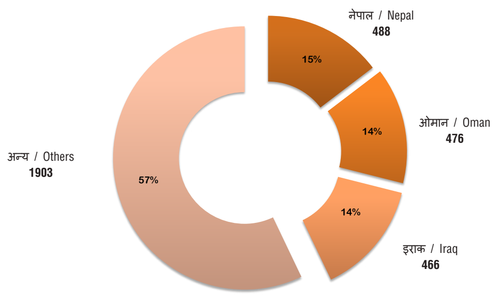

effective for calling reports from empanelled agencies.

The number of Credit Limit Applications received in FY 2014-15 was 33,104 as against 35,030 in the previous year. During the FY 2014-15, the aggregate exposure underwritten by the Company through fixing Overall Limits on foreign buyers was ₹36,250 crores as against ₹28,790 crores in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during FY 2014-15 was 16,784 as against 17,201 in the previous year.

अ प्र नि ने 22 से 25 मार्च 2015 के दौरान बर्लिन जर्मनी में जी - 11 देशों के ई सी ए के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में भाग लिया।
CMD participated in G11 Heads of ECAs Meeting in Berlin, Germany during March, 22-25, 2015

COUNTRY UNDERWRITING

Country Underwriting Department (CUD) is responsible for the underwriting policy on countries. The Company has in place an objective scoring methodology for Country evaluation devised to rate the risk profile of countries in a seven fold classification. An analysis is made of the economic, political situation in countries based on the various parameters including India's relationship with the country, ECGC's experience and the approach of International Union of Credit and Investment Insurers (Berne Union). It also helps in determining type and terms of cover and serves the purpose of premium calculation. Over the years efforts have been made to have a liberal underwriting policy based on the experience of the Company and the policy-holders, without compromising on the independent, objective risk assessment of various countries.

During the FY 2014-15, a review of all countries was carried out and the revised list of classification was implemented w.e.f. April 01, 2015. A dynamic system of underwriting is being introduced and review of all countries were carried out on a quarterly basis based on their Claim-Risk Value ratio, Berne Union reference, Exports from India and changes in political and economic situation.

कार्यान्वयित की गई। बीमा की एक गतिशील प्रणाली शुरू की जा रही है और देशों के दावा-जोखिम मूल्य अनुपात, बर्न यूनियन संदर्भ, भारत से किए जाने वाले निर्यातों एवं राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन पर आधारित तिमाही आधार पर सभी देशों की समीक्षा की जाती है।

31.03.2015 को देश के वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण रेटिंग निम्नानुसार है, जिसमें 'गौण जोखिम' को ए 1 रेटिंग और 'अत्यधिक जोखिम' डी में परिभाषित किया गया है ;

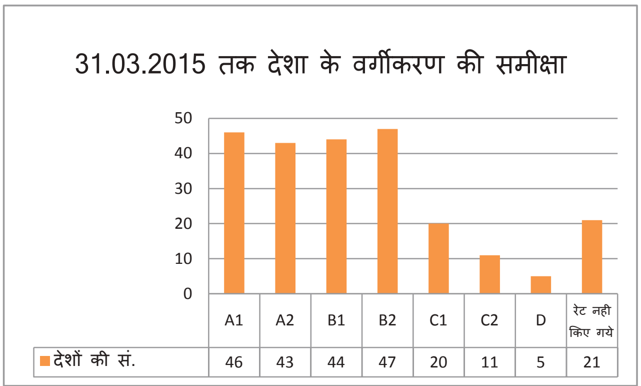

वर्गीकरण सूची के कुल 237 देशों में से 214 देशों को 'खुली रक्षा' की श्रेणी जबकि 18 देशों को 'प्रतिबंधित रक्षा' श्रेणी-I (जहां अनुमोदित आवर्ती सीमाएं एक वर्ष के लिए वैध होती हैं) और 5 देशों को 'प्रतिबंधित रक्षा' श्रेणी-II (जहां मामला दर मामला पर विशिष्ट अनुमोदन दिया जाता है) में रखा गया।

देशों की क्रेडिट रेटिंग, हानि एवं चूक/अधिकतम हानि स्थिति/ हानि की बारंबारता के आधार पर सभी 216 देशों ('रेट न किए गए' 21 देशों को छोड़कर) की देश जोखिम सीमाएं (सी ई एल) निर्धारित की गई।

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, कंपनी ने अल्पावधि पॉलिसी के लिए भारतीय तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ 20% (स्विस आर ई 6%, ए सी आर 2%, एस सी ओ आर 4%, जी आई सी आर ई 5%, क्यू आर ई 2%, हनोवर आर ई 0.5%, और एमलीन ए जी 0.5%) समानुपाती (कोटा शेयर-क्यू एस) पुनर्बीमा संधि की। साथ ही एम एल टी रक्षा सहित संपूर्ण कारोबार के लिए जी आई सी आर ई के साथ अनिवार्य 5% पुनर्बीमा (क्यू एस) रक्षा सहित अल्पावधि ई सी आई बी के लिए 13%(स्विस आर ई 6%, ए सी आर 2%, एस सी ओ आर 4%, क्यू आर ई 0.5%, एमलीन ए जी 0.5%) की सीमा तक पुनर्बीमा संधि की। इसके अतिरिक्त उन्हीं पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अल्पावधि पॉलिसी एवं ई सी आई बी रक्षा के अधीन बड़े जोखिमों के लिए अतिरिक्त हानि रक्षाओं के लिए पुनर्बीमा संधि की गई।

The summary of country classification as on 31.03.2015 with A1 rating defined as 'Insignificant Risk' and D defined as 'Very High Risk' was as follows:

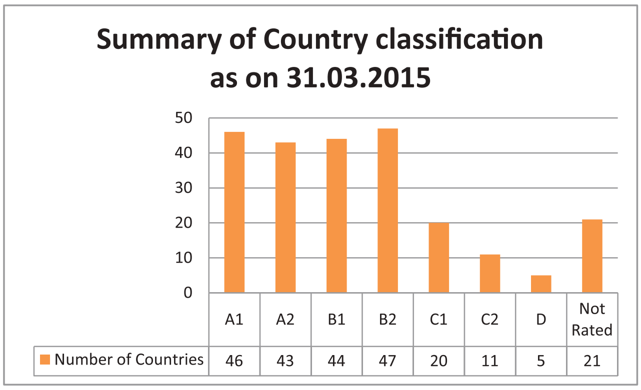

Out of the 237 countries in the classification list, 214 countries were placed in 'Open Cover' Category while 18 countries were in 'Restricted Cover' Category – I (where revolving limits are approved normally valid for one year) and 5 countries in 'Restricted Cover' Category – II (where specific approval is given on a case to case basis).

The Country Exposure Limits (CEL) of all 216 countries (excluding 21 'Not Rated' countries) was fixed based on credit rating of countries, loss and default/ maximum loss situation/ loss frequency.

REINSURANCE

For the FY 2014-15 the Company had a proportional (quota share –QS) Reinsurance treaty to the extent of 20% (Swiss Re 6%, ACR 2%, SCOR 4%, GIC Re 5%, Q Re 2%, Hanover Re .5%, and Amlin AG .5%) from Indian and Foreign Reinsurers for Short Term Policy. Also to the extent of 13% (Swiss Re 6%, ACR 2%, SCOR 4%, Q Re .5%, Amlin AG .5%) for Short Term ECIB along with Obligatory 5% reinsurance (QS) cover from GIC Re for the entire business including MLT covers. Additionally, Excess of Loss covers for large risks under Short Term Policy and ECIB covers were also arranged with the same reinsurers.

सी एस आर पहल के अधीन ईसीजीसी द्वारा समर्थित विष्णु नगर, वाशी नाका, चेंबूर में सक्षम सामुदायिक अध्ययन तथा शिक्षा केंद्र।
ECGC supported Saksham Community Study and Learning Center at Vishnu Nagar, Vashi Naka, Chembur under CSR initiative.

जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने 2011 से विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड लागू किए हैं एवं किसी एकल निर्यातक, निर्यातक समूह, खरीदार, उद्योग और देश के लिए जोखिम सीमाएं निर्धारित कीं। किसी पोर्टफोलियो के जोखिम संकेन्द्रण का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, ई सी आई बी क्षेत्र में हाल ही में हुए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम मानदंडों में संशोधन किए गए। संशोधित जोखिम मानदंडों के अनुसार सम्पूर्ण पण्यावर्त रक्षाओं के अधीन रत्न, आभूषण तथा हीरा (जी जे डी) क्षेत्र के निर्यातों के संबंध में नए जोखिमों को अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया है। दिनांक 01 मार्च 2014 से वर्तमान जे जी डी खातों के संबंध में केवल एकल ई सी आई बी (पी सी /पी एस) रक्षाओं के अधीन संशोधित मूल्य निर्धारण/निबंधन व शर्तों के साथ सीमा के विस्तार पर विचार किया जाएगा। अल्पावधि पॉलिसी तथा मध्यम एवं दीर्घावधि पॉलिसी के कारोबार के लिए देश जोखिम सीमाओं (सी ई एल) को निर्धारित करने के लिए मानदंड विकसित किए गए। सी ई एल निर्धारित करने के संशोधित मानदंडों के आधार पर सभी देशों के लिए (रेट न किए गए देशों को छोड़कर) देश जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई। विगत पांच वर्षो के आंकड़ों के आधार पर सी ई एल की समीक्षा कर वार्षिक अद्यतन किया जाएगा तथा निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति व साथ ही साथ निदेशक मण्डल को तिमाही आधार पर उसकी रिपोर्ट की जाएगी।

वसूलीयां

कंपनी द्वारा जून 2012 में, अल्पावधि पॉलिसियों, बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा(ई सी आई बी), अवरुद्ध निधियों

11 जून 2015 को नई दिल्ली में सम्पन्न वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर माननीय वाणिज्य सचिव, श्री राजीव खेर।
On the occasion of Annual General Meeting with Hon'ble Commerce Secretary Shri Rajeev Kher in New Delhi on 11th June 2015

RISK MANAGEMENT

The Corporation introduced prudential risk management norms since 2011 and has fixed limits for exposure for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process. Taking into account the recent developments in the ECIB sector, further modifications in exposure norms were made during FY 2014-15. As per the revised exposure norms, fresh exposure under whole turnover covers was being temporarily suspended in respect of exporters in Gems, Jewellery and Diamond (GJD) Sector. Enhancement of limit in respect of existing GJD accounts was considered for cover only under individual ECIB (PC/PS) covers, with effect from March, 01, 2014, entailing revised pricing/ terms and conditions. The criteria for fixing Country Exposure Limits (CEL) for Short term Policy and Medium & Long Term policy business were introduced. On the basis of the revised criteria for setting CEL, the country exposure limits for all countries (excluding not rated countries) are fixed. CEL would be reviewed and updated on an annual basis, based on the preceding five years data and reported in the quarterly reporting to the Risk Management Committee of Board of Directors as well as to the Board of Directors.

RECOVERIES

The Company has set up a dedicated Recovery Cell at Head office in June, 2012 under a Senior Official to Co-Ordinate and Strengthen the Recovery efforts

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अल्पावधिक पॉलिसियों के अधीन प्रदत्त सकल दावों का प्रमुख देशवार मूल्य (₹ करोड़)
Major Country-wise Value of Gross Claims Paid under Short Term Policies for FY 2014-15 (₹ crores)

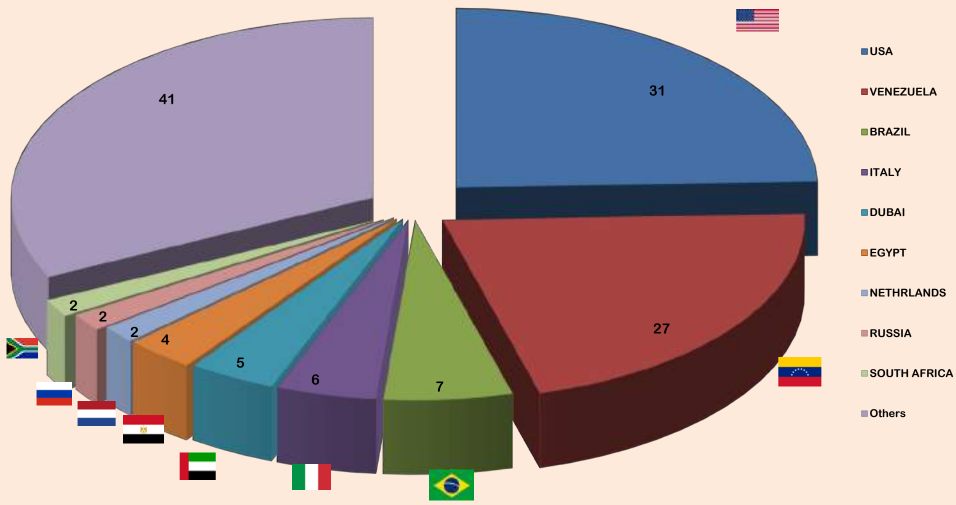

सहित मध्यम व दीर्घावधि पॉलिसियों जैसे कंपनी के कारोबार के सभी क्षेत्रों में वसूली/ प्रदत दावा अनुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से वसूली प्रयासों के समन्वय तथा उन्हें मजबूत करने हेतु प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारी के अधीन एक समर्पित वसूली कक्ष स्थापित किया गया है। यह कक्ष सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर रहा है ताकि लेखों को अंततः बंद करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। कक्ष ने ई सी आई बी के अंतर्गत वसूली के लिए लंबित लेखा-वार मामलों की पहचान की है तथा मामलों के शीघ्र निपटान हेतु बैंक शाखाओं या उनके आस्ति वसूली विभागों से संपर्क किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने, निर्यातकों को उनके वसूली प्रयासों में सहायता के उद्देश्य से तीन ऋण वसूलीकर्ता एजेंसियों (डी सी ए) को नामित किया है। विदेशी ख़रीदारों से वसूली हेतु ली गई डी सी ए की सेवाओं से 67.16% की वृद्धि के साथ अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र से वसूली कम रही। निगम, विभिन्न अफ्रीकी देशों से संबंधित निर्यातकों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को प्रदत्त दावों के संबंध में अवरूद्ध निधियों की वसूली के लिए प्रयासरत है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष के ₹158.31 करोड़ की तुलना में ₹160.15 करोड़ की वसूली की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.)

कंपनी ने कस्टमाइजेशन एवं इंटीग्रेशन ऑफ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर के प्रावधान, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइसेन्स प्राप्त करने, को होस्टेड वाणिज्यिक डाटा केन्द्रों पर डेटा केंद्र स्थापित करने, कार्यान्वयन उपरांत सहायता हेतु नए सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के प्रबंधन सहित आरंभ से अंत तक सूचना प्रौद्योगिकी समाधान हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर (एस आई) की नियुक्ति की । सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनी की कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर

leading to improve recovery / claim paid ratio in all segments of the Company's business namely Short Term Policies, Short Term Export Credit Insurance for Banks (ECIB), Medium and Long Term (MLT) Policies including blocked funds. The Cell is reviewing all the pending cases so as to initiate appropriate action for ultimate closure of the accounts. Under ECIB, the Cell has identified account-wise cases pending for recovery and is taking up with the Bank Branches or their Asset recovery departments for early resolution of the cases. The Company has added Debt Collection Agencies (DCA) by empanelling 3 agencies during the year, to enhance the scope for assisting exporter in their recovery efforts. By availing services of DCA recovery from overseas buyers showed good result of growth by 67.16%. Recovery from banking sector was low compare to previous year. The Corporation is making efforts for recovery of blocked funds from various African countries in respect of which, claims were settled to exporters, banks and other financial institutions. The recoveries made in the FY 2014-15 were ₹160.15 crores, as compared to ₹158.31 crores in the previous year.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

The Company had appointed a System Integrator (SI) to provide an end-to-end IT solution, including customization and integration of application software components, provisioning of hardware, procuring of systems software licenses, setting up Data Centres at the co-hosted Commercial Data Centres as also management of the new IT infrastructure for the post-implementation support.

विक्रेता द्वारा कस्टमाइज्ड कोर बीमा सॉफ्टवेयर प्राप्त करने की उसकी असमर्थता के कारण परियोजना समय पर नहीं सौंप सका । अतः सिस्टम इंटीग्रेटर ने कंपनी के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के सॉफ्टवेयर बेस्पोक विकसित करने का प्रस्ताव रखा। कंपनी द्वारा प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया था जल्द ही परियोजना को पुनः आरंभ किया गया है।

चूंकि सिस्टम इंटीग्रेटर पहले से ही निर्मित एस आर एस (सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन) दस्तावेज का पुनः प्रयोग करेगा। अतएव 15-18 महीने की अल्प समय सीमा में परियोजना विकसित कर सौंपे जाने की संभावना है । नई परियोजना योजनाएँ तैयार की जा रही हैं एवं आशा है कि दिसम्बर 2016 के अंत तक परियोजना पूर्ण हो जाएगी।

सू प्रौ कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी एस आई तथा ईसीजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों से गठित संचालन समिति द्वारा की जा रही है । निदेशक मंडल द्वारा आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा की जाती है। हाल ही में, 'आई टी प्रोग्राम कार्यान्वयन' पर स्थिति रिपोर्ट कंपनी के प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत की गई एवं ऊपर उल्लिखितनुसार परियोजना को पुनः आरंभ करने के लिए उनका अनुमोदन प्राप्त किया गया है ।

विपणन एवं प्रचार

राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) कंपनी की विपणन, विज्ञापन एवं प्रचार गतिविधियों एवं संबंधित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। विभाग का उत्तरदायित्व, शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए व्यवसाय लक्ष्य निर्धारित करना साथ ही साथ विभिन्न मानदंडों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के निष्पादन की निगरानी करना है। यह विभाग, क्षेत्रीय /शाखाओं कार्यालयों /विभाग प्रमुखों के साथ कंपनी के कारोबार निष्पादन की छः माही समीक्षा करता है जिसकी अध्यक्षता अप्रनि द्वारा की जाती है ।

एन एम डी आरंभ किए गए नए उत्पादों का प्रचार एवं विपणन करता है। एन एम डी, ईसीजीसी द्वारा दी गई सेवाओं और प्रस्तुत किए गए उत्पादों के संबंध में ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार के उद्देश्य से प्रतिष्ठित बाजार अनुसंधान एजेंसी के

सकल वसूली की तुलना में सकल दावे (₹ करोड़)
Trend of Gross Recovery vs Gross Claims Paid (₹ crores)

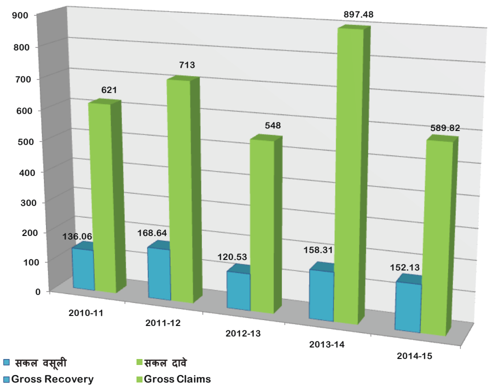

सी एस आर पहल के अधीन ई सी जी सी द्वारा समर्थित सक्षम सामुदायिक अध्ययन तथा शिक्षा केंद्र।
ECGC supported Saksham Community Study and Learning Center under CSR initiative.

The SI could not deliver the project in time mainly due to their inability to get the core insurance software duly customized by the third party software vendor to meet company's business requirements. Hence the SI has offered to develop the software bespoke at no extra cost to the Company. The proposal has been approved by the Company and the project is re-initiated shortly. Since the SI will be re-using the 'SRS (System Requirements Specification)' documents already created, it is expected that they would be able to develop the software and deliver the project in a short time-frame of 15 – 18 months. Fresh project plans are being drawn and it is expected that the project will be completed by the end of December, 2016.

The IT Program Implementation is being monitored by a Steering Committee comprising of senior officials of the SI and ECGC. The progress is periodically reviewed by the Board of Directors. Recently, a status report on 'IT Program Implementation' was submitted to the Company's administrative ministry and their approval has been received for re-initiating the project as stated above.

MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) is responsible for the Marketing, advertising and Publicity activities of the Company and related activities. The division bears the responsibilities of fixing business targets for branches and regions and monitoring the performance vis-à-vis the target fixed under various parameters. The Division holds half – yearly review of the business performance of the Company with the Regional/ Branches /Department heads which is presided over by the CMD.

NMD undertakes publicity and marketing of new products that are introduced. With a view to improve the customer satisfaction levels in regard to the services rendered and products offered by ECGC, NMD

माध्यम से सर्वेक्षण करता है और सर्वेक्षण का निष्कर्ष का उपयोग उत्पाद के उन्नयन और ग्राहक सेवा स्तर में सुधार के लिए किया जाता है। आई आर डी ए ने ई सी जी सी को ग्राहकों/गैर ग्राहकों को बीमा शिक्षा कार्यक्रम चलाने एवं बीमा जागरूकता नीति तैयार करने का निदेश दिया है। तदनुसार ई सी जी सी ने, निदेशक मण्डल के अनुमोदन से बीमा जागरूकता नीति तैयार की है। ऋण बीमा के संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ईसीजीसी ने डी एंड बी के साथ मिलकर निर्यात जोखिम प्रबंधन कॉन्क्लेव आयोजित किए। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पुणे, मदुरै, वाराणसी, पानीपत और कोची में ऐसे पांच कॉन्क्लेवों का आयोजन किया गया ।

कंपनी, निर्यात संवर्धन निकायों, जैसे फियो, फिक्की व चैंबर ऑफ कॉमर्स आदि के समन्वय में कार्य करती है और निर्यात संवर्धन निकाय के रूप में अपने मिशन और विजन को पूरा करने का प्रयास करती है। ईसीजीसी द्वारा व्यापारिक निकायों के साथ मिलकर उनके सदस्य निर्यातकों के लिए अनेक संयुक्त इंटरैक्टिव कार्यक्रम चलाए गए।

अ प्र नि ने 11 - 13 जून 2014 के दौरान स्कॉटलैंड में आयोजित ए ओ एन बेनफ़िल्ड क्रेडिट बॉन्ड एंड पॉलिटिकल रिस्क कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।
CMD participated in the AON Benfield Credit Bond and political risk Conference in Scotland during 11-13 June 2014.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, एन एम डी ने कोल्लम, केरल, तांबरम (दक्षिण चेन्नई), तमिलनाडु और अहमदाबाद में तीन नई शाखाएं खोलकर सेवा नेटवर्क बढ़ाने की पहल की जिससे शाखा कार्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 58 हो गई। एन एम डी प्रतिवर्ष निगम की वार्षिक कारोबार योजना एवं बीमा जागरूकता नीति तैयार करता है जिन्हें आई आर डी ए आई को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही, 2014-2019 की अवधि के लिए, ईसीजीसी द्वारा कॉर्पोरेट योजना तैयार कर और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है।

कॉर्पोरेट योजना

विगत कई वर्षों में कंपनी का विकास हुआ है एवं इसके कारोबार में असाधारण वृद्धि हुई है। कॉर्पोरेट योजना की संकल्पना, कंपनी के संसाधनों - वित्तीय, श्रम बल एवं प्रबंधकीय क्षमता का नियोजित एवं सुव्यवस्थित ढंग से समुचित उपयोग करने के लिए आरंभ की गई।वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि की कॉर्पोरेट योजना, जो अगले पांच वर्षों में कंपनी के

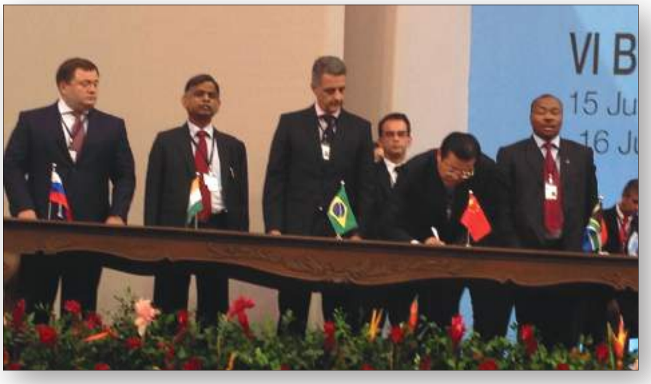

ई सी जी सी ब्रिक्स देशों के निर्यात ऋण एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ECGC signs MOU with ECAs of BRICS countries.

carries out a survey through a reputed Market Research Agency and the survey findings are used for product innovations and improving the service levels for customers. IRDA has directed ECGC to hold insurance education programs for customers/non-customers and prepare an Insurance Awareness Policy. Accordingly ECGC has an Insurance Awareness Policy approved by Board. In order to spread awareness of credit insurance, ECGC organized Export Risk Management Conclaves in association with D&B. During FY 2014-15, -5- such Conclaves were held in Pune, Madurai, Varanasi, Panipat & Kochi.

The Company works in close co-ordination with export promotion bodies like FIEO, FICCI and Chambers of Commerce etc., and endeavours to accomplish its Mission and Vision as an export promotion body. A number of joint interactive programmes are held by ECGC along with the trade bodies for their member exporters.

प्रदत्त सकल दावों में रुझान-बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा अल्पावधि (₹ करोड़)
Trend in Gross Claims Paid - Export Credit Insurance for Banks Short Term (₹ crores)

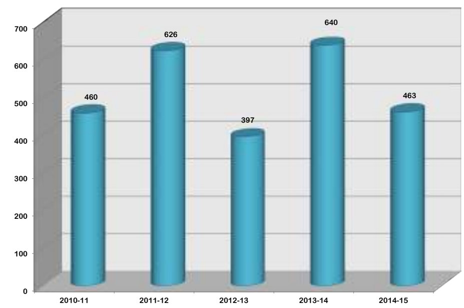

During FY 2014 -15, NMD took initiative to expand the service network by opening -3- new branches at Kollam, Kerala, Tambaram (Chennai South), Tamil Nadu and at Ahmedabad taking the total number of branch offices to 58. NMD prepares every year the Annual Business Plan of the Corporation and Insurance Awareness Policy

लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य व उसकी प्राप्ति के लिए अपनाई गई नीतियों को दर्शाता है। कॉर्पोरेट योजना में, अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए, विदेशी समकक्ष कंपनियों, स्वोट एनालिसिस, कारोबार प्रवृत्तियों, वैश्विक तथा राष्ट्रीय वातावरण की तुलना में कंपनी के निष्पादन पर चर्चा की जाती है।

कंपनी ने, एम एस एम ई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फैक्टरिंग योजना जैसे नए उत्पादों को आरंभ करते हुए, पुनर्बीमा व्यवस्था और सुदृढ़ बनाते हुए, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों को अपनाते हुए, प्रदत्त दावों में की तुलना में वसूली प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए तथा अपने श्रम बल के ज्ञान और कौशल को बढ़ाते हुए, योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी नीतियाँ तैयार की हैं।

वैकल्पिक विपणन एवं वितरण माध्यम

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकों के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय से अर्जित प्रीमियम ₹2.33 करोड़ और ब्रोकरों द्वारा किए गए व्यवसाय के अंतर्गत प्रीमियम आय ₹29.32 करोड़ रही, जो ₹384 करोड़ अल्पावधि प्रीमियम आय का क्रमश: 0.61% व 7.63% रहा। कंपनी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक माध्यम जैसे ब्रोकर एवं बैंकों की सहायता ली जा रही है। कंपनी ने अपने उत्पादों की और अधिक प्रभावी ढंग से मार्केटिंग के लिए 26 बैंकों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है एवं 196 ब्रोकरों को नामित किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पहल एवं दीर्घकालिक विकास (एस डी)

कंपनी ने, 2014 में सी एस आर पर डी पी ई द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है। मई 2013 में, कंपनी की सी एस आर गतिविधियों की निगरानी के लिए बोर्ड की एक सी एस आर उप समिति गठित की गई है। तदनुसार, कंपनी के लिए सी एस आर के अधीन अपनी गतिविधियों हेतु प्रत्येक वर्ष अपने पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% राशि का व्यय आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, सी एस आर गतिविधियों पर ₹3.56 करोड़ (लगभग) कुल राशि खर्च की गई। वित्तीय 2014-15 के दौरान, ईसीजीसी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्स, (टी आई एस एस) की सहायता से एम वार्ड,वाशी नाका, माहुल गांव के 503 विद्यार्थियों के लिए ₹25.15 लाख की छात्रवृत्ति जारी की। वर्तमान में कंपनी ने, टी आई एस एस के माध्यम से उसी क्षेत्र में, पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा प्रदान करने एवं पाठ्यक्रमोत्तर गतिविधियों के जरिए कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए ₹18.40 लाख की लागत से तीन सामुदायिक अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं। जम्मू एवं कश्मीर में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण प्रभावित

which are submitted to IRDA. Also, a Corporate Plan of ECGC for the period 2014 – 2019 was prepared and submitted to the Board, which is reviewed every year.

CORPORATE PLAN

The Company has grown over the years and has expanded its business phenomenally. The concept of a Corporate Plan was introduced to direct its resources - financial, manpower and managerial - in a planned and systematic manner. The Corporate Plan for the period 2014-15 to 2018-19 has been prepared which gives a perspective of the goal of the Company in the next five years and strategies to achieve the goal. The Corporate Plan discusses the performance of the organization, comparison with the overseas counterparts, SWOT analysis, business trends, global and national environment and projections for next five year period.

The Company has drawn up its strategies to achieve the Plan projections by introducing new products like factoring scheme to address the needs of MSMEs, reinforcing the Reinsurance arrangements, practicing prudent Risk Management strategies, reinforcing the Recovery efforts against Claims paid and enhancing the knowledge and skills of its work force.

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

During FY 2014-15, the premium earned from business procured through the Banks amounted to ₹2.33 crores and the premium earned under the business placed by the Brokers was ₹29.32 crores which constitutes 0.61% and 7.63% respectively of the Short Term policy premium income of ₹384 crores. To enhance the business of the Company, alternate channels viz., brokers and banks are being used. The Company has entered into Corporate Agency Agreements with 26 banks and has empanelled 196 brokers to market its products in a more effective manner.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

Company has adopted revised DPE guidelines on CSR in 2014. A CSR Sub-Committee of Board has been constituted in May 2013 to monitor the CSR activities of the Company. Accordingly, it requires to spend at least 2% of its last 3 years' average net profit every year for various activities under CSR. An aggregate amount of ₹3.56 crores (approx) was spent on CSR activities of

लोगों के पुनर्वसन के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹3 करोड़ की राशि का अंशदान किया गया।

कंपनी ने, युनाईटेड आरफेनेज कोयंबटूर एवं शीजोफ्रेनिया अवेयरनेस एसोसिएशन (एस ए ए), पुणे के आरफेनेज/केंद्र में रहने वाले रोगियों/व्यक्तियों के लिए वाहन प्रदान किए। ईसीजीसी द्वारा प्रोजेक्ट लीडर के रूप में साइन्स एवं टेक्नालजी पार्क(एस टी पी), पुणे के सहयोग से नांदेड़ जिले के गांवों में विद्यार्थियों को ऊर्जा बचत करने वाले उपकरण (सौर लालटेन) उपलब्ध कराने और पालघर जिले के गांवों में स्वच्छ पेय जल (जल धूत) उपलब्ध कराने जैसी दो परियोजनाएं आरंभ की गईं।

प्रधानमंत्री के "स्वच्छ भारत अभियान" के अधीन कंपनी ने, स्वच्छता की जागरूकता के प्रसार के लिए प्रदर्शन तथा राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के संदेश वाले पोस्टर लगाने की पहल की। आगे, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2014 को 'स्वछता शपथ' ली गई एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसके लिए अभी भी प्रयासरत हैं।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड में भारत सरकार की राजभाषा नीति का गंभीरता से कार्यान्वयन किया जाता है। निगम ने गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों प्राप्ति की है। निगम को वर्ष 2013-14 के दौरान "ख" क्षेत्र में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 14 सितंबर 2014 को आयोजित "राजभाषा पुरस्कार" समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति " श्री प्रणब

the Company during FY 2014-15.

With the help of Tata Institute of Social Science (TISS) ECGC released Scholarship of ₹25.15 lacs in FY 2014-15 to 503 students in M - Ward, Vashi Naka, Mahul village. The Company has presently set up three Community Study Centers in the same locality through TISS aimed at providing curriculum based education as well as extracurricular activities for the overall development of the underprivileged students at a cost of ₹18.40 lacs. An amount of ₹3 crores was contributed to the Chief Minister Relief Fund, state of Jammu & Kashmir for rehabilitation of the people affected due to unprecedented floods in Jammu & Kashmir. Company sponsored the vehicles for United Orphanage, Coimbatore and Schizophrenia Awareness Association (SAA), Pune for the patients/ persons housed in the orphanage/Centre. Two projects viz., providing Energy Saving Devices (solar lantern) to students in villages of Nanded Dist., and Providing Safe drinking water (Jal Dhoot) in the villages of Palghar Dist. Maharashtra have been undertaken by ECGC with Science & Technology Park (STP) Pune as Project Leader.

Under the Prime Minister's "Swachh Bharat Abhiyan", the Company has taken initiatives to spread the awareness of Cleanliness by organizing Marches and displaying Posters in office premises carrying messages of the national Cleanliness Campaign. Further, as directed by the Government of India, the employees of the Company took a pledge 'Swachhatha Shapat' on

पॉलिसियों के अधीन संरक्षित प्रमुख देशवार जोखिम मूल्य (% शेयर)
Major Country-wise Risk Value Covered under Policies (% share)

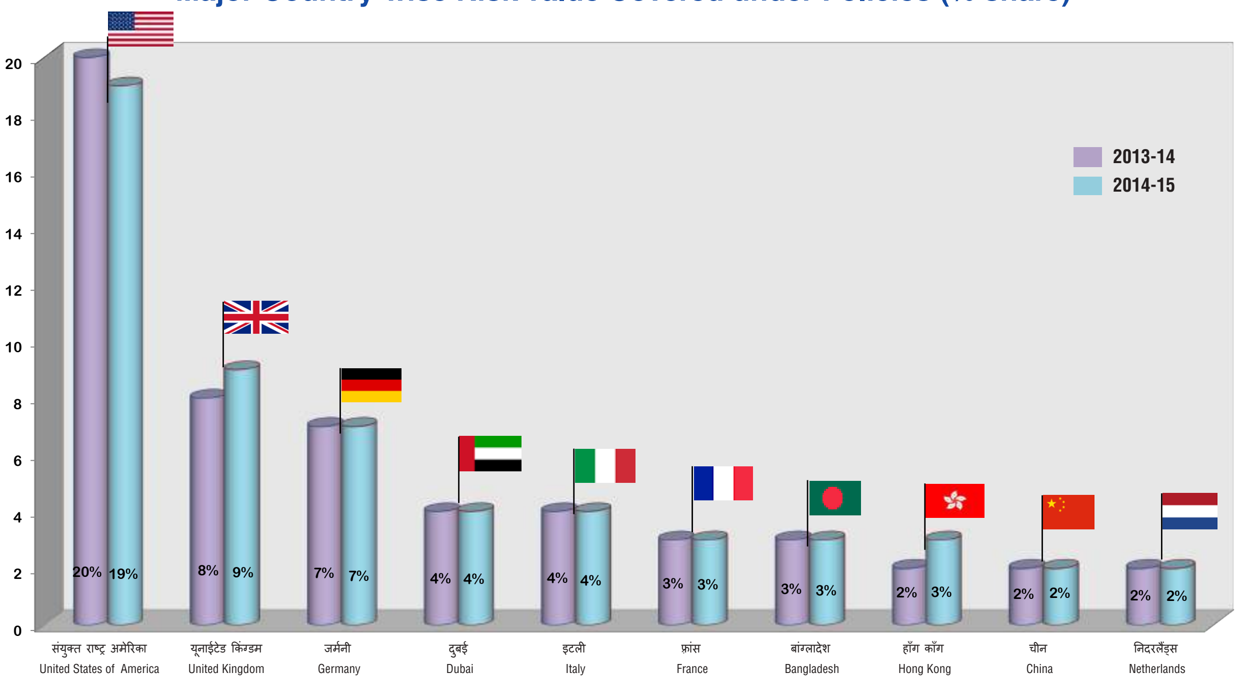

मुखर्जी " द्वारा इन्दिरा गांधी राजभाषा के प्रथम पुरस्कार " से सम्मानित किया गया। निगम को यह पुरस्कार 18वीं बार प्राप्त हुआ है। निगम को वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वाणिज्य मंत्रालय के राजभाषा विभाग से भी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यह 16वीं बार पुरस्कृत किया गया है।

निगम की , भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में लगातार प्रगति हो रही है। ईसीजीसी लिमिटेड की शाखा व क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2014 से 26 सितंबर 2014 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। दिनांक 10 अक्तूबर 2014 को सम्पन्न हिन्दी दिवस समारोह के दौरान आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया तथा हिन्दी दिवस समारोह में एस एन डी टी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के विभाग प्रमुख श्री सत्यदेव त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

वर्ष के दौरान एर्णाकुलम, केरल में क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखा कार्यालयों / प्र का के विभागों के हिन्दी अधिकारियों की उपलब्धियों व समस्याओं के निवारण के लिए अखिल भारत हिन्दी अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों व प्रधान कार्यालय के विभागों के हिन्दी अधिकारियों ने भाग लिया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की श्रीमती सुनीता यादव, उपनिदेशक राजभाषा कार्यान्वयन को प्रतिभागियों को राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन हेतु अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निगम में राजभाषा कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव" और "राजभाषा उत्कृष्ट" पुरस्कार योजना आरंभ की गई है। निगम के अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए निगम में नकद पुरस्कारों सहित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ जारी हैं। कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक उपयोग और अपने कार्यालयों और विभागों में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों की प्रत्येक वर्ष " अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार " के लिए आपस में एक दूसरे की साथ प्रतिस्पर्धा हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

निगम का अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले हिन्दी पत्राचार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब निगम के सभी अधिकारियों के कम्प्यूटरों में यूनिकोड उपलब्ध करवा दिये जाने के फलस्वरूप

2nd October, 2014 and also carried out a cleanliness drive and the efforts are being continued.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

ECGC Ltd. is very serious in the implementation of Official Language Policy of Government of India . The Company has achieved all the targets laid down in the annual Rajbhasha programme for the FY 2014-15 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Company has been honoured with the first prize of the Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar, in the "Rajbhasha Puraskar Samaroh" organized on 14th September, 2014 for the FY 2013-14 in the "B" Region, by the Hon'ble President of India Shri Pranab Mukherjee. The Company has been conferred this award for 18th time. The Company has also been conferred the First Prize for excellent implementation of Rajbhasha for the FY 2013-14 by the Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce has conferred its award for 16 times to the Company for the excellent implementation of official language policy.

The Company continued its progress in implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Branch and Regional Offices of ECGC Ltd. celebrated the Hindi Fortnight from 12th to 26th September, 2014. During the Hindi Fortnight, various competitions were held and in which officers at every level participated enthusiastically. The winners awarded cash prizes during the prize distribution function that was organized during the Hindi Day which was held on 10th October, 2014 and Head of Hindi dept. of SNDT university Mr. Satyadev Tripathi was present as a Chief Guest.

An All India Hindi Officers Conference was organized to discuss the achievements and problems faced by Hindi Officers at Regional/Branch/ HO (Dept.) level in Ernakulum, Kerala in which Hindi Officers of various Regional and Branch Offices and Departments of Head Offices of ECGC Ltd have participated. Solutions were suggested by the senior officials. Guest speaker Mrs. Sunita Yadav, Deputy Director, Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt of India was invited to guide the participants with regard to implementation of Official Language.

To accelerate the official use of Hindi, certain schemes i.e "Rajbhasha Gaurav and Rajbhasha Utkarsh"

अपने निर्यातक और बैंकर ग्राहकों को हिन्दी में ई मेल भी भेजे जा रहे है। निगम का वेबसाइट द्विभाषी में उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निगम में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें मिली जुली भाषा में प्रशिक्षण दिये गए। निगम द्वारा आयोजित प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 घंटे की हिन्दी कार्यशाला भी आयोजित की गई ।

निगम के सभी शाखा कार्यालयों , क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जातीं हैं जिसमें संबन्धित तिमाही के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कंपनी, आरंभ से ही बर्न यूनियन (इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट इन्श्युरर्स), जो कि निर्यात ऋण एवं निवेश उद्योग के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संघ है, का सदस्य है। बर्न यूनियन का मुख्य उद्देश्य, वैश्विक व्यापार एवं निवेश में सहयोग, वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। 2014 की पहली छः माही में बर्न यूनियन के सदस्यों द्वारा 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर बीमा रक्षा प्रदान की गई जो कि विश्व के कुल विदेश व्यापार का लगभग 11% रहा। ईसीजीसी ने बर्न यूनियन की मई 2014 में लंदन, यू के में सम्पन्न बैठक तथा अक्टूबर 2014 में लंदन, यू के में सम्पन्न वार्षिक सामान्य बैठक, दोनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इससे ऋण बीमा के क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान में सहायता मिली, जिसमें देश के दृष्टिकोण, बीमा की तकनीकियां और वसूली के उपाय शामिल थे। कंपनी के अधिकारियों ने निर्यात ऋणों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समूह (आई डब्ल्यू जी) की बीजिंग और ब्रूशेल्स में आयोजित क्रमशः 6वीं एवं 7वीं बैठकों भाग लिया। कंपनी के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आई आई एफ) द्वारा आयोजित बैठकों में भी भाग लिया।

ईसीजीसी बर्न यूनियन (बी यू) - विश्व बैंक (डब्ल्यू बी) कार्यकारी समूह का सदस्य है। इसे विश्व बैंक/आई एफ सी के सहयोग तथा वास्तविक, संगत एवं आपसी हितों के लिए सहयोग हेतु मुद्दों की पहचान कर प्राथमिकता देने व उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ताकि ये सभी बी यू सदस्यों के लिए लाभदायक हों। कंपनी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी द्वारा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए अनेक टेली-कॉन्फ्रेंसों के अलावा लंदन तथा रोम में सम्पन्न कार्यकारी समूह की बैठक में भाग लिया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, सितम्बर, 2014 में कंपनी ने मुंबई में क्षेत्रीय सहयोग समूह सदस्यों के लिए चौथा

promoting use of Hindi, during the FY 2014-15, various incentives, including cash prizes, are in vogue in the Company, to encourage and motivate the employees, for furtherance of the use of Hindi, in their daily office work. To encourage employees to use Hindi in their day to day official work, employees at the Branch Offices, Regional Offices and Head Office departments are encouraged to compete every year for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for the excellent implementation of the official language in their respective offices.

The Company's correspondence in Hindi, with its customers, is showing steady progress. With the installation of Unicode software in all the computers of the Company, branches have started sending Hindi e-mails to its Exporters and Bankers. The Website of the Company is available in bilingual form.

During the FY 2014-15, various training programs, including a training program for the substaff, were conducted by the Company, in which training was provided bilingually. A two hour workshop related to the Official Language Policy was a part of all the training programs conducted by the Company.

Quarterly Review meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly in all the Branches, Regional Offices and Head Office of the Company wherein detailed discussions held with regard to implementation of official language during the quarter.

INTERNATIONAL RELATIONS

The Company has been a member of the Berne Union (International Union of Credit and Investment Insurers), a leading International Association for the export credit and investment industry, since inception. The aim of the Berne Union is to promote Co-Operation, growth in global trade and investments. In first half of 2014, Berne Union members insured US$ 1.6 trillion worth of international business, which was almost 11% of the world's total cross-border trade.

ECGC actively participated in the Berne Union Meetings held at London, UK in May, 2014 and the Annual General Meeting held at London, UK in October, 2014. This facilitated exchange of information and experience in the field of credit insurance which included country approach, underwriting techniques and recovery measures. The Company's officials participated in the

अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन प्रमुख पण्यवार जोखिम मूल्य (% हिस्सा)
Major Commodity-wise Risk Value under Short Term Polices (% share)

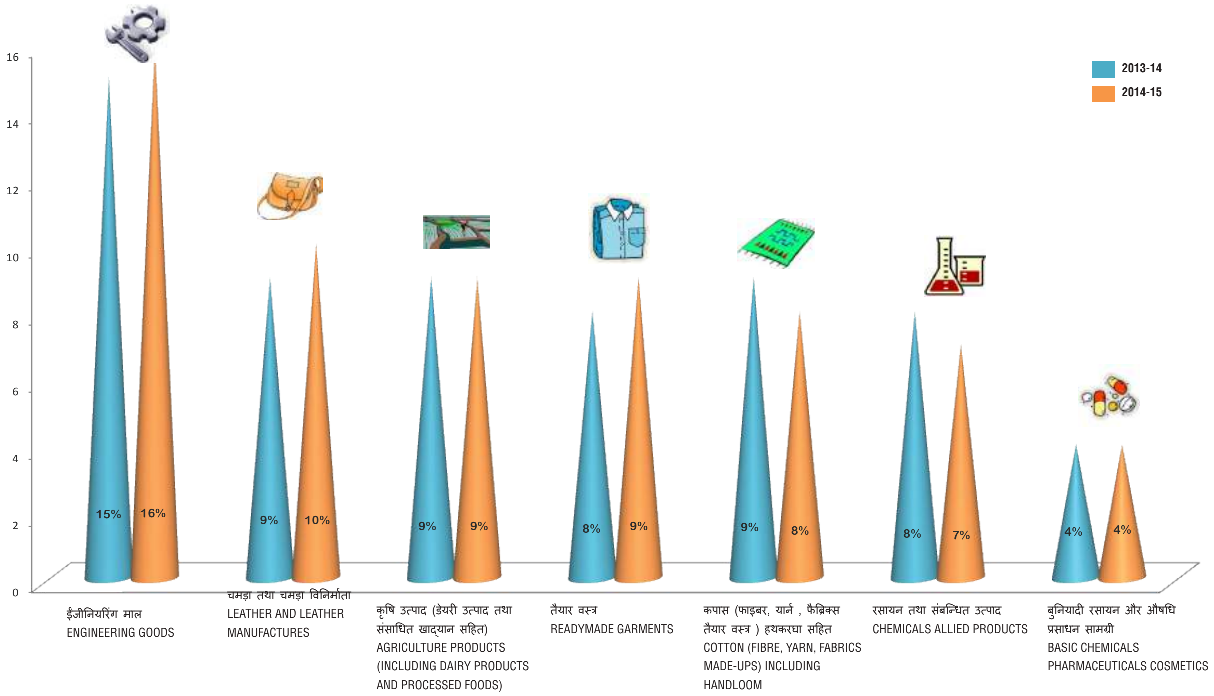

क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। ये बैठकें व्यापार वित्त और ऋण बीमा पर आयोजित की गई। इस बैठक में एशियाई देशों के विभिन्न 11 सदस्यों ने भाग लिया।

ईसीजीसी ने विभिन्न ई सी ए के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी की तथा द्विपक्षीय वार्ताएं आयोजित कीं। सितम्बर, 2014 में, एस ए सी ई, इटली के प्रतिनिधि मंडल द्वारा भारत के बाहर व्यापार करने के लिए इंडो-इटेलियन कंपनियों के लिए संयुक्त सहायता पर चर्चा हेतु ईसीजीसी का दौरा किया।

नवम्बर, 2014 में यूलर हर्म्स, जर्मनी ने, ईसीजीसी, यूलर हर्म्स एवं प्राईस वाटर हाऊस कूपर्स (पी डब्ल्यू सी) के बीच त्रिपक्षीय सहयोग समझौते के संबंध में द्विपक्षीय बैठक हेतु ईसीजीसी का दौरा किया । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, ईसीजीसी के उत्पादों की जानकारी के लिए एच के ई सी, हांगकांग और एस एल ई सी आई सी, श्रीलंका द्वारा ई सी जी सी का दौरा किया गया। 15 जुलाई, 2014 को ईसीजीसी ने फोर्टलेजा, ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, शासकीय प्रमुखों की उपस्थिति में, ए बी जी एफ (ब्राजील), ई एक्स आई ए आर (रूस), ई सी जी सी (भारत), सिंशोर (चीन) और ई सी आई सी एस (दक्षिण अफ्रीका) जैसे ब्रिक्स देशों निर्यात ऋण बीमा एजेंसियों (ई सी ए) के साथ सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य, भारत तथा अन्य ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार संवर्धन नेटवर्क सपोर्ट एवं कारोबार

6th and 7th Meeting of the International Working Group (IWG) on Export Credits held at Beijing and Brussels respectively. The Company officials also participated in the International Institute of Finance (IIF) meetings held during the year.

ECGC is a member of Berne Union (BU) -World Bank (WB) Working Group. It is set up with an objective of further Co-Operation with the World Bank/IFC and to jointly identify, prioritise and implement topics for Co-Operation that are realistic, relevant and of mutual benefit and can therefore be beneficial to all BU members. The company has been actively participating to fulfil this objective. Apart from several tele conferences, the company participated in the Working Group meetings held in London and Rome during the FY 2014-15 to finalise the program.

During FY 2014-15, the Company hosted the 4th Capacity Building Programme for Regional Co-Operation Group members at Mumbai during September, 2014. The meeting was on Trade Finance and Credit Insurance. Members from 11 different Asian countries were participated in the meeting.

ECGC also hosted delegations from different ECAs and held bilateral talks. In September 2014, delegation from SACE, Italy visited ECGC to discuss joint support for Indo-Italian companies doing business out of India. In November 2014, a delegation from EULER HERMES, Germany visited ECGC for a bilateral meeting relating to a

माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के साथ प्रधान कार्यालय, मुंबई में ईसीजीसी लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यपालक|
Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Commerce & Industry with Senior Executives at ECGC Head Office, Mumbai.

सहयोग में सहायता हेतु ब्रिक्स देशों के निर्यात ऋण बीमा एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग की रूपरेखा स्थापित करना एवं व्यवसाय वातावरण को बेहतर बनाना है। जून, 2014 में कार्यपालक निदेशक द्वारा स्काटलैंड में आयोजित ए ऑन बेनफिल्ड क्रेडिट बांड एंड पोंलिटिकल जोखिम सम्मेलन में ईसीजीसी का प्रतिनिधित्व किया गया।

वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च, 2015 के दौरान जर्मनी में सम्पन्न प्रतिष्ठित ईसीए प्रमुखों की बैठक कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। बैठक में 'व्यापार वित्त पोषण की प्रवृत्तियां एवं ई सी ए की भूमिका' पर चर्चा की गई।

गुणवत्ता आश्वासन

कंपनी, सेवा प्रदान करने में गुणवत्ता के महत्व को समझता है, इसलिए, वर्ष 2004 में, भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) से आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त किया है। कंपनी द्वारा समय-समय पर आई एस ओ प्रमाणन का नवीनीकरण किया जाता है एवं कंपनी वर्तमान में आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणित है। वर्ष 2014-15 के दौरान, बी आई एस द्वारा कंपनी के प्रधान कार्यालय के कुछ विभागों सहित विभिन्न शाखाओं का सर्वेलेंस ऑडिट किया गया। प्र का के लिए, प्रमाणन का तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया, जो कि फरवरी 2016 तक वैध है। आई एस ओ के अंतर्गत, कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी, अपने ग्राहकों को कंपनी की सेवाएं प्रदान करने में अपनाए गए मानकों को बनाए रखने में बचनबद्ध है।

मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध

दिनांक 31.03.2015 तक, कंपनी का मंजूर श्रम बल 655 था, जबकि 598 कर्मचारी ही रोल्स पर थे। जनवरी से दिसम्बर 2014 की अवधि में, अधिकारियों की नियुक्ति के जरिए सभी 24 रिक्तियां भरी गईं। इस प्रक्रिया में सभी सांविधिक प्रावधानों

Tripartite Co-operation agreement involving ECGC, Euler Hermes and Pricewaterhouse Coopers (PwC). HKEC, Hong Kong and SLECIC, Sri Lankan, visited ECGC during the FY 2014-15, to learn about the ECGC products.

ECGC signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Co-Operation with BRICS countries' Export Credit Insurance Agencies (ECAs) namely ABGF (Brazil), EXIAR (Russia), ECGC (India), SINSOURE (China) and ECICS (South Africa) in the presence of Heads of Governments during the BRICS Summit in Fortaleza, Brazil on July 15, 2014. The MOU aims to establish a framework of Co-operation among BRICS countries ECAs to help foster trade, support networks and business linkages between India and other BRICS countries, and improve the business environment. ECGC was represented by its Executive Director in a panel discussion at Aon Benfield Credit Bond and Political Risk conference held in Scotland in June 2014.

At the end of FY, ECGC was represented by ED - CMD (addl. charge) in the prestigious Heads of ECA Meeting Programme held in Germany, during March, 2015. The meeting focussed on "Trends in Trade Finance and the Role of ECAs".

QUALITY ASSURANCE

The Company recognizes the importance of quality in providing its services and has therefore obtained an ISO certification from the Bureau of Indian Standard (BIS) in the year 2004. The Company continues to have the certification renewed from time to time and is currently ISO 9001:2008 certified. In the FY 2014-15 the BIS carried out the Surveillance Audit of various branches of the Company, including some of the Departments of Head Office (HO). In respect of the HO, the certification has been renewed for a period of three years and is valid up to February 2016. Each employee of the Company is committed to upholding the standard adopted under

का अनुपालन किया गया।

दिनांक 4 फरवरी, 2015 को कोची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पर संसदीय समिति और ईसीजीसी के पदाधकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। समिति द्वारा दिए गए निदेशों एवं सुझावों पर कार्रवाईयां की जा रही हैं। विदेश यात्रा भत्ता नियम एवं वाहन ऋण पात्रता नियमों में संशोधन किया गया। कार्यालयीन दौरे पर रहते हुए कर्मचारियों द्वारा वहन किए जाने वाले लॉजिंग व्ययों की पात्रता को भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) के समानांतर किया गया ।

"कार्य स्थल पर यौन उत्पीणन (निवारण रोक-थाम एवं सुधार) अधिनियम 2013", के अनुसार न्यूनतम 10 कर्मचारियों वाले सभी शाखाओं/कार्यालयों में एक आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी) गठित की गई। प्रधान कार्यालय में एक आई सी सी गठित की गई है, जिसमें प्रधान कार्यालय के सभी विभागों, विशेष शाखाओं जैसे मुंबई बनिशा, मुंबई बैकाशा, एवं पांच क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शेष सभी शाखा कार्यालयों जहां कर्मचारी बल 10 से कम है, को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत दायर किए गए मामलों की संख्या शून्य है।

प्रदत्त पूंजी तथा प्रारक्षित निधियाँ (निवल मालियत) (₹ करोड़)
Paid-up Capital and Reserves (Net Worth) (₹ crores)

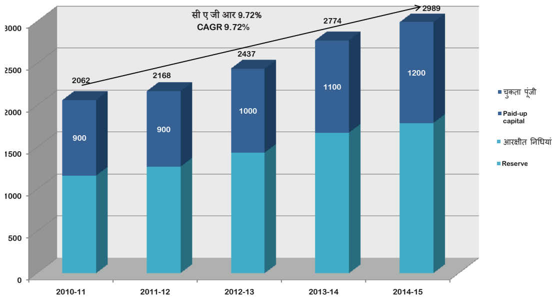

* सी ए जी आर - चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर / CAGR : Compounded Annual Growth Rate

प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, अपने कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को सतत रूप से बढ़ाने के अपने प्रयास एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों के कौशल में वृद्धि हेतु व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए गए। उच्च प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान नवनियुक्त कार्यपालक अधिकारियों के

the ISO, in extending the Company's services to its customers.

प्रदत्त सकल दावों की तुलना में अर्जित सकल प्रीमियम (₹ करोड़)
Trend of Gross Claims Paid vs Gross Premium Received (₹ crores)

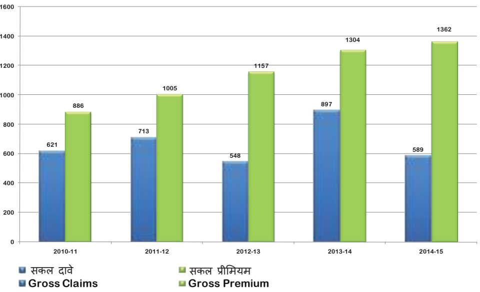

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

As on 31.03.2015, the sanctioned employee strength of the Company was 655, while only 598 employees were on the rolls. In all 24 vacancies were filled up through recruitment of officers in the period January to December 2014. All statutory provisions were complied with in the process.

The Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes held a meeting with ECGC officials at Kochi on 4th February, 2015. Actions are being taken on the directions and suggestions given by the Committee. Foreign Travel Allowance rules and vehicle loan entitlement rules were revised. Lodging expenses incurred by the employees while on official tour were also enhanced on the lines of Life Insurance Corporation of India (LIC).

As per the "The Sexual Harassment at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013", an Internal Complaints Committee (ICC) was formed in all the Branches/ Offices, employing at least 10 employees. One ICC was formed at Head Office, which includes all the departments at Head Office, special branches viz. Mumbai LEB, Mumbai BBB, and also five Regional Offices and all the remaining branches wherever employee strength is less than 10. During the FY 2014-15, the number of cases filed under this Act is Nil.

TRAINING

In its endeavour to continuously upgrade the knowledge and skills of its employees, during the FY 2014-15, officers at various levels were sponsored for a wide range of training programme for upgradation of skills. A Risks management training was organised for top management. Induction course was organized

लिए प्रवेश पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं (विप्स) के तत्वाधान में योगा प्रशिक्षक द्वारा महिला कर्मचारियों को सामान्य स्वास्थ्य के लिए योगा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जूनियर अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए गहन तकनीकी पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। सम्पूर्ण भारत के क्षेत्र अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उच्च स्तर के अधिकारियों यथा महाप्रबंधकों, उपमहाप्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकों को आई आई एम जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों में कौशल, नेतृत्व आदि के विकास के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में नामित किया गया। कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रायोजित प्रशिक्षण प्रदान किए गए। समूह ग एवं समूह घ के कर्मचारियों को कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान पर प्रशिक्षण दिया गया। कंपनी ने, विभिन्न आंतरिक व बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी स्तर के कर्मचारियों की सक्रिय प्रतिभागिता की सहायता से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित कर्मचारी प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किया।

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

कंपनी, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 31 मार्च, 2015 तक, कंपनी के रोल्स में विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में 14 कर्मचारी थे। 31 मार्च, 2015 तक, विभिन्न संवर्गों में, विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 के अधीन संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के कुल श्रमबल में अजा एवं अजजा का तथा विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व संबंधी विवरण क्रमश: **अनुबंध I** और **अनुबंध II** में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व

कंपनी द्वारा भर्ती और आंतरिक पदोन्नतियों में अजा/अजजा के आरक्षण से संबंधित संगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। भारत सरकार के संबंधित निर्देशों के अनुसार, कंपनी द्वारा 'पद आधारित रोस्टर प्रणाली' अपनाई गई है। रिपोर्ट में सीधी नियुक्तियों तथा पदोन्नति द्वारा भरे गए "आरक्षित रिक्तियों" के विवरण क्रमशः अनुबंध III एवं अनुबंध IV में दर्शाए गए हैं ।

for newly recruited probationary officers during the FY under review. Training was given to women employees by a yoga practitioner on the occasion of International Women's Day for general health and fitness under the aegis of Women in Public Sector (WIPS). Refresher course for junior officers and intensive technical courses for senior officers were also arranged. A comprehensive training was provided to Field Officers all over India. The senior level executives i.e. DGMs, AGMs, and SMs were nominated for Management Development Programmes for upgradation of skills, leadership etc. conducted by reputed institutes like IIMs. Employees were sponsored for the trainings as per their functional area of work. Training on skill upgradation and behavioural science was given to Group C and D employees. With active participation of employees at all levels in various in-house and external training programmes, the Company achieved the target for employee training set under MoU signed with the Ministry of Commerce & Industry.

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY

The Company endeavours to provide employment to Persons with Disabilities. As of 31st March, 2015, the Company has 14 employees on its rolls belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Representation of SCs and STs in the total manpower of the Company in various cadres as on 31st March, 2015 and of Representation of Persons with Disabilities in the Service of Company, in pursuance of the relevant provisions under Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 are furnished in Annexure I and Annexure II respectively.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES

The Company strictly adheres to relevant Rules relating to Reservation of SCs/STs in recruitment and in internal promotions. In terms of the relevant instructions from the Government of India, the Company adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment and by Promotions' under report are furnished in Annexure III & Annexure IV respectively.

सामान्य प्रशासन

निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट के भीतर ही कंपनी के राजस्व एवं पूंजी व्यय को उचित रूप से उपगत एवं नियंत्रित किया गया।

सभी शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम एस एम ई) से खरीद के संबंध में भारत सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए। अप्रैल 2012 में, भारत सरकार द्वारा माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बनाई गई सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए यह अनिवार्य है कि, तीन वर्ष की अवधि में माल एवं सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं के 20% की खरीद माइक्रो एवं लघु उद्यमों से की जाएगी। भारत सरकार ने यह उपलक्ष्य भी निर्धारित किया है कि माल एवं सेवाओं के 20% में से 4% की खरीद अजा/अजजा उद्यमियों के एम एस एम ई से की जाए। कंपनी ने उन वस्तुओं की भी सूची तैयार की है जिन्हें आवश्यकता होने पर एम एस ई से खरीदा जा सके। वर्ष 2014-15 में, कंपनी ने एम एस ई (एस सी/एस टी उद्यमियों के स्वामित्व के एम एस ई सहित) से 12% माल एवं सेवाओं की खरीद की है जिसमें से 10% अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व के एम एस ई हैं। एम एस एम ई को बिलंब से भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। कंपनी ने ई प्रकाशन नीति का भी अनुपालन किया है, जो भारत सरकार की ई खरीद नीति 2012 का एक हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने तीन नई शाखाएं खोली है यथा तांबरम, कोल्लम एवं अहमदाबाद निर्यातक शाखा। तांबरम शाखा 11.08.2014 से, कोल्लम शाखा 27.01.2015 से एवं अहमदाबाद निर्यातक शाखा 11.08.2014 से कार्य कर रही है।

पूरे भारत में कंपनी के स्वामित्व के परिसरों की देखभाल एवं रखरखाव नियमित रूप से किया गया। मरम्मत कार्य के रूप में ऊर्जा की बचत करने वाले एल ई डी बल्बों का उपयोग किया गया

अनुबंध I

दिनांक 31.03.2015 तक निगम की सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./अ.प.वि. के उम्मीदवारों के कार्यबल का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कार्यबल का प्रतिशत		
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	14.76	4.28	11.42
ख	16.76	6.64	18.78
ग	37.5	9.37	3.12
घ	30	Nil	Nil
कुल%	**17.39**	**5.85**	**15.05**

GENERAL ADMINISTRATION

Revenue and Capital Expenditure of the Company were properly controlled and incurred within the Annual Budget approved by the Board of Directors.

All the Branch Offices/Regional Offices have been advised to take necessary steps to implement Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India's Public Procurement Policy framed in April, 2012, for all MSMEs mandates that 20% of procurement of annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprises (MSEs) in a period of 3 years. Government has also prescribed a sub-target of 4% procurement of goods and service out of the 20% from MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs.

The Company has identified a list of items which may be procured from MSEs as and when need arises. In FY 2014-15, the Company procured 12% of the goods and services from MSEs (including MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs) and out of which 10% from MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.

The Company has also complied with e-publishing policy which is a part of e-procurement policy of 2012 of Govt. of India. The Company has opened three new branches viz. Tambaram (Chennai South), Kollam & Ahmedabad Exporter Branch during the FY 2014-15. Tambaram branch has been functioning since 11.08.2014, Kollam branch has been functioning on 27.01.2015 and Ahmedabad EB has been functioning since 11.08.2014.

Maintenance and upkeep of the Company owned premises, all over India, were undertaken on a regular basis. A part of the renovation was done using LED energy saving lamps.

Annexure - I

REPRESENTATION OF SCs/ STs/ OBCs IN THE SERVICES OF THE CORPORATION'S WORKFORCE AS ON 31.03.2015

Group	Percentage of Total Workforce		
	SCs	STs	OBCs
A	14.76	4.28	11.42
B	16.76	6.64	18.78
C	37.5	9.37	3.12
D	30	Nil	Nil
Total %	**17.39**	**5.85**	**15.05**

अनुबंध II

दिनांक 31.03.2015 तक निगम की सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विकलांग व्यक्तियों की संख्या			कुल
	नेत्रहीन विकलांग	श्रवणहीन विकलांग	विकलांग	ने.ही.+श्र.ही.+विकलांग
क	0	0	1	1
ख	4	2	5	11
ग	1	0	0	1
घ	1	0	0	1
कुल%	**6**	**2**	**6**	**14**

ने.ही.- नेत्रहीन विकलांग
श्र.ही. - श्रवणहीन विकलांग
विकलांग - विकलांग

Annexure - II

REPRESENTAION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE SERVICES OF THE CORPORATION AS ON 31.03.2015

Group	No. of Disabled Persons			Total
	VH	HH	OH	VH+HI+OH
A	0	0	1	1
B	4	2	5	11
C	1	0	0	1
D	1	0	0	1
Total %	**6**	**2**	**6**	**14**

VH - Visually Handicapped
HH - Hearing Handicapped
OH - Orthopaedically Handicapped

वर्ष 01.01.2014 से 31.12.2014 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ दर्शाते हुए विवरण

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASS DURING THE YEAR 01.01.2014 TO 31.12.2014

अनुबंध III / Annexure III

(ख) सीधी भर्ती से भरे गए पद / (A) Posts filled by direct recruitment

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या				आरक्षित रिक्तियों संख्या						नियुक्त अजा/अजजा/अपवि की संख्या			पिछले वर्ष से आगे लाए गए अजा/अजजा/अपवि की रिक्तियों की संख्या (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है)			कथित आगे लाए गए वर्ष के दौरान अजा के आरक्षण में निरयुक्त अजजा के उम्मीदवार तथा अजजा के आरक्षण में नियुक्त अजा के उम्मीदवारों की संख्या (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है)			तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे लाए जाने के बाद व्यपगत आरक्षण(ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है)			पदों की कुल संख्या जिन्हें अगले वर्ष के न भरे गए आरक्षित रिक्तियों के रूप में आगे लाया गया		
	बैकलॉग रिक्तियाँ		वर्तमान रिक्तियाँ		कॉलम (4) में से			कॉलम (5) में से																	
Class of Post	Total No. of Vacancies				No. of vacancies reserved						No.of SC/ ST/OBC candidates appointed			No. of SC/ST/ OBC vacancies carried forward from previous years(in such cases where dereservation is permitted)			No. of ST candidates appointed against SC reservation & No.of SC candidates appointed against ST reservation in the said year of carry forward (in such cases where dereservation is permitted)			No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 recruitment years (in such cases where dereservation is permitted)			No.of reserved vacancies carried forward as backlog to next year		
	Backlog Vacancies		Current Vacancies		Out of Col. (4)			Out of Col. (5)																	
	अधिसू-चित	भरी गई	अधिसू-चित	भरी गई	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव
	Notified	Filled	Notified	Filled	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
श्रेणी I समूह (क) CLASS I Group (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी II समूह (ख) CLASS II Group (B)	0	0	30	24	6	2	8	6	1	6	6*	1	6$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी III समूह (ग) CLASS III Group (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (घ) CLASS IV Group (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* इसके अतिरिक्त, 3 अजा के उम्मीदवार मेरिट पर नियुक्त किए गए
* In addition, 3 SC candidates were appointed on merit
$ इसके अतिरिक्त, 8 अपवि के उम्मीदवार मेरिट पर नियुक्त किए गए
$ In addition, 8 OBC candidates were appointed on merit

वर्ष 01.01.2014 से 31.12.2014 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ दर्शाते हुए विवरण

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASS DURING THE YEAR 01.01.2014 TO 31.12.2014

अनुबंध IV / Annexure IV

(ख) पदोन्नति से भरे गए पद / (B) Posts filled by promotion

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या		रिक्तियों की संख्या कॉलम (2) में से		अजा / अजजा के लिए आरक्षित कॉलम (3) में से		अजा / अजजा के पदोन्नत उम्मीदवारों की संख्या		पिछले वर्ष से आगे लाई गई अजा/अजजा की रिक्तियों की संख्या		आगे लाए जाने के तीसरे वर्ष में अजा के लिए आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर पदोन्नत अजजा की संख्या व इसके विपरीत		तीन वर्षों तक आगे लाए जाने के बाद व्यपगत रिक्तियों की संख्या		अगले वर्ष के लिए आगे लाई जाने वाली रिक्तियों की संख्या	
Class of Posts	Total Number of Vacancies		No.of Vacancies Out of Col. (2)		Reserved for SC/ST Out of Col.(3)		No.of SC/ST Candidates promoted		No.of SC/STs vacancies carried forward from the previous years		No.of STs promoted against vacancies reserved for SCs in the third year of carry forward and vice versa		No.of reservations lapsed after carrying forward for 3 years		No.of vacancies carried forward to next year	
	अधिसूचित	भरी गई	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा
	Notified	Filled	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
श्रेणी I समूह (क) CLASS I Group (A)	14	14	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1#	0
श्रेणी II समूह (ख) CLASS II Group (B)	22	21	1	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
श्रेणी III समूह (ग) CLASS III Group (C)	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (घ) CLASS IV Group (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** यह आंकड़ा समूह 'क' के केवल न्यूनतम पदक्रम, अर्थात प्रबंधकों से सबंधित है।

** This data pertains only to the lowest rung of Group A i.e. Manager

यह रिक्ति अजा श्रेणी के प्रबंधक द्वारा त्यागपत्र देने से दिनांक 31.01.2014 को निर्मित हुई।

This vacancy was created on 31.10.2014 due to resignation of Mgr belonging to SC category

- **उद्योग का कुल पण्यावर्त** : ₹ 1,28,044 करोड़
- **कुल निर्यात पण्यावर्त** : ₹ 70,817 करोड़
- **निर्यात पण्यावर्त** (एम एस एम ई) : ₹ 22,785 करोड़
- **रोजगार निर्माण** (एम एस एम ई) : 5,00,000
- **सर्वप्रमुख निर्यात गंतव्य स्थल** : अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, नाइजीरिया इ.
- **हमारे देश में केन्द्रीकरण के क्षेत्र** : हैदराबाद, मुंबई इ.

औषधि
PHARMACEUTICALS

- **Total turnover of the Industry** : ₹ 1,28,044 crores
- **Total export turnover** : ₹ 70,817 crores
- **Export turnover - MSME** : ₹ 22,785 crores
- **Employment Generation - MSME** : 5,00,000
- **Top export destinations** : USA, UK, South Africa, Russia, Nigeria etc
- **Areas of concentration in our country** : Hyderabad, Mumbai etc.

कंपनी शासन
Corporate Governance

अनुलग्नक II

कंपनी शासन पर ईसीजीसी का तत्वज्ञान

कंपनी, सम्प्रेषण में पारदर्शिता तथा ईमानदारी और सभी हित धारकों को पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए लागू कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं श्रेष्ठ कंपनी शासन को सुनिश्चित करने का नियमित प्रयास करती है और प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा व हितों के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसियों/प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा। सभी पॉलिसियाँ/प्रक्रियाएँ वैधानिक व नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गई हैं।

निदेशक मण्डल

कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जहाँ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो और वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 निदेशक हों व जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय आयात- निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। आज की तारीख तक बोर्ड के एक पूर्णकालिक निदेशक एवं अंशकालिक निदेशकों के तेरह में से सात पद रिक्त है। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है । 31 मार्च 2015 तक निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की तारीख तथा श्रेणियाँ जिनके अधीन उन्हें नियुक्त किया गया है, का विवरण निम्नलिखित सारणी 1 में दर्शाया गया है

Annexure II

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to Government of India owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them, for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and to ethical responsibilities.

BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association of the Company. Articles 57 and 63 provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director and not less than three and not more than thirteen other Directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. As on date, one position for Whole-Time Director and seven of the thirteen positions for Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated. The names of Directors on the Board as on 31st March, 2015 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in Table 1 below:

सारणी 1 / Table 1

क्र सं Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Directors	शैक्षणिक योग्यता Qualification	नियुक्ति की तारीखा Date of Appointment	संवर्ग Category
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर Ms. Geetha Muralidhar	बी.एस.सी., एम कॉम (बैंकिंग एवं इन्शुरेंस),पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट तथा इंटरनेशनल बिज़नेस ऑपरेशन्स B. Sc., M.Com. (Banking and Insurance, PG Diploma in Human Resource Management and International Business Operations.)	24.11.2014	कार्यपाल निदेशक तथा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) Executive Director & Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge)
2.	श्री अरविंद मेहता Shri Arvind Mehta	एम.ए.(अर्थशास्त्र) M.A. (Economics)	05.05.2010 (दिनांक 27.10.2014 से अ.प्र.नि. का अतिरिक्त प्रभार तथा उक्त प्रभार दिनांक 18.11.2014 को का.नि. को सौंप दिया गया, तथा दिनांक 18.11.2014 से अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यरत) 05.05.2010 (was holding additional charge of CMD from 27.10.2014 and handed over the said charge to ED on 18.11.2014, continues to act as a Part-Time Director w.e.f 18.11.2014)	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
3.	डॉ. सौरभ गर्ग Dr. Saurabh Garg	बी.टेक, एम.बी.ए., पी.एच.डी. B.Tech., MBA, Ph.D.	03.11.2014	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
4.	श्री चन्दन सिन्हा Shri Chandan Sinha	एम.एस.सी., एम.बी.ए.(वित्त), सी.ए.आई.आई.बी. M.Sc., MBA (Finance), CAIIB	09.07.2014	गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
5.	श्री यदुवेन्द्र माथुर Shri Yaduvendra Mathur	बी.ए., एम.बी.ए.(वित्त) B.A., MBA (Finance)	13.05.2014	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
6.	श्री ए.के. रॉय Shri A. K. Roy	बी टेक (ऑनर्स) B. Tech. (Hons)	30.04.2012	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
7.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	बी.कॉम., ए.सी.ए., ए.सी.एस. B. Com., ACA, ACS	01.10.2013	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
8.	श्री एन. शंकर Shri N. Shankar	बी.एस.सी., सी.ए.आई.आई.बी., सी.एफ.ए. B. Sc., CAIIB, CFA	19.10.2011 (दिनांक 18.10.2014 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 19.10.2011 (Ceased to be a Director w.e.f. 18.10.2014)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
9.	श्री पी. के. मिश्रा Shri P.K.Mishra	बी टेक B. Tech.	14.05.2013 (दिनांक 03.11.2014 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 14.05.2013 (Ceased to be a Director w.e.f. 03.11.2014)	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
10.	श्री जी. गोपालकृष्ण Shri G. Gopalakrishna	बी.ए., एल.एल.बी., सी.ए.आई. आई.बी. B.A., LL.B., CAIIB	04.10.2012 (दिनांक 21.04.2014 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 04.10.2012 (Ceased to be a Director w.e.f 21.04.2014)	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
11.	श्री के. आर. कामत Shri K. R. Kamath	बी कॉम B.Com.	20.12.2010 (दिनांक 27.10.2014 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20.12.2010 (Ceased to be a Director w.e.f. 27.10.2014)	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part -Time Director
12.	श्री रफीक अहमद मक्का Shri Rafeeque Ahmed Mecca	पूर्व स्नातक Undergraduate	13.03.2012 (दिनांक 12.03.2015 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 13.03.2012 (Ceased to be a Director w.e.f. 12.03.2015)	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
13.	श्री हरि एस. भरतिया Shri Hari S. Bhartia	बी टेक B. Tech.	20.12.2010 (दिनांक 19.12.2014 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 20.12.2010 (Ceased to be a Director w.e.f. 19.12.2014)	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
14	श्री ओंकार एस. कंवर Shri Onkar S. Kanwar	बी एस सी, प्रशासन में स्नातक (कैलिफोर्निया) B.Sc., Bachelor of Administration (California)	01.10.2013 (दिनांक 23.01.2015 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 01.10.2013 (Ceased to be a Director w.e.f. (23.01.2015)	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
15.	श्री वसंत मेहता Shri Vasant Mehta	बी कॉम B.Com.	07.01.2011 (दिनांक 23.01.2015 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07.01.2011 (Ceased to be a Director w.e.f. 31.12.2014)	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director

निदेशक मण्डल की बैठकों के विवरण तथा वर्ष 2014-15 के लिए उपस्थिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बार इस तरह कि, बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो, निदेशक मण्डल की बैठक करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 5 बैठकों का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों के विवरण व उनमें प्रत्येक निदेशकों की उपस्थिति निम्नलिखित सारणी 2 में प्रस्तुत की गई है :

सारणी 2

क्रसं	बैठक संख्या	बैठकों की तारीख	मण्डल बल	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	391	13.05.2014	11	5
2.	392	27.06.2014	11	7
3.	393	13.08.2014	12	6
4.	394	10.11.2014	10	4
5.	395	11.02.2015	8	6

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठकों में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित सारणी3 में दर्शाया गया है :

सारणी 3

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बैठक में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	1/1
2.	श्री अरविंद मेहता	4/5
3.	डॉ. सौरभ गर्ग	2/2
4.	श्री चन्दन सिन्हा	2/3
5.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	3/5
6.	श्री ए.के. रॉय	3/5
7.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	5/5
8.	श्री एन. शंकर	3/3
9.	श्री पी. के. मिश्रा	1/3
10.	श्री के. आर. कामथ	0/3
11.	श्री रफीक अहमद मक्का	3/5
12.	श्री हरि एस. भरतिया	0/4
13	श्री ओंकार एस. कंवर	0/4
14.	श्री वसंत मेहता	1/4

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184(1) के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्त फार्म सं एम बी पी-1 के प्रकटीकरण के अनुसार निदेशकों द्वारा अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के निदेशक प्रभार का विवरण निम्नलिखित सारणी 4 में दर्शाया गया है :

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ATTENDANCE FOR FY 2014-15

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board, as per the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013. There were 5 meetings held during the FY 2014-15. Details of the meetings of the Board of Directors held during the FY 2014-15 and attendance of individual Directors in those meetings are furnished below in Table 2:

Table 2

Sr. No.	Meeting Number	Date of Meetings	Board Strength	No. of Directors present
1.	391	13.05.2014	11	5
2.	392	27.06.2014	11	7
3.	393	13.08.2014	12	6
4.	394	10.11.2014	10	4
5.	395	11.02.2015	8	6

Attendance of Individual Directors in the meetings held during the FY 2014-15 are furnished below in Table 3:

Table 3

Sr. No.	Name of Directors	No. of meetings attended / Total No. of meetings held
1.	Ms. Geetha Muralidhar	1/1
2.	Shri Arvind Mehta	4/5
3.	Dr. Saurabh Garg	2/2
4.	Shri Chandan Sinha	2/3
5.	Shri Yaduvendra Mathur	3/5
6.	Shri A. K. Roy	3/5
7.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	5/5
8.	Shri N. Shankar	3/3
9.	Shri P.K.Mishra	1/3
10.	Shri K. R. Kamath	0/3
11.	Shri Rafeeque Ahmed Mecca	3/5
12.	Shri Hari S. Bhartia	0/4
13	Shri Onkar S. Kanwar	0/4
14.	Shri Vasant Mehta	1/4

Details of holding other Directorships in Public Limited Companies by Directors on the Board as per disclosure u/s 184(1) of the Companies Act, 2013 in the Form MBP-1 received for the FY 2014-15 are furnished below in Table 4:

सारणी 4

क्र. सं.	अन्य कंपनियों में निदेशक का भार संभालने वाले निदेशकों के नाम	अन्य निदेशक प्रभार की संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	0
2.	श्री अरविंद मेहता	0
3.	डॉ. सौरभ गर्ग	1
4.	श्री चन्दन सिन्हा	0
5.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	1
6.	श्री ए. के. रॉय	7
7.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	5
8.	श्री एन. शंकर	0
9.	श्री पी. के. मिश्रा	1
10.	श्री के. आर. कामत	5
11.	श्री रफीक अहमद मक्का	0
12.	श्री हरि एस. भरतिया	8
13	श्री ओंकार एस. कंवर	1
14.	श्री वसंत मेहता	0

लेखा परीक्षा समिति- संरचना और उपस्थिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन दिनांक 10 नवंबर 2014 को किया गया। आज की तारीख में कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में छः गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं यथा श्री अरविंद मेहता, श्री सौरभ गर्ग, श्री चन्दन सिन्हा, श्री यदुवेन्द्र माथुर श्री ए के रॉय तथा श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अधीन आवश्यकताओं को पूरा करता है। श्रीमति स्मिता पंडित, कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं। यह लेखा परीक्षा समिति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा परीक्षा समिति ने दिनांक 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014, 16.01.2015 तथा 11.02.2015 को पाँच बैठकें की। लेखा परीक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति सारणी 5 में दी गयी है :

Table 4

Sr. No.	Name of the Directors holding other Directorships	No. of other Directorships
1.	Ms. Geetha Muralidhar	0
2.	Shri Arvind Mehta	0
3.	Dr. Saurabh Garg	1
4.	Shri Chandan Sinha	0
5.	Shri Yaduvendra Mathur	1
6.	Shri A. K. Roy	7
7.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	5
8.	Shri N. Shankar	0
9.	Shri P.K.Mishra	1
10.	Shri K. R. Kamath	5
11.	Shri Rafeeque Ahmed Mecca	0
12.	Shri Hari S. Bhartia	8
13	Shri Onkar S. Kanwar	1
14.	Shri Vasant Mehta	0

AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Audit Committee of the Company has been re-constituted on November 10, 2014. As on date, the Audit Committee of the Company comprises six non-executive Directors viz. Shri Arvind Mehta, Dr. Saurabh Garg, Shri Chandan Sinha, Shri Yaduvendra Mathur, Shri A. K. Roy, and Shri Ajay Murlidhar Ponkshe. Shri Ajay Murlidhar Ponkshe was the Chairman of the Audit Committee during FY 2014-15. The constitution of the Audit Committee meets with the requirements under Section 177 of the Companies Act, 2013. Ms. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee. The Audit Committee has discharged such roles as envisaged under the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee met 5 times, on 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014, 16.01.2015 and 11.02.2015, during the FY 2014-15. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished in Table 5:

सारणी 5

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठक में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री अरविंद मेहता (दिनांक 27.10.2014 से अप्रनि का अतिरिक्त प्रभार तथा उक्त प्रभार दिनांक 18.11.2014 को का नि को सौंप दिया, तथा दिनांक 18.11.2014 से अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यरत) (दिनांक 04.06.2010 से सदस्य)	2/4
2.	डॉ सौरभ गर्ग (दिनांक 10.11.2014 से सदस्य)	1/2
3.	श्री चन्दन सिन्हा (दिनांक 13.08.2014 से सदस्य)	2/3
4.	श्री यदुवेन्द्र माथुर (दिनांक 13.05.2014 से सदस्य)	1/4
5.	श्री ए. के. रॉय (दिनांक 10.08.2012 से सदस्य)	3/5
6.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे (दिनांक 11.11.2013 से सदस्य)	4/5
7.	श्री वसंत मेहता (दिनांक 31.12.2014 से सदस्य))	0/3

निवेश समिति - संरचना और उपस्थिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन दिनांक 10 नवंबर 2014 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान दिनांक 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014 तथा 11.02.2015 को निवेश समिति की चार बैठकें हुई, बैठकों में निवेश समिति के निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति सारणी 6 में दी गई है :

सारणी 6

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठक में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर कार्यपालक निदेशक तथा दिनांक 24.11.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	4/4
2.	श्री अरविंद मेहता (दिनांक 04.06.2010 से सदस्य)	2/4
3.	डॉ सौरभ गर्ग (दिनांक 10.11.2014 से सदस्य)	0/1
4.	श्री चन्दन सिन्हा (दिनांक 13.08.2014 से सदस्य)	1/2
5.	श्री यदुवेन्द्र माथुर (दिनांक 13.05.2014 से सदस्य)	1/3
6.	श्री ए. के. रॉय (दिनांक 10.08.2012 से सदस्य)	2/4
7.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे (दिनांक 11.11.2013 से सदस्य)	4/4
8.	श्री एन. शंकर (दिनांक 18.10.2014 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	2/2

Table 5

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended / Total No. of meetings held
1.	Shri Arvind Mehta (was holding additional charge of CMD from 27.10.2014 and handed over the said charge to ED on18.11.2014, continues to act as a Part-Time Director w.e.f. 18.11.2014) (appointed as a Member since 04.06.2010)	2/4
2.	Dr. Saurabh Garg (appointed as a Member since 10.11.2014)	1/2
3.	Shri Chandan Sinha (appointed as a Member since 13.08.2014)	2/3
4.	Shri Yaduvendra Mathur (appointed as a Member since 13.05.2014)	1/4
5.	Shri A. K. Roy (appointed as a Member since 10.08.2012)	3/5
6.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (appointed as a Member since 11.11.2013)	4/5
7.	Shri Vasant Mehta (ceased to be a Member since 31.12.2014)	0/3

INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee of the Company has been re-constituted on November 10, 2014. The Investment Committee met 4 times, on 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014 and 11.02.2015, during the FY 2014-15. The details of the attendance of the Directors at the Investment Committee Meetings are furnished in Table 6:

Table 6

Sr. No.	Name of the Directors / Members	No. of meetings attended / Total No. of meetings held
1.	Ms. Geetha Muralidhar (ED holding additional charge of CMD since 24.11.2014)	4/4
2.	Shri Arvind Mehta (appointed as a Member since 04.06.2010)	2/4
3.	Dr. Saurabh Garg (appointed as a Member since 10.11.2014)	0/1
4.	Shri Chandan Sinha (appointed as a Member since 13.08.2014)	1/2
5.	Shri Yaduvendra Mathur (appointed as a Member since 13.05.2014)	1/3
6.	Shri A. K. Roy (appointed as a Member since 10.08.2012)	2/4
7.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (appointed as a Member since 11.11.2013)	4/4
8	Shri N. Shankar (ceased to be a Member since 18.10.2014)	2/2

9.	श्री मनोज कुमार	2/2
10.	श्री एम. सेंथिलनाथन	4/4
11.	श्री आर. पद्मावती	2/2
12.	श्री मयूर अंकोलेकर	4/4

पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति

कंपनी के पॉलिसीधारक के हितों की सुरक्षा समिति का पुनर्गठन दिनांक 10 नवंबर 2014 को किया गया वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान दिनांक 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014 तथा 11.02.2015 को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की चार बैठकें हुई। बैठकों में पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा समिति के निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति सारणी 7 में दी गई है:

सारणी 7

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठक में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर कार्यपालक निदेशक तथा दिनांक 24.11.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	1/1
2.	श्री अरविंद मेहता (दिनांक 13.08.2014 से सदस्य)	1/2
3.	श्री चन्दन सिन्हा (दिनांक 13.08.2014 से सदस्य)	2/3
4.	श्री यदुवेन्द्र माथुर (दिनांक 13.05.2014 से सदस्य)	2/4
5.	श्री ए. के. रॉय (दिनांक 10.08.2012 से सदस्य)	2/4
6.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे (दिनांक 11.11.2013 से सदस्य)	4/4
7.	श्री एन. शंकर (दिनांक 18.10.2014 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	2/2
8.	श्री रफीक अहमद मक्का (दिनांक 10.11.2014 से सदस्य तथा दिनांक 12.03.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/2

जोखिम प्रबंधन समिति - संरचना और उपस्थिति

कंपनी के लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन दिनांक 10 नवंबर 2014 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान दिनांक 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014 तथा 11.02.2015 को जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें हुई। बैठकों में जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति सारणी 8 में दी गई है:

9.	Shri Manoj Kumar	2/2
10.	Shri M Senthilnathan	4/4
11.	Smt R Padmavathy	2/2
12.	Shri Mayur Ankolekar	4/4

POLICYHOLDERS' INTERESTS PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interests Protection Committee of the Company has been re-constituted on November 10, 2014. The Policyholders' Interest Protection Committee met 4 times, on 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014 and 11.02.2015, during the FY 2014-15. The details of the attendance of the Directors at the Policyholders' Interest Protection Committee Meetings are furnished in Table 7:

Table 7

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended / Total No. of meetings held
1.	Ms. Geetha Muralidhar (ED holding additional charge of CMD since 24.11.2014)	1/1
2.	Shri Arvind Mehta (appointed as a Member since 13.08.2014)	1/2
3.	Shri Chandan Sinha (appointed as a Member since 13.08.2014)	2/3
4.	Shri Yaduvendra Mathur (appointed as a Member since 13.05.2014)	2/4
5.	Shri A. K. Roy (appointed as a Member since 10.08.2012)	2/4
6.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (appointed as a Member since 11.11.2013)	4/4
7.	Shri N. Shankar (ceased to be a Member since 18.10.2014)	2/2
8.	Shri Rafeeque Ahmed Mecca (appointed as a Member since 10.11.2014 and ceased to be a Member since 12.03.2015)	0/2

RISK MANAGEMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risk Management Committee of the Company has been re-constituted on November 10, 2014. The Risk Management Committee met 4 times, on 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014 and 11.02.2015, during the FY 2014-15. The details of the attendance of the Directors at Risk Management Committee meetings are furnished in Table 8:

सारणी 8

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठक में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर कार्यपालक निदेशक तथा दिनांक 24.11.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	1/1
2.	श्री अरविंद मेहता (दिनांक 13.08.2014 से सदस्य)	1/2
3.	डॉ सौरभ गर्ग (दिनांक 10.11.2014 से सदस्य)	0/2
4.	श्री चन्दन सिन्हा (दिनांक 13.08.2014 से सदस्य)	2/3
5.	श्री यदुवेन्द्र माथुर (दिनांक 13.05.2014 से सदस्य)	2/4
6.	श्री ए के रॉय (दिनांक 01.09.2012 से सदस्य)	2/4
7.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे (दिनांक 11.11.2013 से सदस्य)	4/4
8.	श्री एन शंकर (दिनांक 18.10.2014 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	2/2

नामांकन व पारिश्रमिक समिति :

13 मई 2014 को परिश्रिमिक समिति को नामांकन व परिश्रिमिक समिति (एन आर सी)का नाम दिया गया । दिनांक 13 अगस्त 2014 को कंपनी के एन आर सी का पुनर्गठन किया गया। उक्त समिति के वर्तमान सदस्य श्री अरविंद मेहता, श्री चन्दन सिन्हा, श्री ए के रॉय, और श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे हैं । वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे समिति के अध्यक्ष थे ।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) एवं दीर्घकालिक विकास परियोजना (एस डी) पर बोर्ड की समिति :

कंपनी के सी एस आर व एस डी परियोजना/गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए सी एस आर व एस डी के निदेशक मण्डल की एक समिति का गठन किया गया है । दिनांक 10 नवंबर 2014 को इसका पुनर्गठन किया गया। समिति में श्री अरविंद मेहता, श्री चन्दन सिन्हा, श्री यदुवेन्द्र माथुर, श्री ए के रॉय और श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे इस समिति के अध्यक्ष थे।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान दिनांक 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014 व 11.02.2015 को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं दीर्घकालिक विकास परियोजना समिति की चार बैठकें हुई । बैठकों में सी एस आर व एस डी समिति के निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति सारणी 9 में दी गई है:

Table 8

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended / Total No. of meetings held
1	Ms. Geetha Muralidhar (ED holding additional charge of CMD since 24.11.2014)	1/1
2	Shri Arvind Mehta (appointed as a Member since 13.08.2014)	1/2
3	Dr. Saurabh Garg (appointed as a Member since 10.11.2014)	0/2
4	Shri Chandan Sinha (appointed as a Member since 13.08.2014)	2/3
5	Shri Yaduvendra Mathur (appointed as a Member since 13.05.2014)	2/4
6	Shri A. K. Roy (appointed as a Member since 01.09.2012)	2/4
7	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (appointed as a Member since 11.11.2013)	4/4
8	Shri N. Shankar (ceased to be a Member since 18.10.2014)	2/2

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

The Remuneration Committee was renamed as Nomination and Remuneration Committee (NRC) on May 13, 2014. NRC of the Company has been re-constituted on August 13, 2014. The present members of the NRC are Shri Arvind Mehta, Shri Chandan Sinha, Shri A. K. Roy and Shri Ajay Murlidhar Ponkshe. No meeting of the NRC was held during the Financial 2014-15. Shri Ajay Murlidhar Ponkshe was the Chairman of NRC for the FY 2014-15.

COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD) PROJECTS:

A Committee on CSR & SD of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on November 10, 2014. The Committee on CSR & SD consists of Shri Arvind Mehta, Shri Chandan Sinha, Shri Yaduvendra Mathur, Shri A. K. Roy and Shri Ajay Murlidhar Ponkshe. Shri Ajay Murlidhar Ponkshe was the Chairman of Committee on CSR & SD for the FY 2014-15.

The Committee on CSR & SD met 4 times, on 13.05.2014, 13.08.2014, 10.11.2014 and 11.02.2015, during the FY 2014-15. The details of the attendance of the Directors at the Meetings of the Committee on CSR & SD are furnished in Table 9.

सारणी 9

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठक में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री अरविंद मेहता (दिनांक 11.11.2013 से सदस्य)	2/4
2.	श्री चन्दन सिन्हा (दिनांक 13.08.2014 से सदस्य)	1/2
3.	श्री यदुवेन्द्र माथुर (दिनांक 13.05.2014 से सदस्य)	2/4
4.	श्री ए. के. रॉय (दिनांक 11.11.2013 से सदस्य)	2/4
5.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे (दिनांक 11.11.2013 से सदस्य)	4/4
6.	श्री वसंत मेहता (दिनांक 31.12.2014 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/3
7.	श्री रफीक अहमद मक्का (दिनांक 10.11.2014 से सदस्य तथा दिनांक 12.03.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/2

वार्षिक साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान संपन्न वार्षिक साधारण बैठकों के विवरण सारणी 10 के अनुसार हैं:

सारणी 10

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	तारीख व समय	स्थान	पारित विशेष संकल्पों की संख्या, यदि कोई हो
1	2011-12	06 जुलाई 2012, 1800 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
2	2012-13	8 जुलाई 2013, 1530 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
3	2013-14	27 जून 2014, 1500 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	2

कारोबार आचरण संहिता व नीति

निदेशक मण्डल ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण संहिता व नीति बनाई है जिसे कंपनी की वैबसाइट (www.ecgc.in) पर डाला गया है ।

प्रकटन

किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों और संस्थानों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें सामान्य कारोबारी लेन-दन के अलावा कंपनी के निदेशकों का हित निहित हो ।

कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन एवं इसे कम करने के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं, जिसकी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जारी है ताकि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण

Table 9

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended / Total No. of meetings held
1	Shri Arvind Mehta (appointed as a Member since 11.11.2013)	2/4
2	Shri Chandan Sinha (appointed as a Member since 13.08.2014)	1/2
3	Shri Yaduvendra Mathur (appointed as a Member since 13.05.2014)	2/4
4	Shri A. K. Roy (appointed as a Member since 11.11.2013)	2/4
5	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (appointed as a Member since 11.11.2013)	4/4
6	Shri Vasant Mehta (ceased to be a Member since 31.12.2014)	0/3
7	Shri Rafeeque Ahmed Mecca (appointed since 10.11.2014 and ceased to be a Member since 12.03.2015)	0/2

GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in Table 10:

Table 10

Sr. No.	Financial Year	Date & Time	Venue	No. of Special Resolutions
1	2011-12	July 06, 2012 1800 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL
2	2012-13	July 08, 2013 1530 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL
3	2013-14	June 27, 2014 1500 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	2

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

DISCLOSURE

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business.

The Company has laid down procedures to inform Board members about the risk assessment and its

सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को लागू किया है जिससे प्रत्येक कर्मचारी किसी अस्वीकार्य/अनैतिक और/या कदाचार का कोई कार्य, किसी भी स्तर पर उनकी नजर में आता है के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उसे बिना किसी परिणामी भय के सूचित कर सके और स्वयं सुरक्षित महसूस कर सकें ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकारी द्वारा देश के विभ्न्न संविधि से संबंधित किसी मामले पर कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹30,500/- (मे एम एस टी सी के मामले में 67 दिनों का विस्तार मंजूर करते समय सभी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया ₹30,000/- एवं मे विस्टा अपेरल्स एंड स्वाथिका फैशन्स के मामले में माननीय जिला उपभोक्ता फोरम, कोयम्बतूर द्वारा लगाया गया दंड ₹500/-) एवं मे यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07.04.2012 को निर्माण संविदा करार हेतु ₹7,20,500/- के देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान न करने के कारण स्टैम्प कार्यालय द्वारा दिनांक 06.01.2015 के पत्र के तहत ₹4,46,710/- का दंड लगाया गया, को छोडकर कोई दंड नहीं लगाया गया है। तथापि हमने दिनांक 22.01.2015 को ₹4,46,710/- के दंड को अपवाद के रूप में लिया है, एवं स्टैम्प कार्यालय के साथ अनुवर्तन किया जा रहा है।

चूँकि भारत के महामहिम राष्ट्रपति तथा भारत सरकार की ओर से सात अन्य नामांकितों के पास 100% इक्विटी शेयर हैं इसलिए इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं के निष्पादन में कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

शेयरधारकों की जानकारी

(क) वार्षिक साधारण बैठक : वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 11 जून 2015 को सुबह 1145 बजे नयी दिल्ली में सम्पन्न हुई।

(ख) 31 मार्च 2015 तक शेयर धारण का स्वरूप: निगम भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी है। भारत के राष्ट्रपति, निगम द्वारा जारी प्रत्येक सम्पूर्ण चुकता ₹100/- के 12,00,00,000 इक्विटी शेयरों के धारक हैं सिवाय सिवाय उन आठ शेयरों के जो भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के नामितों के नाम पर हैं।

(ग) पत्राचार के लिए पता : श्रीमती स्मिता वी पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण

minimization, which are periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except for ₹30,500/- during FY 2013-14 (₹30,000/- for non-filing of all affidavits in the matter of M/s MSTC was imposed by the Hon'ble Tribunal while granting the extension of 67 days and ₹500/- imposed by Hon'ble District Consumer Forum, Coimbatore in the matter of M/s. Vista Apparels and Swathika Fashions) and Stamp Office which vide its letter dated 06.01.2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710/- for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, M/s. Unity Infraprojects Limited on 07.04.2012. However, we have taken exception to the penalty of ₹4,46,710/- on 22.01.2015 and follow-up being done with the Stamp Office.

The audited accounts of the Company are being tabled before both the Houses of Parliament, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of Government of India.

SHAREHOLDERS' INFORMATION

(a) Annual General Meeting: The Annual General Meeting for the current year is scheduled to be held on June 11, 2015 at 1145 hours at New Delhi.

(b) Shareholding Pattern as on March 31, 2015: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 12,00,00,000 Equity Shares of ₹100/- each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.

(c) Address for Correspondence: Ms. Smita V Pandit, Company Secretary, ECGC Limited (formerly Export

गारंटी निगम लिमिटेड), एक्सप्रेस टावर्स, दसवीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 (ईमेल cs@ecgc.in)

Credit Guarantee Corporation of India Ltd.), Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021. Email-cs@ecgc.in.

संपर्क के माध्यम

- वैबसाइट: कंपनी की वैबसाइट www.ecgc.in पर हमारे बारे में खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक "हमारे बारे में" सेक्शन हैý पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वैबसाइट पर भी उपलब्ध है जो यूजर फ्रेंडली है और डाउनलोड की जा सकती है।
- वित्तीय परिणाम: कंपनी द्वारा अपनी वैबसाइट www.ecgc.in पर नियमित रूप से वार्षिक, छः माही एवं तिमाही परिणाम पोस्ट किए जाते हैं।
- वार्षिक रिपोर्ट: लेखा परीक्षित लेखों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित वार्षिक रिपोर्टो को सदस्यों तथा अन्य पात्र अधिकारियों में परिचालित किया जाता है । प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण (एम डी एंड ए) रिपोर्ट वार्षिकरिपोर्ट का हिस्सा होती है ।

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से

गीता मुरलीधर
कार्यपालक निदेशक / अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जून 2015

MEANS OF COMMUNICATION

- Website: The Company's website viz., www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.
- Financial Results: The annual, half yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.
- Annual Report: The Annual Report, containing inter alia Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Executive Director/ Chairman-cum-Managing Director
(Additional Charge)

Place: New Delhi
Date: June 10, 2015

कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाण पत्र

मैं स्मिता पंडित एतदद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने सामान्य रूप से बीमा कंपनी के लिए लागू तथा समय समय पर संशोधित कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है तथा कुछ भी छिपाया अथवा गुप्त नहीं रखा गया है।

स्मिता वी. पंडित
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जून 2015

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Smita V. Pandit
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: June 10, 2015

अनुलग्नक III

कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अभिक्रमों पर विकसित एवं कार्यान्वयन नीति का विवरण

1. **हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की समीक्षा सहित एवं सी एस आर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ में कंपनी के सी एस आर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।**

   कंपनी ने वर्ष 2014 में सी एस आर पर संशोधित डी पी ई दिशानिर्देशों को अपनाया। कंपनी की सी एस आर गतिविधियों की निगरानी के लिए मई 2013 में बोर्ड की एक सी एस आर उप समिति गठित की गई। तदनुसार इसे सी एस आर के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए अपने पिछले तीन वर्षो के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी की सी एस आर गतिविधियों पर कुल 3,55,63,919 रूपए की राशि खर्च की गई।

   टाटा समाज विज्ञान संस्थान, (टिस) की सहायता से ई सी जी सी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 मं एम वार्ड, वाशी नाका, माहुल गांव में कमजोर वर्ग के 550 विद्यार्थियों को 22.50 लाख रूपए की छात्रवृत्ति उन्मोचित किया। कंपनी ने इस समय टिस के माध्यम से उसी क्षेत्र में तीन सामुदायिक अध्ययन केंद्र स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य 18.40 लाख रूपए की लागत से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए शैक्षिक और शिक्षेतर गतिविधियां उपलब्ध कराना है। जम्मू एवं कश्मीर में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण लोगों के पुनर्वसन के लिए 3 करोड़ रूपए की राशि का जम्मू एवं कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान किया गया। कंपनी ने युनाईटेड आरफेनेज फार डिसेबल्ड, कोयंबटूर और साइजोफ्रेनिया अवेयरनेस एसोसिएशन (एस ए ए), पुणे के लिए वाहन प्रायोजित किए, ताकि अनाथ आश्रम/केंद्र में रहने वाले रोगी/व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकें। दो परियोजनाएं अर्थात नांदेद जिले के गांवों में विद्यार्थियों को ऊर्जा बचत करने वाले उपकरण (सौर लालटेन) उपलब्ध कराने और पालघर जिले के गांवों में स्वच्छ पेय जल (जल धूत) उपलब्ध कराने की परियोजनाएं शुरू की गईं। ई सी जी सी द्वारा महाराष्ट्र को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी) पुणे को परियोजना के अगुवा के रूप में लिया गया है।

   प्रधानमंत्री के "स्वच्छ भारत अभियान", के अंतर्गत कंपनी ने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की पदयात्रा की एवं संदेश प्रदर्शित करने वाले पोस्टर के साथ पदयात्रा की एवं स्वच्छता की जागरूकता को बढ़ाने के लिए अभिक्रम किए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा यथा निदेशित कंपनी

Annexure III

DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

1. **A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CSR POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS PROPOSED TO BE UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS.**

   Company has adopted revised DPE guidelines on CSR in 2014. A CSR Sub-Committee of Board has been constituted in May 2013 to monitor the CSR activities of the Company. Accordingly it requires to spend at least 2% of its last 3 years' average net profit every year for various activities under CSR. An aggregate amount of ₹3,55,63,919 was spent on CSR activities of the Company during FY2014-15.

   With the help of Tata Institute of Social Sciences (TISS) ECGC released Scholarship of ₹22.50 lacs in FY2014-15 to 550 underprivileged students in M – Ward, Vashi Naka, Mahul village. The Company has presently set up three Community Study Centers in the same locality through TISS aimed at providing curriculum based education as well as extracurricular activities for the overall development of the underprivileged students at a cost of ₹18.40 lacs. An amount of ₹3.00 crores was contributed to the Chief Minister's Relief Fund of the State of Jammu & Kashmir for rehabilitation of the people affected due to the unprecedented floods in Jammu & Kashmir. The Company sponsored vehicles to United Orphanage for Disabled, Coimbatore and Schizophrenia Awareness Association (SAA), Pune for use of the patients/persons housed in the orphanage/Centre. Two projects viz., providing Energy Saving Devices (solar lantern) to students in villages of Nanded Dist., and Providing Safe drinking water (Jal Dhoot) in the villages of Palghar Dist. Maharashtra have been undertaken by ECGC with Science & Technology Park (STP) Pune as Project Leader.

   Under the Prime Minister's "Swachh Bharat Abhiyaan", the Company has taken initiatives to spread the awareness of Cleanliness by organizing Marches and displaying Posters carrying messages of the national Cleanliness campaign. Further, as

के कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर, 2014 को शपथ ग्रहण किया और स्वच्छता अभियान भी चलाया।

2. सी एस आर समिति की संरचना।

बोर्ड ने 10 मई, 2013 को हुई अपनी बैठक में निदेशक मंडल के समिति के गठन का अनुमोदन किया। बोर्ड के अनुमोदन से समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्री अजय मुरलीधर पोंकसे, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, श्री अरविंद मेहता, आई ए एस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, श्री ए के राय, श्री चंदन सिन्हा, श्री यदुवेंद्र माथुर एवं श्री वसंत मेहता (सी एस आर एवं एस डी समिति के निदेशक और सदस्य 31.12.2014 से नहीं रहे) कंपनी की गतिविधियां / 01.04.2014 से प्रभावी डी पी ई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिक्रमों की निगरानी के लिए सदस्यों के रूप में शामिल हैं।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षो का कंपनी का औसत निवल लाभ।

वित्तीय वर्ष	निवल लाभ (करोड़ रूपए में)
2011 – 12	316.55
2012 – 13	324.69
2013 – 14	517.21
2014-15 (धारा 198 के अनुसार लाभ)	386.15

4. विहित सी एस आर व्यय
(उपर्युक्त मद 3 में यथा प्रदत्ते राशि का दो प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष	बजट का आबंटन (करोड़ रूपए में)
2011 – 12	2.26*
2012 – 13	4.99*
2013 – 14	6.00*
2014 – 15	7.72

* डी पी ई (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम विभाग) नीति के अनुसार पूर्व में सी एस आर का आबंटन पूर्ववर्ती वर्ष के निवल लाभ के 2% था।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सी एस आर का विवरण।

(क) वित्तीय वर्ष में कुल खर्च की जाने वाली राशि;
वित्तीय वर्ष 2014 -15 में खर्च की जाने वाली राशि 7.72 करोड़ रूपए।

(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो;
वित्तीय वर्ष 2014 -15 तक खर्च न की गई राशि 9.27 करोड़ रूपए।

directed by the Government of India, the employees of the Company took a pledge on 2nd October, 2014 and also carried out a cleanliness drive.

2. THE COMPOSITION OF THE CSR COMMITTEE.

Board in its meeting held on 10th May, 2013 approved the constitution of a Committee of Board of Directors. The Committee has been reconstituted with approval of the Board, comprising of Shri Ajay Murlidhar Ponkshe, Independent Director as Chairman, Shri Arvind Mehta, IAS, JS, DoC, Shri A.K. Roy, Shri Chandan Sinha, Shri Yaduvendra Mathur and Shri Vasant Mehta (ceased to be Director & Member of CSR & SD Committee w.e.f. 31.12.2014) as Members for monitoring of Company's activities/ initiatives as per DPE's revised guidelines effective from 01.04.2014.

3. AVERAGE NET PROFIT OF THE COMPANY FOR LAST THREE FINANCIAL YEARS.

Financial Year	Net Profit (in crores)
2011-12	316.55
2012-13	324.69
2013-14	517.21
2014-15 (Profit as per section 198)	386.15

4. PRESCRIBED CSR EXPENDITURE
(two per cent of the amount as in item 3 above)

Financial Year	Allocation of Budget (in crores)
2011 – 12	2.26*
2012 – 13	4.99*
2013 – 14	6.00*
2014 – 15	7.72

* As per DPE (Department of Public Enterprises) policy followed earlier CSR was allocated as 2% of previous year Net Profit.

5. DETAILS OF CSR SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR.

(a) Total amount to be spent for the financial year;
Amount to be spent for FY 2014 – 15 ₹7.72 crores.

(b) Amount unspent, if any;
Amount unspent up to FY 2014 – 15 ₹9.27 crores.

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि की विधि नीचे दी गई है।

(C) MANNER IN WHICH THE AMOUNT SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR IS DETAILED BELOW.

(लाख ₹ में / in ₹ Lacs)

क्रम सं Sr. No.	चिन्हित सी एस आर परियोजना या गतिविधि CSR project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना रक्षित हो Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य एवं जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजना या कार्यक्रम चलाए गए Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2)ओवरहेड Amount spent on the projects or programs Sub – heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative expenditure upto to the reporting period	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से * Amount spent : Direct or through implementing agency*
1	कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, निर्यात उन्मुख कौशल का विकास एवं महिला उद्यमी समुदाय अध्ययन केंद्रों को सहायता Scholarship to underprivileged Meritorious Students, Development of Export Oriented Skills & Support to Women Entrepreneurship Community Study Centers	परियोजना का तरीका Project Mode	एम-वार्ड जिला मुंबई, महाराष्ट्र M-Ward Dist. Mumbai, Maharashtra	@ ₹2000 प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए % 2013-14 और ₹5000 प्रति विद्यार्थी वित्तीय वर्ष 2014-15 @ ₹2000 per student per annum for FY 2012-13 % 2013-14. And ₹5000 per student for FY 2014-15	30.20	84.70	माध्यम : टाटा समाज विज्ञान संस्थान Through : Tata Institute of Social Sciences
2	बालिका को वित्तीय सहायता, सुश्री काजल रानी, Financial Help to Girl Child Ms. Kajal Rani	गैर परियोजना का तरीका Non Project Mode	पंजाब Punjab		0.18	0.18	डी डी द्वारा विद्यालय को भुगतान किया गया Paid to the College by DD
3	जी आई परिसर महामार्ग आपातकालीन राहत कोष - सड़क सुरक्षा GI Council Highway Emergency Relief Fund – Road Safety	परियोजना का तरीका Project Mode			7.41	7.41	प्रत्यक्ष - जी आई परिसर मुंबई को भुगतान Direct – Payment to GI Council Mumbai
4	साइजोफ्रेनिया जागरूकता संघ को वाहन की खरीद Purchase of vehicle to Schizophrenia Awareness Association	गैर परियोजना का तरीका Non Project Mode	पुणे Pune		7.87	7.87	प्रत्यक्ष - साईजोफ्रेनिया जागरूकता संघ को चेक द्वारा भुगतान किया गया Direct – paid by cheque to Schizophrenia Awareness Association
5	युनाईटेड आरफेनेज को वाहन की खरीद Purchase of vehicle for United Orphanage	गैर परियोजना का तरीका Non Project Mode	कोयंबटूर Coimbatore		9.96	9.96	प्रत्यक्ष - युनाईटेड आरफेनेज को चेक द्वारा भुगतान किया गया Direct – paid by cheque to United Orphanage
6	जम्मू एवं कश्मीर मुख्य मंत्री बाढ़ राहत कोष J&K Chief Ministers' Flood Relief Fund	परियोजना का तरीका Project Mode	जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir		300	300	जम्मू एवं कश्मीर के माननीय राज्यपाल को चेक दिया गया Cheque handed over to Hon'ble Governor of J&K
	कुल / TOTAL				355.62	410.12	

(मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)
(Chief Executive Officer or Managing Director or Director)

(अध्यक्ष सी एस आर समिति)
(Chairman CSR Committee)

अनुलग्नक IV

फार्म सं ए ओ सी - 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (ज) एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में

1. आर्म लेंथ के आधार पर संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों का विवरण:

1.1

क)	संबंधित पक्षकार के नाम (मों) एवं संबंध का स्वरूप :	श्री अरविंद मेहता, निदेशक
ख)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार का स्वरूप :	शिमला में संपत्ति जो ई सी जी सी के पदधारियों के लिए अतिथि गृह/होलीडे होम के लिए पट्टे पर ली गई है (सुश्री गीता स्वरूप मेहता के साथ निदेशक द्वारा संयुक्त स्वामित्व की)
ग)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की अवधि :	3 वर्ष अर्थात 01.02.2014 से 31.01.2017 तक
घ)	मूल्य सहित, यदि कोई हो, संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार के प्रमुख अभिलक्षण;	49,200/- रूपए के मासिक पट्टे किराये पर पट्टे के आधार पर संपत्ति, मूल पट्टे की अवधि तीन वर्ष है, उन्हीं निबंधन एवं शर्तो पर और एक वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है।
ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें), यदि कोई हो	इस व्यवस्था को 27 जून, 2014 को हुई बोर्ड की बैठक में मद संख्या ए-3 के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया।
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हों :	ब्याज मुक्त वापस की जाने वाली जमानत जमा राशि के रूप में छ: माह के पट्टे के किराये के बगैर 2,95,200/- रूपए की जमानत राशि का भुगतान किया गया।

1.2

क)	संबन्धित पार्टी का नाम	एन ई आई ए ट्रस्ट
ख)	संबंध का नाम	समझौता
ग)	संविदा / संव्यवहार / व्यवस्था की प्रकृति	भारत सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक ट्रस्ट। प्रबंधन ट्रस्टी के जरिये ई सी जी सी को ट्रस्ट का प्रशासक बनाया गया। का नि, ई सी जी सी को प्रबंधन ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया।
घ)	संविदा / व्यवस्था / संव्यवहार की अवधि	हम ई सी जी सी के रूप में ट्रस्ट का प्रबंधन कर रहे हैं।
ङ)	मूल्य , यदि कोई हो , सहित संविदा अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के मुख्य शर्तें	का नि ट्रस्ट की प्रबंधन ट्रस्टी हैं। अ प्र नि , ई सी जी सी निदेशन समिति के सदस्यों में से एक हैं। ई सी जी सी, प्रशासनिक व्यय के रूप में कुल प्रीमियम आय के 5 % के लिए पात्र है।
च)	मण्डल द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें)	17 मार्च 2006
छ)	संव्यवहार की प्रस्तावित तारीख	हम वर्ष 2006 से इस ट्रस्ट का प्रबंधन कर रहे हैं।

गीता मुरलीधर

कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-अतिरिक्त प्रभार

Annexure IV

Form No. AOC - 2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

1. Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis :

1.1

a)	Name(s) of the related party and nature of relationship :	Shri Arvind Mehta, Directors
b)	Nature of Contracts/ arrangements/ Transactions:	Property at Shimla (jointly owned by Director with Mrs. Geeta Swarup Mehta) is taken on lease for Guest House/Holiday Home for ECGC Officials
c)	Duration of the Contracts/ arrangements / Transactions:	3 years i.e. 01.02.2014 to 31.01.2017
d)	Salient terms of the Contracts or arrangements or transactions including the value, if any;	Property on lease basis with monthly lease rent of ₹49,200. The original lease period is of three years, having provision of one more renewal with the same terms & conditions.
e)	Date(s) of approval by the Board, if any	This arrangement was reported to Board Meeting held on 27th June, 2014 under Item – A-3.
f)	Amount paid as advances, if any:	Deposit amount paid ₹2,95,200 equal to six months lease rent, as interest free refundable security deposit

1.2

a)	Name of Related Party	NEIA TRUST
b)	Name of Relationship	Arms Length
c)	Nature of Contract/ Transaction/Arrangement	Public Trust Formed By Govt of India ECGC is asked to administer the Trust as through Managing Trustee, ED, ECGC is nominated as Managing Trustee
d)	Duration of the Contracts/ arrangement/Transaction	We are administrating the Trust as ECGC
e)	Salient Terms of the Contracts or arrangements or transactions including the value, if any	ED is the managing Trustee of the Trust CMD, ECGC is one of the Committee of Directions member ECGC is entitled for 5% of Premium Income to meet administrative Expenditure.
f)	Date(s) of approval by the Board	17th March 2006
g)	Proposed Date of Transaction	we are managing this Trust since 2006

Geetha Muralidhar

ED/CMD-Additional Charge

• **उद्योग का कुल पण्यावर्त**	:	₹ 15,76,380 करोड़
• **कुल निर्यात पण्यावर्त**	:	₹ 20,961 करोड़
• **निर्यात पण्यावर्त** (एम एस एम ई)	:	₹ 11,360 करोड़
• **रोजगार निर्माण** (एम एस एम ई)	:	63,00,000
• **सर्वप्रमुख निर्यात गंतव्य स्थल**	:	दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप इ.
• **हमारे देश में केन्द्रीकरण के क्षेत्र**	:	नयी दिल्ली, मुंबई, बैंगलूरू, कोलकाता, चेन्नई, नालागढ़, कसौली इ.

खाद्य संसाधन
FOOD PROCESSING

• **Total turnover of the Industry**	:	₹ 15,76,380 crores
• **Total export turnover**	:	₹ 20,961 crores
• **Export turnover - MSME**	:	₹ 11,360 crores
• **Employment Generation - MSME**	:	63,00,000
• **Top export destinations**	:	South East Asia, Middle East, Europe etc
• **Areas of concentration in our country**	:	New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Chennai, Nalagarh, Kasauli etc.

वित्तीय विवरण
Financial Statements

फॉर्म बी-आर ए / FORM B-RA

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Ltd.

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) / (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.)

सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

पंजीकरण संख्या 124 | पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002

Registration No. 124 | Date of Registration : 27th September,2002

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premiums earned (Net)	1	1019,27,27.40	907,34,59.83
2	निवेश की बिक्री / शोधन से लाभ Profit on Sale/Redemption of Investment		2,10,24.35	5,68,28.52
3	निवेश की बिक्री / शोधन से हानि Loss on Sale / Redemption of Investment		(4,19.08)	-
4	अन्य / Others			
	- शुल्क / Fee		1,30,46.79	1,25,73.42
	- दावों एवं प्रीमियम पर ब्याज / Interest on Claims & Premium		98,72.06	2,61,37.43
	- विनिमय घटबढ़ लाभ(शुद्ध) / Exchange Fluctuation Profit (Net)		12,44.61	34,81.08
	- विविध आय / Miscellaneous Income		75,75.73	9,65.77
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ / Profit on Sale of Asset		-	-
5	ब्याज एवं लाभांश- सकल / Interest & Dividend - Gross		292,33,36.53	257,11,06.97
	कुल (क) TOTAL (A)		**1316,84,08.39**	**1174,45,53.02**
1	उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	2	1163,50,03.52	746,06,72.89
2	कमीशन / Commission	3	(57,48,18.88)	(57,92,41.35)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	205,16,70.95	156,58,04.34
4	अन्य - प्रीमियम की कमी / Other - Premium Deficiency		-	-
	कुल (ख) TOTAL (B)		**1311,18,55.59**	**844,72,35.88**
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous C =(A-B)		5,65,52.80	329,73,17.14
	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholder's Account		5,65,52.80	329,73,17.14
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Catastrophe Reserve		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		-	-
	कुल (ग) TOTAL (C)		**5,65,52.80**	**329,73,17.14**

FINANCIAL STATEMENTS

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों के नोट राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं ।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है ।

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(गीता मुरलीधर)
का.नि./ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
(GEETHA MURALIDHAR)
ED/Chairman-cum-Managing Director (Addl. Charge)

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(चन्दन सिन्हा)
निदेशक
(CHANDAN SINHA)
Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे)
निदेशक
(AJAY MURLIDHAR PONKSHE)
Director

(एम. सेंथिलनाथन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(M. SENTHILNATHAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते पी एम दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 102065 डब्ल्यू
For P. M. DALVI & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 102065W

(सुनील जी. रोहरा)
भागीदार - एम.सं. 110748
(SUNIL G. ROHRA)
Partner - M.No.110748

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(बी. एन. राव)
भागीदार - एम.सं. 039555
(B. N. RAO)
Partner - M.No. 039555

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 6 मई 2015
Dated : 6th May, 2015

फॉर्म बी- पी एल / FORM B-PL

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Ltd.

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) / (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.)

सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	परिचालन लाभ/(हानि) OPERATING PROFIT/(LOSS)			
	(क) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance		-	-
	(ख) मरीन बीमा (b) Marine Insurance		-	-
	(ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance		5,65,52.80	329,73,17.14
2	निवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS			
	(क) ब्याज व लाभांश- सकल (a) Interest & Dividends-Gross		229,69,07.27	202,01,55.48
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ (b) Profit on Sale of Investments		1,65,19.13	4,46,50.98
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments		(3,29.27)	-
3	अन्य आय OTHER INCOME			
	(क) फ़ैक्टरिंग आय (a) Factoring Income		17.80	-
	(ख) एन ई आई ए आय (b) NEIA Income		93,31.59	60,26.52
	(ग) किराया व अन्य प्राप्तियाँ (c) Rent & Other receipts		5,04.17	5,38.92
	(घ) विविध आय (d) Miscellaneous Income		18,52,42.58	8,08,74.85
	कुल (क) TOTAL (A)		**256,47,46.07**	**544,95,63.89**
4	प्रावधान (कराधान के अलावा) PROVISIONS (Other than Taxation)			
	(क) निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए (a) For diminution in the value of investments		(3,81.00)	3,81.00
	(ख) फ़ैक्टरिंग के लिए प्रावधान (b) Provision for Factoring			

FINANCIAL STATEMENTS

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	- मानक आस्ति - Standard Asset		-	-
	- निम्न मानक आस्ति - Sub Standard Asset		-	-
	- संदिग्ध आस्ति - Doubtful Asset		-	-
	(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Doubtful Debts		-	-
5	**अन्य व्यय** **OTHER EXPENSES**			
	(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	- निवेशों के लिए किए गए व्यय - Expenses towards Investments		1,34,88.62	1,18,88.46
	- विविध व्यय - Miscellaneous Expense		0.03	7.56
	कुल (ख) TOTAL (B)		**1,31,07.65**	**1,22,77.02**
	कर पूर्व लाभ (क - ख) **Profit Before Tax (A - B)**		255,16,38.42	543,72,86.87
	घटाएँ / Less:			
	(क) कराधान के लिए प्रावधान (a) Provision for Taxation			
	- आस्थगित कर - Deferred Tax		(5,80,83.90)	(2,94,14.82)
	- वर्तमान कर - Current Tax		76,00,00.00	177,00,00.00
	- संपत्ति कर - Wealth Tax		11,85.21	76,32.91
	- न्यूनतम विकल्प कर ऋण पात्रता - MAT Credit Entitlement		-	-
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन (b) Prior Period Adjustments		4,75,80.34	13,58.76
	(ग) कर समायोजन - पूर्व वर्ष (c) Tax Adjustments - Earlier years		-	4,15,88.02
	विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ Profit available for appropriation		180,09,56.77	364,61,22.00
	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश (a) Interim Dividends Paid During the Year		-	-
	(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर (b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend		-	-
	(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed Final Dividend		48,00,00.00	88,00,00.00
	(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर		9,82,78.42	14,95,56.00

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	(d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend			
	(ड़) निगमित सामाजिक दायित्व के लिए व्यय (e) Expenses towards Corporate Social Responsibility		3,37,16.92	3,91,61.40
	(च) निगमित सामाजिक दायित्व व दीर्घकालिक विकास में अंतरण (f) Transfer to Corporate Social Responsibility & Sustainable Developement		4,34,83.08	1,08,38.60
	(छ) फ़ैक्टरिंग योजना के लिए रिज़र्व में अंतरण (g) Transfer to Reserve for Factoring Scheme		-	60,00,00.00
	(ज) सामान्य निधियों में अंतरण (h) Transfer to General Reserve		114,54,78.35	196,65,66.00
	पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ/हानि शेष Balance of Profit/Loss brought forward from last year		-	-
	तुलन पत्र में आगे लाए गए शेष Balance carried forward to Balance Sheet		-	-

(गीता मुरलीधर)
का.नि./ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
(GEETHA MURALIDHAR)
ED/Chairman-cum-Managing Director (Addl. Charge)

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(चन्दन सिन्हा)
निदेशक
(CHANDAN SINHA)
Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे)
निदेशक
(AJAY MURLIDHAR PONKSHE)
Director

(एम. सेंथिलनाथन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(M. SENTHILNATHAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते पी एम दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 102065 डब्ल्यू
For P. M. DALVI & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 102065W

(सुनील जी रोहरा)
भागीदार - एम.सं.110748
(SUNIL G. ROHRA)
Partner - M.No.110748

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(बी. एन. राव)
भागीदार - एम.सं. 039555
(B. N. RAO)
Partner - M.No. 039555

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 6 मई, 2015
Dated : 6th May, 2015

फॉर्म बी-बी एस/ FORM B - BS

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Ltd.

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) / (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.)

सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2015 तक का तुलन पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September,2002

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
I.	**निधियों के स्त्रोत**			
	SOURCES OF FUNDS			
	शेयर पूंजी Share Capital	5	1200,00,00.00	1100,00,00.00
	प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves and Surplus	6	1788,95,41.98	1674,40,63.63
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता Fair Value Change Account		172,98,51.77	54,39,32.95
	ऋण Borrowings	7	-	-
	आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability		-	-
	कुल Total		**3161,93,93.75**	**2828,79,96.58**
II.	**निधियों का प्रयोग**			
	APPLICATION OF FUNDS			
	निवेश Investments	8 & 8A	5716,38,11.99	4614,37,01.80
	ऋण Loans	9	-	-
	अचल संपत्ति Fixed Assets	10	220,43,36.61	201,94,35.40
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ Deferred Tax Assets		15,47,66.68	9,66,82.78
	वर्तमान परिसंपत्तियाँ Current Assets			
	नकद व बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	1185,76,91.84	1144,05,73.43
	अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	909,54,75.73	844,29,66.18
	उप कुल (क) Sub Total (A)		**2095,31,67.57**	**1988,35,39.61**
	वर्तमान देयताएँ / Current Liabilities	13	4195,50,44.92	3330,52,26.88
	प्रावधान / Provisions	14	690,16,44.18	655,01,36.13
	उप कुल (ख) Sub Total (B)		**4885,66,89.10**	**3985,53,63.01**

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ग)= (क-ख) Net Current Assets (C)= (A-B)		(2790,35,21.53)	(1997,18,23.40)
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता / Fair Value Change Account		-	-
	विविध व्यय / Miscellaneous Expenditure	15	-	-
	(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) (to the extent not written off or adjusted)			
	लाभ और हानि खाते में नामे शेष Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
	कुल TOTAL		**3161,93,93.75**	**2828,79,96.58**
	महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
	लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	17		

(गीता मुरलीधर)
का.नि./ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
(GEETHA MURALIDHAR)
ED/Chairman-cum-Managing Director (Addl. Charge)

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(चन्दन सिन्हा)
निदेशक
(CHANDAN SINHA)
Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे)
निदेशक
(AJAY MURLIDHAR PONKSHE)
Director

(एम. सेंथिलनाथन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(M. SENTHILNATHAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते पी एम दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 102065 डब्ल्यू
For P. M. DALVI & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 102065W

(सुनील जी. रोहरा)
भागीदार - एम. सं. 110748
(SUNIL G. ROHRA)
Partner - M. No.110748

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(बी. एन. राव)
भागीदार - एम.सं. 039555
(B. N. RAO)
Partner - M.No. 039555

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 6 मई 2015
Dated : 6th May, 2015

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -1 / SCHEDULE -1

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

(₹ '000)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
सीधे कारोबार से प्रीमियम / Premium from Direct Business Written	1362,39,79.11	1303,72,59.69
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	308,01,81.01	319,56,02.99
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	**1054,37,98.10**	**984,16,56.70**
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	(35,10,70.70)	(76,81,96.87)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	**1019,27,27.40**	**907,34,59.83**

अनुसूची -2 / SCHEDULE -2

उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

(₹ '000)

विवरण / Particulars		वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
प्रदत्त दावे / Claims Paid			
सीधे / Direct		589,83,11.68	897,49,08.73
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add : Reinsurance Accepted		-	-
घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा / Less : Reinsurance Ceded		132,26,88.15	401,77,44.70
घटाएँ : / Less :			
वर्ष के दौरान वसूल किए गए / Recovered during the year	160,14,90.51		158,31,17.56
घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता को लौटाए गए Less : Share of Reinsurer	25,82,19.31		24,66,71.07
	134,32,71.20	134,32,71.20	133,64,46.49
शुद्ध प्रदत्त दावे / Net Claims paid (क) / (A)		323,23,52.33	362,07,17.54
जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year (Net of Reinsurance)		3807,98,77.36	2963,93,24.35
घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Provision for Recovery (Net of Reinsurance)		11,18,47.51	7,39,45.69
(ख) / (B)		3796,80,29.85	2956,53,78.66
घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning (Net of Reinsurance)		2963,93,24.35	2588,17,02.65
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less Provision for Recovery (Net of Reinsurance)		7,39,45.69	15,62,79.34
(ग) / (C)		2956,53,78.66	2572,54,23.31
कुल उपगत दावे (क + ख - ग) / Total Claims Incurred (A + B - C)		**1163,50,03.52**	**746,06,72.89**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -3 / SCHEDULE -3

कमीशन / COMMISSION

(₹ '000)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
प्रदत्त कमीशन / Commission Paid		
सीधे / Direct	2,29,28.88	2,02,21.06
कुल (क) TOTAL (A)	**2,29,28.88**	**2,02,21.06**
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add : Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	59,77,47.76	59,94,62.41
शुद्ध कमीशन / Net Commission	**(57,48,18.88)**	**(57,92,41.35)**
नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए।		
Note: The Profit/Commission, if any are to be combined with the Reinsurance Accepted or Reinsurance Ceded figures.		
नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप		
Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
एजेंट / Agents	-	-
ब्रोकर / Brokers	2,10,18.40	1,75,43.19
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	19,10.48	26,77.87
अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (pl. specify)	-	-
कुल (ख) TOTAL (B)	**2,29,28.88**	**2,02,21.06**
नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए Note: Total (A) and (B) above should tally		

अनुसूची -4 / SCHEDULE -4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं / Employees' Remuneration and Welfare Benefits	135,61,35.61	93,22,50.87
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय / Travel, Conveyance and Vehicle running Expenses	8,07,77.72	7,88,24.67
3	प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	1,27,85.23	1,56,33.89
4	किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes	12,46,16.70	11,49,89.69
5	मरम्मत / Repairs	10,08,71.33	11,59,14.46
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	1,42,31.54	1,04,44.61
7	सूचना व्यय / Communication Expenses	2,36,03.69	1,06,71.32

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional Charges	1,88,83.62	3,34,65.58
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' Fees, Expenses, etc.		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) As Auditor	48,27.51	46,89.18
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता या किसी अन्य सेवा के रूप में		
	(b) As Adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) कराधान मामले / Taxation matters	9,27.75	9,10.57
	(ii) बीमा मामले / Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / Management services	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए / (c) In any other capacity	1,12,89.11	1,12,11.67
10	विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity	7,81,68.07	6,42,73.27
11	ब्याज व बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges	8,13.68	7,02.33
12	अन्य - विविध व्यय व अन्य व्यय / Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	15,12,99.76	13,54,75.46
13	मूल्यह्रास / Depreciation	7,24,39.63	3,63,46.77
	कुल TOTAL	**205,16,70.95**	**156,58,04.34**

अनुसूची -5 / SCHEDULE -5
शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

(₹ '000)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
1	**प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital**		
	₹100 प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर	5000,00,00.00	5000,00,00.00
	50,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each		
	(पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 50,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)		
2	**निर्गमित पूंजी / Issued Capital**		
	₹100 प्रत्येक के 12,00,00,000 इक्विटी शेयर	1200,00,00.00	1100,00,00.00
	12,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each		
	(पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 11,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 11,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)		
3	**अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital**		
	₹100 प्रत्येक के 12,00,00,000 इक्विटी शेयर	1200,00,00.00	1100,00,00.00
	12,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each		
	(पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 11,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 11,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)		

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
4	**मांगी गई व प्रदत्त पूंजी / Called up & Paid up Capital**		
	₹100 प्रत्येक के 12,00,00,000 इक्विटी शेयर	1200,00,00.00	1100,00,00.00
	12,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each		
	(पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 11,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 11,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)		
	जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)	-	-
	Add : Equity Shares forfeited (Amount originally Paid-up)		
	घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सम मूल्य	-	-
	Less : Par Value of Equity Shares bought back		
	घटाएँ : आरंभिक व्यय	-	-
	Less : Preliminary Expenses		
	शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय	-	-
	Expenses including Commission or Brokerage on Underwriting or Subscription of Shares	-	-
	कुल TOTAL	**1200,00,00.00**	**1100,00,00.00**

अनुसूची -5क / SCHEDULE -5A

शेयर धारण का नमूना (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित के अनुसार) / PATTERN OF SHAREHOLDING (As Certified by the Management)

शेयरधारक / Shareholder	वर्तमान वर्ष / Current Year		पिछले वर्ष / Previous Year	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित President of India & His Nominees	12,00,00,000	100.00	11,00,00,000	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	**12,00,00,000**	**100.00**	**11,00,00,000**	**100.00**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -6 / SCHEDULE -6
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा / General Reserve - Opening Balance	1614,40,63.63	1417,74,97.63
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	114,54,78.35	196,65,66.00
		1728,95,41.98	1614,40,63.63
	वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	-	-
		1728,95,41.98	1614,40,63.63
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
6	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	60,00,00.00
7	अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) / Other Reserves (to be specified)	-	-
8	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	-	-
	कुल TOTAL	**1788,95,41.98**	**1674,40,63.63**

अनुसूची -7 / SCHEDULE -7
उधार / BORROWINGS

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	डिबेंचर/बॉन्ड / Debentures/Bonds	-	-
2	बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटने योग्य) Banks (unsecured - repayable in less than 12 months)	-	-
3	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
4	अन्य / Others	-	-
	कुल TOTAL	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8

निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	612,74,16.72	522,17,03.08
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	394,01,03.62	356,34,46.15
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	28,65,80.80	28,66,67.56
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर a. Shares		
	कक. इक्विटी शेयर (i) Equity Shares	321,36,62.66	224,64,89.33
	खख. अधिमानित शेयर (ii) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड b. Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड d. Debentures/Bonds	-	-
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश I. Investment in Housing Sector Bonds	301,37,55.85	209,84,83.10
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड II. Market Sector Bonds	207,82,11.33	199,34,89.98
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) e. Other Securities (to be specified)	-	-
	च. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	487,60,49.88	321,41,15.72
5	अन्य निवेश / Other Investments	16,16,79.16	9,73,73.57
	कुल Total (क) / (A)	**2369,74,60.02**	**1872,17,68.49**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8

निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars		वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	अल्पावधि निवेश / **SHORT TERM INVESTMENTS**			
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills			
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities		50,00,32.50	28,59,50.02
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities		-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities		-	-
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments			
	क. निवेश a. Shares			
	कक. इक्विटी शेयर aa. Equity Shares		-	-
	खख. अधिमानित शेयर bb. Preference Shares		-	-
	ख. म्यूचुअल फंड b. Mutual Funds		-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments		-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड d. Debentures/Bonds			
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश I. Investment in Housing Sector Bonds		26,21,80.02	54,94,33.57
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड II. Market Sector Bonds		15,41,24.27	44,22,56.03
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ e. Other Securities		43,92,80.42	6,44,66.52
	च. गौण मद f. Subsidiaries		-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate		-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector		9,90,00.05	23,93,54.18
5	अन्य निवेश / Other Investments		-	-
	कुल Total	**(ख) / (B)**	**145,46,17.26**	**158,14,60.32**
	कुल Total	**(क + ख) / (A + B)**	**2515,20,77.28**	**2030,32,28.81**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 अ / SCHEDULE -8 A

निवेश (पॉलिसीधारक) / INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	779,85,30.37	664,58,03.93
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	501,46,77.33	453,52,95.10
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	36,47,39.20	36,48,49.63
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर a. Shares		
	कक. इक्विटी शेयर aa. Equity Shares	409,01,16.11	285,91,68.23
	खख. अधिमानित शेयर bb. Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड b. Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड d. Debentures/Bonds		
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश I. Investment in Housing Sector Bonds	383,56,89.27	267,07,96.67
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड II. Market Sector Bonds	264,49,96.24	253,71,69.06
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) e. Other Securities (to be specified)	-	-
	च. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	620,58,81.67	409,06,92.73
5	अन्य निवेश / Other Investments	20,57,73.47	12,39,29.99
	कुल Total (क) / (A)	**3016,04,03.66**	**2382,77,05.34**

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 अ / SCHEDULE -8 A
निवेश (पॉलिसीधारक) / INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	अल्पावधि निवेश / Short Term Investments		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड		
	Government securities and Government Guaranteed bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	63,64,05.00	36,39,36.38
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी शेयर	-	-
	aa. Equity Shares		
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	bb. Preference Shares		
	ख. म्यूचुअल फंड	-	-
	b. Mutual Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	-	-
	d. Debentures/Bonds		
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश	33,36,83.67	69,92,79.08
	I. Investment in Housing Sector Bonds		
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड	19,61,58.15	56,28,71.30
	II. Market Sector Bonds		
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ	55,90,84.18	8,20,48.30
	e. Other Securities		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	12,60,00.06	30,46,32.59
	Investments in Infrastructure and Social Sector.		
5	अन्य निवेश / Other Investments	-	-
	कुल Total (ख) / (B)	**185,13,31.05**	**201,27,67.65**
	कुल Total (क + ख) / (A + B)	**3201,17,34.71**	**2584,04,72.99**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -9 / SCHEDULE -9

ऋण / LOANS

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	**प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	जमानती / Secured		
	(क) संपत्ति के बंधक रखने पर		
	(a) On mortgage of property		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान / Less : Provision for Doubtful Debts	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	(b) On Shares, Bonds, Government Securities		
	(ग) अन्य (गैर जमानती)		
	(c) Others (Unsecured)		
	कुल / TOTAL	-	-
2	**लेनदारवार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार	-	-
	(a) Central and State Governments		
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान	-	-
	(b) Banks and Financial Institutions		
	(ग) अनुषंगी	-	-
	(c) Subsidiaries		
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	-	-
	(d) Industrial Undertakings		
	(ड़) अन्य	-	-
	(e) Others		
	कुल TOTAL	-	-
3	**निष्पादनवार वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(a) Loans classified as standard		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण		
	(b) Non-Performing Loans less Provisions		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	कुल TOTAL	-	-
4	परिपक्वता आधारित वर्गीकरण / **MATURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) अल्पावधि	-	-
	(a) Short Term		
	(ख) दीर्घावधि	-	-
	(b) Long Term		
	कुल TOTAL	-	-

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -10 / SCHEDULE -10
अचल परिसंपत्तियाँ / FIXED ASSETS

(₹ '000)

क्र.सं. / Sr. No.	विवरण / Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block					मूल्यह्रास / Depreciation					परिसंपत्तियों का अनर्जन / Impairment of Assets				शुद्ध ब्लॉक / Net Block	
		प्रारंभिक / Opening	समायोजन/ Adjustment	परिवर्धन / Additions	कटौतियाँ / Deductions	अंतिम / Closing	प्रारंभिक / Opening	समायोजन/ Adjustment	वर्ष के लिए / For the Year	बिक्री पर / समायोजन / On Sale / Adjustments	आज तक / To date	प्रारंभिक / Opening	अतिरिक्त अनर्जन / Additional Impairment	उत्क्रमण / Reversal	आज तक / To date	31.03.2015 तक / As at 31.03.2015	31.03.2014 तक / As at 31.03.2014
1	साख / Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त / Intangibles	**3,85,30.59**	-	4,98.04	-	**3,90,28.63**	**3,82,65.57**	-	1,04.84	-	**3,83,70.41**	-	-	-	-	6,58.22	2,65.02
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली / Land - Freehold	**74,81,52.33**	-	-	-	**74,81,52.33**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति / Lease-hold Property	**5,87,63.54**	-	-	-	**5,87,63.54**	**1,20,52.63**	-	6,72.92	-	**1,27,25.55**	-	-	-	-	4,60,37.99	4,67,10.91
5	भवन / Building	**43,50,10.82**	-	2,51.87	19,95.28	**43,32,67.41**	**10,72,49.56**	-	74,33.03	1,11.02	**11,45,71.57**	-	-	-	-	31,86,95.84	32,77,61.26
6	फर्नीचर तथा फिटिंग / Furniture and Fittings	**14,86,52.52**	-	94,73.37	4,46.49	**15,76,79.40**	**10,34,54.63**	-	2,48,34.69	4,40.40	**12,78,48.92**	1.25	-	-	1.25	2,98,29.23	4,51,96.64
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	**15,69,08.73**	-	53,26.31	4,44.66	**16,17,90.38**	**13,30,65.21**	-	1,27,95.70	4,44.47	**14,54,16.44**	-	-	-	-	1,63,73.94	2,38,43.52
8	वाहन / Vehicles	**7,07,36.40**	-	7,06.90	-	**7,14,43.30**	**6,10,94.15**	-	17,17.39	-	**6,28,11.54**	-	-	-	-	86,31.76	96,42.25
9	कार्यालय उपकरण / Office Equipments	**5,69,19.11**	-	88,68.56	22,84.91	**6,35,02.76**	**2,36,58.39**	2,10.47	2,48,81.06	18,14.30	**4,69,35.62**	0.97	-	-	0.97	1,65,66.17	3,32,59.75
कुल / Total		171,36,74.04	-	**2,51,25.05**	**51,71.34**	173,36,27.75	47,88,40.14	**2,10.47**	**7,24,39.63**	**28,10.19**	54,86,80.05	**2.22**	-	-	**2.22**	**118,49,45.48**	**123,48,31.68**
प्रगतिरत कार्य / Work in Progress																**101,93,91.13**	**78,46,03.72**
कुल योग / Grand Total		171,36,74.04	-	**251,25.05**	**51,71.34**	173,36,27.75	47,88,40.14	**2,10.47**	**7,24,39.63**	**28,10.19**	54,86,80.05	**2.22**	-	-	**2.22**	**220,43,36.61**	**201,94,35.40**
पिछले वर्ष / Previous Year		170,74,23.03	-	**2,29,99.11**	**1,67,48.09**	171,36,74.04	45,38,82.61	-	**3,63,46.77**	**1,13,89.24**	47,88,40.14	**2.22**	-	-	**2.22**	**201,94,35.40**	**152,64,15.44**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -11 / SCHEDULE -11

नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	1,19,34.05	2,36,00.28
	Cash (including cheques, drafts and stamps)		
2	बैंक शेष / Bank Balances		
	(क) जमा खाते		
	(a) Deposit Accounts		
	अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
	Short Term (due within 12 months):		
	अनुसूचित बैंकों के पास	944,90,00.00	957,37,18.47
	With Schedule Banks		
	वित्तीय संस्थानों के पास	199,64,00.00	169,73,00.00
	With Financial Institutions		
	अन्य / Others		
	अनुसूचित बैंकों के पास	20,59,00.00	1,03,00.00
	With Schedule Banks		
	वित्तीय संस्थानों के पास		
	With Financial Institution	-	-
	(ख) चालू खाता	19,43,57.79	13,55,54.68
	(b) Current Accounts		
	(ग) अन्य - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	1,00.00	1,00.00
	(c) Others - Balance with Reserve Bank of India		
3	मांग एवं अल्प नोटिस मुद्रा		
	Money at Call and Short Notice		
	बैंकों के पास	-	-
	With Banks		
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	With other Institutions		
4	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	**1185,76,91.84**	**1144,05,73.43**

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -12 / SCHEDULE -12
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	अग्रिम / ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve Deposits with Ceding Companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for Investments	-	-
3	समय पूर्व भुगतान Prepayments	4,04,77.85	5,06,25.68
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Capital Expenses	-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid (Net of Provision for Taxation)	375,95,94.62	246,50,05.44
6	न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता MAT Credit Entitlement	-	-
7	बैंकों को लेखागत दावा अदायगी On account Claim Payment to Banks	3,00,00.00	6,00.00
	घटाएँ:संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	-	6,00.00
		3,00,00.00	-
8	कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	14,52,10.91	12,89,45.78
9	व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Expenses	36,20.01	36,90.77
	कुल (क) / TOTAL (A)	**397,89,03.39**	**264,82,67.67**
	अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS		
1	निवेशों पर प्रोद्भूत आय Income accrued on Investments	161,10,36.13	145,70,88.95
2	बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums	-	-
3	एजेंटों के शेष Agents' Balances	-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies Balances	-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाइयों से देय Due from other entities carrying on Insurance Business (including Reinsurers)	220,00,02.92	262,08,48.34

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -12 / SCHEDULE -12

अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars		वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
6	गौण/धारक इकाइयों से देय Due from Subsidiaries/holding		-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा Deposit with Reserve Bank of India (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप) (Pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938)		9,95,25.00	9,95,25.00
8	आवास ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued on Housing Loan		3,63,64.92	3,57,34.20
9	विविध देनदार / Sundry Debtors-			
	मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Assets			-
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Assets			-
	(I)			-
	निम्न मानक परिसंपत्तियाँ Sub - Standard Assets	-		-
	घटाएँ: निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Sub - Standard Assets	-		-
	(II)	-	-	-
	संदिग्ध परिसंपत्तियाँ Doubtful Assets	7,04,26.80		7,04,26.80
	घटाएँ: संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Assets	7,04,26.80		7,04,26.80
	(III)	-	-	-
	(I + II + III)		-	-
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	106,51,01.78		
	घटाएँ: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	95,11.50		
		105,55,90.28	105,55,90.28	149,30,42.53
11	विविध जमाएँ / Sundry Deposits	11,40,53.09		
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	-		
		11,40,53.09	11,40,53.09	8,84,59.48
	शाखाओं के मध्य / Inter - branch	-	-	-
	कुल (ख) / TOTAL (B)		**511,65,72.34**	**579,46,98.50**
	कुल (क+ख) / TOTAL (A+B)		**909,54,75.73**	**844,29,66.18**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -13 / SCHEDULE -13
वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	एजेन्टों का शेष Agents' Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other Insurance Companies	103,11,54.48	110,87,19.26
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा Deposits held on Reinsurance Ceded	-	-
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance	56,77,88.20	50,02,80.99
5	अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	180,50,55.92	178,66,79.12
6	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि Unclaimed Amount of Policyholders	1,87,04.61	1,83,36.82
7	विविध लेनदार Sundry Creditors	28,09,22.09	16,64,70.95
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय Due to Subsidiaries/Holding Company	-	-
9	बकाया दावे Claims outstanding	3796,80,29.85	2956,53,78.66
10	कर्मचारियों को देय Due to Employees	22,30,34.02	10,72,16.79
11	अन्य को देय Due to Others - NEIA	4,28,28.34	2,33,61.26
	- फ़ैक्टरिंग - Factoring	-	-
	- विविध - Miscellaneous	1,73,97.21	2,74,32.54
	- सेवा कर देयता - Service Tax Liability	1,30.20	13,50.49
12	बैंक बही ओवरड्राफ्ट- अस्थायी Bank Book Overdraft - Temporary	-	-
	कुल / TOTAL	**4195,50,44.92**	**3330,52,26.88**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -14 / SCHEDULE -14

प्रावधान / PROVISIONS

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk	527,18,99.05	492,08,28.35
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency	-	-
3	निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित Reserve for Corporate Social Responsibility	9,27,53.56	5,05,30.71
4	कराधान के लिए / For Taxation		
	- आय कर (अग्रिम कर को घटा कर) - Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
	- संपत्ति कर / - Wealth Tax	11,85.21	76,32.91
	- उपांत सुविधा कर (अग्रिम कर को घटाकर) - Fringe Benefit Tax (Net of Advance Tax)	-	-
5	प्रस्तावित लाभांशों के लिए For Proposed Dividends	48,00,00.00	88,00,00.00
6	लाभांश वितरण कर के लिए For Dividend distribution Tax	9,82,78.42	14,95,56.00
7	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए For Retirement Benefits		
	- छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - Leave Encashment & Long Service	36,22,40.30	29,01,85.10
	- उपादान / - Gratuity	8,25,75.51	1,38,53.70
	- पेंशन / - Pension	51,27,12.13	23,66,83.45
8	कम कारोबार के शेयरों के लिए For Thinly Traded Shares	-	8,65.91
	कुल / TOTAL	**690,16,44.18**	**655,01,36.13**

अनुसूची -15 / SCHEDULE -15

विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य Others	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**

अनुसूची 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा प्रणाली:

1.1 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधाराएं (1), (2) तथा (5) तथा धारा 277 की उपधारा (5) के प्रावधानों के साथ पढे जाने वाले बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन गठित विनियम; बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के विनियामक प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा दर्शाया न गया हो, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा इनके निर्माण में कंपनी (लेखामानक) नियम, 2006 द्वारा निर्धारित लेखामानकों की आवश्यकताओं तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों की सीमा तक लागू तथा ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप अनुपालन किया गया है।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा जब इनका परिणाम सामने आएगा।

2. अचल संपत्ति तथा मूल्य ह्रास:

2.1 अचल सम्पत्तियों का, अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य ह्रास को कम कर अंकन किया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर मूल्य ह्रास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल / निपटाई गयी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उन्हें शामिल किए जाने / निपटाने की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर गणना की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य ह्रास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।

2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है ।

SCHEDULE 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION:

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of Section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION:

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.

2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.

2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.

2.4 हार्ड वेयर का अभिन्न अंग बनाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले से लोड किया गया सॉफ्टवेयर तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर शामिल है, को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।

2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य जो कंपनी लेखामानक नियम 2006 द्वारा जारी AS - 26 - अमूर्त परिसंपत्तियाँ - के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं, को "अमूर्त" शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा 5 वर्षो की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.6 परियोजनाएं जो आरंभ की जा चुकी हैं को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) के रूप में मूल्य पर आगे लाया गया है तथा यह अग्रिमों व सीधे प्रदान करने योग्य लागत सहित ठेकेदारों को की गयी अदायगियों को प्रदर्शित करता है।

3. हानि

आगे लायी जाने वाली परिसंपत्तियों की राशियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की हानि का संकेत तो नहीं है। यदि हानि के कोई आसार दिखाई देते हैं तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान किया गया है । जहां कहीं भी परिसंपत्ति की आगे बढ़ाई जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि को माना गया है ।

4. निवेश:

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण जैसे वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाण पत्रों को छूट प्राप्त मूल्य में दर्शाया गया है तथा अधिग्रहण मूल्य और ऋणमुक्ति मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर विभाजित किया गया व उपचित आय के रूप में उसकी पहचान की गयी।

4.2 शेयर, बॉन्ड तथा डिबेंचरों आदि की खरीद व बिक्री के ठेकों को संव्यवहार की तारीख को "निवेश" के रूप में स्वीकार किया गया है।

4.3 निवेश मूल्य में अधिग्रहण पर प्रीमियम, व्यय जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प, अंतरण शुल्क आदि के व्यय तथा यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।

4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।

2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head "Intangibles" and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS:

4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.

4.2 Contracts for purchase and sale of Shares, Bonds, Debentures, etc., are accounted for as "Investments" as on date of Transaction.

4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.

4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on Shares/Interest on Debentures under objection/pending delivery is accounted for, on Realisation. Interim Dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (FIFO) पर की गयी है।

4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (NAV) पर की गयी है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा NAV के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि NAV उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।

4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। NSE तथा BSE दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए संव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन IRDA के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा । इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जोकि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है , पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा । यदि किसी साधन को NSE में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया गया है ।

4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and Profit/ Loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).

4.6 Investment in Government Securities, Debt Securities and Redeemable Preference Shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of Securities is amortised over the residual period of maturity.

4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/ Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The Shares are treated as Thinly Traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

4.9 अल्प व्यापारित ईक्विटियों तथा असूचीबद्ध ईक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कम किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित / असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है।

4.10 सूचीबद्ध ईक्विटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी ह्रास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी :

क) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में:- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक है। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य ₹1/- लिया गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :- लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य ₹1/-लिया गया हैं।

ग) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो :- अधिमानित शेयर्स के मूल्य ह्रास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार पर उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी / इक्विटी शेयर्स के मूल्यह्रास के मूल्य की गणना की जाती हैं । तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा ।

ख) एक बार जब उपरोक्त नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ ईक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है,

4.9 Investment in Thinly Traded Equity Shares and unlisted Equity Shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for Thinly/Unlisted Shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity / Equity related instruments/Preference Shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of ₹1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity Shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹1/- per Company.

c) In respect of Preference Shares, if the Dividend is not received for the last three years: - The Preference Shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down Equity Shares bears to the face value of the Equity Shares. However, if the Equity Shares are written off to ₹1/- per Company, Preference Shares also will be written off to a nominal value of ₹1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed Equity/ Equity related instruments / Preference Shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of

FINANCIAL STATEMENTS

इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व / लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी।

4.12 प्रतिवर्ती पुनर्खरीद संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के पहले व दूसरे चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 "संपार्षविक उधार लेने और देने की बाध्यता" (CBLO), जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया गया था को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार का उपकरण माना गया है। CBLO के जरिये उधार देने पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है और उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है ।

4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध एक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता" शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) उगाही के लिए लंबित, "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता" में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 "शेयरधारकों" एवं "पॉलिसीधारकों" की निधियों में निवेशों का आबंटन:- महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा सं 10.2) में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में निगम के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः "शेयरधारकों की निधियाँ" व "पॉलिसीधारकों की निधियाँ" शीर्ष "शेयरधारकों" व "पॉलिसीधारकों" की निधि में आबंटित किया गया है ।

4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/ अग्रिमों / डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में निगम बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA)/ भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

5. प्रीमियम आय

जोखिम के पूर्वानुमान पर प्रीमियम आय की पहचान की गयी है।

such impairment losses are recognised in Revenue/Profit & Loss Account only when the accumulated losses of such Investee Companies are completely wiped out and Capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as Income.

4.13 Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through CBLO is shown as income, which is apportioned on time basis.

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed Equity Shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in Profit and Loss Account.

b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

4.15 "Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds": Investments of the Corporation are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8A in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively as at the beginning of the FY as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2

4.16 The Corporation follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to Loans/ Advances/ Debentures.

5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of Risk.

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण वर्ष के लिए निवल प्रीमियम आय के 50% तक प्रावधान किया गया है ।

7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम कमी तब जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निधियों से अधिक हो तो ।

8. बकाया दावों तथा अनुमानित वसूलियों के लेखा के लिए प्रारक्षित निधियाँ :

8.1 रिपोर्ट की जानेवाली तारीख को बकाया दावों के लिए प्रारक्षित निधियों का निर्धारण को मध्यम व दीर्घ अवधि (MLT) रक्षाओं / पॉलिसियों के अधीन सभी दावा मामलों में तथा अल्पावधि पॉलिसियों / रक्षाओं के अधीन प्रक्रियाधीन दावों के मामलों में देय राशि के अनुसार किया गया है। जहां अल्पावधि रक्षाओं / पॉलिसियों के अधीन दावों पर कार्यवाही अभी शेष है प्रावधान अनुमानों के आधार पर किए जाएँगे।

8.2 यह भी कि, दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (IBNR) के लिए प्रावधान, दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (IBNER) के लिए प्रावधानों को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए लेखांकित किया गया है।

8.3 प्रदत्त दावों के संबंध में अनुमानित वसूलियों (अंतरण विलंब वसूलियों के अलावा) का लेखाप्रत्येक मामले के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। तथापि प्रदत्त दावों तथा तुलन पत्र की तारीख को तीन वर्षों से अधिक प्रदत्त दावों तथा वसूली के लिए बकाया का अनुमान ₹100/- (एक सौ रूपये मात्र) पर किया गया भले ही इस प्रकार के मूल्यांकन पर उच्च वसूली के लिए प्रावधान किया गया हो। प्रदत्त अंतरण विलंब के लिए अदा किए गए दावे पर होने वाली अनुमानित वसूलियों की गणना उपलब्ध जानकारी तथा पूर्व के अनुभव के आधार पर निगम की वर्तमान धारणाओं पर आधारित है।

8.4 आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित दावों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है :

(i) निगम द्वारा नामंजूर दावे तथा उन मामलों में जहां दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसके लिए कानूनी कार्यवाही तथा / अथवा विवेचन प्रारम्भ किया जा चुका है, उन मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है ।

(ii) बैंकों द्वारा दायर दावे जहां, उनके स्वयं द्वारा पुष्टि अनुसार देयों की वसूली हेतु समझौता प्रस्ताव पर

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for Unexpired Risks is created at 50% of Net Premium Income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium Deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and Related expenses exceed the Reserve for Un-expired Risks.

8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS AND ACCOUNTING OF ESTIMATED RECOVERIES :

8.1 Reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised at the amount determined as payable in all claim cases under Medium & Long Term(MLT) covers/policies and in case of processed claims under Short Term(ST) Policies/covers. In case of claims yet to be processed under ST covers/Policies, a provision will be made on the basis of estimates.

8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.3 The estimated recoveries (other than transfer delay recoveries) in respect of claims paid are accounted for on the basis of assessment of each case. However, the recoveries in respect of claims paid and outstanding for recovery for more than three years as on the Balance Sheet date are estimated at ₹100/- (Rupees One Hundred only) even if higher recovery provision is estimated on such assessments. The estimated recoveries on account of transfer delay claims paid, is accounted on the basis of the Corporation's current perceptions based on the available information and past experience.

8.4 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Corporation and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or Arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery

बातचीत चल रही है।

उक्त (i) व (ii) से संबन्धित मामलों के संदर्भ में यदि ब्याज के लिए दावा किया गया है आकस्मिक देयता अथवा प्रावधान के उद्देश्य दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है।

9. पुनर्बीमा :

9.1 जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से की गयी है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। प्रदान किए गए प्रीमियम में किए जाने वाले बाद के संशोधन का निर्धारण इस प्रकार के संशोधन के वर्ष से किया गया है। पॉलिसियों को रद्द करने के फलस्वरूप उत्पन्न पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन का निर्धारण उसी वर्ष की गयी जिस वर्ष पॉलिसी रद्द की गयी।

9.2 पुनर्बीमा करवाने के फलस्वरूप प्राप्त कमीशन की गणना उस अवधि की आय में किया गया है जिस अवधि के दौरान पुनर्बीमा प्रीमियम की अदायगी की गयी।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित अनुसार गणना की गयी है।

9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्तियोग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

10. प्रबंधन व्यय :

10.1 निगम के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त निगम द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः "शेयर धारक निधि"व "पॉलिसीधारक निधि" के रूप में प्रभाजित किया गया है। "शेयरधारक" निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। "पॉलिसीधारकों" की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि, बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of Contingent Liability or for Provision.

9. REINSURANCE :

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to Reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

9.2 Commission received on Reinsurance Ceded is recognized as income in the period in which Reinsurance premium is Ceded.

9.3 Profit Commission under Reinsurance Treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the Profits and as intimated by Reinsurer.

9.4 Amounts received/receivable from the Reinsurer, under the terms of the Reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT :

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Corporation, incurred by the Corporation are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to Revenue Account. Expenses relating to Investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the FY. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Un-expired Risk, Reserve for Outstanding Claims, etc.

10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. कर्मचारी लाभ :

11.1 निगम सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान, एक निश्चित लाभ योजना प्रदान करता है। योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों के लिए संबन्धित कर्मचारी का वेतन तथा निगम में पूर्ण की गयी सेवा की अवधि के आधार पर सेवा निवृत्ति अथवा सेवाओं के समापन के आधार पर एक मुश्त राशि प्रदान करता है। निगम बीमा कंपनी द्वारा रखी गयी उपदान निधि में अपना अंशदान देता है। राशि का अंशदान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निगम का उपदान निधि में अंशदान का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में दर्शाया गया है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतरों के लिए प्रावधान किए गए हैं ।

11.3 निगम की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान, दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले निगम का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई निगम को करनी होगी।

11.5. कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें , आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। निगम, उन पात्र कर्मचारियों जिन्होंने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले निगम में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। निगम ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निगम आवधिक आधार पर

11. EMPLOYEE BENEFITS :

11.1 The Corporation provides for Gratuity, a Defined Benefit Plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Corporation. The Corporation contributes to a Gratuity Fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Corporation's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

11.4. Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Corporation's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Corporation will have to fund the shortfall.

11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a Defined Benefit Plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Corporation has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical

ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्तियों की गारंटी देता है , प्राप्तियों में हुई कमी , यदि कोई हो तो , की भरपाई निगम करेगा।

11.6कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के ज़रिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र है जिसमें , रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से निगम अपना अंशदान करता है । वे कर्मचारी जिन्होंने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले निगम की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं । निगम ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निगम दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगा तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगा ।

11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नयी पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में निगम समान राशि का अंशदान करता है। निगम के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

11.8अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।

11.9कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर :

12.1कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) कर नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे, व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि निगम यह विश्वास दिलाते हुए सबूत प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।

12.2आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह

basis. The Corporation will meet the shortfall in the return, if any.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a Defined Benefit Plan to which the Corporation contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Corporation has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 Those employees who have joined the Corporation on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Corporation's contribution's are charged to the Revenue Account on an accrual basis

11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.9 The actuarial Gains/Losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX :

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of Tax Credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the Balance Sheet if there is convincing evidence that the Corporation will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted

गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार पूर्ववत भी किया जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

13. प्रावधान , आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधान करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब निगम की संभावित देयता अथवा वर्तमान दायित्व होते है तथा यह संभव हो कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।

13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो आँका गया है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. फ़ैक्टरिंग :

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न होते हैं तब की गयी है।

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान / मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ

as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business Losses or Depreciation, Deferred Tax Assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such Assets. Other Deferred Tax Assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS :

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Corporation has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent Assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING :

14.1 Factoring Service Charges including Interest are accounted as and when Accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard Assets, Non-Performing debtors are classified into Sub-standard, Doubtful and Loss Assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and Loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation

तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

मानक परिसंपत्तियाँ :

i. 10% के सामान्य प्रावधान

ii. असुरक्षित अटल आरम्भिक (जहां प्रतिभूति का वसूलीयोग्य मूल्य अटल आरम्भिक 10% से अधिक न हो) के लिए 10% के अतिरिक्त प्रावधान

संदिग्ध परिसंपत्ति :

-सुरक्षित अंश :

i. एक वर्ष तक - 20%

ii. एक वर्ष से तीन वर्षों तक - 30%

iii. तीन वर्षों से अधिक - 100%

-असुरक्षित अंश 100%

हानि परिसंपत्ति : 100%

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

16.1 आरंभिक मान्यता - विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है।

16.2 परिवर्तन - विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत उपकरणों जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर - मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है ।

of Monetary Assets and Liabilities are charged to clients

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on Standard Assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the Regulatory Authorities, subject to minimum Provisions as prescribed below by the IRDA :

Sub-standard Assets:

i. A general provision of 10%

ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab-initio)

Doubtful Assets:

-Secured portion:

i. Upto one year – 20%

ii. One to three years – 30%

iii. More than three years – 100%

-Unsecured portion 100%

Loss Assets: 100%

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The Administrative Charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

16. FOREX TRANSACTIONS:

16.1 Initial Recognition – Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

16.2 Conversion – Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

16.3 Exchange Differences – Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to Revenue Account.

अनुसूची 17

लेखों से संलग्न तथा उनका भाग बनाने वाली टिप्पणियाँ :

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. स्वीकृत राशियों की वसूली क्षमता

प्रबंधन की राय में कारोबार की सामान्य स्थिति में , चालू परिसंपत्तियों , ऋणों तथा अग्रिमों के अधीन मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में उल्लिखित राशि के बराबर होता है तथा सभी ज्ञात देयताओं तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

3. अचल परिसंपत्तियाँ

अचल परिसंपत्तियों में, ₹650.76 हज़ार (पिछले वर्ष ₹650.76 हज़ार) के वे "बिल्डिंग" शामिल हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी की जा चुकी है परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है। आगे, इसमें ₹5,76,51.60 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,76,51.60 हज़ार) की वे संपत्तियाँ शामिल हैं जहां स्टैम्प लगे करार खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इन सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी के पास को - ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

4. अनर्जन

दिनांक 31.03.2015 तक अनर्जन हानि ₹2.22 हज़ार (पिछले वर्ष ₹2.22 हज़ार) रही। प्रबंधन की राय में अनर्जन हानि के लिए आगे किसी भी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

5. अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ :

5.1 अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल है

क. कंपनी द्वारा प्रदत्त/ देय दावों में से ₹11,18,47.51 हज़ार के वसूली का अनुमान है जिसकी पहचान व्यक्तिगत मूल्यांकन / अनुमानों पर कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रथाओं के आधार पर की

SCHEDULE 17

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS :

1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet and Provision for all known Liabilities and Doubtful Assets have been made.

3. FIXED ASSETS

"Buildings" under Fixed Assets include certain properties costing ₹6,50.76 thousands (previous year ₹6,50.76 thousands) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending. Further, it includes, properties costing ₹5,76,51.06 thousands (previous year ₹5,76,51.06 thousands) where stamped agreements are lost / presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

4. IMPAIRMENT

The balance of Impairment Loss as on 31/03/2015 is ₹2.22 thousands (previous year ₹2.22 thousands). In the opinion of the management, no further provision for Impairment Loss is considered necessary.

5. ADVANCES AND OTHER ASSETS :

5.1 Advances and other assets include

a. ₹11,18,47.51 thousands (previous year ₹7,39,45.69 thousands) (Net of Reinsurance) being the estimated amount of recovery expected out of the claims paid/payable by

FINANCIAL STATEMENTS

गयी है।

ख. कंपनी के खिलाफ दायर मामलों तथा निर्णय हेतु प्रतीक्षित मामलों में न्यायालय के आदेशों के अनुकरण में न्यायालयों में कुल ₹72,86.23 हज़ार (पिछले वर्ष ₹1,16,04.73 हज़ार) जमा किए गए हैं। उसे विविध जमाओं के अधीन दर्शाया गया है।

5.2 कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गयी है। यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़े तो अंतिम निपटान के समय किया जाएगा।

5.3 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार ₹10,00,00 हज़ार (लागत व अंकित मूल्य ₹9,95,25 हज़ार (पिछले वर्ष ₹9,95,25 हज़ार) के अंकित मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों में जमाओं का निवेश किया गया है जिसे केनरा बैंक के संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल)खाते में दर्शाया गया है। इन जमाओं को परिपक्वता तक रखने का आशय है अतः बाजार मूल्य में ह्रास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. चालू देयताएं :

6.1 चालू देयताओं में, ₹97,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹1,74,80 हज़ार) का प्रावधान किया गया है जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31 मार्च 2015 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि प्रोत्साहन (पी एल एल आई) के लिए है, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रेटिंग की जानकारी लंबित है।

6.2 कंपनी ने, प्रचलित उद्योग प्रथाओं के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए देय वेतन संशोधन हेतु ₹12,06,78 हज़ार का प्रावधान किया है जिसमें दिनांक 01.08.2012 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए ₹3,96,32 हज़ार के विभेदक प्रावधान शामिल है तथा कर्मचारियों को उसकी अदायगी वाणिज्य मंत्रालय , भारत सरकार से अनुमोदन के पश्चात की जाएगी।

6.3 कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रथाओं के अनुसार अधिमानित तथा बकाया दावों के लिए निगम की देयता हेतु प्रावधान, वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार के व्यक्तिगत दावों के लिए किए

the Company, which has been recognized on individual assessment/estimate basis as per the accounting practice followed by the Company.

b. An amount of ₹72,86.23 thousands (previous year ₹1,16,04.73 thousands) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

5.2 Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

5.3 Deposit in terms of the provisions of Section 7 of the Insurance Act, 1938 invested in the Government Securities of face value ₹10,00,00 thousands, [Cost & Book value ₹9,95,25 thousands (previous year ₹9,95,25 thousands)] are kept in Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) Account with Canara Bank. These deposits are intended to be held till maturity and therefore no provision for diminution in the market value, if any, is considered.

6. CURRENT LIABILITIES :

6.1 Current Liabilities include ₹97,00 thousands (previous year ₹1,74,80 thousands) towards Productivity Linked Lump sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31st March, 2015 under the annual Memorandum of Understanding (MoU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

6.2 The Company has made a provision of ₹12,06,78 thousands towards wage revision due to its employees based on prevalent Industry practices which includes differential provision of ₹3,96,32 thousands attributable to the period 01.08.2012 to 31.03.2014 and the same will be payable to the employees upon approval from Ministry of Commerce, Government of India.

6.3 As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims, liabilities towards

गए देयताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया गया। प्रबंधन की राय में ,वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) दावों तथा नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया दावों के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर गणना किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किया गया है। तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) ₹2900,00,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹2150,00,00 हज़ार) की अनुमानित देयता के रूप में पहचान की गयी है।

7 पुनर्बीमा

कंपनी ने, भारतीय साधारण बीमा कंपनी को आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकतानुसार कंपनी के समस्त कारोबार (अल्पावधि व साथ ही साथ मध्यम व दीर्घावधि) के 5% (पिछले वर्ष 5%) का अनिवार्य अर्पण सौंपा गया। पॉलिसी के अधीन 20% जैसे सा बी नि - आर ई (5%) (पिछले वर्ष 15%), स्विस आर ई (6%), एशिया कैपिटल पुनर्बीमा समूह (2%), स्कोर आर ई (4%), क्यू आर ई (2%), हैनोवर आर ए (0.50%), अम्लिन ए जी (0.50%) तथा ई सी आई बी के अधीन 13% (पिछले वर्ष 15%) जैसे स्विस आर ई (6%), एशिया कैपिटल पुनर्बीमा समूह (2%), स्कोर आर ई (4%), क्यू आर ई (0.50%), अम्लिन ए जी (0.50%) कारोबार को कोटा शेयर अध्यर्पण किया गया है। कंपनी ने उक्त पुनर्बीमाकर्ता के पास अल्पावधि रक्षाओं के लिए हानि की अधिकता (XOL) अध्यर्पण संधि की है।

वित्त वर्ष	कोटा शेयर		XOL (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	XOL उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	XOL उपलब्ध
2009-10	10%	15%	XOL उपलब्ध
2010-11	10%	Nil	XOL उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	XOL उपलब्ध
2012-13	10%	12%	XOL उपलब्ध
2013-14	5%	15%	XOL उपलब्ध

such claims has been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹2900,00,00 thousands (previous year ₹2150,00,00 thousands) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

7 REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 5% (previous year 5%) of the entire business of the Company (Short Term as well as Medium and Long Term business) as required under the IRDA guidelines to General Insurance Company of India. Quota Share cession under policy is 20% (previous year 15%) - with GIC Re (5%), Swiss Re (6%), Asia Capital Reinsurance Group (2%), SCOR Re (4%), Q Re (2%), Hannover Re (0.50%), Amlin AG (0.50%) and under ECIB is 13 % (previous year 15%)- with Swiss Re (6%), Asia Capital Reinsurance Group (2%), SCOR Re (4%), Q Re (0.50%), Amlin AG (0.50%). The Company has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for Short Terms (ST) covers with the above Reinsurer. The Reinsurance programme for the earlier years was as under:

Financial Year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	Nil	No XOL available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available

FINANCIAL STATEMENTS

8. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (आर्ट)

कंपनी ने, कोटा शेयर आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के पास मध्यम तथा दीर्घावधि (एम एल टी) के अधीन उच्च मूल्य वाले जोखिमों के लिए जोखिम हिस्सेदारी की व्यवस्था की है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कुल परिशोधित प्रीमियम ₹14,78.70 हज़ार (पिछले वर्ष 11,00.50 हज़ार) रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 5 म. व दी. रक्षाओं के लिए शुल्क की अदायगी कर एन ई आई ए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹107,56.05 हज़ार (पिछले वर्ष ₹16,43.80 हज़ार) एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किए।

9. फ़ैक्टरिंग

कंपनी ने आई आर डी ए मानदंडों का पालन करते हुए फ़ैक्टरिंग देयों के निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए रु कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु कुछ नहीं) तथा तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए ₹7,04,26.80 हज़ार (पिछले वर्ष ₹7,04,26.80 हज़ार) प्रावधान किया है।

10. एन ई आई ए ट्रस्ट

कंपनी को एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त कुल ₹93,31.59 हज़ार (पिछले वर्ष ₹60,26.52 हज़ार) के प्रशासनिक शुल्क में अन्य आय भी शामिल है। अग्रिम के रूप में प्राप्त ₹4,28,28.34 हज़ार (पिछले वर्ष ₹2,33,61.26 हज़ार) के प्रशासनिक व्यय को चालू देयताएं - अन्य - एन ई आई ए ट्रस्ट में शामिल किया गया है।

11. प्रीमियम आय

जोखिम ग्रहण करने पर प्रीमियम आय की गणना की गयी है। कंपनी ने, मार्च 2015 के अंत तक , किए गए पोतलदानों/ प्रदान किए गए अग्रिमों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ₹56,68,20 हज़ार तथा मार्च 2014 के लिए यही आंकड़े ₹58,44,42.37 हज़ार के प्रीमियम का अनुमान किया है। आई आर डी ए के पत्र सं FNA/ GEC/LR/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी, 2014 के जरिये निगम द्वारा आरंभ से अब तक नियमित रूप से अपनाई जाने वाले प्रीमियम लेखांकन की पद्धति पर अपनी सहमति जताई।

12 (क) कंपनी ने पॉलिसी धारक के दावे को नामंज़ूर कर दिया है जिसके विरुद्ध पॉलिसीधारक (पॉ. धा.) ने संविदा के निष्पादन के लिए कंपनी के खिलाफ दावा दायर

8. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The Company has risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with NEIA Trust set up by Government of India on Quota Share basis. The total premium amortised for FY 2014-15 is ₹14,78.70 thousands (previous year ₹11,00.50 thousands). The Company has obtained guarantee from NEIA Trust for 5 MLT covers on payment of a fee for FY 2014-15. During the current FY, the Company paid guarantee fees of ₹107,56.05 thousands (previous year ₹16,43.80 thousands) to NEIA Trust.

9. FACTORING

The Company has made provision of ₹ NIL (previous year ₹ .NIL) on account of Sub-standard Assets and ₹7,04,26.80 thousands (previous year ₹7,04,26.80 thousands) on account of Doubtful assets factoring dues in line with IRDA norms.

10. NEIA TRUST

The Administrative Charges received by the Company from NEIA Trust of ₹93,31.59 thousands (previous year ₹60,26.52 thousands) are included in Other Income. Administrative Charges received in advance of ₹4,28,28.34 thousands (previous year ₹2,33,61.26 thousands), are included in Current Liabilities – Others – NEIA Trust.

11. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk. The Company has estimated the premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2015 at ₹56,68,20 thousands and the corresponding figure for March 2014 at ₹58,44,42.37 thousands. IRDA vide its letter No. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception.

12. (a) The Company has rejected the claim of a Policy Holder (PH) against which has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2015 the matter is sub-judice Premium Received in advance

कर दिया तथा दिनांक 31.03.2015 तक यह मामला विचाराधीन है । अनुसूचि 13 - चालू देयताओं में पॉलिसी धारक से प्रीमियम की अप्राप्ति के कारण असमायोजित प्रीमियम में ₹2,32,44.55 हज़ार शामिल है। कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दिनांक 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गयी। पॉलिसी की शर्तो के अनुसार पॉलिसी धारक ने कंपनी को ₹2,40,00 हज़ार के न्यूनतम प्रीमियम की अदायगी का वचन दिया था तथा शेष का यदि उपयोग नहीं होता है तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। जैसा कि पॉलिसी दस्तावेज़ों में प्रीमियम की वापसी अथवा समायोजन का विकल्प है व मामला जैसा कि विचाराधीन है , इस लिए सम्पूर्ण ₹2,32,44.55 हज़ार (₹30,00 हज़ार से अधिक की न्यूनतम प्रीमियम की राशि सहित) की राशि को विविध लेनदारों शीर्ष - अनुसूची 13 के अधीन दर्शाया गया है।

12 (ख) आगे अनुसूची 13 - चालू देयताएं 'के अधीन विभिन्न बैंकों से प्राप्त ₹3,42,64.07 हज़ार की राशि शामिल है जो कि निर्यातक - उधारकर्ता को बैंकों द्वारा प्रदान की गयी गारंटियों के लिए जारी रक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम के लिए है। कंपनी ने उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया है तथा रक्षा प्रदान करने में अपनी असमर्थता को दर्शाते हुए बैंकों को सूचित कर दिया है। कंपनी ने कथित राशि को बैंकों को वापस लौटा दिया है जिन्होंने इस वापसी को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी ने उक्त राशि को " विविध देनदार" शीर्ष के अधीन दर्शाया है।

13. लंदन,यूनाइटेड किंग्डम (यू के) में प्रतिनिधि कार्यालय :

13.1 कंपनी ने, आई आर डी ए के पत्र सं IRDA/A/NL/ECGC-LO-UK/12-13 दिनांक 4 मार्च, 2013 के ज़रिये दी गयी अनुमति के अनुसार संपर्क कार्य के लिए सितंबर 2013 को लंदन, यू. के. में प्रतिनिधि कार्यालय आरंभ किया।

13.2 लंदन के प्रतिनिधि कार्यालय के परिचालन कंपनी के अभिन्न अंग हैं तथा इस कार्यालय द्वारा किए गए संव्यवहार प्रधान कार्यालय में रिकॉर्ड किए जाते हैं।

13.3 प्र. का. से प्रेषित विदेशी विनिमय संव्यवहारों से संबन्धित निधियाँ तथा वास्तविक व्ययों को संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।

under Schedule 13 – Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousands of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40,00 thousands as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousands (including amount of ₹30,00 thousands being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors – Schedule 13.

12 (b) Further, 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 - Current Liabilities' includes an amount of ₹3,42,64.07 thousands on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers who have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'.

13. REPRESENTATIVE OFFICE AT LONDON, UNITED KINGDOM (UK) :

13.1 The Company has opened a Representative Office at London, UK in September 2013 for liasoning work as per permission granted vide IRDA Letter No. IRDA/NL/ECGC-LO-UK/12-13 dated 4th March, 2013.

13.2 The operations of Representative Office at London are an integral part of the Company and transactions effected by the said office are recorded at Head office.

13.3 Foreign exchange transactions relating to remittances of funds from HO and actual expenses are converted at the exchange rates prevailing as on the date of transaction. The resultant foreign

परिणामी विदेशी विनिमय लाभ / हानि को माह के अंत में प्र. का. की बहियों में दर्ज किया जाता है।

14. विविध लेनदारों, विविध देनदारों तथा जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य परिसंपत्तियाँ, बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों सहित विविध जमा, न्यूनतम प्रीमियम राशि, जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाते विविध जमाओं अन्य परिसंपत्तियों के अधीन शेष पुष्टीकरण तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो के अधीन होंगे।

15. 31 मार्च, 2014 को समाप्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष तक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441क के अधीन किए गए ₹32,88.65 हज़ार का उपकार प्रावधान "विविध देनदार" शीर्ष के अधीन दर्शाया गया हैं।

16. निगम द्वारा अपनाई गयी मानक प्रथा के अनुसार, निदेशक मण्डल सहित निगम के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, अधिमानित दावों में विभिन्न चूकों को माफ करने के विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते हुए दावों का निपटान किया जाता है। इन सभी निपटान किए गए दावों को कंपनी के कारोबार की सामान्य स्थिति में निपटान माना गया है।

17. कंपनी ने, डेटा फ्लो के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया आरंभ की है ताकि व्यावसायिक अनुप्रयोग हेतु मूल्यवान डेटा उपलब्ध हो।

18. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के वेतन व भत्ते निम्नानुसार हैं :

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (₹ '000)

विवरण	अवधि	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
श्री एन शंकर	01/04/2014 to 18/10/2014	14,09.35	26,92.67
श्री अरविंद मेहता	19/10/2014 to 17/11/2014	Nil	Nil
सुश्री गीता मुरलीधर	18/11/2014 to 31/03/2015	8,59.02	Nil

19. पूर्व अवधि के समायोजन में शामिल:

नामे : (₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	4,18.06	4,94.90
अन्य	29.63	9,89.02
ऋण पर ब्याज	-	8.38
मूल्यह्रास	2,10.47	-

exchange Gain/Loss is booked at the end of each month in HO books.

14. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including Amount Recoverable, Sundry Deposits including Personal Ledger balances of insured, Minimum Premium Account, Deposit Premium Accounts, Reinsurance Accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.

15. Cess provision made under Section 441A of the Companies Act, 1956, upto preceding FY ended on 31st March, 2014 amounting ₹32,88.65 thousands has been reflected under the head 'Sundry Creditors'.

16. As per Standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Board of Directors by using the discretionary powers to condone various lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.

17. The Company is in the process of streamlining the Information Technology System regarding the flow of data so that precise data is available for business applications.

18. The salary and allowances of Chaiman-cum-Managing Director is as under:

Chairman-cum-Managing Director (₹ '000)

Particulars	Period	Current Year	Previous Year
Shri N. Shankar	01/04/2014 to 18/10/2014	14,09.35	26,92.67
Shri Arvind Mehta	19/10/2014 to 17/11/2014	Nil	Nil
Ms. Geetha Muralidhar	18/11/2014 to 31/03/2015	8,59.02	Nil

19. Prior Period Adjustments include:

Debits: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	4,18.06	4,94.90
Others	29.63	9,89.02
Interest on Loan	-	8.38
Depreciation	2,10.47	-
Salary Allowances	-	5.58

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन तथा भत्ते	-	5.58
बिजली	-	16.99
सामान्य प्रभार	1.07	-
अतिरिक्त वसूली की वापसी	73,84.34	-
किराया	1,85.49	-
मरम्मत व रखरखाव	6,85.30	-
वेतन संशोधन	3,96,32.00	-
कुल	**4,85,46.36**	**15,14.87**

जमा : (₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
मूल्यह्रास	1,11.02	-
अन्य	-	1,56.11
किराया जमा	8,55.00	-
कुल	9,66.02	1,56.11

पूर्व अवधि समायोजन में कुल नामे / जमा	**4,75,80.34**	**13,58.76**

20. विदेशी विनिमय में अर्जन व व्यय:

(₹ '000)

अर्जन	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वसूल किए गए दावे	12,21,20.48	11,19,78.80

(₹ '000)

अर्जन	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क व अन्य व्यय	47,13.35	74,78.16
यात्रा व्यय	33,40.77	30,46.01
हैसियत जांच शुल्क	1,82,16.40	1,63,41.73
पुस्तकें व पत्रिकाएँ	3,15.63	3,43.45
पुनर्बीमा	104,69,50.81	44,40,03.72
लंदन, यू. के. में प्रतिनिधि कार्यालय	51,90.47	78,38.80
अन्य	12,13.60	-
कुल	107,99,41.03	47,90,51.87

21. कंपनी एकल खंड "निर्यात ऋण बीमा" में परिचालान करती है। अतः कोई भी खंडवार रिपोर्ट प्रदान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्यात बिलों की फ़ैक्टरिंग आरंभ करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है, परंतु अब तक कोई बिल फैक्टर नहीं किए गए हैं तथा वर्ष के दौरान कोई राजस्व उपार्जित नहीं हुआ है।

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Electricity	-	16.99
General Charges	1.07	-
Refund of excess recovery	73,84.34	-
Rent	1,85.49	-
Repair and Maintenance	6,85.30	-
Wage Revision	3,96,32.00	-
Total	**4,85,46.36**	**15,14.87**

Credits: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Depreciation	1,11.02	-
Others	-	1,56.11
Rent Deposit	8,55.00	-
Total	**9,66.02**	**1,56.11**

Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	4,75,80.34	13,58.76

20. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Claims Recovered	12,21,20.48	11,19,78.80

(₹ '000)

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	47,13.35	74,78.16
Travelling expenses	33,40.77	30,46.01
Status Enquiry Fees	1,82,16.40	1,63,41.73
Books and periodicals	3,15.63	3,43.45
Re-insurance	104,69,50.81	44,40,03.72
Representative Office at London, UK	51,90.47	78,38.80
Others	12,13.60	-
Total	**107,99,41.03**	**47,90,51.87**

21. The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence, no segmental reporting is provided. The Company has initiated activities to start factoring of export bills during the year, but no bills have been factored and correspondingly no revenue accrued during the year..

22. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन

(i). मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

क) श्री एन. शंकर
दिनांक 18.10.2014 तक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक थे

ख) श्रीमती गीता मुरलीधर
कार्यपालक निदेशक (दिनांक 18.11.2014 से अ. प्र. नि. का अतिरिक्त प्रभार)

(ii) कंपनी से संबन्धित पार्टियां:

क) एन ई आई ए ट्रस्ट

ख) श्री अरविंद मेहता (निदेशक)

(iii) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियाँ:

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (₹ '000)

नाम	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
श्री एन शंकर	वेतन तथा भत्ते	14,09.35	26,92.67
श्रीमती गीता मुरलीधर	वेतन तथा भत्ते	8,59.02	-

(iv) वर्ष के दौरान संबन्धित पार्टियों के साथ संव्यवहार :

(क) एन ई आई ए ट्रस्ट (₹ '000)

क्र सं.	समव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	93,31.59	60,26.52
2	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	4,28,28.34	2,33,61.26
3	प्रोत्साहन पैकेज के अधीन अदा किए गए दावों पर की गयी वसूली	-	-
4	एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किया गया पुनर्बीमा प्रीमियम	14,78.70	11,00.50
5	वर्ष के अंत तक बकाया शेष - नामे शेष	3,01,97.29	42,88.07
6	नियोक्ता के हिस्से का अंशदान	-	-
7	प्रदत्त गारंटी शुल्क	1,07,56.05	16,43.80

(ख) श्री अरविंद मेहता (निदेशक) (₹ '000)

क्र सं.	समव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	जमा पट्टा	-	2,95.20
2	किराया पट्टा	5,90.40	98.40

22. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard no. 18:

(i) Key Management Personnel:

a) Shri N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director upto 18/10/2014

b) Ms. Geetha Muralidhar
Executive Director / Chairman-cum-Managing Director (Additional charge from 18/11/2014)

(ii) Company's related parties:

a) NEIA Trust

b) Shri Arvind Mehta (Director)

(iii) Remuneration paid to Key Management Personnel:

Chairman-cum-Managing Director (₹ '000)

Name	Particulars	Current Year	Previous Year
Shri N Shankar	Salary and allowances	14,09.35	26,92.67
Ms. Geetha Muralidhar	Salary and allowances	8,59.02	-

(iv) Transactions during the year with related parties:

(a) NEIA Trust (₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous Year
1	Administrative Charges received for the Year	93,31.59	60,26.52
2	Administrative Charges received in advance	4,28,28.34	2,33,61.26
3	Recovery made on a/c of claims paid under stimulus package	-	-
4	Reinsurance premium ceded to NEIA Trust	14,78.70	11,00.50
5	Outstanding Dues as at year end – Debit Balance	3,01,97.29	42,88.07
6	Contribution of Employer's share	-	-
7	Guarantee Fees paid	1,07,56.05	16,43.80

(b) Shri Arvind Mehta (Director) (₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous Year
1	Lease Deposit	-	2,95.20
2	Lease Rent	5,90.40	98.40

23. आस्थगित कर लेखांकन :

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुकरण में आस्थगित कर की गणना की। इसका परिणाम वर्ष के दौरान कुल ₹5,80,83.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹2,94,14.82 हज़ार का जमा) के निवल आस्थगित कर के जमा के रूप में हुआ। वर्ष के अंत तक 15,47,66.68 हज़ार (पिछले वर्ष ₹9,66,82.78 हज़ार) की निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति रही। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं:(₹ '000)

विवरण	01/04/2014 तक	वर्ष के दौरान प्रभारित / जमा	31/03/2015 तक
देयता			
मूल्यह्रास	4,35,86.05	(1,31,81.40)	3,04,04.65
कुल	4,35,86.05	(1,31,81.40)	3,04,04.65
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	9,87,91.86	2,41,28.19	12,29,20.05
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	2,73,74.97	(2,03.94)	2,71,71.03
उपदान हेतु प्रावधान	47,08.87	2,33,58.55	2,80,67.42
पी एल एल आई	59,41.45	(26,44,.42)	32,97.03
लंबी सेवा देयता	(1,57.94)	3,63.37	2,05.43
कंपनी अधिनियम की धारा 441 ए के अधीन उपकार	11,17.81	-	11,17.81
प्रीमियम में कमी हेतु प्रावधान	-	-	-
वेतन के संशोधन (भविष्य निधि व छुट्टी का नकदीकरण)	24,91.81	(99.25)	23,92.56
कुल	**14,02,68.83**	**4,49,02.50**	**18,51,71.33**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**9,66,82.78**	**5,80,83.90**	**15,47,66.68**

24. प्रतिशेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई :

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क)	गणक लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹ '000)	180,09,56.77	364,61,22.00

23. DEFERRED TAX ACCOUNTING :

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax credit during the year amounting to ₹5,80,83.90 thousands (previous year credit ₹2,94,14.82 thousands). The Net Deferred Tax Asset at the end of the year amounts to ₹15,47,66.68 thousands (previous year Net Deferred Tax Asset ₹9,66,82.78 thousands). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

(₹ '000)

Particulars	Opening at	Charge/Credit during the year	Closing at 31/03/2015
Liability			
Depreciation	4,35,86.05	(1,31,81.40)	3,04,04.65
Total	**4,35,86.05**	**(1,31,81.40)**	**3,04,04.65**
Assets			
Provision for Leave Encashment	9,87,91.86	2,41,28.19	12,29,20.05
Provision for Doubtful Debts	2,73,74.97	(2,03.94)	2,71,71.03
Provision for Gratuity	47,08.87	2,33,58.55	2,80,67.42
PLLI	59,41.45	(26,44,.42)	32,97.03
Long Service Liability	(1,57.94)	3,63.37	2,05.43
Cess u/s. 441A of Companies Act	11,17.81	-	11,17.81
Provision for Premium Deficiency	-	-	-
Wage Revision (PF & Leave Encashment)	24,91.81	(99.25)	23,92.56
Total	**14,02,68.83**	**4,49,02.50**	**18,51,71.33**
Deferred Tax Asset / (Liability)	**9,66,82.78**	**5,80,83.90**	**15,47,66.68**

24. Earnings Per Share is calculated as under:

	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator : Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000)	180,09,56.77	364,61,22.00

FINANCIAL STATEMENTS

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ख)	हर: वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	11467,57,98.27	10386,30,13.70
ग)	प्रति शेयर अर्जन: मौलिक (₹)	15.70	35.10
घ)	शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविष्य में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान हैं।

25. (क) आकस्मिक देयताएं (₹ '000)

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें निगम द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है	14,37,59.00	4,73.32
3.	कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	1083,31,96.00	1129,42,78.00
4.	कंपनी द्वारा तथा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	पूंजीगत प्रतिबद्धता	231,44,49.25	201,75,55.00
6.	आय कर	171,10,06.69	383,75,94.39

(ख) लंबित मुकदमों का प्रभाव

कंपनी ने राज्य अथवा राष्ट्रीय उपभोगता शिकायत निवारण फोरम, जैसा भी मामला हो, के समक्ष 69 मामलों में अपील की है जो कि संबन्धित न्यून फोरम द्वारा कंपनी के विरुद्ध ₹93,22,89 हज़ार की राशि के निर्णय के विरुद्ध हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इन लंबित मुकदमों का प्रभाव न्यून फोरमों द्वारा कंपनी के खिलाफ लिए गए निर्णय की राशि पर आधारित होंगे।

26. आई आर डी ए आवश्यकताओं के अनुसार दिनांक

	Particulars	Current Year	Previous Year
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	11467,57,98.27	10386,30,13.70
c)	Earnings per share: Basic (₹)	15.70	35.10
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100.00	100.00

The Company does not have any outstanding dilutive potential Equity Shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

25. (a) CONTINGENT LIABILITIES (₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Partly paid up investments	Nil	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	14,37,59.00	4,73.32
3.	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt and not provided for	1083,31,96.00	1129,42,78.00
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5.	Capital Commitments	231,44,49.25	201,75,55.00
6.	Income Tax	171,10,06.69	383,75,94.39

(b) Impact of Pending Litigations

There are 69 cases in which the Company has filed appeals before the State or National Consumer Grievance Redressal Forum as the case may be against the Awards amounting to ₹93,22,89 thousands granted against the Company by respective lower Forums. The impact on account of these pending litigations on the financial statements of the Company shall be to the extent of the amount of the Awards of the lower Forums.

26. Premium Deficiency has been identified as on 31/03/2015 of ₹ NIL (previous year ₹ NIL) as per

31.03.2015 तक कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं) तक की प्रीमियम कमी की पहचान की गयी

(₹ '000)

विवरण		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
खंडवार	विविध		
संगत प्रीमियम	1	527,18,99.05	492,08,28.35
अपेक्षित दावा लागत तथा संगत व्यय	2	441,00,00.00	427,13,00.00
अपेक्षित रखरखाव व्यय	3	71,80,84.83	55,07,03.04
प्रीमियम में कमी		कुछ नहीं	कुछ नहीं

27 .निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित निधि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा धारा 198 के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सी एस आर प्रावधान को अभिकलित किया है। आरंभिक प्रारक्षणों, किए गए भुगतानों तथा अंतिम आरक्षणों के विवरण निम्नानुसार हैं :

विवरण		राशि ₹ '000
सी एस आर गतिविधियों के लिए आरंभिक प्रारक्षण	(क)	5,05,30.71
जोड़ें :वर्ष के दौरान सी एस आर के लिए प्रावधान	(ख)	7,72,00.00
कुल उपलब्ध राशि	(ग=क+ख)	12,77,30.71
वर्ष के दौरान कुल व्यय	(घ)	3,37,16.92
अग्रिमों तथा विनियोजित भुगतानों का आरंभिक शेष		12,60.23
सी एस आर गतिविधियों के अधीन व्यय न की गयी कुल राशि/शेष (ड़)	(ड़)	9,27,53.56

चालू वर्ष के लाभों में से ₹4,34,83.08 हज़ार का विनियोजन किया जाएगा तथा कुल ₹9,27,53.56 हज़ार के आरक्षण (पूर्ववर्ती वर्ष सहित) शेष रहेंगे।

28. बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए हैं।

29. अनुसूचित बैंकों के पास दीर्घावधि जमाओं (अनुसूची 11) में ₹50,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹90,00 हज़ार के जमा) शामिल हैं जिसे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास नकद मार्जिन के रूप में गिरवी रखा गया है।

अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमाओं (अनुसूची 11) में रु 90,00 हजार (पिछले वर्ष रु 40,18.47 हजार)

IRDA requirements.

(₹ '000)

Particulars		Current Year	Previous Year
Segment			
Relevant Premium	1	527,18,99.05	492,08,28.35
Expected Claim Cost and related expenses	2	441,00,00.00	427,13,00.00
Expected Maintenance cost	3	71,80,84.83	55,07,03.04
Premium Deficiency		NIL	NIL

27. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has computed CSR provision for the FY 2014-15 as per Section 135 and Section 198 of the Companies Act, 2013. The details of Opening Reserve, payments made and Closing reserve is as follows:

Particulars		Amount ₹ '000
Opening Reserve for CSR activities	(A)	5,05,30.71
Add: Provision for CSR activities during the year	(B)	7,72,00.00
Total available amount	(C= A + B)	12,77,30.71
Total Expenditure during the year	**(D)**	**3,37,16.92**
Opening Balance of Advances and payments appropriated		12,60.23
Total unspent amount / balance under CSR activities	(E)	9,27,53.56

An amount of ₹4,34,83.08 thousands will be appropriated from Profits of the Current Year and the Closing Reserves (including for earlier year) will be ₹9,27,53.56 thousands.

28. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure-1A & 1B.

29. Long Term Deposits with Scheduled Banks (Schedule 11) include Deposits of ₹50,00 thousands (previous year deposits of ₹90,00 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange of India as a cash margin.

Short Term Deposits with Scheduled Banks (Schedule 11) include deposits of ₹90,00

शामिल हैं, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एवं बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया के पास नकद मार्जिन के रूप में गिरवी रखा गया है।

अनुसूचित बैंकों (अनुसूची 11) में अल्पावधि जमाओं में कॉर्पोरेशन बैंक के पास गिरवी रखे गए रु 40,00,00 हजार (पिछले वर्ष रु 45,00,00) हजार शामिल हैं।

30. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (अनुसूची 8) में शामिल निवेशों में :

i. निगम द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹4,99,25 हज़ार (पिछले वर्ष ₹4,99,25 हज़ार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए।

ii. निगम द्वारा समपार्श्विक उधारों तथा उधार देने दायित्वों को पूरा करने के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹93,17 हज़ार (पिछले वर्ष ₹93,17 हज़ार के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए।

31. कर्मचारी लाभ :

31.1 कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना (एन पी एस) में शामिल किया गया है।

31.2 कंपनी प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।

31.3 परिभाषित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।

31.4 आई सी ए आई द्वारा जारी ए स 15 (2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसमें होने वाली

thousands (previous year ₹40,18.47 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange of India as a cash margin.

Short Term Deposits with Scheduled banks (Schedule 11) include ₹40,00,00 thousands (previous year ₹45,00,00 thousands) pledged with Corporation Bank.

30. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes :

i. 7.16% 2023 Government of India Bonds having book value of ₹4,99,25 thousands (previous year ₹4,99,25 thousands 7.16% 2023 Government of India Bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Corporation.

ii. 8.24% 2027 Government of India Bonds having book value of ₹93,17 thousands (previous year ₹93,17 thousands 8.24% 2027 Government of India Bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Corporation.

31. EMPLOYEE BENEFITS :

31.1 The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by New Pension Scheme (NPS) under Defined Contribution Scheme.

31.2 The Company pays 10% of basic salary & Dearness Allowance to a Pension Fund administrator for each employee.

31.3 In case of employees who are eligible for Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.

31.4 The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that Provident Funds set-up by employers, which

ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाये।

31.5 भविष्य निधि तथा उसके अर्जनों की आधारभूत निधि, भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है व लेखे में प्रावधान हेतु कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

31.6 उपदान तथा अधिवर्षिता (पेंशन), जो वित्त पोषित कर्मचारी लाभ योजनाएँ हैं के लिए अवधि के दौरान कर्मचारी लाभ के विवरण निम्नानुसार हैं:

पेंशन (₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	214,08,34.24	186,81,72.49
	ब्याज लागत	19,84,55.33	14,94,53.80
	वर्तमान सेवा लागत	7,88,66.67	6,50,94.66
	अंतरित देयता	-	-
	प्रदत्त लाभ	(12,69,23.06)	(15,88,44.78)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	44,03,94.07	21,69,58.07
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ देयताएं	273,16,27.25	214,08,34.24
2	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	190,41,50.08	166,13,88.27
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	16,56,61.06	14,45,40.78
	अंशदान	25,71,47.51	22,75,87.49
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(12,69,23.06)	(15,88,44.78)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	1,88,79.53	2,94,79.03
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	221,89,15.12	190,41,50.79
3	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	273,16,27.25	214,08,34.24

require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a Defined Benefit Plan.

31.5 As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the Interest payable on the Provident Fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account.

31.6 The details of employee benefits for the period on account of Gratuity and Superannuation which are funded defined employee benefit plans are as under.

Pension (₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	214,08,34.24	186,81,72.49
	Interest Cost	19,84,55.33	14,94,53.80
	Current Service Cost	7,88,66.67	6,50,94.66
	Liability Transferred	-	-
	Benefits paid	(12,69,23.06)	(15,88,44.78)
	Actuarial (Gain) / Loss	44,03,94.07	21,69,58.07
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	273,16,27.25	214,08,34.24
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	190,41,50.08	166,13,88.27
	Expected return on Plan Assets	16,56,61.06	14,45,40.78
	Contributions	25,71,47.51	22,75,87.49
	Assets Transferred in	-	-
	Benefits paid	(12,69,23.06)	(15,88,44.78)
	Actuarial Gain / (Loss)	1,88,79.53	2,94,79.03
	Plan Assets at the end of the year at fair value	221,89,15.12	190,41,50.79
3	Present Value of the Defined Benefit Obligation	273,16,27.25	214,08,34.24
	Plan Assets at the end of the year at fair value	221,89,15.12	190,41,50.79
	Liability recognised in the Balance Sheet	(51,27,12.13)	(23,66,83.45)

(₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	221,89,15.12	190,41,50.79
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता	(51,27,12.13)	(23,66,83.45)
4	वर्ष के लिए लागत		
	चालू सेवा लागत	7,88,66.67	6,50,94.66
	ब्याज लागत	3,27,94.27	14,94,53.80
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	(16,56,61.06)	(14,45,40.78)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	42,15,14.54	18,74,79.04
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	53,31,75.48	25,74,86.72

उपदान (₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	30,02,27.16	30,09,66.51
	ब्याज लागत	2,81,01.26	2,40,77.32
	चालू सेवा लागत	63,82.10	81,44.30
	पिछली सेवा लागत - निहित लाभ		
	प्रदत्त लाभ	(2,14,85.98)	(1,96,73.90)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	6,46,91.17	(1,32,87.07)
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	37,79,15.71	30,02,27.16
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	28,63,73.46	28,19,89.79
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	2,49,14.49	2,45,33.11
	अंशदान	52,57.04	-
	प्रदत्त लाभ	(2,14,85.98)	(1,96,73.90)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,81.18	(4,75.54)
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	29,53,40.19	28,63,73.46
3	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	37,79,15.71	30,02,27.16

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	7,88,66.67	6,50,94.66
	Interest Cost	3,27,94.27	14,94,53.80
	Expected return on Plan Assets	(16,56,61.06)	(14,45,40.78)
	Actuarial (Gain) / Loss	42,15,14.54	18,74,79.04
	Expense recognised in the Revenue Account	53,31,75.48	25,74,86.72

Gratuity (₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	30,02,27.16	30,09,66.51
	Interest Cost	2,81,01.26	2,40,77.32
	Current Service Cost	63,82.10	81,44.30
	Past Service Cost – Vested Benefit		
	Benefits paid	(2,14,85.98)	(1,96,73.90)
	Actuarial (Gain) / Loss	6,46,91.17	(1,32,87.07)
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	37,79,15.71	30,02,27.16
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	28,63,73.46	28,19,89.79
	Expected return on Plan Assets	2,49,14.49	2,45,33.11
	Contributions	52,57.04	-
	Benefits paid	(2,14,85.98)	(1,96,73.90)
	Actuarial Gain / (Loss)	2,81.18	(4,75.54)
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	29,53,40.19	28,63,73.46
3	Present Value of the Defined Benefit Obligation	37,79,15.71	30,02,27.16
	Plan Assets at the end of the year at fair value	29,53,40.19	28,63,73.46
	(Liability) recognised in the Balance Sheet	**(8,25,75.52)**	**(1,38,53.70)**

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	29,53,40.19	28,63,73.46
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी (देयता)	**(8,25,75.52)**	**(1,38,53.70)**
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	63,82.10	81,44.30
	ब्याज लागत	31,86.77	2,40,77.32
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	2,49,14.49	(2,45,33.11)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	6,44,09.99	(1,28,11.53)
	पिछली सेवा लागत - निहित लाभ	-	-
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	**7,39,78.86**	**(51,23.02)**

क्र सं	श्रेणी	पेंशन	उपदान
5	अनुमान		
	भुनाने पर ब्याज दर	7.90% (9.27%)	7.95% (9.36%)
	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन का अनुमानित दर	7.90% (8.70%)	7.95% (8.70%)
	वेतन संवर्धन	7.00% (5.00%)	7.00% (5.00%)
6.	**मूल्यांकन की पद्धति**	**परियोजित इकाई जमा विधि**	
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो , निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकारने योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविधिकृत हैं।	

32. परिचालन पट्टे

कंपनी के पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जाता है। किराया वृद्धि शर्तें संविदा दर संविधा पर अलग होती हैं।

परिचालन पट्टों के लिए ₹11,03,04.27 हज़ार (पिछले वर्ष 9,52,79.27 हज़ार) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है।

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	63,82.10	81,44.30
	Interest Cost	31,86.77	2,40,77.32
	Expected return on Plan Assets	2,49,14.49	(2,45,33.11)
	Actuarial (Gain) / Loss	6,44,09.99	(1,28,11.53)
	Past Service Cost – Vested Benefit	-	-
	Expense Recognised in the Revenue Account	**7,39,78.86**	**(51,23.02)**

Sr. No.	Category	Pension	Gratuity
5	**Assumptions**		
	Interest rate for Discounting	7.90% (9.27%)	7.95% (9.36%)
	Estimated rate of return on Plan Assets	7.90% (8.70%)	7.95% (8.70%)
	Salary Escalation	7.00% (5.00%)	7.00% (5.00%)
6.	**Method of Valuation**	**Projected Unit Credit Method**	
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.	The expected rate of return on Plan Assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.	

32. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract.

Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹11,03,04.27 thousands (previous year ₹9,52,79.27 thousands)

33. The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (un-hedged).

a) In the form of loan from IDBI Bank for its full-fledge Factoring Scheme ₹ NIL (previous

33. कंपनी का कोई व्युत्पन्न अनुबंध तथा वायदा अनुबंध नहीं हैं। कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा जोखिम नहीं हैं (बिना बचाव व्यवस्था के)

क) आई डी बी आई से लिए गए ऋण के रूप में इसकी पूर्ण विकसित फ़ैक्टरिंग योजना के लिए ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु कुछ नहीं)

ख) विविध देनदारों के रूप में रु कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु कुछ नहीं)

34. मूल्यह्रास अनुमानों में परिवर्तन

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार अचल परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन के अनुमान की पद्धति को परिवर्तित कर दिया है ताकि उसे अपनाया जा सके। परिवर्तित अनुमानों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास का प्रभाव ₹4,07,50.34 हज़ार रहा जो कि ,मूल्यह्रास शीर्ष के अधीन लाभ व हानि खाते में नामे किया गया।

35. एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ;

i. बकाया राशि रु कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु कुछ नहीं)

ii. सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किए गए विलंबित भुगतान रु कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु कुछ नहीं)

iii. देय ब्याज जहां मूलधन देयों का निपटान देय तारीख के पश्चात किया गया ।

36. कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों पर की गयी वसूलियों के व्ययों (अनुसूची 2) निवल व्ययों में दर्शाया गया है जैसे वसूली कमीशन, बैंक प्रभार, सेवा कर आदि।

वर्ष के दौरान की गयी वसूलियों तथा उन पर किए गए व्ययों के विवरण निम्नानुसार हैं :

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कुल वसूली	168,75,56.06	168,56,86.33
वसूली कमीशन, सेवा कर आदि सहित इस प्रकार की वसूली पर किया गया व्यय	8,60,65.55	10,25,68.77
लेखा बहियों में दर्शाई गयी निवल वसूली	160,14,90.51	158,31,17.56

37. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध - 2 में संलग्न है।

year ₹ NIL)

b) In the form of Sundry Creditors ₹ NIL (previous year ₹ NIL).

34. Changes in Depreciation Estimates

The Company has changed its method of estimating the useful life of Fixed Assets in order to adopt the same as per provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013. The impact of additional depreciation as a result of change in estimates is ₹4,07,50.34 thousands, which has been debited to Profit and Loss account under the head Depreciation.

35. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

i. Amount Outstanding ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

ii. Delayed Payments made through-out the year ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

iii. Interest payable where principal dues are settled after due date ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

36. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses such as Recovery Commission, Bank Charges, Service Tax, etc. incurred on such Recoveries as per the practice consistently followed by the Company.

The details of Recoveries made during the year and the expenses incurred are as under: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total recovery	168,75,56.06	168,56,86.33
Expenses incurred on such Recovery including Recovery Commission, Service Tax etc.	8,60,65.55	10,25,68.77
Net Recovery shown in the books of accounts	**160,14,90.51**	**158,31,17.56**

37. RATIOS FOR NON – LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure – 2 attached.

38. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding Excess of Loss and Catastrophe Reinsurance)

38. निम्न दर्शाये अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम (हानि अधिकता तथा आपात पुनर्बीमा को छोड़ कर)

(₹ '000)

	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण				
	प्रीमियम				
वित्त वर्ष	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	पुनर्बीमा को सौंपना	%
2014-15	1362,39,79.11	1054,37,98.10	77.39%	308,01,81.01	22.61%
2013-14	1303,72,59.69	984,16,56.70	75.49%	319,56,02.99	24.51%

39. आई आर डी ए परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि / सी एम पी /174/11/2010 दिनांक 04.11.2010 के अनुसार पॉलिसी धारकों की अदावीत राशि की अवधिवार विश्लेषण दर्शाते हुए विवरण अनुबंध 3 में दर्शाया गया है।

40. आई आर डी ए के परिपत्र सं 005/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / मई - 09 दिनांक 07.05.2009 के ज़रिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

(₹ '000)

क्र सं	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	दिया गया दंड	अदा किया गया दंड	दंड से माफी / कमी
1.	बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं			
2.	सेवाकर प्राधिकारी	कुछ नहीं			
3.	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं			
4.	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं			
5.	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी /फेमा के अधीन नयाधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं			
6.	कंपनी अधिमयम 1956 के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कॉर्पोरेट मामलों का विभाग अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं			
7.	दावा निपटान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड , जिसमें प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है	कुछ नहीं (पिछले वर्ष : ₹30.50)			
8.	सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	लागू नहीं, कंपनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है			
9.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं			
10.	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकारी	₹4,46.71 (स्टैम्प ड्यूटी देर से भरने के कारण लगा गया दंड)			

**प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार*

(₹ '000)

	Premium Statistics for the Period April 2014 to March 2015				
	Premium				
FY	Premium	Retention	%	Reinsurance Ceding	%
2014-15	1362,39,79.11	1054,37,98.10	77.39%	308,01,81.01	22.61%
2013-14	1303,72,59.69	984,16,56.70	75.49%	319,56,02.99	24.51%

39. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the PHs as per IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 dated 04/11/2010 is given in Annexure 3.

40. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDA Circular No. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 07/05/2009 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

Sr. No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority	NIL			
2.	Service Tax Authorities	NIL			
3.	Income Tax Authorities	NIL			
4.	Any other Tax Authorities	NIL			
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL			
6.	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956	NIL			
7.	Penalty Awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL (Previous Year : ₹30.50)			
8.	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Company is not a Listed Entity			
9.	Competition Commission of India	NIL			
10.	Any other Central/State/ Local Government / Statutory Authority	₹4,46.71 (Penalty Awarded for Late Filing of Stamp Duty)			

**As certified by the management*

41. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश व्ययों को, पॉलिसीधारक निधियों तथा शेयरधारक निधियों के आरंभ शेषों के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार आरंभिक शेषों के आधार पर आबंटन किया गया। यह आई आर डी ए के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ एंड ए /231/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 तथा वित्त वर्ष 2013-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ ए / 126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई 2013 के ज़रिये आई आर डी ए द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

42. अनुबंध 4 में उल्लिखित मामलों को पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित / वर्गीकृत किया गया

अनुसूची 1 से 17 पर हस्ताक्षरकर्ता

41. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDA by its Master Circular No IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

42. Figures relating to previous year have been re-grouped / re-classified in the cases as mentioned in Annexure 4.

Signatories to Schedule 1 to 17

(गीता मुरलीधर)
का.नि./ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
(GEETHA MURALIDHAR)
ED/Chairman-cum-Managing Director (Addl. Charge)

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(चन्दन सिन्हा)
निदेशक
(CHANDAN SINHA)
Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे)
निदेशक
(AJAY MURLIDHAR PONKSHE)
Director

(एम. सेंथिलनाथन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(M. SENTHILNATHAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 102065 डब्ल्यू
For P. M. DALVI & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 102065W

(सुनील जी. रोहरा)
भागीदार - एम.सं110748
(SUNIL G. ROHRA)
Partner - M.No.110748

कृते आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(बी. एन. राव)
भागीदार - एम.सं. 039555
(B. N. RAO)
Partner - M.No. 039555

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 6 मई, 2015
Dated : 6th May, 2015

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR (₹ '000)	पिछले वर्ष PREVIOUS YEAR (₹ '000)
1	निगम की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under		
	क) भारत में a) In India	9,95,25.00	9,95,25.00
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for Loans and Investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of Advances)	231,44,49.25	201,75,55.00
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर Claims, less Reinsurance, paid to Claimants		
	क) भारत में a) In India	457,56,23.53	495,71,64.03
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
4	जहां दावे की अवधि चार वर्ष से अधिक है, किसी भी प्रकार की दावों की देयता नहीं है There are no claim liabilities where claim payment period exceeds four years	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
5	छः माहसे अधिक के बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या Number of Claims	29	21
	राशि Amount	317,67,57.08	82,77,33.97
	छः माहसे कम के बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या Number of Claims	287	362
	राशि Amount	1287,70,92.68	938,25,04.53
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल - भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian)	**316**	**383**
	राशि Amount	**1605,38,49.76**	**1021,02,38.50**

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR (₹ '000)	पिछले वर्ष PREVIOUS YEAR (₹ '000)
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less Reinsurance, written from business		
	भारत में In India	1054,37,98.10	984,16,56.70
	भारत के बाहर Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A Reserve for Un-expired Risks is created at 50% of Net Premium.	527,18,99.05	492,08,28.35
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम की धारा 620 के अंतर्गत जी एस आर235, दिनांक 31 जनवरी, 1978 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Corporation is exempted vide notification: GSR 235, dated 31st January, 1978 u/s 620 of the Companies Act, being a Government Company.		
12	निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन के आधार पर प्रावधान Basis of amortisation of Debt securities Provision for diminution in the value of the Investments	कुछ नहीं Nil	8,65.91
13	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed Equity Shares under Fair Value Change A/c	172,98,51.77	54,39,32.95
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं b) Pending realisation,credit balance in Fair Value Change A/c not available for distribution.	172,98,51.77	54,39,32.95
14	निगम ने "रीयल स्टेट निवेश संपत्ति" में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Corporation does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR (₹ '000)	पिछले वर्ष PREVIOUS YEAR (₹ '000)
15	क तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं		
	A Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		
	दावों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	Number of claims	Nil	Nil
	राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	Amount	Nil	Nil
	ख वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं		
	B All Significant Accounting Policies forming part of the financial statements are disclosed separately.		
	ग 1 वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं		
	C 1 Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
	क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य ₹1000.00 लाख)	9,95,25.00	9,95,25.00
	a) In India- under Section 7 of the Insurance Act, 1938 (Face Value ₹1000.00 lacs)		
	ख) भारत के बाहर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	b) Outside India	Nil	Nil
	2 निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है		
	Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
	अर्जक (मानक) निवेश	5716,38,11.99	4614,37,01.80
	Performing(Standard) Investments		
	अनर्जक निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	Non-Performing Investments	Nil	Nil
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य)	5716,38,11.99	4614,37,01.80
	Total Book Value(Closing Value)		
	3 क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है		
	Percentage of business sectorwise As the Corporation caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable.		
	4 5 वर्ष के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है ।	अनुबंध 2 (ख) के अनुसार	अनुबंध 2 (ख) के अनुसार
	A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	As per Annexure 2b	As per Annexure 2b

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR (₹ '000)	पिछले वर्ष PREVIOUS YEAR (₹ '000)	वृद्धि % / Growth %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
	सकल प्रीमियम Gross Premium	1362,39,79.11	1303,72,59.69	4.50
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	1054,37,98.10	984,16,56.70	7.13
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) (शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम) Net Retention Ratio (%) (Net Premium/Gross Premium)	77.39%	75.49%	2.52
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit Before Tax to Share Capital (%)	21.26	49.43	-56.99
	शुद्ध संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit Before Tax to Networth (%)	8.54	19.60	-56.43
	शुद्ध संपत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit After Tax to Networth (%)	6.03	13.14	-54.11
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	15.32	12.26	24.96
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	43,89.45	91,23.89	-51.89
	शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण Unexpired Risks Reserve	527,18,99.05	492,08,28.35	7.13
	बकाया दावे Outstanding Claims	3796,80,29.85	2956,53,78.66	28.42
	कुल तकनीकी प्रारक्षण Total Technical Reserves	4323,99,28.90	3448,62,07.01	25.38%
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	1054,37,98.10	984,16,56.70	7.13%
	अनुपात Ratio	4.10	3.50	17.03

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुबंध 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
	परिचालन परिणाम OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1362,39,79.11**	1303,72,59.69	1157,25,49.45	1004,83,31.67	885,46,69.25
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**1054,37,98.10**	984,16,56.70	830,52,62.96	761,55,98.94	770,94,50.96
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	**294,39,41.80**	262,79,35.49	218,88,80.99	190,94,19.43	140,08,72.83
4	अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ) Other Income(Fee & Other Receipts)	**3,17,39.19**	4,31,57.70	5,69,11.48	5,00,01.83	6,00,90.77
5	कुल आय Total Income	**1351,94,79.09**	**1251,27,49.89**	**1055,10,55.43**	**957,50,20.20**	**917,04,14.56**
6	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) (Including Brokerage)	**(57,48,18.88)**	(57,92,41.35)	(55,04,44.34)	(57,92,01.69)	(9,53,21.04)
7	परिचालन व्यय Operating Expenses	**205,16,70.95**	156,58,04.34	138,24,89.30	126,69,46.07	151,47,54.19
8	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	**1163,50,03.52**	746,06,72.89	812,80,35.03	679,61,20.57	757,43,86.81
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve	**(35,10,70.70)**	(76,81,96.87)	12,37,76.55	(42,16,82.55)	(47,88,45.51)
10	परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)	**5,65,52.80**	**329,73,17.14**	**171,47,51.99**	**166,94,72.70**	**(30,22,50.91)**
	गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय Total Income under Shareholders' account	**249,50,85.62**	213,99,69.73	178,66,72.52	160,77,66.18	147,85,14.34
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) Before Tax	**255,16,38.42**	543,72,86.87	350,14,24.51	327,72,38.88	117,62,63.43
13	कर के लिए प्रावधान Provision for Tax	**75,06,81.65**	179,11,64.87	107,35,44.68	102,51,40.04	31,96,17.73
14	कर पश्चात लाभ / (हानि) Profit / (Loss) After Tax	**180,09,56.77**	**364,61,22.00**	**242,78,79.83**	**225,20,98.84**	**85,66,45.70**

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुबंध 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
	विविध MISCELLANEOUS					
15	पॉलिसीधारक खाता * Policyholders' Account *					
	कुल निधियाँ Total Funds	**4390,03,38.53**	3720,35,37.59	3148,97,12.60	2642,76,82.58	2254,17,83.40
	कुल निवेश # Total Investments #	**3853,64,62.72**	3215,80,11.35	2773,75,77.59	2311,81,71.87	2013,20,15.25
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	**8.65**	8.92	8.85	8.69	7.78
16	शेयरधारक का खाता * Shareholders' Account *					
	कुल निधियाँ Total Funds	**3449,31,23.13**	2923,13,50.96	2576,43,10.31	2251,24,70.34	2254,17,83.40
	कुल निवेश # Total Investments #	**3027,86,49.28**	2526,70,08.92	2269,43,81.67	1969,32,57.51	2013,20,15.25
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	**8.65**	8.92	8.85	8.69	7.78
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid-up Equity Capital	**1200,00,00.00**	1100,00,00.00	1000,00,00.00	900,00,00.00	900,00,00.00
18	निवल मालियत Net Worth	**2988,95,41.98**	**2774,40,63.63**	**2417,74,97.64**	**2167,74,62.74**	**2062,22,27.75**
19	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	**8047,60,82.85**	6814,33,59.59	5842,62,11.10	4965,14,32.60	4631,49,54.11
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	**8.65**	8.92	8.85	8.69	7.78
21	प्रति शेयर आय (₹) Earnings Per Share (₹)	**15.70**	35.10	25.86	25.02	9.52
22	प्रतिशेयर आंकित मूल्य (₹) Book Value Per Share (₹)	**263.49**	**257.16**	**243.70**	**240.86**	**229.14**
23	कुल लाभांश Total Dividend	**48,00,00.00**	88,00,00.00	60,00,00.00	54,00,00.00	26,10,00.00
24	प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend Per Share (₹)	**4.00**	**8.00**	**6.00**	**6.00**	**2.90**

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं। पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है।

\# अनुसूची 11-नकद ब बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं।

* Total funds & total Investments shown above are as of year end. Funds & Investments has been divided into Policyholders'(PH) & Shareholders'(SH) Accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH Account.

\# Investments includes Fixed Deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2015

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 31st March, 2015	31 मार्च, 2014 31st March, 2014
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (%) Gross Direct Premium Growth Rate (%)		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1362,39,79.11**	1303,72,59.69
	वृद्धि Growth	**4.50%**	12.66%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	**1362,39,79.11**	1303,72,59.69
	निवल मालियत (समापन) Net Worth (Closing)	**2988,95,41.98**	2774,40,63.63
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**0.46**	0.47
3	निवल मालियत की वृद्धि दर (%) Growth Rate of Net Worth (%)		
	निवल मालियत (प्रारंभिक) Net Worth (Opening)	**2774,40,63.63**	2417,74,97.64
	निवल मालियत (समापन) Net Worth (Closing)	**2988,95,41.98**	2774,40,63.63
	निवल मालियत की वृद्धि दर Growth rate of Net Worth	**7.73%**	14.75%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) Net Retention Ratio (%)		
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**1054,37,98.10**	984,16,56.70
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1362,39,79.11**	1303,72,59.69
	निवल प्रतिधारण अनुपात Net Retention Ratio	**77.39%**	75.49%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात(%) Net Commission Ratio (%)		
	शुद्ध कमीशन Net Commission	**(57,48,18.88)**	(57,92,41.35)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**1054,37,98.10**	984,16,56.70
	अनुपात Ratio	**-5.45%**	-5.89%

31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2015

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 31st March, 2015	31 मार्च, 2014 31st March, 2014
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (%) Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio (%)		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	**208,77,07.48**	159,83,02.42
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1362,39,79.11**	1303,72,59.69
	अनुपात Ratio	**15.32%**	12.26%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध प्राप्त प्रीमियम अनुपात (%) Expenses of Management to Net Written Premium Ratio (%)		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	**208,77,07.48**	159,83,02.42
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम Net Written Premium	**1054,37,98.10**	984,16,56.70
	अनुपात Ratio	**19.80%**	16.24%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे (%) Net Incurred Claims to Net Earned Premium (%)		
	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims	**1163,50,03.52**	746,06,72.89
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**1019,27,27.40**	907,34,59.83
	अनुपात Ratio	**114.15%**	82.23%
9	सम्मिलित अनुपात (%) Combined ratio (%)		
	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims	**1163,50,03.52**	746,06,72.89
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**1019,27,27.40**	907,34,59.83
	अनुपात (क) Ratio (a)	**114.15%**	82.23%
	प्रबंधन व्यय Expenses of management	**148,99,59.72**	99,88,40.01
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Written Premium	**1054,37,98.10**	984,16,56.70
	अनुपात (ख) Ratio (b)	**14.13%**	10.15%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख) Combined Ratio (a + b)	**128.28%**	92.38%

31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2015

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 31st March, 2015	31 मार्च, 2014 31st March, 2014
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि Reserve for Outstanding Claims	**3796,80,29.85**	2956,53,78.66
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि Reserve For Un-expired Risks	**527,18,99.05**	492,08,28.35
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि Reserve for Premium Deficiency	**-**	-
	कुल Total	**4323,99,28.90**	3448,62,07.01
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**1054,37,98.10**	984,16,56.70
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**4.10**	3.50
11	बीमांकन शेष अनुपात (%) Underwriting Balance Ratio (%)		
	बीमांकन लाभ Underwriting Profit	**(291,91,28.19)**	62,62,23.95
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**1019,27,27.40**	907,34,59.83
	अनुपात Ratio	**-28.64%**	6.90%
12	परिचालन लाभ अनुपात (%) Operating Profit Ratio (%)		
	बीमांकन लाभ Underwriting Profit	**(291,91,28.19)**	62,62,23.95
	निवेश आय Investment Income	**294,39,41.80**	262,79,35.49
	राजस्व खाते में अन्य आय Other Income in Revenue account	**3,17,39.19**	4,31,57.70
	परिचालन लाभ Operating Profit	**5,65,52.80**	329,73,17.14
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**1019,27,27.40**	907,34,59.83
	अनुपात Ratio	**0.55%**	36.34%

31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2015

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 31st March, 2015	31 मार्च, 2014 31st March, 2014
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना) Liquid Assets to Liabilities Ratio: (Liquid Assets of the insurer divided by the Policy holders' Liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ Liquid Assets	**1516,35,40.15**	1503,47,01.40
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ Policy Holder Liabilities	**4323,99,28.90**	3448,62,07.01
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**0.35**	0.44
14	शुद्ध अर्जन अनुपात (%) Net earnings ratio (%)		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**180,09,56.77**	364,61,22.00
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**1054,37,98.10**	984,16,56.70
	अनुपात Ratio	**17.08%**	37.05%
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति (%) Return on Net worth (%)		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**180,09,56.77**	364,61,22.00
	निवल मालियत Net Worth	**2988,95,41.98**	2774,40,63.63
	अनुपात Ratio	**6.03%**	13.14%
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता Available Solvency Margin	**2672,46,62.98**	2624,84,85.00
	आवश्यक शोधन क्षमता Required Solvency Margin	**404,08,03.82**	238,23,82.10
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**6.61**	11.02

31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2015

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2015 31st March, 2015	31 मार्च, 2014 31st March, 2014
17	अनर्जक खाता अनुपात NPA Ratio		
	निवेश Investment	**0%**	0%
	फ़ैक्टरिंग Factoring	**100%***	100%*

* अप्रैल 2010 से कोई नया व्यवसाय नहीं किया गया.

* No fresh business done since April 2010.

वर्तमान व पिछले वर्ष के लिए अनुपातों की गणना आई आर डी ए के दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 के मास्टर परिपत्र संख्या आई आर डी ए/एफ एंड आई/परि/एफ ए/231/10/2012 एवं 3 जुलाई, 2013 को जारी एवं वित्तीय वर्ष 213-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आई आर डी ए/एफ एंड ए/परि/एफ ए/126/07/2013 के अनुसार की गई है ।

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDA's Master Circular IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

(गीता मुरलीधर)
का. नि./अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक(अति. प्रभार)
(GEETHA MURALIDHAR)
ED/Chairman-cum-Managing Director (Addl. Charge)

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(डॉ सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(चन्दन सिन्हा)
निदेशक
(CHANDAN SINHA)
Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे)
निदेशक
(AJAY MURLIDHAR PONKSHE)
Director

(एम. सेंथिलनाथन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(M. SENTHILNATHAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते पी एम दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 102065 डब्ल्यू
For P. M. DALVI & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 102065W

(सुनील जी. रोहरा)
भागीदार - एम.सं110748
(SUNIL G. ROHRA)
Partner - M.No.110748

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(बी. एन. राव)
भागीदार - एम.सं. 039555
(B. N. RAO)
Partner - M.No. 039555

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 6 मई, 2015
Dated : 6th May, 2015

31.03.2015 तक पॉलिसीधारकों द्वारा न की गई राशि
Unclaimed Amount of Policyholders as on 31.03.2015

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 / Annexure 3 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र. सं. / Sr. No.	विवरण / Particulars	कुल राशि / Total Amount	1-6 माह 1-6 months	7-12 माह 7-12 months	13-18 माह 13-18 months	19-24 माह 19-24 months	25-30 माह 25-30 months	31-36 माह 31-36 months	36 माह से अधिक Beyond 36 Months
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया। Claims settled but not paid to the Policyholders / insureds due to any reasons except under litigation from the insured / Policyholders	1,11.09	-	-	-	-	4.62	2.72	103.75
2	परिपक्वता पर या अन्य के लिए बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured / Policyholders on maturity or otherwise	-	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the Policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	1,57,09.36	2,69.14	9,10.49	26,89.79	24,82.86	3,67.66	36,33.86	53,55.56
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं। Cheques issued but not encashed by the Policyholder/ insured	28,84.16	3,22.90	1,87.79	78.03	1,32.61	4,06.39	1,28.97	16,27.47
	कुल / Total	**1,87,04.61**	**5,92.04**	**10,98.28**	**27,67.82**	**26,15.47**	**7,78.67**	**37,65.55**	**70,86.78**

नोट उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

Note : Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the Policyholder is legally entiltled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly, the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

निम्नलिखित मामलों में पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है :
Figures relating to previous years have been regrouped / reclassified in the following cases

अनुसूची 17 का अनुबंध 4 / Annexure 4 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. / Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year		विवरण Particulars	पिछले वर्ष / Previous Year		कारण / Reason
		राशि / Amount			राशि / Amount		
1.	किराया दर व कर Rent, Rates & Taxes	अनु.4 / Sch.4	12,46,16.70	1. किराया दर व कर / Rent, Rates & Taxes	अनु.4 / Sch.4	10,89,87.18	आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDA guidelines
				2. सेवा कर / Service Tax	अनु.4 / Sch.4	60,02.51	
2.	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि Auditors' Fees, Expenses, etc						आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDA guidelines.
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) As Auditor	अनु.4 / Sch. 4	48,27.51	1. लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि- सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क Auditors' Fees, Expenses, etc- Statutory Audit Fee	अनु.4 / Sch.4	61,49.86	
	(ख) निगम के संबंध में परामर्श द्वारा या अन्य के रूप में (b) As adviser or in any other capacity, in respect of						
	(i) कराधान मामले / Taxation Matters	अनु.4 / Sch. 4	9,27.75	2. कर लेखा परीक्षा शुल्क / Tax Audit Fee	अनु.4 / Sch.4	9,10.57	
	(ii) बीमा मामले / Insurance Matters						
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / Management Service						
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए In any other capacity	अनु.4 / Sch. 4	1,12,89.11	1. अन्य / Others	अनु.4 / Sch.4	4,50.68	
				2. समवर्ती लेखा परीक्षा शुल्क Concurrent Audit Fee	अनु.4 / Sch.4	27,07.03	
				3. परामर्श शुल्क / Consultancy Charges	अनु.4 / Sch.4	65,93.28	
3.	विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	अनु.4 / Sch. 4	7,81,68.07	1. विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	अनु.4/ Sch. 4	5,09,44.92	आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDA guidelines.
				2. कारोबार संवर्धन व्यय Business Promotion Expenses	अनु.4/ Sch. 4	1,33,28.35	

निम्नलिखित मामलों में पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है :

Figures relating to previous years have been regrouped / reclassified in the following cases

अनुसूची 17 का अनुबंध 4 / Annexure 4 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. / Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year		विवरण Particulars	पिछले वर्ष / Previous Year		कारण / Reason
		राशि / Amount			राशि / Amount		
4.	अन्य विविध व्यय एवं अन्य व्यय Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	अनु.4 / Sch. 4	15,12,99.76	1. विविध व्यय Miscellaneous Expenses	अनु.4/ Sch. 4	2,45,88.48	
				2. हैसियत जांच व्यय Status Enquiry Expenses	अनु.4/ Sch. 4	4,29,51.68	
				3. बर्न यूनियन व्यय Berne Union Expenses	अनु.4/ Sch. 4	7,68.32	
				4. सदस्यता एवं अन्य शुल्क Membership and other fees	अनु.4/ Sch. 4	1,74,14.49	
				5. बिजली प्रभार Electricity Charges	अनु.4/ Sch. 4	2,76,02.16	
				6. गारंटी शुल्क- एन ई आई ए Guarantee Fee - NEIA	अनु.4/ Sch. 4	16,43.80	आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDAI guidelines.
				7. बीमा प्रीमियम Insurance Premium	अनु.4/ Sch. 4	25,32.22	
				8. बट्टे खाते में डालने एवं संपत्ति(शुद्ध) की बिक्री से हानि Loss on Sale of Asset (Net) & Assets written off	अनु.4/ Sch. 4	23,58.63	
				9. विनिमय घटबढ़ हानि / लाभ (शुद्ध) Exchange Fluctuation Loss/ Profit (Net)	अनु.4/ Sch. 4	-	
				10. अचल सम्पत्तियों की अनर्जक हानि Impairment Loss of Fixed Assets	अनु.4/ Sch. 4	-	
				11. निवेशों के लिए परिचालन व्यय Operating Expenses towards Investments	अनु.4/ Sch. 4	1,56,15.68	
5.	कर के प्रावधान के अंतर्गत संपत्ति कर Wealth Tax under Provision for Tax	लाभ व हानि / P&L	11,85.21	1. संपत्ति कर Wealth Tax	अनु.4/ Sch. 4	76,32.91	कर मदों के प्रबंधन के अनुपालन में To align with the treatment of Tax items.
6.	'बकाया दावे' मद मे से घटाए गए Deducted from Line item 'Claim Outstanding'	अनु.13 / Sch. 13	11,18,47.51	1. अधिमानित/अदा किए गए दावों की वसूली के लिए प्रावधान Provision for Recovery of Claims Preferred/ Paid	अनु.12/ Sch. 12	7,39,45.69	आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDAI guidelines.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Ltd.

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड)

(formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.)

सी आई एन: यू74999एम एच1957जी ओ आई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा/ (नकद प्रवाह) विवरण
Receipts & Payments Account / (Cash Flow Statement) for the year ended 31st March, 2015

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.		विवरण / Particulars	2014-15	2013-14
क A		**परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	1	अग्रिम प्राप्तियों सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम Premium received from Policyholder including Advance Receipts	1373,35,70.43	1339,00,52.19
	2	अन्य प्राप्तियाँ/वसूलियाँ/शुल्क Other Receipts / Recoveries / Fees	163,56,35.18	164,40,29.58
	3	पुनर्बीमाकर्ताओं के भुगतान- कमीशन व दावों को घटा कर Payments to Reinsurers Net of Commission and Claims	(105,97,69.50)	(103,93,14.41)
	4	सहबीमाकर्ताओं को भुगतान- दावा वसूली को घटाकर Payment to co-insurers, Net of Claims Recovery	-	-
	5	दावों की अदायगी Payments of Claims	(593,12,02.56)	(897,79,70.24)
	6	कमीशन व ब्रोकरेज की अदायगी Payments of Commission & Brokerage	(2,29,28.88)	(2,02,21.05)
	7	अन्य परिचालन व्ययों की अदायगी Payments of Other Operating Expenses	(137,37,54.31)	(131,93,43.01)
	8	प्रारंभिक एवं परिचालन पूर्व खर्च Preliminary and Pre operative Expenses	-	-
	9	जमा, अग्रिम व स्टाफ ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	(3,47,53.07)	(2,06,41.44)
	10	अदा किया गया आयकर Income Tax Paid (Net)	(156,46,38.20)	(170,26,95.42)
	11	अदा किया गया सेवा कर Service Tax Paid	(1,81,49.13)	(2,15,50.52)
	12	अन्य अदायगियाँ/ संग्रहण(शुद्ध) Other Payments/Collection (Net)	(5,28,85.93)	38,38,69.64
	13	**असाधारण मदों के पूर्व नकद प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items**	**531,11,24.03**	**231,62,15.32**
	14	**असाधारण परिचालन के पूर्व नकद प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations**	-	-
	15	**परिचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह Net Cash Flow from Operating Activities**	**531,11,24.03**	**231,62,15.32**

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.		विवरण / Particulars	2014-15	2013-14
ख B		**निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	1	अचल संपप्तियों की खरीद Purchase of Fixed Assets	(25,99,92.21)	(54,41,75.59)
	2	अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	24,30.05	1,20,33.55
	3	निवेश की खरीद Purchase of Investments	(1789,61,77.58)	(1031,90,99.02)
	4	ऋण का संवितरण Loan Disbursed	-	-
	5	निवेशों की बिक्री Sale of Investments	3503,49,12.16	2728,02,77.46
	6	प्राप्त पुनर्भुगतान Repayment Received	-	-
	7	प्राप्त किराया/ब्याज/ लाभांश Rent / Interest / Dividends Received	506,62,96.61	436,33,32.31
	8	मुद्रा बाजार के संसाधनों एवं नकद म्यूचुअल फंडों में निवेश Investments in Money Market Instruments and in Liquid Mutual Funds	(2725,11,65.98)	(2373,98,09.36)
	9	निवेशों से संबंधित व्यय Expenses related to Investments	(1,06,53.28)	(81,80.62)
	10	**निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)** **Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(531,43,50.23)**	**(295,56,21.27)**
ग C		**वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	1	शेयर पूंजी जारी करने से आय Proceeds from issuance of Share Capital	100,00,00.00	100,00,00.00
	2	उधारी से प्राप्त आय Proceeds from Borrowings	-	-
	3	उधारी की चुकौती Repayment of Borrowings	-	-
	4	ब्याज/प्रदत्त लाभांश Interest / Dividend paid	(88,00,00.00)	(60,00,00.00)
	5	**वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ग)** **Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**12,00,00.00**	**40,00,00.00**
घ D		**नकद और नकद समकक्ष पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव, शुद्ध (घ)** **Effect of Foreign Exchange Rates on Cash and Cash equivalents, net**	**12,44.61**	**34,81.11**

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	2014-15	2013-14
	शुद्ध नकद प्रवाह (क+ख+ग+घ) **Net Cash Flow (A+B+C+D)**	**11,80,18.42**	**(23,59,24.83)**
ड़. **E**	**नकद व नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि** **Net increase in Cash and Cash equivalents:**		
1	-- वर्ष के आरंभ में at the beginning of the year	974,32,73.42	997,91,98.26
2	-- वर्ष के अंत में at the end of the year	986,12,91.84	974,32,73.42
	नकदी व नकद समकक्ष में परिवर्तन **Change in Cash and Cash equivalent (A-B)**	**(11,80,18.42)**	**23,59,24.83**

(गीता मुरलीधर)
का.नि./ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
(GEETHA MURALIDHAR)
ED/Chairman-cum-Managing Director (Addl. Charge)

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(चन्दन सिन्हा)
निदेशक
(CHANDAN SINHA)
Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे)
निदेशक
(AJAY MURLIDHAR PONKSHE)
Director

(एम. सेंथिलनाथन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(M. SENTHILNATHAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 102065 डब्ल्यू
For P. M. DALVI & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 102065W

(सुनील जी. रोहरा)
भागीदार - एम.सं110748
(SUNIL G. ROHRA)
Partner - M.No.110748

कृते आर. एस. वी. ए. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(बी. एन. राव)
भागीदार - एम.सं. 039555
(B. N. RAO)
Partner - M.No. 039555

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 6 मई, 2015
Date: 6th May, 2015

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों पर प्रमाण पत्र

Certificate on Financial Statements

This is to certify that the financial statements of the company for the year ended 31st March, 2015 placed before the Board of Directors for adoption and approval do not contain any false or misleading statements or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.

(M. Senthilnathan)
Chief Financial Officer

(Geetha Muralidhar)
ED/Chairman cum Managing Director (Addl. Charge)

Place : New Delhi

Date : 6th May, 2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक मण्डल के समक्ष अपनाने व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में गलत अथवा भ्रामक विवरण अथवा आंकड़े शामिल नहीं हैं तथा न ही किसी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा अथवा छिपाया गया है जिससे इसमें शामिल विवरण अथवा आंकड़े भ्रामक साबित हो सकते हैं।

(एम सेंथिलनाथन)
प्रमुख वित्त अधिकारी

(गीता मुरलीधर)
का नि / अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 6 मई 2015

प्रबंधन रिपोर्ट

Management Report

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 की अनुसूची 'ख' के भाग IV में आवश्यकता अनुरूप प्रबंधन रिपोर्ट

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2014-15 वीनीकृत के लिए प्रमाण पत्र संख्या 525 दिनांक 1 अप्रैल 2014 के जरिये नवीनीकृत किया गया है।

2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है / प्रावधान किया जा चुका है।

3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसीयों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।

5. हम पुष्टि करते हैं कि शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।

6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों - " ऋणों", "निवेशों", "विविध देनदारों", " नकद" तथा " चालू परिसंपत्तियों " के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं है।

7. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के जरिये विस्तारित निगम की अधिकतम देयता को ₹100000,00,00 हज़ार से बढ़ा कर ₹80617,76,00 कर दिया गया है। कंपनी की जोखिम अनावरण की सीमा, साधारण बीमा कंपनियों के लिए इस संबंध में आई आर डी ए द्वारा अनुबद्ध संबन्धित सीमाओं के भीतर है।

8. हमारा कोई विदेशी परिचालन नहीं हैं। संपर्क कार्य के लिए सितंबर 2013 से लंदन, यू के में हमारा प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया है।

9. पिछले पाँच वर्ष के दौरान अवधिवार बकाया दावे निम्नानुसार है :

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority is valid during the year. The same was renewed for the FY 2014-15, vide their Certificate No: 525 dated 1st April, 2014.

2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.

3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.

4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.

5. We confirm that required solvency margins have been maintained.

6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings – "Loans', 'Investments', 'Sundry Debtors', 'Cash', and the several items specified under 'Current Assets'.

7. The overall exposure of the Company is ₹80617,76,00 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Company is well within the relevant limits stipulated by IRDA in this regard for general insurance companies.

8. We do not have any overseas operations. We have a Representative Office in London, UK since September 2013 for liaisoning work.

9. Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per details given below:

दिनांक 31.03.2015, तक वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लंबित दावे निम्नानुसार हैं।

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	52	357,06,15.68	72	28,42,63.63	124	385,48,79.31
30 दिन से 6 माह	82	853,41,71.27	81	48,80,42.10	163	902,22,13.37
6 माहसे 1 वर्ष	21	239,93,95.10	5	3,63,80.25	26	243,57,75.35
1 वर्ष से 5 वर्ष	3	74,09,81.73	-	-	3	74,09,81.73
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**158**	**1524,51,63.78**	**158**	**80,86,85.98**	**316**	**1605,38,49.76**

वित्त वर्ष 2013-14 दिनांक 31.03.2014 तक लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	103	375,94,79.24	77	49,55,05.46	180	425,49,84.70
30 दिन से 6 माह	82	468,07,31.51	100	44,67,88.32	182	512,75,19.83
6 माहसे 1 वर्ष	7	72,36,90.23	12	6,43,09.17	19	78,79,99.40
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	2	3,97,34.57	2	3,97,34.57
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**192**	**916,39,00.98**	**191**	**104,63,37.52**	**383**	**1021,02,38.50**

वित्त वर्ष 2012-13 दिनांक 31.03.2013 तक लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	60	481,23,31.70	108	75,82,88.94	168	557,06,20.64
30 दिन से 6 माह	67	460,70,29.67	68	32,23,25.20	135	492,93,54.87
6 माहसे 1 वर्ष	7	31,86,74.55	10	152,18,20.48	17	184,04,95.03
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**134**	**973,80,35.92**	**186**	**260,24,34.62**	**320**	**1234,04,70.54**

वित्त वर्ष 2011-12 दिनांक 31.03.2012 तक लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 दिन से 6 माह	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 माहसे 1 वर्ष	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**178**	**739,34,17.38**	**148**	**123,09,28.24**	**326**	**862,43,45.62**

Claims Pending as on 31/03/2015, Financial Year 2014-15

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	52	357,06,15.68	72	28,42,63.63	124	385,48,79.31
30 Days to 6 Months	82	853,41,71.27	81	48,80,42.10	163	902,22,13.37
6 Months to 1 Year	21	239,93,95.10	5	3,63,80.25	26	243,57,75.35
1 year to 5 years	3	74,09,81.73	-	-	3	74,09,81.73
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**158**	**1524,51,63.78**	**158**	**80,86,85.98**	**316**	**1605,38,49.76**

Claims Pending as on 31/03/2014, Financial Year 2013-14

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	103	375,94,79.24	77	49,55,05.46	180	425,49,84.70
30 Days to 6 Months	82	468,07,31.51	100	44,67,88.32	182	512,75,19.83
6 Months to 1 Year	7	72,36,90.23	12	6,43,09.17	19	78,79,99.40
1 year to 5 years	-	-	2	3,97,34.57	2	3,97,34.57
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**192**	**916,39,00.98**	**191**	**104,63,37.52**	**383**	**1021,02,38.50**

Claims Pending as on 31/03/2013, Financial Year 2012-13

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	60	481,23,31.70	108	75,82,88.94	168	557,06,20.64
30 Days to 6 Months	67	460,70,29.67	68	32,23,25.20	135	492,93,54.87
6 Months to 1 Year	7	31,86,74.55	10	152,18,20.48	17	184,04,95.03
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**134**	**973,80,35.92**	**186**	**260,24,34.62**	**320**	**1234,04,70.54**

Claims Pending as on 31/03/2012, Financial Year 2011-12

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 Days to 6 Months	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 Months to 1 Year	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**178**	**739,34,17.38**	**148**	**123,09,28.24**	**326**	**862,43,45.62**

वित्त वर्ष 2010-11 दिनांक 31.03.2011 तक लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	52	212,06,55.05	125	50,23,32.76	177	262,29,87.81
30 दिन से 6 माह	106	743,80,37.51	31	27,10,28.30	137	770,90,65.81
6 माहसे 1 वर्ष	65	394,56,69.16	-	-	65	394,56,69.16
1 वर्ष से 5 वर्ष	26	139,42,65.73	-	-	26	139,42,65.73
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**249**	**1489,86,27.45**	**156**	**77,33,61.06**	**405**	**1567,19,88.51**

10. पिछले पाँच वर्ष के दौरान औसत दावा निपटान समय की प्रवृत्ति दर्शाते हुए दावों का अवधिवार विवरण

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	23	18,85,19.57	93	14,34,72.69	116	33,19,92.26
30 दिन से 6 माह	110	171,00,79.24	268	103,92,55.39	378	274,93,34.63
6 माहसे 1 वर्ष	36	224,82,02.90	12	8,71,16.99	48	233,53,19.89
1 वर्ष से 5 वर्ष	3	48,16,64.90	-	-	3	48,16,64.90
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**172**	**462,84,66.61**	**373**	**126,98,45.07**	**545**	**589,83,11.68**

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	52	24,31,30.17	157	23,90,01.39	209	48,21,31.56
30 दिन से 6 माह	104	480,51,56.02	211	77,23,78.49	315	557,75,34.51
6 माहसे 1 वर्ष	19	134,71,64.92	13	8,15,34.63	32	142,86,99.55
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	2	148,65,43.11	2	148,65,43.11
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**175**	**639,54,51.11**	**383**	**257,94,57.62**	**558**	**897,49,08.73**

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	47	29,53,84.00	219	29,42,66.70	266	58,96,50.70
30 दिन से 6 माह	135	251,78,10.54	246	74,36,73.77	381	326,14,84.31
6 माहसे 1 वर्ष	15	153,48,84.96	12	9,90,21.58	27	163,39,06.54
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**197**	**434,80,79.50**	**477**	**113,69,62.05**	**674**	**548,50,41.55**

Claims Pending as on 31/03/2011, Financial Year 2010-11

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	52	212,06,55.05	125	50,23,32.76	177	262,29,87.81
30 Days to 6 Months	106	743,80,37.51	31	27,10,28.30	137	770,90,65.81
6 Months to 1 Year	65	394,56,69.16	-	-	65	394,56,69.16
1 year to 5 years	26	139,42,65.73	-	-	26	139,42,65.73
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**249**	**1489,86,27.45**	**156**	**77,33,61.06**	**405**	**1567,19,88.51**

10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per details given below :

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2014-15

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	23	18,85,19.57	93	14,34,72.69	116	33,19,92.26
30 Days to 6 Months	110	171,00,79.24	268	103,92,55.39	378	274,93,34.63
6 Months to 1 Year	36	224,82,02.90	12	8,71,16.99	48	233,53,19.89
1 year to 5 years	3	48,16,64.90	-	-	3	48,16,64.90
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**172**	**462,84,66.61**	**373**	**126,98,45.07**	**545**	**589,83,11.68**

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2013-14

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	52	24,31,30.17	157	23,90,01.39	209	48,21,31.56
30 Days to 6 Months	104	480,51,56.02	211	77,23,78.49	315	557,75,34.51
6 Months to 1 Year	19	134,71,64.92	13	8,15,34.63	32	142,86,99.55
1 year to 5 years	-	-	2	148,65,43.11	2	148,65,43.11
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**175**	**639,54,51.11**	**383**	**257,94,57.62**	**558**	**897,49,08.73**

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2012-13

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	47	29,53,84.00	219	29,42,66.70	266	58,96,50.70
30 Days to 6 Months	135	251,78,10.54	246	74,36,73.77	381	326,14,84.31
6 Months to 1 Year	15	153,48,84.96	12	9,90,21.58	27	163,39,06.54
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**197**	**434,80,79.50**	**477**	**113,69,62.05**	**674**	**548,50,41.55**

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	64	36,01,56.99	297	38,45,50.06	361	74,47,07.05
30 दिन से 6 माह	151	434,93,81.69	194	48,41,09.18	345	483,34,90.87
6 माहसे 1 वर्ष	22	155,04,33.52	1	5,06.23	23	155,09,39.75
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	8	3,98.72	8	3,98.72
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	1	7,86.31	1	7,86.31
कुल	**237**	**625,99,72.20**	**501**	**87,03,50.50**	**738**	**713,03,22.70**

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	61	17,09,64.96	382	57,01,52.03	443	74,11,16.99
30 दिन से 6 माह	180	361,76,89.18	247	103,54,26.08	427	465,31,15.26
6 माहसे 1 वर्ष	17	80,76,36.64	3	34,02.71	20	81,10,39.35
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**258**	**459,62,90.78**	**632**	**160,89,80.82**	**890**	**620,52,71.60**

11. हम प्रमाणित करते हैं कि निवेशों का मूल्यांकन भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

12. सभी निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कोई भी अनर्जक परिसंपत्ति नहीं है।

13. हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि :

क. वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानक, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्रबंधन ने लेखा नीतियों को अपनाया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है, वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं।

ग. प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2011-12

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	64	36,01,56.99	297	38,45,50.06	361	74,47,07.05
30 Days to 6 Months	151	434,93,81.69	194	48,41,09.18	345	483,34,90.87
6 Months to 1 Year	22	155,04,33.52	1	5,06.23	23	155,09,39.75
1 year to 5 years	-	-	8	3,98.72	8	3,98.72
5 years & above	-	-	1	7,86.31	1	7,86.31
Total	**237**	**625,99,72.20**	**501**	**87,03,50.50**	**738**	**713,03,22.70**

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2010-11

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	61	17,09,64.96	382	57,01,52.03	443	74,11,16.99
30 Days to 6 Months	180	361,76,89.18	247	103,54,26.08	427	465,31,15.26
6 Months to 1 Year	17	80,76,36.64	3	34,02.71	20	81,10,39.35
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**258**	**459,62,90.78**	**632**	**160,89,80.82**	**890**	**620,52,71.60**

11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by IRDA.

12. All Investment Assets are reviewed periodically and we confirm that there are no Non-performing Assets as per Reserve Bank of India Prudential Norms.

13. We hereby confirm:

a. That in preparation of financial statements, the applicable Accounting Standards, Principles and Policies has been followed.

b. That the management has adopted Accounting Policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDA Regulations and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the FY and of the Operating Profit and Net Profit of the Company for the year.

c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the Assets of the Company and

अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है ।

घ. प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए है।

ङ. प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है ।

14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले संव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फ़र्म, कंपनियाँ तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।

कृते ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड)

for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.

e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.

14. There are no payments made to individual firms, Companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For ECGC Ltd. (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited)

(गीता मुरलीधर)
का. नि. / अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
(GEETHA MURALIDHAR)
ED/Chairman-cum-Managing Director
(Addl. Charge)

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(डॉ सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(चन्दन सिन्हा)
निदेशक
(CHANDAN SINHA)
Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे)
निदेशक
(AJAY MURLIDHAR PONKSHE)
Director

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 6 मई, 2015
Date : 6th May, 2015

• **उद्योग का कुल पण्यावर्त**	:	₹ 2,00,750 करोड़
• **कुल निर्यात पण्यावर्त**	:	₹ 1,17,824 करोड़
• **निर्यात पण्यावर्त** (एम एस एम ई)	:	₹ 22,000 करोड़
• **रोजगार निर्माण** (एम एस एम ई)	:	2,45,000
• **सर्वप्रमुख निर्यात गंतव्य स्थल**	:	अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, फ्रांस इ.
• **हमारे देश में केन्द्रीकरण के क्षेत्र**	:	मुंबई, नागपूर, पुणे, एन सी आर, मदुरै, सेलम, तिरुपूर इ.

तैयार वस्त्र
READYMADE GARMENTS

• **Total turnover of the Industry**	:	₹ 2,00,750 crores
• **Total export turnover**	:	₹ 1,17,824 crores
• **Export turnover - MSME**	:	₹ 22,000 crores
• **Employment Generation - MSME**	:	2,45,000
• **Top export destinations**	:	USA, UK, UAE, Germany, France etc
• **Areas of concentration in our country**	:	Mumbai, Nagpur, Pune, NCR, Madurai, Salem, Tirupur, etc.

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ
Auditors' Comment

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

पी एम दलवी एंड कं	**आर एस वी ए एंड कं**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
लक्ष्मी नारायण बाग	ब्लॉक 1, 3री मंज़िल
बाल गोविंद दास रोड,	खेतान चैंबर्स
माहिम,	143-145 मोदी स्ट्रीट,
मुंबई - 400016	फोर्ट, मुंबई - 400001

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड),

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने, ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) (कंपनी) के इसके साथ संलग्न, दिनांक 31 मार्च 2015 तक के, उसमें उल्लिखित तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों, जिसमें तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता) आदि शामिल हैं, तथा उल्लेखनीय लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी, जिसमें भारत स्थित अट्ठावन शाखाओं, जिसमें सत्तावन शाखाओं की लेखा परीक्षा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है, तथा प्रधान कार्यालय में दर्ज किए गए लंदन प्रतिनिधि कार्यालय के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा की है।

तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता) को बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करना) विनियमन 2002, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम तथा विनियमन), अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानक तथा भारत में सामान्य तौर पर मान्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2. वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, भारतीय बीमा विनियामक

Independent Auditors' Report

P. M. Dalvi & Co.	**RSVA & Co.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
26, Laxmi Narayan Baug,	Block 1, 3rd Floor,
Bal Govindas Road,	Khetan Chambers,
Mahim,	143-145 Modi Street,
Mumbai – 400 016	Fort, Mumbai - 400 001

To,

The Members of ECGC Limited,

(Formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited),

1. Report on the Financial Statements:

We have audited the accompanying financial statements of ECGC Limited (Formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited) ('the Company') as at 31st March, 2015, which comprise the Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year ended on that date annexed thereto and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, which includes the returns of fifty eight branches situated in India out of which fifty seven branches are audited by the appointed branch auditors and the financial transactions in respect of London Representative office recorded at the Head Office.

The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) have been drawn up in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 2013 ("the Acts and Regulation"), Accounting Standards notified under the Act and other accounting principles generally accepted in India.

2. Management's Responsibility for the Financial Statements:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of

व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करना) विनियमन 2002, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले, अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित,भारत में सामान्य तौर पर मान्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में तैयार इन वित्तीय विवरणों, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, तथा नकद प्रवाह (प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ) का सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल जिम्मेदार है। इस ज़िम्मेदारी में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की परिसंपतियों की सुरक्षा, तथा धोखों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचानने, उचित लेखा नीतियों के चयन तथा प्रयोग करने, उचित तथा विवेक पूर्ण निर्णय तथा अनुमान करने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप रेखा बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा उनके रखरखाव करने के लिए ताकि वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक तथा सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने वाले व धोखे अथवा चूक के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त लेखा रिकॉर्डों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके, पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों का रखरखाव भी शामिल है।

3. लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी :

हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियमों तथा विनियमों के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा परीक्षा मानकों तथा अधिनियमों व विनियमों के प्रावधानों व उनके अधीन बने नियमों के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य मामलों का ध्यान रखा है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10)के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अधीन अनिवार्य है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह आश्वासन, कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं, प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बना कर लेखा परीक्षा पूरी करें।

लेखा परीक्षा में, राशियों से संबन्धित लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन तथा वित्तीय

the Companies Act, 2013 with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow (Receipts and Payments Account) of Company in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 2013, accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditors' Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Acts and Regulation, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Acts and Regulation and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

विवरणों का प्रकटन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, धोखे अथवा गलती से वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिम मूल्यांकन सहित, लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं। जोखिम मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक, कंपनी के सही व निष्पक्ष वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आवश्यक संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखता है ताकि परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षक प्रक्रियाओं की रूप रेखा तैयार की जा सके जिसका उद्देश्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावपूर्णता पर अपनी राय प्रकट करना नहीं है ।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग की गयी लेखा नीतियों की उचितता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता व साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रकटन का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए हमने पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त कर लिया है।

4. राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी में तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अधिनियमों तथा विनियमों, लेखा नीतियों के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में सही व निष्पक्ष राय प्रदान करने वाली टिप्पणियों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं :

i. तुलन पत्र के मामले में कंपनी के दिनांक 31 मार्च, 2015 तक के विवरण;

ii. राजस्व खाता मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिशेष

iii. लाभ व हानि खाता मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ तथा

iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ तथा भुगतान

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

4. Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Acts and Regulation, Accounting Standards notified under the Act, read with the accounting policies and notes there on give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

i. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2015;

ii. In the case of Revenue Account, of the Surplus for the FY ended on that date;

iii. In the case of Profit & Loss Account, of the Profit for the FY ended on that date; and

iv. In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the FY ended on that date.

5. मामले का विश्लेषण

हम आपका ध्यान निम्न की ओर आकर्षित करना चाहेंगे :

क. अनुसूची 17 के नोट सं 3, ₹650.76 हज़ार (पिछले वर्ष ₹650.76 हज़ार) तक के मूल्य की परिसम्पत्तियों के संबंध में जहां उचित प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गईं हैं तथा ₹57651.06 हज़ार (पिछले वर्ष ₹57651.06 हज़ार) मूल्य की परिसंपत्तियों जहां करार की प्रतियाँ खो गईं हैं / वर्तमान में निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि कंपनी के पास वर्तमान शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं, जिससे यह साबित होता है कि कंपनी के पास संबन्धित परिसंपत्तियों का वैधानिक स्वामित्व है, से संबन्धित है।

ख. 31 मार्च, 2015 तक दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (IBNR) तथा दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (IBNER) के संबंध में देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन को कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा हमें उस पर विश्वास है। नियुक्त बीमांकक ने यह भी प्रमाणित किया है कि आई आर डी ए तथा आई आर डी ए आई की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा मानदंडों के अनुसरण में इस प्रकार के मूल्यांकनों के लिए अनुमानों पर विचार किया गया है।

ग. अनुसूची 17 के नोट सं 14, विविध देनदारों तथा विविध लेनदारों व जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य आस्तियों तथा बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता तथा पुनर्बीमा खातों सहित विविध जमाओं से संबन्धित है।

घ. अनुसूची 17 के नोट सं 6.2, वेतन संशोधन से संबन्धित है, कंपनी ने अनुमान के आधार पर वेतन संशोधन के कारण कर्मचारियों को देय भुगतान के कारण उत्पन्न वृद्धिशील देयता के रूप में रु 12,06,78 हज़ार का प्रावधान किया है जिसमें से रु 3,96,32 हज़ार पिछली अवधि से संबन्धित है तथा परिणामस्वरूप वर्ष के लिए उतनी ही राशि का कम लाभ दर्शाया गया है।

ङ. बीमा अधिनियम 1938 के अधीन विनिर्धारित जमा आवश्यकता के अनुपालन के लिए कंपनी ने रु 9,95,25 हज़ार (पिछले वर्ष रु 9,95,25 हज़ार) को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया है (अनुसूची 17

5. Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

a. Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties costing ₹650.76 thousands (previous year ₹650.76 thousands) where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties costing ₹57651.06 thousands (previous year ₹57651.06 thousands), where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests the Company with legal ownership of the properties;

b. The actuarial valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR) and those Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at March 31, 2015 has been duly certified by the Appointed Actuary of the Company and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumptions considered by him for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDA and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDA;

c. Note no. 14 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, Other liabilities, Loans, Advances and other Assets including amount recoverable, and Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;

d. Note 6.2 to Schedule 17 regarding wage revision, the Company has made a provision of ₹120678 thousand towards incremental liability on account of payments to employees due to wage revision on estimate basis out of which ₹39632 thousands pertains to prior period and as a result the profit for the year is understated by the corresponding amount;

e. To comply with the deposit requirement stipulated under the Insurance Act, 1938, the Company has invested ₹99,525 thousands (Previous year ₹99,525 thousands) in the

के नोट सं 5.3 को देखें)। इस प्रकार के निवेश के बकाया शेष को " अग्रिम तथा अन्य आस्तियों " शीर्ष के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

6. अन्य मामले

हमने, कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल सत्तावन शाखाओं, जिनकी वित्तीय विवरणों / जानकारी, 31 मार्च 2015 तक के कुल रु 21200825.98 ('000) की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु 10543798.10 ('000) के कुल राजस्व (निवल प्रीमियम) में परिलक्षित होती है व जिन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है । छप्पन शाखाओं के वित्तीय विवरण / जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है जिनकी रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों तथा प्रकटनों के संबंध में यह पूर्ण रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

7 अन्य कानूनी तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7.1 अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने, हमारी सर्वोत्तम जानकरी व विश्वास के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं ।

ख. हमारी राय में, बहियों की हमारी जांच से पाया गया है कि कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक उचित लेखा बहियों का रखरखाव किया गया है तथा हमारे द्वारा जिन शाखाओं का दौरा नहीं किया गया था उन शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विवरण प्राप्त किए गए हैं।

ग. शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन लेखापरीक्षित कंपनी के सत्तावन शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गयी है तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है।

घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप हैं जिन शाखाओं का हमारे द्वारा

government securities (Refer note no. 5.3 to Schedule 17). The outstanding balance of such Investment is classified under "Advances and Other Assets".

6. Other Matter

We did not audit the financial statements/ information of fifty seven branches included in the financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹21200825.98 ('000) as at 31st March, 2015 and total revenues (Net Premium) of ₹10543798.10 ('000) for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/information of fifty six branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

7. Report on other Legal and Regulatory Requirements:

7.1 As required by section 143 (3) of the Act, we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

c. The report on the accounts of the fifty seven branch offices of the Company audited under section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

d. The Balance Sheet, Revenue Account, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us.

दौरा नहीं किया गया है।

ङ. हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में हैं।

च. हमारी राय में उक्त मद सं 5 के क से ङ में विवरित मुद्दों का कंपनी के कार्यप्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो चिंता का विषय हो।

छ. निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रत्यावेदनों के आधार पर, निदेशक मण्डल द्वारा 31 मार्च, 2015 तक ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, कि अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों में किसी भी निदेशक की निदेशक के रूप में नियुक्ति को अयोग्य सिद्ध किया गया हो।

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखापरीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद सं 25 (ख) का संदर्भ लें) में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है;

ii. हमारी राय तथा जानकारी एवं हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधिक करारों (ठेकों) के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नहीं है।

iii. हमारी राय तथा जानकारी एवं हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इससे पूर्व सभी लाभांशों को घोषित कर उसकी अदायगी की है, अतः कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

e. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

f. In our opinion matters covered in point 5 a to e above will not have adverse effect on the functioning of the Company as a going concern.

g. On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2015 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

h. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements (Refer point no. 25(b) of schedule 17 to the financial statements);

ii. In our opinion and as per information and explanation provided to us there are no material foreseeable losses on account of long-term contracts entered into by the Company;

iii. In our opinion and as per information and explanation provided to us the Company has paid all the dividends declared in the past and therefore the Company is not required to deposit any amount to Investor Education and Protection Fund.

7.2 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश

क्रसं	निर्देश	उत्तर
1	यदि कंपनी को विनिवेश के लिए चुना जाता है तो विनिवेश प्रक्रिया के साधन तथा उसके चरण सहित, आस्तियों (अमूर्त आस्तियां तथा भूमि सहित) तथा देयताओं (वचनबद्ध तथा सामान्य प्रारक्षण सहित) के मूल्यांकन हेतु पूर्ण हैसियत रिपोर्ट की जांच की जाये।	जैसा कि कंपनी का चयन विनिवेश के लिए नहीं किया गया है, यह ई सी जी सी के लिए लागू नहीं है।
2	कृपया रिपोर्ट करें कि क्या उधारों /ऋणों / ब्याज आदि पर छूट प्रदान करने / बट्टे खाते में डालने के कोई मामले हैं? यदि हाँ तो उसके कारण बताएं तथा शामिल राशि दर्शाएँ ।	कंपनी द्वारा इस प्रकार के कोई मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।
3	क्या तीसरी पार्टी के पास मौजूद माल तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसम्पत्तियों का कोई सही रिकॉर्ड रखा है?	विभागों / शाखाओं द्वारा दी गयी सूचना अनुसार कंपनी के पास इस प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है।
4	सभी विधिक मामलों (विदेशी तथा स्थानीय) पर व्यय के लिए निगरानी प्रणाली के लंबन तथा अस्तित्व / प्रभावपूर्णता के कारण सहित कानूनी / मध्यस्थता मामलों के लंबन का अवधिवार विश्लेषण	1. दिनांक 31.03.2015 तक लंबित कानूनी मामलों का अवधिवार विश्लेषण : लंबित मामलों की कुल संख्या : 305 3 वर्षो तक : 107 5 वर्षो तक : 35 5 वर्षो से अधिक : 163 2. लंबन के कारण : विभिन्न न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों / फोरमों में लंबित हैं। समय समय पर निर्धारित तारीखों को नियुक्त अधिवक्ता / प्रतिनिधि मामले में भाग लेते हैं। कुछ मामलों को न्यायालयों द्वारा दीर्घावधि के कारण सूची में शामिल किया गया है। कुछ मामलों को अदालतों के अवशिष्ट श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। 3. विद्यमान मॉनिटरिंग प्रणाली अधिवक्ता / प्राधिकृत प्रतिनिधि, न्यायालयों / न्यायाधिकरणों / फोरमों में चल रहे मामलों में समय समय पर भाग लेते हैं तथा मामलों की प्रगति की जानकारी देते हैं।

7.2 Report u/s 143(5) of Companies Act, 2013.

DIRECTIONS UNDER SECTION 143 (5) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Sr. No.	Directions	Answer
1	If the Company has been selected for disinvestment, a complete status report in terms of valuation of Assets (including intangible assets and land) and Liabilities (including Committed & General Reserves) may be examined including the mode and present stage of disinvestment process.	As the company is not selected for disinvestment, it is not applicable to ECGC.
2	Please report whether there are any cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	No such cases were reported by the Company.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift from Govt. or other authorities.	As informed by the Departments/Branches, the Company has no such assets.
4	A report on age-wise analysis of pending legal/ arbitration cases including the reasons of pendency and existence/ effectiveness of a monitoring mechanism for expenditure on all legal cases(foreign and local) may be given.	1. AGE WISE ANALYSIS OF PENDING LEGAL CASESAS ON 31.03.2015: Total No. of Pending Cases: 305 Up to 3 Years: 107 Up to 5 Years: 35 Above 5 Years: 163. 2. REASONS OF PENDENCY: The matters are pending before various courts/Tribunals/ Forums. The matter is attended by appointed Advocates/ Authorised Representatives on appointed dates from time to time. Certain matters are placed in Long Cause List of courts. There are a few matters which are listed in the Residuary Category of courts. 3. EXISTENCE OF A MONITORING SYSTEM The Advocates/ Authorised Representatives attend the cases before the Courts/Tribunals/ Forums and they update the progress of the cases from time to time.

		शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मामलों की सूची रखी जाती है तथा उसे समय समय पर प्रधान कार्यालय को अग्रेषित किया जाता है। प्रधान कार्यालय में भी उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। विधिक मामलों पर व्यय के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : i. सभी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिवक्ताओं / प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति तथा उनके कार्यक्षेत्र सहित उनके शुल्क के लिए महाप्रबंधक (विधि) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। ii. वाहन/ यात्रा व्यय, लॉजिंग एवं बोर्डिंग जैसे व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में बिलों की सत्यापित व प्रमाणित प्रतियों के साथ इस घोषणा को भी प्रस्तुत की जाती कि संबन्धित बिलों को किसी ग्राहक पर प्रभारित नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन उप निर्देश

क्र सं	निर्देश	उत्तर
1	उन मामलों की संख्या जहां ईक्विटी निवेश की राशि में कंपनी की बहियों में मूल्यह्रास हुआ है तथा वर्ष के अंत तक एन. एस. ई. में कोट किए गए दर पर राशि की गणना नहीं की गयी है तथा एन. एस. ई. में सूचीबद्ध नहीं किया गया है व बी. एस. ई. में अंततः कोट किए गए मूल्य में जिनका मूल्यांकन किया गया है, को सत्यापित किया जाये तथा पायी गयी सुपुर्दगी की उपयुक्त रिपोर्टिंग की जाए।	आई आर डी ए विनियमों के अनुसार ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन किया गया है। 31.03.2015 तक जिन शेयरों को एन. एस. ई. के मूल्य पर कोट किया गया है उनका मूल्यांकन एस. एस. ई. के अनुसार किया गया है तथा जिन शेयरों को बी. एस. ई. के मूल्य पर पर कोट किया गया है उनका मूल्यांकन बी. एस. ई. के अनुसार किया गया है। जिन शेयरों को एन.एस. ई. पर कोट नहीं किया उनका मूल्यांकन दिनांक 31.03.2015 को बी. एस. ई. में कोट किए दर पर किया गया है। हमारे सभी इक्विटी निवेश या तो एन.एस. ई. अथवा बी. एस. ई. में सूचीबद्ध हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।
2	भौतिक / डीमॅट रूप में उपलब्ध सी जी एस / एस जी एस / बॉड्स / डिबेंचर्स आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शाई राशि से मेल नहीं खाता हो, का सत्यापन किया जाये तथा यदि कोई विसंगति पायी जाये तो उसे रिपोर्ट किया जाये।	सी जी एस / एस जी एस में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गए हैं तथा उनका रिकोर्डों के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी है। सी जी एस की दो प्रतिभूतियों को माध्यमिक बाज़ार परिचालन तथा सी बी एल ओ परिचलनों के लिए सी सी आई एल के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं। सी जी एस की एक प्रतिभूति को बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन जमा के रूप में केनरा बैंक में रखा गया है।

		The Branches/Regional Offices, maintain and update the list of cases and forward the same to Head Office from time to time. The records for the same are updated at Head Office also. As regards the expenditure on legal case, the following safeguards are in place: i. Appointment of Advocates/ Authorised Representatives and their respective schedule of fees along with their scope of work across all the Branches/ROs are approved by General Manager (Legal). ii. True and certified copies of bills in respect of reimbursements of expenses such as Conveyance/ Travel, Lodging & Boarding are accompanied with declaration to the effect same are not charged to or recovered from any other client.

SUB DIRECTIONS UNDER SECTION 143 (5) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Sl. No.	Directions	Answer
1	Number of cases where the amount of equity investments depicted in the Company's books has not been arrived at with reference to year end last quoted price in NSE and stock not listed in NSE valued at last quoted price in BSE, may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	Valuation of equity shares is carried out as per IRDA Regulations. Shares which are quoted on NSE have been valued as per NSE quoted price as on 31.03.2015. Shares which are not quoted on NSE, same are valued as per BSE quoted price as on 31.03.2015. All our equity investments have been listed either on NSE or BSE. There have been no discrepancies in this regard.
2	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/demat form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	All investments in CGS/SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two securities of CGS have been kept with CCIL for secondary market operations and CBLO operations, for which we have obtained the necessary certificates. One security of CGS is kept with Canara Bank as deposit u/s 7 of Insurance Act, 1938.

		बॉन्डों / डिबेंचरों को हमारे संरक्षक एस एच सी आई एल के पास डीमॅट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी है।
3क	क्या आरंभिक हानि सूचना / अन्तरिम / अंतिम सर्वे रिपोर्ट आदि के आधार पर बकाया दावों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। यदि नहीं तो कुल राशि दर्शाएँ	हाँ, निगम द्वारा निर्धारित नीति / परिपत्रों के अनुसार सभी बकाया दावों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। तथापि, मुंबई ब. नि. शा. के संबंध में शाखा के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार 47.50 लाख रु तक का प्रावधान नहीं किया गया है।
3ख	क्या कर्मचारी देयताओं जैसे पेंशन निधि, छुट्टियों का नकदीकरण, उपदान, आदि के लिए प्रावधान करने का आश्वासन दिया गया है तथा आई बी एन आर व आई बी एन ई आर दावों के लिए किए गए प्रावधान बीमांकक के मूल्यांकन अनुसार हैं। क्या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा बीमांकक को सही व पूर्ण आंकड़े प्रदान किए गए हैं तथा बीमांकक द्वारा, छूट दर, मुद्रा स्फीति दर आदि के अनुमानों के लिए अपनाए गए मानदंड उचित हैं?	(क) कर्मचारियों के मामले में i. बीमांकक द्वारा कर्मचारियों से संबन्धित सभी आवश्यक मामलों के आंकड़े मा. सं. वि. विभाग से सत्यापित करवाने के उपरांत उसे सौंपे गए। ii. पेंशन निधि, छुट्टी का नकदीकरण, उपदान आदि के लिए प्रावधान का आई सी ए आई द्वारा जारी ए एस - 15 मानक के आधार पर बीमांकक के परामर्श पर अभिकलित व प्रमाणित किया गया है। (ख) आई बी एन आर व आई बी एन ई आर के मामले में i. बीमांकन विभाग के सत्यापन के पश्चात नियुक्त बीमांकक द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक आंकड़े उन्हें प्रदान किए गए। ii. नियुक्त बीमांकक द्वारा आई बी एन आर व आई बी एन ई आर दावे प्रारक्षणों को अभिकलित व प्रमाणित किया गया। iii. नियुक्त बीमांकक प्रमाणित करता है कि आई बी एन आर दावा प्रारक्षण अनुमान अभिकलन तकनीक, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा भारतीय बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण के संगत विनियमों के अनुरूप है।

		Bonds/Debentures are held in demat account with our custodians SHCIL. All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found.
3a	Whether adequate provisions have been made for outstanding claims, on the basis of amounts estimated in preliminary loss advices/ interim/final survey reports etc. If not, state the total amount.	Yes, Adequate provisions have been made for all outstanding claims as per policy/circulars laid down by the company. However, non provision to the extent of ₹47.50 lacs is reported by Branch Auditor in respect of the Mumbai LEB Branch.
3b	Whether there is an assurance that provision for employees liabilities such as pension fund, leave encashment, gratuity etc. and provision for IBNR & IBNER claims are as per actuarial valuation. Whether accurate & complete data was provided by the PSU to the Actuary and the benchmark used by Actuary for assumptions such as discount rate, inflation rates etc. were appropriate.	(a) In case of Employees i. All the requisite data in relation to employees, after verification and validation of the same by HRD department, are provided to Consultant Actuary as sought by him. ii. Provision for pension fund, leave encashment, gratuity etc. are computed and certified by Consultant Actuary based on standard AS-15 issued by ICAI. (b) In case of IBNR and IBNER i. All the requisite data after verification and validation of the same by actuarial department are provided to Appointed Actuary as sought by him. ii. Provision for IBNR & IBNER Claims Reserve estimate are computed and certified by Appointed Actuary. iii. Appointed Actuary certifies that IBNR Claim Reserve estimate computation techniques conforms to the guidance issued by the Institute of Actuaries of India and relevant regulations of the Insurance Regulatory and Development Authority of India.

4	क्या कंपनी ने सौंपे गए कारोबार के पुनर्बीमा के संबंध में पुनर्बीमाकर्ताओं को समय पर प्राथमिक हानि सूचना तथा दावा हानि की सूचना दी हैं? यदि नहीं तो इस प्रकार के कितने मामले हैं तथा इसमें शामिल राशि को दर्शाएँ। इसी प्रकार, आवक कारोबार पुनर्बीमा के संबंध में यह भी सुनिश्चित किया गया कि कंपनी के लेखा बहियों में पर्याप्त प्रावधान को करते समय लेखों को अंतिम रूप देने की तारीख तक प्राप्त पूरी जानकारी / सभी सूचनाओं का पूरा ध्यान रखा गया।	हाँ। कंपनी ने पुनर्बीमाकर्ताओं को समय पर हानि सूचना तथा दावा हानि की सूचना प्रस्तुत की है। ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार का आवक पुनर्बीमा स्वीकार नहीं किया गया है।

7.3 उन मामलों जिनकी अन्यत्र रिपोर्टिंग नहीं हुई है, पर, बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 की अनुसूची ग, विनियम 3 में निर्धारित अनुसार कार्यवाही आवश्यक है ;

क. निगम द्वारा अपनाई गयी लेखा नीतियाँ उचित हैं तथा इस संबंध में कंपनी (लेखा)नियम 2014 के साथ पढे जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के अधीन आई= विनिर्दिष्ट लागू लेखा मानकों तथा आई आर डी ए द्वारा निर्धारित विनियमों आदेशों / निर्देशों के जरिये निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन में है।

ख. हमने, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न, शाखा स्तर पर की गयी इस प्रकार की समीक्षा के संबंध में शाखा के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है तथा वित्तीय विवरणों में कोई स्पष्ट गल्तियाँ अथवा महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गईं।

ग. निगम के प्रबंधन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार निगम द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उप धारा 4, में निर्दिष्ट पंजीकरण के निबंधन व शर्तों का पूरा अनुपालन किया गया है।

घ. हमने (सिवाय उन शाखाओं के जहां लेखा परीक्षा, संबन्धित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है तथा शाखा प्रबन्धकों द्वारा अलेखा परीक्षित शाखाओं के

4	Whether the Company has given preliminary loss advices and claim loss advices in time to the reinsurers in respect of reinsurance ceded business? If not, the number of such cases and amount involved may be specified. Similarly in respect of reinsurance inward business, it has also to be ensured that all information/ advices received upto the date of finalization have been considered for adequate provisions in the books of the Company.	a. Yes. The Company had submitted the loss advise and claim loss advice in time to the Reinsurers. b. During the period under audit no inward reinsurance is accepted by the Company.

7.3 Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere:

a. The accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/directions prescribed by IRDA in this regard;

b. We have reviewed the management report attached to the financial statements, based on the reports of branch auditors regarding such review at branch level, and there is no apparent mistakes or material inconsistencies with the financial statements;

c. As per the explanation given by the management the Corporation has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;

d. We have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned

मामले) वास्तविक निरीक्षण, अथवा प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति अथवा अन्य दस्तावेजी सबूत, सिवाय उन प्रतिभूतियों के जो बैंक के कब्जे में हैं व जिसके लिए पुष्टिकरण प्राप्त हो चुका है से संबन्धित नकद शेषों तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है।

ङ. हमें प्रदान की गयी सर्वोत्तम जानकारी तथा स्पष्टीकरण तथा निगम द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, निगम किसी न्यास का न्यासी नहीं है; तथा

च. निगम ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर उन्हें शेयरधारकों की निधियों तथा पॉलिसीधारकों की निधियों में अलग अलग वर्गीकृत किया है तथा तदनुसार आय को राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया है। यद्यपि निगम द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1ख) की शर्तों में शेयरधारकों तथा पॉलिसीधारकों से संबन्धित कोई अलग खाता नहीं रखा गया है तथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकॉर्डों से निधियों के अनुप्रयोग का सत्यापन नहीं किया गया है। लेखा बहियों के सत्यापन तथा जानकारी व हमें दिये गए स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध रिकॉर्डों की समीक्षा के आधार पर हमें ऐसा कोई मामला नहीं मिला है जहां पॉलिसीधारकों की निधियों की संपत्ति का, पॉलिसीधारकों की निधियों के अनुप्रयोग तथा निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो।

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी	**कृते आरएसवीए एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण	फर्म पंजीकरण
सं 102065W	सं 110504W
सुनील जी. रोहरा	**बी. एन. राव**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता	सदस्यता
सं 110748	सं 039555

स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 जून, 2015

auditors and in case of unaudited branches by the branch managers) and securities relating to the loans and investments made by the corporation by actual inspection or by production of certificates or the other documentary evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;

e. To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Corporation, the Corporation is not a trustee of any trust; and

f. The Corporation has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit & Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

For P. M. Dalvi & Co.	**For RSVA & Co.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
Firm Registration	Firm Registration
No. 102065W	No. 110504W
Sunil G. Rohra	**B. N. Rao**
Partner	Partner
Membership	Membership
No. 110748	No. 039555

Place : Mumbai
Date : 9th June, 2015

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
Comments of CAG

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 203 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन का दायित्व हैं। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित , अधिनियम की धरण 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह, उनके द्वारा दी गयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 06 मई 2015 द्वारा किया गया है।

मैंने , भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा (6)(क) के अधीन दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। अनुपूरक लेखा परीक्षा मुख्य रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकोर्डों की चयनात्मक जांच के आधार पर की गयी है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके आधार पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई परिशिष्ठ (अनुबंध) संलग्न किया जाये।

कृते भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से

(रूप राशि)

प्रधान निदेशक , वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य

लेखा परीक्षा बोर्ड- I , मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10 जून 2015

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015

The Presentation of financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 06 May 2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the
Comproller and Auditor General of India

(Roop Rashi)

Principal Director of Commercial Audit and
ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai

Date : 10 June 2015

- **उद्योग का कुल पण्यावर्त** : ₹72,600 करोड़
- **कुल निर्यात पण्यावर्त** : ₹35,925 करोड़
- **निर्यात पण्यावर्त** (एम एस एम ई) : ₹ 14,300 करोड़
- **रोजगार निर्माण** (एम एस एम ई) : 4,30,000
- **सर्वप्रमुख निर्यात गंतव्य स्थल** : जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, हाँग काँग इ.
- **हमारे देश में केन्द्रीकरण के क्षेत्र** : चेन्नई, मुंबई, बैंगलूरू, कोलकता, कानपूर, आग्रा इ.

चमड़ा
LEATHER

- **Total turnover of the Industry** : ₹72,600 crores
- **Total export turnover** : ₹35,925 crores
- **Export turnover - MSME** : ₹14,300 crores
- **Employment Generation - MSME** : 4,30,000
- **Top export destinations** : Germany, USA, UK, Italy, Hong Kong etc
- **Areas of concentration in our country** : Chennai, Mumbai, Bangalore, Kolkata, Kanpur, Agra etc.

सेवा तंत्र
Service Network

सेवा तंत्र

SERVICE NETWORK

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
पंजीकृत कार्यालय ईसीजीसी लिमिटेड. एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 **REGISTERED OFFICE** ECGC Limited. Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6659 0500 / 0510	webmaster@ecgc.in
राष्ट्रीय विपणन प्रभाग निर्मल, 5वीं मंज़िल, 241/242, बैकबे रिक्लेमेशन नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 **NATIONAL MARKETING DIVISION** Nirmal, 5th Floor, 241/242, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6659 0700 - 709	marketing@ecgc.in
परियोजना निर्यात शाखा दी मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंज़िल, प्लॉट नं सी 26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400 051 **PROJECT EXPORT BRANCH** The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	projectexport@ecgc.in
बड़े निर्यातक शाखा, मुंबई दलामल हाउस, 2 री मंज़िल जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 **LARGE EXPORTERS BRANCH, MUMBAI** Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8800-12	leb.mumbai@ecgc.in
बैंक कारोबार शाखा, मुंबई दलामल हाउस, 3 री मंज़िल जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 **BANK BUSINESS BRANCH, MUMBAI** Dalamal House, 3rd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8600-24	bbb.mumbai@ecgc.in
पश्चिम क्षेत्र / WESTERN REGION		
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय दी मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंज़िल, प्लॉट नं सी 26/27, " ई" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400 051 **WESTERN REGIONAL OFFICE** The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	wro@ecgc.in
बांद्रा ल व म नि शाखा दी मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंज़िल, प्लॉट नं सी 26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400 051 **BANDRA SME BRANCH** The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	bandra.mumbai@ecgc.in
बांद्रा बैंक कारोबार शाखा दी मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंज़िल, प्लॉट नं सी 26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400 051 **BANDRA BANK BUSINESS BRANCH** The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8181 / 8110	bbb.bandra@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
अंधेरी शाखा 401, टाउन सेंटर, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के आगे, मरोल, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400 059 **ANDHERI BRANCH** 401, Town Centre, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059	(022) 2859 3856 / 7614	andheri.mumbai@ecgc.in
चर्चगेट शाखा दलामल हाउस, 3 री मंज़िल जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 **CHURCHGATE BRANCH** 2nd Floor, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 2282 2214 / 2265 / 22832027	churchgate.mumbai@ecgc.in
ठाणे शाखा कुसुमांजलि, पहली मंज़िल, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे - 400 602 **THANE BRANCH** Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane - 400 602	(022) 2534 7815	thane@ecgc.in
अहमदाबाद निर्यातक शाखा नगीनदास चैंबर्स, पहली मंज़िल, उसमानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 **AHMEDABAD EXPORTER BRANCH** Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 2754 4499 / 2925 / 0054	ahmedabad@ecgc.in
अहमदाबाद बैंक कारोबार शाखा नगीनदास चैंबर्स, पहली मंज़िल, उसमानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 **AHMEDABAD BANK BUSUINESS BRANCH** Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 2754 4499 / 2925 / 0054	bbb.ahmedabad@ecgc.in
पुणे शाखा वास्तु चैंबर्स, पहली मंज़िल, 1202 /39 शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004 **PUNE BRANCH** Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004	(020) 25531 998 / 2551 2871	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा 408, 4थी मंज़िल, सिटी सेंटर, 470 एम. जी. रोड , इंदौर - 452 001 **INDORE BRANCH** 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001	(0731) 2544 215 / 2532 129	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा निर्मल, 2 री मंज़िल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, म्युनिसिपल कमिश्नर के बंगले के सामने, राजकोट- 360 001 **RAJKOT BRANCH** Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281) 2465 162	rajkot@ecgc.in
वडोदरा शाखा 504, कॉन्कोर्ड, 6 वी मंज़िल, आर. सी. दत्त मार्ग, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 **VADODARA BRANCH** 504, Concord, 6th Floor, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	(0265) 2354 728 / 2341 615	vadodara@ecgc.in
नागपूर शाखा प्लॉट नं 317 (66) 2 री मंज़िल, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, गुप्ता हाउस के सामने, एम जी हाउस के पास , सिविल लाइंस , नागपूर - 440 001 **NAGPUR BRANCH** Plot No.317 (66), 2nd Floor, Ravindra Nath Tagore Marg, Opp. Gupta House, Beside M.G. House, Civil Lines, Nagpur - 440 001	(0712) 6558 503	nagpur@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
सूरत शाखा 503, 21 सेंचुरी बिजनेस सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास, रिंग रोड , सूरत - 395 002 **SURAT BRANCH** 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002	(0261) 6530 488 / 2364 074	surat@ecgc.in
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंज़िल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 **EASTERN REGIONAL OFFICE** AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 2282 0963 - 66	ero@ecgc.in
कोलकाता निर्यातक शाखा ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंज़िल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 **KOLKATA EXPORTERS BRANCH** AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 2282 0963 - 66	kolkata@ecgc.in
कोलकाता बैंक कारोबार शाखा ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंज़िल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 **KOLKATA BANK BUSINESS BRANCH** AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 2282 0963 - 66	bbb.kolkata@ecgc.in
वाराणसी शाखा पी सी एफ प्लाज़ा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 3 री मंज़िल, यूनिट नं 1, नादेसर वाराणसी - 221 002 **VARANASI BRANCH** PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507 864 / 2502 534	varanasi@ecgc.in
भुवनेश्वर शाखा प्लॉट नं 611 3 री मंज़िल, शहीद नगर, भूबनेश्वर - 751 007 **BHUBANESHWAR BRANCH** Plot No. 611, 3rd Floor, Sahid Nagar, Bhubaneshwar - 751 007	(0674) 2547 772	bhubaneshwar@ecgc.in
गुवाहाटी उप कार्यालय शर्मा बिल्डिंग, एच. पी. ब्रह्मचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी ओ रहबारी , गुवाहाटी 781 005 **GUWAHATI SUB-OFFICE** Sharma Building, H. P. Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008	(0361) 2635 983	guwahati@ecgc.in
दक्षिण क्षेत्र - I / SOUTHERN REGION - I		
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - I स्पेन्सर टावर्स , 7 वीं मंज़िल, 770-ए, अन्ना सालै, चेन्नई - 600 002 **SOUTHERN REGIONAL OFFICE - I,** Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 2849 1026-31	sro-I@ecgc.in
चेन्नई निर्यातक शाखा स्पेन्सर टावर्स , 7 वीं मंज़िल, 770-ए, अन्ना सालै, चेन्नई - 600 002 **CHENNAI EXPORTERS BRANCH** Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 2849 1026-31	chennai@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
चेन्नई बैंक कारोबार शाखा 3 री मंज़िल, ओवरसीज़ टावर्स, 756 एल माउंट रोड, चेन्नई - 600 002 **CHENNAI BANK BUSINESS BRANCH** 3rd Floor,Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai - 600 002	(044) 4228 4488 - 99	bbb.chennai@ecgc.in
चेन्नई दक्षिण शाखा 3 री मंज़िल, ओवरसीज़ टावर्स, 756 एल माउंट रोड, चेन्नई - 600 002 **CHENNAI SOUTH BRANCH** 3rd Floor,Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai - 600 002	(044) 4228 4488 - 99	chennaisouth@ecgc.in
पेरियामेट शाखा लेदर सेंटर, 3 री मंज़िल, 43/53 राजा मुथैया रोड, पेरियामेट, चेन्नई 600 003 **PERIAMET BRANCH** Leather Centre, 2nd Floor, 43/53, Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai - 600 003	(044) 6521 0006 / 2561 5721	periamet.chennai@ecgc.in
कोयंबतूर शाखा चेरन प्लाज़ा, 2 री मंज़िल, 1090 त्रिची रोड, कोयंबतूर - 641 018 **COIMBATORE BRANCH** Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore - 641 018	(0422) 2304 775 / 776	coimbatore@ecgc.in
मदुराई शाखा 1 ली मंज़िल, नं 12, कामराज नगर, दूसरा रास्ता, चिन्ना चिक्कीकुलम, ओ सी पी एम स्कूल रोड, मदुराई - 625 002 **MADURAI BRANCH** 1st Floor, No. 12, Kamraj Nagar, Second Street, Chinna Chokkikulam, OCPM School Road, Madurai - 625 002	(0452) 2520 340 / 2525 521	madurai@ecgc.in
सेलम शाखा शांति प्लाज़ा, 3 री मंज़िल, 1/5 वृंदावन रोड, फायर लैण्ड्स, पुन्नास्वामी गौंडर, तिरुमना मंडपम, फायर लैण्ड्स, सेलम - 636 004 **SALEM BRANCH** Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp. Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem - 636 004	(0427) 2442 275 / 2330 274	salem@ecgc.in
तिरुपुर निर्यातक शाखा 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, पहली मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 **TIRUPUR EXPORTERS BRANCH** 137/2, C.G. Complex, 1st Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232 998 / 4354	ebb.tirupur@ecgc.in
तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, पहली मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 **TIRUPUR BANK BUSINESS BRANCH** 137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232 998 / 3444	bbb.tirupur@ecgc.in
टूटिकोरिन शाखा 206/4 ए, पहली मंज़िल, वी ई रोड, टूटिकोरिन - 628 003 **TUTICORIN BRANCH** 208/4A, 1st Floor, V E Road, Tuticorin - 628 003	(046)1232 4351 / 52	tuticorin@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
करूर शाखा 3 री मंज़िल, के वी आर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, संगुथपुरम, करूर - 639 002 **KARUR BRANCH** 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002	(04324) 2339 11 / 2317 25	karur@ecgc.in
दक्षिण क्षेत्र - II / SOUTHERN REGION - II		
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - II रहेजा टाँवर्स, 11 वी मंज़िल, वेस्ट विंग 26, एम. जी. रोड, बैंगलूरु - 560 001 **SOUTHERN REGIONAL OFFICE - II** Raheja Towers, 11th Flr., West Wing, 26, M. G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 2559 1139	sro-II@ecgc.in
बेंगलूर निर्यातक शाखा वायूदूत चैम्बर्स, 4 थी मंज़िल,15-16 एम जी रोड, बैंगलूरु - 560 001 **BANGALORE EXPORTERS BRANCH** Vayudooth Chambers, 4th Floor,15-16, M G Road, Bengaluru - 560 001	(080) 2558 9775 / 2559 1729	bangalore@ecgc.in
बैंगलूरु बैंक कारोबार शाखा रहेजा टावर्स , 11 वीं मंज़िल, ईस्ट विंग, 26 एम जी रोड, बैंगलूरु - 560 001 **BANGALORE BANK BUSINESS BRANCH** Raheja Towers, 11th Flr., East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 2558 5375 / 8 2532 6181 / 6182	bbb.bangalore@ecgc.in
कोची शाखा एच डी एफ सी हाउस, 2 री मंज़िल, रवि पुरम जंक्शन, एम. जी. रोड, एर्णाकुलम, कोची - 682 015 **KOCHI BRANCH** H.D.F.C. House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015	(0484) 2359 437 / 457	kochi@ecgc.in
कोल्लम शाखा सेवेन्थ डे चर्च के पास, रेसिडेंसी रोड, कड़पककड़ा कोल्लम - 691 008 **KOLLAM BRANCH** Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691 008	(0474) 2747 715	kollam@ecgc.in
हैदराबाद निर्यातक शाखा हाका भवन, 2 री मंज़िल, पब्लिक गार्डेन्स के सामने, हैदराबाद - 500 004 **HYDERABAD EXPORTERS BRANCH** HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	(040) 2323 4334 / 2324 0833	ebb.hyderabad@ecgc.in
हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा 6वीं मंज़िल, एल बी भवन, 6-3-550, मेडीनोवा के सामने, एर्रा मंज़िल,सोमाजीगुदा, हैदराबाद, 500 082 **HYDERABAD BANK BUSINESS BRANCH** 6th Floor, L.B. Bhawan, 6-3-550, Opposite Medinova, Erramanzil, Somejiguda, Hyderabad - 500 082	(040) 2329 6385 / 2329 6383	bbb.hyderabad@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
विशाखापटनम शाखा शंकर प्लाज़ा, पहली मंज़िल, द्वारकानगर, शंकर मठम के सामने, शंकर मठम रोड, विशाखापटनम - 530 016 **VISHAKHAPATNAM BRANCH** Shankar Plaza, 1st Floor, Dwarkanagar, Opp Shankar Matham, Shankar Matham Road, Vishakhapattnam - 530 016	(0891) 2748 653	visakhapatnam@ecgc.in
गुन्टूर शाखा कृष्ण प्लाज़ा, 2 री मंज़िल, 26-21-22 नगरम पालेम, जी टी रोड, गुन्टूर- 522 004 **GUNTUR BRANCH** Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004	(0863) 2337 097 / 2337 096	guntur@ecgc.in
मेंगलूर शाखा पहली मंज़िल, एक्सेल टावर्स , बंट्स हॉस्टल सर्कल, मेंगलूर - 575 003 **MANGALORE BRANCH** First Floor, Essel Towers, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575 003	(0824) 2444 288 / 89	mangalore@ecgc.in
उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय मोहनदेव , 6 वीं मंज़िल, टोल्सटोय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 **NORTHERN REGIONAL OFFICE** Mohan Dev, 6th Floor, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001	(011) 4152 9912 / 13	nro@ecgc.in
दिल्ली ल व म नि शाखा एन बी सी सी प्लेस,साउथ टावर, 4थी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्मपितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 **DELHI SME BRANCH** NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 4928 4000 / 4928 4016 - 4030	metro.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बड़े निर्यातक शाखा एन बी सी सी प्लेस,साउथ टावर , 4थी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्मपितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 **DELHI LARGE EXPORTERS BRANCH** NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 4928 4011	leb.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बैंक कारोबार शाखा 3री मंज़िल, हंसालय बिल्डिंग, 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110 001 **DELHI BANK BUSINESS BRANCH** 3rd Floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001	(011) 4533 3666	bbb.newdelhi@ecgc.in
पश्चिमी दिल्ली शाखा 405, 4थी मंज़िल, जी डी आई टी एल टावर, बी-08, नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110 034 **WEST DELHI BRANCH** 405, 4th Floor, GDITL Tower, B-08, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 4563 8142 - 44	west.delhi@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
गुड़गांव शाखा 3 री मंज़िल, उद्योग मीनार, वाणिज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज 5 गुड़गांव - 122 016 **GURGAON BRANCH** Third Floor, `Udyog Minar', Vanijya Nikunj, Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon - 122 016	(0124) 430 0603 / 04	gurgaon@ecgc.in
लुधियाना शाखा 92 सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, 2 री मंज़िल, द मॉल रोड, पी ओ बॉक्स नं 281, लुधियाना - 141 001 **LUDHIANA BRANCH** 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441 082 / 2403 349	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा 36 जी टी रोड, गोविंद निवास, 2 री मंज़िल, जालंधर - 144 001 **JALANDHAR BRANCH** 36, G T Road, Gobind Niwas, 2nd Floor, Jalandhar - 144 001	(0181) 2226 025 / 2226 035	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा 14/147 स्काय लार्क, 3 री मंज़िल, चुन्नीगंज, पी ओ बॉक्स नं 116, कानपुर - 208 001 **KANPUR BRANCH** 14/147, Sky Lark, 3rd Floor, Chunniganj, P.O. No. 116, Kanpur - 208 001	(0512) 2533 280 / 2534 024	kanpur@ecgc.in
मुरादाबाद शाखा पंडित शंकर दत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद - 244 001 **MORADABAD BRANCH** Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001	(0591) 2415 476 / 2435 395	moradabad@ecgc.in
जयपुर शाखा 2 री मंज़िल, आनंद भवन, संसारचंद रोड, जयपुर - 302 001 **JAIPUR BRANCH** 2nd Floor, Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur - 302 001	(0141) 2367 292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा दीपक वासन प्लाज़ा, 2 री मंज़िल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा - 282002 **AGRA BRANCH** Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002	(0562) 2524 985 / 2520 165	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा मालिक प्लाज़ा, पहली मंज़िल, संजय चौक के पास, जी. टी. रोड, पानीपत -132103 **PANIPAT BRANCH** Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103	(0180) 2634 933	panipat@ecgc.in
जोधपुर शाखा 178, नारायणम 2 री मंज़िल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्कल के पास, जोधपुर- 342001 **JODHPUR BRANCH** 178, Narayanam, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003	(0291) 5100 531 / 5100 534	jodhpur@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
चंडीगढ़ शाखा पी एच डी चैम्बर्स हाउस, पहली मंज़िल, सेक्टर 31 ए, चंडीगढ़ - 160 031 **CHANDIGARH BRANCH** PHD Chambers House, 1st Floor, Sector 31 A, Chandigarh - 160 031	(0172) 5003 627 / 28	chandigarh@ecgc.in
नोएडा शाखा पी-3 कृष्ण अपरा प्लाज़ा, 3 री मंज़िल, रूम नं 312, सेक्टर 18, नोएडा - 201 301 **NOIDA BRANCH** P-3 Krishna Apra Plaza, 3rd Floor, Room No. 312, Sector 18, Noida - 201 301	(0120) 4249 186 / 9182	noida@ecgc.in
श्रीनगर शाखा जे के एस एफ सी बिल्डिंग, 2 री मंज़िल, दुर्गा नाग, डलगेट, श्रीनगर - 190 001 **SRINAGAR BRANCH** JKSFC Bldg., 2nd Floor, Durga Nag, Dalgate, Srinagar - 190 001	(0194) 2500 260	srinagar@ecgc.in
फरीदाबाद शाखा एस सी ओ - 149 2 री मंज़िल, सेक्टर 21-सी फ़रीदाबाद, हरियाणा - 121 001 **FARIDABAD BRANCH** SCO-149, 2nd Floor, Sector 21-C, Faridabad, Haryana - 121 001	(0129) 4315 115	faridabad@ecgc.in

भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards
ISO 9001: 2008 Certified
Insurance is the subject matter of solicitation.
IRDA Regn.No.124
CIN No. U74999MH1957GO1010918

ईसीजीसी लि.
(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड)
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस टावर्स, 10वीं मंजिल, नरीमन पाईन्ट,
मुंबई-400 021, भारत. टेलीः 6659 0500 / 6659 0510,
फैक्सः (022) 6659 0517. टोल फ्रीः 1800-22-4500.
ईमेलः marketing@ecgc.in ● वेबसाइटः www.ecgc.in

ECGC Ltd.
(Formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd)
(A Government of India Enterprise)
Registered Office: Express Towers, 10th Floor, Nariman Point,
Mumbai - 400 021, India. Tel: 6659 0500 / 6659 0510.
Fax: (022) 6659 0517. Toll-free: 1800-22-4500.
e-mail: marketing@ecgc.in ● Website: www.ecgc.in

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें. हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगे ● *You focus on exports. We cover the risks.*